हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

खण्ड 5, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

बुधवार, 23 दिसम्बर, 1992

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)21
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव	(3)24

(1)ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
रादौर ब्लाक जिला यमुनानगर के गांवों में यमुना नदी के पानी से भूमि कटाव सम्बन्धी	(3)32
वक्तव्य	
सिचाई मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3)33
(2)ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
सरसों की बिजाई के समय 'घोलिया' लगने के कारण हुई हानि सम्बन्धी	(3)36
कृषि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3)37
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)39
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)40
वाक आउट	(3)43
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(3)43
सदन की मेज पर रखे गए कागज –पत्र	(3)44
बिल्ज –	
(1)दि हरियाणा ऐप्रोऐशन (नं०3)बिल, 1992	(3)44

(2)दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल, 1992	(3)47
(3)दि ईस्ट पंजाब वार ऐवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1992	(3)49
(4)दि प्रिवैन्श न औफ फूड अडल्ट्रेशन (हरियाणा वैलीडेशन)बिल, 1992	(3)51
(5)दि हरियाणा कोआप्रेटिव से सोसायटीज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1992	(3)58
(6)दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट)बिल, 1992	(3)69
(7)दि पंजाब प्रिऐम्पशन (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1992 (विधान)	(3)72
(8)दि हरियाणा कौटन जिनिंग एंड प्रैसिंग फैक्ट्रीज बिल, 1992	(3)73
(9)दि हरियाणा लैजि स्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाऊंसिज (अमैंडमैंट)बिल, 1992	(3)74
(10)दि हरियाणा सैलरीज एंड अला उसिज आफ	(3)74

मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट)बिल, 1992	
(11)दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1992	(3)74
(12)दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैशन आफ मैम्बर्ज)अमैंडमैंट बल, 1992	(3)74
मध्याहन भोजन अवकाश	(3)82
मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा	(3)82
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
(1)सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री द्वारा	(3)117
(2)श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा	(3)118
मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)119
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(3)174

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 दिसम्बर, 1992

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल विधान भवन सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9–30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह)ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Amount spent on the repair of roads in Karnal City

***329. Shri Jai Parkash :** Will the Minister of State for .Local Bodies be pleased to state the total amount provided by the Municipal Committee, Karnal for the construction/repair of damaged Roads in Karnal City during the year 1991-92 together with details of the amount spent thereon during the period from December, 1991 to 31st Macrh, 1992 ?

Minister of State for Local Government (Chaudhr i Dharambir Gauba) : In the budget of the Municipal Committee, Karnal for the year 1991-92 a provision of Rs. 52 Iacs was made for the construction/repairs of damaged roads against which Rs. 13,65,160 were spent for the purpose of this amount, Rs. 1,68,0)6 were spent from December, 1991 to March, 1992.

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि 13,65,160 और 1,68,096 रुपए 31 मार्च, 1992 तक खर्च किए गए हैं। क्या मंत्री महोदय इसका ब्यौरा देने

की कृपा करेंगे और दूसरी बात मत्री जी यह बताने का कष्ट करे कि करनाल शहर के अन्दर जो सड़कें म्युनिसिपल कमेटी ने बनानी थीं, उनमें से किस–किस सडक की मुरम्मत की है, कौन–कौन सी सड़क अभी बाकी है और जो बाकी हैं, वे कब तक बन जायेंगी?

चौधरी धर्मबीर गाबाः अध्यक्ष महोदय, जो हमने नई रोड्ज बनाई हैं, वह हैं–– माडल टाउन से परनामी मंडी, घंड सराय रोड तथा वर्किन्ग वीमैन होस्टल के नजदीक की सड़क। इसक अलावा हमने नई रोड बनाने के लिए वार्ड नं० 20 में एक नई लेन बनाने के लिए अर्थ वर्क करवाया है तथा साथ ही वार्ड न० 33 की रोडज की रिपेयर भी की

श्री जय प्रकाशः स्पीकर साहब, मेरे सवाल के दूसरे भाग कॉ जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि कौन–कौन सी सड़कें अभी बननी बाकी है और वह कब तक मु कम्मल हो जायेंगी?

चौधरी धर्मवीर गाबाः स्पीकर सर, बात ऐसे है कि हमने प्रोवीजन तो 52 लाख रुपए का किया हुआ था लेकिन इन्कम कुछ कम हुई, इस वजह से कम खर्चा किया गया है। करीब 12 लाख रुपए के डयूज अभी बकाया हैं, वह अप्रैल तक आ जायेगे। इसके बाद काम शुरू करा देंगे।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीनयूएंसी मे बेरी एक टूटा– फूटा सा शहर है, इनके बार–बार कहने के बावजूद वहां पर रोड्ज की रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ है और न ही कौई नई रोड बनाने का काम शुरू हुआ है। क्या मंत्री महोदय वहां के लिए कोई स्पैशल ग्रान्ट देने का प्रावधान करेंगे? मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि टाउन्ज में या सिटीज में डैमेज्ड रोड्ज के बनाने का क्या क्राइटेरिया है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अकेले म्यूनिस्पिल कमेटीज का था लेकिन सड्कों के बारे मे मैम्बर साहब ने पूछ लिया, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटीज के पास साधनों की कमी है। उनके साधन बहुत सीमित हैं। इसलिए हमने चालू साल में एक नई पौलिसी बनाई है। इस पौलिसी के तहत जो सड़कें शहर के अन्दर मंडी को मिलाती हैं, वह सारी की सारी सड़कें मार्किटिंग बोर्ड बनायेगा। मार्किटिंग बोर्ड ने इस बारे मै काम करना चालू भी कर दिया है और बहुत से शहरों में सड़कें बनकर चालू भी हो गयी हैं। जैस बेरी साहब ने कहा, बेरी और झज्जर की सड़कें भी ठीक नहीं हैं, मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से उनको भी बनाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आज अकेले बेरी और झज्जर की ही बात नहीं है। आप अगर रोहतक शहर के अन्दर से

निकलना चाहें तो गुजरना मुश्किल है। दादरी और लोहारू तो छोटे–छोटे कस्बे हैं, वहां की हालत भी खस्ता है। क्या मुख्य मली बतायेंगे कि सड्कों की मुरम्मत करने का कोई क्राईटेरिया फिक्स कियौ हुआ है कि इतने सालों के बाद मुरम्मत की जायेगी, या इतनी टूट–फूट जायेंगी, तभी मुरम्मत होगी या उनका तार– कोल खत्म हो जायेगा, तभी उनकी मरम्मत की जायेगी?

चौधरी भजन लालः बहन जी, ऐसा लगता है कि रोहतक शहर से गुजरे हुए आपको काफी दिन हो गए हैं। मैं अभी वहां होकर आया हूं।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, हिसार को छोड्कर रोहतक, झज्जर, गुड़गांव और करनाल यानी सभी जगहों की सड्कों की हालत खराब है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने कहा है कि हिसार की सड्कों की हालत ठीक है और कही की सड्कों की हालत ठीक नहीं है। हिसार जिला बहन जी का ही था। यह अलग बात है कि वह अब अलग हो गया है। हिसार इनका ही है। वहां पर यूनिवर्सिटी है, कमिश्नरी है और पुलिस रेंज है। मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन बाकी जिलों की सडकें भी अच्छी हैं। हमने सब जगह हिदायत जारी की हैं कि जहां सड़कें टूटी हुई हैं, वहां मरम्मत की जाए। मैं गली मोहल्ले की सड़कों की तो बात नही करता लेकिन बाकी जो सड़क हैं, उन पर काम चालू है, अगर

कहीं नहीं है तो चालू हो जाएगा। ऐसी बुरी हालत कहीं भी नही है कि कोई आदमी गुजर ही न सके। स्पीकर साहब, बरसात जब हो जाती है और सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है तो सड़क टूट जाती है, ऐसी सड़कों की भी मुरम्मत जॉरी है और एक दो महीने में ऐसी कोई प्रौबलम नहीं मिलेगी।

श्री धीरपाल सिंहः मुख्य मन्त्री जी ने रिप्लाई में कहा है कि भविष्य में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा सड़क बनाई –जाएगी और मुरम्मत की जाएगी। क्या इनकी जानकारी में है कि करनाल की सडकों पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और वे बनने से पहले ही टूट गई? क्या मुख्य मन्त्री महोदय इसकी इक्वायरी करवायेंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वहा के विधायक की शिकायत है कि वहां पर सडकें टूटी हुई हैं और म्युनिसिपल 'कमेटी बना नही रही है और ये कह रहे हैं किं करोड़ों रुपया सडकों के बनाने पर खर्च किय। गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड ने पाच करोड रुपया सारे हरियाणा में टोटल खर्च किया है और ये कहते है कि करनाल में करोड़ों रुपया सडकों पर खर्च किया है। पता नहीं यह बात कहां तक ठीक है?

श्री धीरपाल सिंहः क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अलग–अलग शहरों पर कितना कितना पैसा सड़कों पर खर्च किया गया है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इस समय मेरे पास अलग–अलग जिलों की फिगर नहीं है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि सारी स्टेट में पांच करोड़ रुपया मार्किटिंग बोर्ड ने खर्च किया है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि शहरों की सड्कों की हालत सुधारने के लिए पांच करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिकटवाइज कितना–कितना खर्च किया गया है और सारे हरियाणा के अन्दर कब तक सड्कों को ठीक करा देंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमैंटरी का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं बै। सवाल म्युनिसिपल कमेटी के बारे में था। अगर ये एक, एक शहर की इफरमेशन चाहते हैं ती हम डिस्ट्रिक्टवाइज भी लिखवा कर भिजवा देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, पिछले सैशन में मुख्य मन्त्री जी नें अपने उत्तर में कहा था कि सड्कों की मरम्मत तो हम करेंगे ही लेकिन इस के साथ साथ प्रदेश में जितने मन्दिर हैं, गुरुद्वारे हैं और मस्जिद है, उन तक जो पहुचवार रोडज हैं, उनको भी बनाएंगे। क्या मुख्य मन्डी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की पहुंचवार सड़कें अभी तक बनाई जा चुकी हैं?

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमैंटरी का मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैन सवाल म्युनिसिपल कमेटी की सड़्कों के बारे में है 1

Expenditure incurred on Account of TA/DA etc. on the Chairman

of Haryana Forests Development Corporation

***363. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Forests be pleased to state the month wise total expenditure incurred on account of bills of telephone, TA/DA and residential accommodation of the present Chairman of the Forests Development Corporation from the date of his appointment todate ?

Forest Minister (Rao Inderjit Singh) : A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Monthly expenditure incurred on account of bills of telephone. TA/DA and residential accommodation of the present Chairman of the Haryana Forests Development Corporation from 18-7-91 to 30-11-92 is given as follows—

Sr. No.	Item	Month of payment	Amount (Rs.)
	Residential Telephone for 16-8-92 to 15-10-92	November, 1992	4059.00

	TA/DA		NIL
	Residential accommodation		
	(i) Electricity bill for 12-7-92 to 12-9-92	November, 1992	4485.00
	(ii) Water bill from 15-7-92 to 15-9-92	November, 1992	293.00

श्री अमर सिंह: क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि फारैस्ट डिवैल्पमैंट कार्पोरशन का 1991–92 का टोटल बजट कितना है और उसमें से स्टाफ पर कितना खर्च हुआ और फारैस्टरी पर कितना खर्च हुआ।

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, कार्पोरेथन की 1991–92 की टोटल टर्न ओवर 92.20 लाख रुपए थी और इसके हिसाब से ग्रौस प्रौफिट 10.67 लाख रुपए था। जो 1991– 92 के अन्दर स्टाफ का खर्चा बैच है, वह 15.1 लाख रुपए था।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या फारैस्ट डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन एक एकस्ट्रा वैकेन्सी नही है? जब फारैस्ट डिपार्टमैंट है तो इसकी क्या आवश्यकता है?

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, फारैस्ट डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन कोई मनाका कमाने के लिए नही बनाई गई थी। वर्ष 1987 से 1989 तक किसानों ने अपने खेतों मै जो सफेदे के पौधे

लगाए थे, उनकी कीमते बहुत ज्यादा गिर गई थी। एक क्विंटल सफेदे की लकड़ी का भाव 28/– रुपए तक गिर गया था। वे लोग इस बात पर मजबूर हो गए थे कि उन्होंने अपने खेतों में पौधे लगाए और उनको उखाड़ कर रखा था लेकिन वे बिक नही रहे थे। इस दिक्कत को दूर करने के लिए यह कार्पोरेशन बनाई गई थी। हम उनको बेसिक स्पोर्ट प्राइस देना चाहते थे और चाहते थे कि किसान की लकड़ी मार्किट के अन्दर बेहतर दामों पर बिके। उनकी लकड़ी कार्पोरेशन को सेल नहीं हुई क्योंकि अगर कार्पोरेअन उनको 40 रुपए क्विटल का भाव देने को तैयार थी तो किसान को प्राइवेट कंट्रैक्टर 50 रुपए का भाव दे देते थे। इसलिए इस कार्पोरेशन को बनाने का जो मकसद था, वह पूरा हो गया।

श्री सतबीर सिंह कादयान सीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कल करंट ईयर में इन्होंने कितने टन सफेदा खरीदा और किस भाव पर खरीदा?

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, अभी तक एप्रोकसीमेटली 50 लाख रुपए का खरीदा है और इस साल 31 मार्च तक 1.40 करोड़ रुपए का खरीदने का विचार है।

Illegal Possession of the Land of Government College, Panchkula

***344. @ Shri Ram Bhajan Aggarwal & Smt. Chandravati :** Will the Minister for Education be pleased to state whether any case of illegal possession of the land of

Government college, Sector-1, Panchkula by some persons has come to the notice of the Government ; if so, the details thereof together-with the action taken thereon ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): राजकीय महाविद्यालय पचकुला के लिए हुड्डा द्वारा सैक्टर– 1 पचकूला मे 14 88 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी, जिसमें से 1 772 एकड़ भूमि पर स्थानीय एक मन्दिर के महन्त द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ था। इस अनाधिकृत कब्जे के हुड्डा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 13– 9– 92 को हटा दिया गया है। इस भूमि में से 1697 एकड़ भूमि का कब्जा प्राचार्य राजकीय. महाविद्यालय पंचकूला को सौंप दिया गया है। इस समय केवल 0.075 एकड़ भूमि मन्दिर के पास है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने अपने जवाब मे यह पढ़ा है कि इस अनाधिकृत कब्जे को हुड्डा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 13– 9– 92 को हटा दिया गया है लेकिन हमारे पास जो रिप्लाई है उसमें 14– 9– 92 लिखा हुआ है। यह नाजायज कब्जा 13– 9– 92 की हटाया गया है या 14–9– 92 को हटाया गया है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, यह गलती से टाईप हो गया होगा। यह 13–9–92 को हटाया गया है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कभी महोदया से यह जानना चाहती है कि उस जमीन पर

नाजायज कब्जा क्यों करने दिया गया जबकि वहां कोई मन्दिर नहीं है? जिस आदमी ने उस जमीन पर कच्चा कर रखा है, वह एक होंगी आदमी है जिसका हमारी भाषा में मेवडा कहते हैं। उसने किसी से मिल कर उस जमीन पर नाज कब्जा कर रखा है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि फौरन उस आदमी से उस जमीन का नाजायज कब्जा छुड़वा लिया जाएगा?

श्रीमती शान्ति देवी राठीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूजनीय बहन चन्द्रावती जी को बताना चाहूंगी कि पहले यह कालेज एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग के एक ब्लौक में लगता था। यह जमीन 25–3–85 को हुड्डा ने कालेज के नाम ट्रांसफर कर दी लेकिन जब तक इस जमीन पर कालेज का भवन नहीं बना था तो एक महंत ने पुछ एरिया पर नाजायज कब्जा कर लिया। आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमने उस अनाधिकृत कब्जे को छुड़वा कर कालेज को सौंप दिया है और इस समय उस कालेज में 625 बच्चे–बच्चियां पढ़ रहे हैं। उस जमीन का अनाधिकृत कब्जा छुडवा लिया गया है और चारदिवारी बना दी गई है। वह जमीन पूर्णतया कालेज के कब्जे में है। इस समय केवल 0.075 एकड़ जमीन मन्दिर के पास है। इस जमीन दर मन्दिर बना हुआ है इसलिए इस को छोड़ दिया गया है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, बहन जी ने बडा वैलिड सवाल पूछा है। पिछली सरकार ने अनाधिकृत

कब्जे करवाये थे। इस जगह पर भी जो अनाधिकृत कब्जा हुआ है, वह भी इनकी कृपा से ही हुआ था। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये हमारे०पर आरोप लगा रहे हैं। इस शब्द को आप डिलीट करवाएं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः आपकी मंत्री कह रही हैं कि यह कम्मा 1985 में हुआ था और हमारे समय में कल्ला हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। सी०एम० साहब का जवाब आने दें। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा की तरफ से यह जमीन 25—3—85 को कालेज के नाम ट्रांसफर की गई थी जबकि इस पर अनाधिकृत कब्जा 1987 में इनके राज में हुआ था। इनकी मेहरबानी से वहां पर कब्जा किया गया और समाधि—मन्दिर बनाया गया था। अब हमने समाधि और मन्दिर वाली जगह को छोड़ कर सारा कच्चा छुड़वा लिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी से जानना चाहूंगा कि यह जो 0.075 एकड कब्जा उस मन्दिर के नाम पर बताया जा रहा है, यह गजों में काफी बैठता है। मैं जानना चाहूंगा कि 40—50 गजों में जो मन्दिर या समाधि बनी हुई है, उसको छोड़ कर बाकी जमीन पर कब्जा कब तक छुडवा लिया जायेगा ?

श्रीमती शान्ति देवी राठीः मैंने अभी बताया था कि हमने समाधि या मन्दिर वाली जगह को छोड़ कर सारा कब्जा छुड़वा लिया है और पांच फुट०ंची चारदिवारी बना दी गई शै। कोई 700– 300 गज जमीन है जहां पर मन्दिर है या समाधि बनी हुई है, उसको हमने कालेज की चार दीवारी से अलग निकाल दिया शै और उगके लिए अलग से गेट लगाया गयीं है। यह जगह भी इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है। इस बात के लिए तो आप लोगो को हमारी प्रशसा करनी चाहिए कि हमने धार्मिक स्थल वाली जगह को छोड़ कर उनसे सारा कब्ज छुडवा लिया है। जो काम आप लोग चार साल में नही कर सके, वह हमने डेढ साल में ही कर दिया और जमीन का कच्चा कालेज के प्राचार्य को सौंप दिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लम्बा चौड़ा हिसाब–किताब आता नही लेकिन श्री रामभजन जी बता रहे है कि 075 एकड़ जगह 250 या 300 गज की बजाये 3600 गज के आसपास बैठती है। यह जगह बहुत ज्यादा है, इस लिए मन्दिर की जगह को छोड़ कर बाकी कब्जा उनसे छुड़वा लिया जाये।

चौधरी भजन लालः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपकी बात को समझ गया। आप इस जमीन को जो हमने छोड़ी है, 75 एकड़ समझ रहे है और 75 एकड जमीन पौने एकड़ के आसपास बैठ जाती है। इसलिए मैं आपको पोजीशन कलियर करते हुए

बताना चाहता हूं कि यह जमीन .75 एकड़ नही है बल्कि 075 एकड है जो 250–300 गज के आसपास बैठती है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो कब्जा हटवाया गया, यह जबरदस्ती हटवाया गया है या कोर्ट में इस बारे में केस पैडिंग पड़ा है?

श्रीमती शान्ति देवी राठीः यह कब्जा आप लोगों जरा करवाया गया था। 25–3– 85 को जमीन हुड्डा से कालेज के नाम ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद आपके समय में कब्जा हुआ था। अब हमने यी कब्जा, मन्दिर और समाधि की जगह को छोड़ कर, उनसे छुड़वा लिया है।

Installation of Booster/Pump House

***367. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to install a Booster/Pump House at village Gunghera, Tehsil Palwal, for supplying the drinking water to the villages, Alika, Gunghera. Dhatir, Tehnaki, Dugerpur, Karna Rajolka, Kairaka ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be installed ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री निर्मल सिंह):

(क)जी नही।

(ख)प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ख माननीय मन्द्री जी को बताना चाहता हूं कि अलीका, गुगहेडा, धतीर, तहनकी, डुगरपुर, कर्णा, राजोलका और कैराका बहुत बड़े गांव हैं जहां का पानी ज्यादातर खारा है और यहां पर पानी नगर–भीखू गांव मै तकरीबन 15 किलोमीटर द्र से लाया जाता है। स्पीकर सर, अलिका गांव में ते। ऐसी हालत है कि लू की लड़कियां पीने का पानी मांगने के लिए गांव में जाती हैं। अलीका गांव के पास एक मीठे पानी की जमीन है और गांव की पंचायत ने यह जमीन सरकार को उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पास किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता है कि क्या मन्त्री जी इस बारे विचार करेंगे कि वहां पर एक नया ट्यूबवैल लगवाया जाए।

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने अपने सवाल में कुछ गांवों का जिक्र किया है। दरअसल हम 40 लीटर पानी पर–हैड गाब में देते हैं। जो स्कीमज पहले की हैं, उनमें गु गहेड़ा, अलीका वगैरा कुछ गांवो का समूह था जहां पर इन्होंने बूस्टर की भी डिमांड की है। वहा धतीर गांव में एक ट्यूबवैल लग चुका है और हर व्यक्ति को 40 लिटर पानी उपलब्ध है। राकी गांव, कैराकी की जो स्कीम है, उसमें गुरजा, कैराकी 2 गांवों की जमीन हैं जहां 40 लिटर पर हैड पानी दिया जा रहा है। दूसरे, जो बाकी गांव कर्णा, राजोलका और कैराका हैं, इनमें पानी की कमी है और 27 लिटर पर–हैड पानी उपलब्ध है, इसीलिए वहां पर एक नया

ट्यूबवैल मन्जूर किया जा चुका है जिसके लिए साढ़े तीन लाख रुपये हमने दे भी दिये हैं और मार्च तक यह ट्यूबवैल लगकर चल पड़ेगा। स्पीकर सर, हर गांव में ट्यूबवैल लगाना सम्भव नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने धतीर और कैराका के बारे में बताया है, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अलीका गांव बहुत बड़ा गांव हे। गांव वालों की आम शिकायत है कि स्कूल की लड़कियां पीने का पानी लेने के लिए गिलास उठा कर गांव में फिरती रहती हैं, इसीलिए गुंगहेड़ा में बूस्टर लगाने की तजवीज पिछली सरकार ने रखी थी और साढ़े तीन वाख रुपये मन्जूर भी किए थे लेकिन इस सरकार ने उस को कैसिन्ज कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं अगर अलीका गाय, मीठे पानी की जमीन उपलब्ध करा दे तो क्या वहा एक नया ट्यूबवैल लगवाने की कृपा करेंगे?

श्री निर्मल सिंहः बूस्टर की स्कीम इसलिए रद्द की गई थी क्योकि धतीर मे ट्यूबवैल लगा दिया था और नया ट्यूबवैल लगाने पर विचार वहां किया जाएगा जहां पानी 40 लिटर पर हैड उपलब्ध नहीं होगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः अष्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पुनः अनुरोध करता हूँ कि पानी की दिक्कत गांव अलीका मे है और अलीका की ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया

है कि वे महकमे को की जमीन देने के लिए तैयार हैं और उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पडेगा। वे जमीन अपनी तरफ में दे रहे हैं सरकार ने सिर्फ एक ट्यूबवैल लगाना है जिससे गांव अलीका और आम–पास के गांवों में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इन पर गौर करेंगे कि अलीका गांव के लिए अलग मे ट्यूबवैल लगाया जाए जिसके लिए गांव की पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है ?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, जहां तक जमीन का ताल्लुक है, गांवों में ट्यूबवैल के लिए बहुत से गांवों की पंचायतें मुक्त जमीन दे देती हैं क्योंकि ट्यूबवैल के लिए कोई ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ट्यूबवैल लगाने पर काफी पैसा खर्च होता है। स्पीकर साहब, जहां पानी की कमी होगी वहां ट्यूबवैल लगाने के लिए जरूर गौर किया जाएगा चाहे उसके लिए पंचायत जमीन न भी दे।

Investment made by Harco Bank

***339. Smt. Chandravati :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether any investment was made by Haryana State Cooperative Bank Ltd. (HARCO BANK) in National Housing Bank during the period from May, 1991 to March, 1992; if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): जी नहीं।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्डी जी से कहना चाहती हूं कि इन्होंने 2 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे है ये 2 करोड़ रुपये के शेयर इन्होंने चण्डीगढ़ के हाउसिंग डिवैल्पमैंट बैक से नही खरीदे बल्कि दिल्ली से खरीदे हैं। इन शेयरों पर 4 लाख रुपये का कमीशन मिला है, जिसे उस वक्त के जो आफीसर थे वे खा गये। मग्न मन्त्री जी ने कहा है कि शेयर नही खरीदे। मैं अगर इसे .... कहूगी तो ये इसे अनपालियामैटरी शब्द कहेगे। स्पीकर साहब, ... इन्हे नहीं बोलना ....। (विघ्न) स्पीकर सर, अगर इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया तो मैं प्रोटैस्ट के तौर पर सदन सै वाक आउट कर जाएगी।

चौधरी भजन लालः बहन जी आपने जो शब्द कहे है, यह तो अनपार्लियामैंटरी शब्द है। यह अच्छी बात नहीं है, आप ''असत्य'' शब्द कह लेती। मैं आपका आदर करता हूं, आपको थोड़ा सा दिमाग मे काम लेना चाहिए था कि पैसा आवास बैंक में जमा नही हुआ है बल्कि एच० डी०ए०सी० में जमा हुआ है।

श्रीमती चन्द्रावतीः नाम में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, परन्तु यह पैसा तो हरको बैक ने जमा करवाया और इसमें कमीशन भी मिला है

चौधरी भजन लालः बहन जी, मैं आपको सारी बात बताता हूं। पहले तो आप यह मानेगी कि अपिसे गलती हो गई है

क्योंकि आपने गलत सवाल पूछा है और जो आपने अनपार्लियामैटरी शब्द कहे हैं, उनको अपिको वापिस लेना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मुख्य मन्त्री जी, यह बात ठीक है कि इनसे सवाल पूछने में थोडी सी गलती हो गई है।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रिटिंग में भी गलती हो सकती है, लिखने में भी गलती हो सकती है और पढ्ने में भी गलती हो सकती है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह पैसे की बात है। हमने राष्ट्रीय विकास बैक मे कोई पैसा जमा नही करवाया। एच०डी०एफ०सी० में दो करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। 28— 5—91 को एक करोड़ रुपयी और 19— 6— 91 को एक करोड रुपया और जमा करवाया है। यह रुपया उस समय जमा करवाया गया था जब हरियाणा में गवर्नर राज था, हमारा राज नही था। उस सौर पैसे पर साढ़े 53 हजार रुपये व्याज आना चाहिए। इसको आर०बी०आई० ने अथोराइज किया था। आप जो बात कह रही है, वाकई में वे दो परसैन्ट कमीशन देते हैं। उसमें जो गड़बड़ हुई है, इसमें दो आदमियों का नाम लिखा गया है, हो सकता है वे पैसा खा गए हों। हमने जी०एम० को चार्ज शीटें किया है और उनके खिलाफ इन्कवायरी करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ में उनकी ब्रांच थी परन्तु चण्डीगढ में पैसा जमा नही करवाया बल्कि दिल्ली

में हरको बैक ने जमा करवाया और कमीशन का पैसा बजाए इसके कि वे जमा करवाए, वे खा गए।

चौधरी भजन लालः बहन जी, खाया नहीं गया है वे तो दो परसैन्ट कमीशन देते है। अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच चल रही है और जो भी इस मामले में दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय जैसा कि इन्होंने माना है, उसको देखते हुए, जो भी वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उन्हें डिसमिस करना चाहिए।

चौधरी भजन लालः बहन जी आप यह बताये कि क्या एम० डी० ने पैसा खाया है?

श्रीमती चन्द्रावतीः पी०एन० भारद्वाज ने नहीं खाया है।

चौधरी भजन लालः वे तो रिटायर हो चुके थे।

श्रीमती चन्द्रावतीः हमने तो यही सुना है कि भारद्वाज ने नहीं खाया है। – मेरे विचार से तो कटारिया ने और लैहम्बड सिंह ने खाया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय हमने जी०एम० को चार्जशीट किया है। लैहम्बड सिंह उस समय नहीं था, वह तो दो महीने के बाद आया था। पहले तो बंसी लाल जी ने कह दिया था और आज आपने कह दिया।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसी लाल जी ने तो कलैन्डर दिखाया था नाम नहीं लिया था।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि हम इस की इन्क्रवायरी करेंगे और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : Chandravati Ji, assurance has been given by the Chief Minister on this question. Now, there is no supplementary on this question. That is all. Please take your seat.

Construction of Bus Stand at Rajaund

***350. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Minister of State for Transport b. pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Rajaund ; if so, the time by which the said Bus Stand is likely to be constructed ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां, बस स्टैण्ड बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)द्वारा बस स्टैण्ड बनाने के लिए अनुमान तैयार कियो जा रहा है। फण्डज की उपलब्धी अनुसार कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, मती जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भूमि का अधिग्रहण किय जा चुका है।

सर, वहां पर ईटें भी पड़ चुकी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह जो ईटें पड़ती हैं, वे अनुमान तैयार होने से पहले पड़ती हैं या बाद में ईंटें पडती हैं? मुझे लगता है कि मंत्री महोदय रात में सवाल पढते नहीं है ?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर सर, राजौंद बस स्टैण्ड बनाने के लिए जो भूमि है, वह लगभग तीन एकड के करीब है और इस जमीन की जो कीमत है, वह भी अदा की जा चुकी है। इसके अलावा, तीन लाख रुपये पी०डब्ल्यू०डी० वालों के पास भी डिपोजिट कराये जा चुके है। स्पीकर सर, इस पर काम शुरू तब होगा, जब अनुमान तैयार होकर आ जाएगा। अगर वहां पर कुछ और गड़बड़ इन्होंने करा दी होगी तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त में नारनौंद सबसे बड़ा गांव है, वहा पर म्यूनिसिपल कमेटी भी बन चुकी है और वहा की आबादी भी आज के समय में 20 हज है। वहां से काफी बसें होकर गुजरती हैं। पिछली सरकार ने वहां पर बस–स्टैण्ड मंजूर भी किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बस स्टैण्ड को बनाने की कोई तिथि, कोई साल, कोई समय, इन्होंने मुकर्रर किया है या नहीं?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर सर, नारनौंद बस–स्टैंड की जहां तक बात है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नारनौंद में अभी तक भूमि के अधिग्रहण का काम शुरू नही हुआ है। 'पीकर सर, प्रायरिटी के बेस पर काम किये जायेगा अर्थात् जो काम पहले छेडे जा चुके है, पहले उनको पूरा किया जाएगा और नये काम हम तब हाथ मे लेंगे जब पुराने काम पूरे हो जाएंगे।

चौधरी सूरजभानः काजल अष्यक्ष महोदय, 1988 में जुलाना बस स्टैड का उद्घाटन हुआ था ओर उसके बाद जमीन भी एक्वायर हो गयी थी तया उसका पैसा भी वहां पर जमा रहा। लेकिन यह बस स्टैंड जुलाना में न बनाकर महेन्द्रगढ़ को ट्रांसफर कर दिया गया है क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, और यह भेदभाव की नीति क्यों अख्तियार की जा रही है?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर सर, कोई भेदभाव की नीति अख्तियार नही की जा रही है। यह तो फंडज की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हमारे सामने मुश्किल यह है कि बहुत सी जगहों पर हुआ काम फंडज की कमी की वजह से पूरा नहीं होता। स्पीकर सर, इलैक्शन के दिनों मैं केवल ईंटें फिकवा देने हे हो कोम शुरू नही होता। हमने तो पाई, उकलाना, गन्नौर में बस स्टैण्ड पूरे कर दिये हैं वहां पर हमने बीच में काम नही छोड़ा है। जो काम पहले हो सकता था, वह हमने पहले किया है। (शोर)मैं जुलाना की ही बात कर रहा हूं। सर, इसके बाद ऐलानाबाद का बस स्टैड भी तैयार हो चुका है। हम कोई भेदभाव की नीति न

अपनाकर, फंडज की उपलब्धता पर यह कोशिश करेंगे कि इस बस स्टैण्ड को पूरा किया जाये। हम इसके लिए फण्डज ऐडवांस मे जमा करायेंगे ताकि काम फिर बीच में ही न पड़ा रहे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मंत्री जी ने मेरी सप्लीमैंटरी के जबाव मे कहा है कि जमीन ऐक्वायर करने की कार्रवाई अभी शुरू नही हुई णै। स्पीकर साहब, नारनौंद तहसील हैडक्वार्टर है, वहां बी०डी० ओ० आफिस है, 132 के०वी० का सब–स्टेशन है। वहां पटियाला एवं हरको बैक की ब्रांच है, पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा, हिसार जिले का सबसे पुराना गवर्नमैंट हाई–स्कूल नारनौद मे है। स्पीकर सर, मैं यह निवेदन करूंगा कि इतना प्रैशर है, इतनी आबादी है, चारों तरफ से चालीस सडकें वहां आकर मिलती हैं और दुकानों के सामने, जहां न कोई शैड है, वहां लगभग दो हजार लोग धूप में खड़े होकर बस का इन्तजार करते है। क्या मती महोदय इसे प्रायरिटी पर लेकर, जमीन जल्दी ऐक्यायर करने की अश्योरेंस देंगे?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर सर, चार साल इनका भी राज रहा था, तब कोई प्रायरिटी नहीं थी, आज एकदम इनको प्रायरिटी नजर आने लगी। मैंने पहले भी कहा है कि हम सर्वे करा रहे है और जब जमीन हमें ठीक दामों पर मिलेगी, कोई पंचायत जमीन देगी या मुफ्त में जमीन मिलेगी, तो हम इसे भी प्रायरिटी देंगे। जहां ट्रैफिक थ्यादा है वहां पर बस स्टैड बनाने का काम भी हम प्रायरिटी फर करेंगे। जितने हमारे पास फण्डज उपलबध हैं,

उसके हिसाब से हो खर्च किया जाएगा। सबसे पहले तो मैंटीनैसं जरूरी है, वह ही पूरी नही हो पा रही है। एक करोड़ रुपया सैंकशन्ड था, वह तकरीबन जमीन ऐक्वायर करने में ही कन्जयुम हो गया।

श्री राम रतनः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने मेरे हल्के हसनपुर मे बस–स्टैण्ड बनवाने का जो आश्वासन दिया था, वह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री बलवीर पाल शाहः हसनपुर में जमीन ऐक्यायर की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, फिर भी मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है तो हमें उसे पूरा करना है व हम कार्यवाही पूरी करेंगे।

Repair of Roads

***354. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether the Government had taken any decision to repair all the roads in the State by the end of March, 1992 ; and

(b) if so, the achievements so far made in this regard ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें)मन्त्री (श्री आनन्द सिंह डांगी):

(क)हां जी, यह निर्णय लिया गया कि सभी आवश्यक मुरम्मत के कार्यो को किया जाये।

(ख)आवश्यक मुरम्मत के लिए 1850 कार्यों को चुना गया था जिनमें से 31–3–92 तक 1396 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा दूसरे 389 कार्यो को नवम्बर 1992 तक पूर्ण कियो जा चुका है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, भिवानी जिले की सड्कों की बात हो, नहरों की बात हो या बिजली देने की बात हो, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे पता है कि मंत्री महोदय मेरे कहने से तो कोई काम करेंगे नही लेकिन फिर भी मैं आप के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भिवानी जिले के गांवों में ए०सी० चौधरी और बहिन करतार देवी भी गयी थीं। पेपर्ज में तो सड़कों की मुरम्मत हो गयी होगी लेकिन असल में किसी सड़क की मुरम्मत नही हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम मे मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भिवानी जिले के कितने गांवों को चुना गया था या आईडैटीफाई किया गया था, उनमें से कितनों की सड़कें पूरी कर दी गयी हैं? इस के साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1991–92 और 1992–93 के वर्षों में हमारे यहां सड्कों को टीक करने के लिये कितना पैसा खर्च किय–। गया हैं या कितना प्रावधान है?

श्री आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने भिवानी जिले के बारे मे पूछा। भिवानी सर्किल के अन्दर 347 गावों को नवीकरण करने के लिये योजना बनायी गयी थी और उन पर 549.50 लाख रुपये खर्च होने की योजना थी। ज्यों–ज्यों पैसा ओता जायेगा, खर्च करते जायेंगे, हमने काम करना शुरू कर दिया। इनकी नजर में अगर कोई ऐसी सड़क हो, जिसकी मुरम्मत नही हुई हो, तो यह मुझे बता दें, उसको भी अवश्य बनवा देगे। इसके साथ ही एक और बात भी है। जैसे कि मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछले सैशन में पूरे हाउस के सामने आश्वासन दिया था कि हरियाणा प्रदेश की सभी टूटी हुई सड्कों की मुरम्मत करेंगे। जितने गांव आईडटीफाई किये गये है, उन नव की मुरम्मत कर दी गयी है। लेकिन हम यह मानने हैं कि इनकी पिछली सरकार के चार साल के अर्से मे जो भी पैसा सड़कों की मुरम्मत करने के लिये दियों गया था, वह सड्कों की मुरम्मत पर ठीक तरीके से खर्च किया ही नही गया। जिन सड्कों की मुरम्मत को कार्य किया गयीं हमें उम्मीद थी कि उन सड़कों को तो कम से कम हमें टच नही करना पडेगा लेकिन उन्होंने जो भी पैच वर्क किया था, वह उखड़ता चला गया। इस वजह से यहां पर प्रौब्लम हो सकती है।

श्री अध्यक्षः वहां पर मिटटी डालकर यह काम पूरा किया गया है या नही?

श्री आनन्द सिंह डागीः स्पीकर साहब, 4 करोड़ में से एक करोड़ रुपया भी भिवानी जिले में खर्च नही किया गया।

(व्यवधान व शोर)जैसे कि भाई राम कुमार जी ने कहा है, ये लोग सड्कों को पूरी चौड़ाई नही देते थे, पिछले 4– 5 सालों से इनकी चौड़ाई कम होते–होते 4– 5 फुट ही रह गयी होगी। इनको संभालने मैं और पूरा करने में थोड़ा टाईम जरूर लगेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हं कि हमें मुरम्मत करने का पूरा तजुर्बा है और हम इनको ठीक करना जानते हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से जयपुर का सारा टैरफिक नैशनल हाई वे से न गुजर कर वाया नांगल, नारनौल, मद्रेन्द्रगढ और दादरी से होकर गुजरता है। ऐसा पिछले दो सालों से हो रहा है। मंत्री जी खुद भी पिछले दो महीने पहले वहाँ से गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो नांगल, नारनौल, महेन्द्रगढ और दादरी की सड़क है, इसको प्राथमिकता के आधार पर डबल करने की कोशिश करेगे?

श्री आनन्द सिंह डांगी: अष्यक्ष महोदय यह नड़क तो पहने से ही डबल हूं। 18 फुट चौड़ी सउरक है, स्टेट हाई–वे है। आगे के लिये सरकार का प्लान है कि जो सड़कें लम्बे रास्तों को जोड़ती है, उनको बारह से अठारह फुट और बाईस से अठाइस फुट चौड़ा किया जाएगा। स्पीकर साहब, यह बहुत ही लभ्यो सडक है और इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है। पहले जो सड़कें बनाई गई वे आगे आने 'वाले समय को ध्यान में रखकर नही बनाई गई हैं। जितना उन पर मैटिरियल लगना था और जितनी स्ट्रैग्थ होनी चाहिए थी उतनी नहीं रखी गई। इन सब बातों को

ध्यान में रखकर स्टेट हाई–वे को कम से कम बाईस फुट चौड़ा जरूर करेंगे।

चौधरी राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने इस महत्वपूर्ण विभाग को बहुत ही अच्छे ढंग से सम्भाला है, इसके लिए मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मेरे बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जो खादर एरिया में पड़ते हैं। पी० डबल्यू० डी० विभाग वहा पर क्रीटवे से सडकें बनाता है लेकिन जब बारिश होती है ओर यमुनी में पानी आता है, वे सड़कें टूट जाती है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि शेखपुर, बागपुर मौलडा, माला सिंह फार्म की सड्कों की मुरम्मत प्रायरिटी मेसिज पर की जाए। क्या मन्त्री महोदय इन सड्कों को बनाने का आश्वासन देंगे?

श्री आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, यह बात बिछल सही है कि वहां आदर के एरिया की तरफ कम ध्यान दिया जाता रहा हूँ और हर बारिश में सड़कें टूट जाती हैं। इस तरह की सडकें जो हमारे खादर एरिया में पड़ती हैं और किसी भी एरिया में जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, माननीय सदस्य उनका व्यौरा हमें दें दें, हम उनको ठीक करवा देगे।

श्री रामपाल सिंह कंवरः मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा शै कि 1850 सड़कें चुनी गई हैं जिनकी मुरम्मत होना जरूरी था। क्या मची महोदय बताने की कृपा करेगे कि मुरम्मत के लिए

सड़कें चुनने का क्या यह क्राईटेरिया रखा है कि उस सड़क में इतने चौड़े गडढे होंगे तो उस सड़क की मुरम्मत की जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि इन 1850 सड्कों में मे जिलावार कितनी सड़को की मुरम्मत की है और बाकी सड्कों की कब तक मुरम्मत करा देगे?

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिलेवार पूछा है कि कौन से जिले में कितनी लम्भी सड़क की रिपेयर, सरफेसिग और नवीकरण की है। मैं सर्कल वाइज बता देता हूं, यह 30– 11– 1992 तक की पोजीशन है। अम्बाला जिले में 243 किलीमीटर ली थी और 199 किलोमीटर कर दी। भिवानी जिले में 564 किलोमीटर ली थी और 356 किलोमीटर कर दी। चम्डीगढ में जो एरिया है वह 217 किलोमीटर लिया था पौर 137 किलोमीटर कर दिया। गुडगांव मिले में 225 किलोमीटर ली थी और 191 कर दी। हिसार जि ले में 527 किलो– मीटर ली थी और 478 किलीमीटर कर दी। फरीदाबाद जिले में 254 किलोमीटर ली थी और 223 किलोमीटर कर दी। करनाल जिले में 23० किलोमीटर ली थी और उसकी जगह 232 किलोमीटर कर दी। रोहतक जिले में 24० किलोमीटर ली थी और 195 किलोमीटर कर दी। इस तरह से 25०० किलोमीटर की सरफेसिंग की शै। इस ढंग से सब कुछ किया है। इसके साथ साथ मैं सारी बातें मुरम्मत की, नवीकरण की और नई सड़कें बनाने की सदन के सामने रख देता हूं। इसके लिए 1988–89 में 1437 करोड़ रुपए का बजट था,

198 9– 9० में 17.12 करोड़ रुपए था और 199 1– 92 में 35 करोड़ तथा 199 2– 93 में 3० करोड़ स्पए था। सड्कों की मुरम्मत के लिए 185० किलोमीटर सड़कें आईडैटीफाई की गई थीं जि समें से मार्च तक 1396 किलोमीटर सडकों की मुरम्मत कर दी गई, बाकी 389 कि० मी० नवम्बर, 1992 तक कर दी गई। बाकी 65 किलोमीटर सड़कें बचती हैं इनकी भी बहुत जल्द ठीक कर देंगे। ये किन्हीं दिक्कतों की वजह से रुकी पड़ी हैं। नवीकरण के निरा 1991– 92 में 2708 कि० मी० सड़कों का टारगैट रखा गया था, जिसमें से 2011 कि० मी० लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 1991– 92 में दो सौ कि० मी० नई गइरके बनाने का टारगैट रखा गया था, जिसमें से 73 कि० मी० सड़कें बना दी गई है और बाकी की 1992– 93 में बना देगे। इसी तरह से एक दूसरी सड्कों को जोड़ने वाले कुछ गैप्स है। पिछने साल 61 गैप्स पूरे करने थे, जिनमें से 40 को पूरा कर दिया गया है। कुछ गैप्स ऐसे हैं जि नके बीच में अड़चन है इसलिये व अधूरे पड़े हैं। उनका डिसीजन होने के बाद उनको पूरा कर दिया जाएगा।

श्री राम पाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मैंने क्राइटेरिया के बारे में पूछा था?

श्री आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, क्राइटेरिए की बात तो हर व्यक्ति जानता है कि जहां ज्यादा दिक्कत होती शै, जो मेन रोडज हैं, स्टेट हाई वेज हैं और बड़ी लिंक रोडज हैं, उनको पहले लिया जाता है और उसी हिसाब से हमने किया है।

Upgradation of School

***334. Shri Pir Chand :** Will the Minister for Education be pleased **to** state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the school of village Phullan in Ratia constituency to 104-2 system during the current financial year ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): जी नही।

श्री पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं जो भी सवाल देता हूं उसके जवाब में मन्त्री जी हमेशा 'न' कर देती हैं। मैंने पिछली बार भी रतिया हल्के के इस स्कूल के बारे में पूछा था तो इन्होंने कहा था कि 'न'। जब मैंने क्राइटेरिया के बारे में पूछा था तो ये कहने लगीं कि वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी होनी चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिय। मैं इनमे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने यह अमूल बना रखा है कि अपोजीशन के हल्के में कोई काम ही नही करना है? (शोर)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री कृष्ण लाल।

Completion of Link Road of Village Shahjanpur

***379. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the link road of village Shahjanpur (Assandh constittuency) is lying incomplete; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the aforesaid link road is likely to be completed?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें)मन्त्री (श्री आनन्द सिंह लागी):

(क)नहीं, श्रीमान।

(ख)लिंक रोड गांव शाहजानपुर का निर्माण, 152 मीटर के आखरी गैप (फुरलक ड्रेन पर पुल के निर्माण के लिए)को छोड़ कर, पूर्ण किया जा चुका है।

श्री अध्यक्षः अब क्यैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sale of the Patwar-Khana, Rania

***392. Shri Mani Ram Keharwala :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) whether it is a fact that the Patwar- khana at Rania (Sirsa) has ben sold during the last three years ;

(b) if so, the reasons thereof ;

(c) whether the Government has received any payment in respect thereof ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to get vacated/restored the said Patwarkhana; if so, the steps, if any taken, or proposed to be taken in respect thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क)जी नहीं।

(ख)तथा प्रश्न उत्पन्न नही होता।

(ग)

(घ)इस समय रानिया में पुराना पटवार खाना अनाधिकृत कब्जे मे है। हरियाणा पब्लिक प्रमिसिज एण्ड लैण्ड (एविक्शन एण्ड रैन्ट रिकवरी)एक्ट, 197 प्र के अधीन अनाधिकृत कन्ने को हटाने के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है।

Bridges on Western Yamuna Canal at Karnal

***328. Shri Jai Parkash :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the dates on which the construction work of bridges on the Western Yamuna Canal near the Karan Lake and Karnal-Kaithal Road at Karnal was started togetherwith the reasons of delay for which the said bridges have not been completed so far; and

(b) the time by which the said bridges are likely to be completed?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़के)मंत्री (श्री आनन्द सिंह डांगी):

(क)पश्चिमी यमुना नहर के०पर कर्ण झील के समीप एवं करनाल कैथल सड़क पर पुलों का निर्माण कार्य क्रमशः अप्रैल 1988 तथा जनवरी 1987 को शुरू हुआ था।

पश्चिमी यमुना नहर के०पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर– 1 पर कर्ण झील के समीप रूल के निर्माण कार्य में देरी का कारण भूतल परिवहन मंत्रालय की इच्छा द्वारा बाद में डिजाईन, शैली, कार्य परिधि में परिवर्तन करने तथा कार्य स्थल पर कठिन परिस्थितियों एवं नहर में वांछित नहर बन्दी न प्रदान करना है।

इसी प्रकार करनाल–कैथल सड़क पर पुल के निर्माण में देरी का कारण कठिन कार्य स्थल परिस्थितियां तथा वांछित नहर बन्दी का समय पर न मिलना है।

(ख)पश्चिमी यमुना नहर के०पर कर्ण झील के समीप पुल का कार्य लगभग 6 मास में पूरा हो जायेगा। करनाल–कैथल सड़क पर पुल का कार्य पूरा हो चुका है तथा पुल का भार परीक्षण के बाद आम यातायात के लिये 20– 9– 92 को खोल दिया गया है।

Custodian Land in the State

***364. Shri Amar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total acreage of custodian land transferred by the Central Government to the State Government as on 1st November, 1966;

(b) the land out of that mentioned in part(a) above is in the villages of the State togetherwith the details thereof ; and

(c) whether the land referred to in part (b) above has been auctioned among the persons belonging to Scheduled Castes; if so, the district-wise details thereof in terms of acreage ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क)तथा (ख)प्रादेशिक सरकार के पास 1– 11– 1966 को 88671 एकड़ मुश्तरका भूमि उपलब्ध थी। इसमें से 86896 एकड़ गांवों में थी। ग्रामीण भूमि का विवरण इस प्रकार हैः–

(1)कृषि योग्यः 53726 एकड़

(2)बंजरः 21082 एकड़

(3)गैर मुमकिन 121.08 एकड़

(ग)86896 एकड़ ग्रामीण मुकुतरका भूमि में से 60827 एकड़ अनुसूचित जाति के सदस्यों में निलाम कर दी गई है। इस प्रकार मेची गई भूमि का जिलावार ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

ब्यौरा

क्रमांक	जिले का नाम	नीलाम किया गया

		रकबा (एकडों में)
1	2	3
1.	करनाल	13,735
2.	पानीपत	7,587
3.	गुडगांव	9,662
4.	फरीदाबाद	1158
5.	भिवानी	4,536
6.	सिरसा	661
7.	हिसार	4,038
8.	अम्बाला	3,386
9.	यमुनानगर	2,776
10.	कैथल	5,454
11.	कुरुक्षेत्र	4,552
12.	रिवाड़ी	340
13.	महेन्द्रगढ़	228

14.	रोहतक	1,230
15.	सोनीपत	958
16.	जीन्द	546
	जोड	60,827

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Profit Earned & Loss Sufferred by flafed

57. Shri Amin Chand Makkar : Will the Minister for Cooperation be pleased to state the unitwise profit earned and loss suffered by the Hafed during the year 1991-92 ?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): वर्ष 199 1– 92 के दौरान हैफड द्वारा अर्जित लाभ एय सहन को गई हॉनि का विवरण प्रति इकाई निम्नलिखित है –

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	शुद्र लाभ	शुद्ध हानि
1	2	3	4
1.	चावल मिलें	51.59	
2.	शीत गृह, तरावड़ी		4.31

3.	शीत गृह, शाहबाद		9.30
4.	शीत गृह, हिसार		9.25
5.	कीटनाशक संयंत्र, तरावड़ी	37.71	
6.	बारले माल्ट प्लांट, जाटूसाना	47.44	
7.	तेल मिल, रिवाड़ी	7..20	
8.	पशुचारा संयत्र, रोहतक	18.35	
9.	हैफड कताई मिल, हांसी		229.37
10.	हैफड कम्पलैक्स, डीग	183.61	
11.	हैफड कम्पलैक्स, भट्टू	20.44	
12.	हैफड कम्पलैक्स, रतिया	53.76	
	कुल	420.21	252.23

Theft of Electricity

58. Shri Amir Chand Makkar : Will the Chief

Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the theft of Electricity is being committed in the State;

(b) if the reply to part(a) above be in the affirmative, the steps, if any, taken to check the said theft of Electricity in the State; and

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क)हां, श्रीमान जी।

(ख)राज्य में बिजली की चोरी की रोक–थाम के लिये निम्मलिखित कदम उठाए जा रहे हैं –

1. दोषपूर्ण मीटरों का बदलना।

2 नाजुक फीडरों / क्षेत्रों को पहचानने के लिये फीडरों के अनुसार बिजली आपूर्ति की मासिक लेखा परीक्षा।

3 लो टेनसैन लाईनों से सीधे रूप में टेपिंग द्वारा बिजली चोरी की घटना काफी क्षेत्रों में प्रचलित है। ऐसे तत्वों को पकडने के लिये और अधिक चोरी वाले क्षेत्रों को जानने के लिये, जनवरी, 1990 सें विशेष कार्यक्म चालू किये गये पैं जो कि बोर्ड स्तर पर मानिटर किये जाते हैं।

4. उपभोक्ताओं की स्थापनाओं को क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान,

सितम्बर तक कुल 76092 उपभोक्ताओं की स्थापनाओ का निरीक्षण किया गया तथा 6295 मामले चोरी के पकड़े गये तथा 171 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उपभोक्ताओं को 147.04 लाख रुपये की राशि डैबिट की गई थी।

5. बोर्ड की चौकसी शाखा द्वारा विशेष छापे मारे गये जो कि उप महानिरीक्षक पुलिस के तहत कार्य कर रही है। चालू वर्ष के दौरान, नवम्बर तक 4282 कनैक्शनों का निरीक्षण किया गया तथा 384 बिजली के चोरी के मामले पकड़े गये। 34 उपभोक्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां की गई। 26.97 लाख रुपये की राशि उपभोक्ताओं के खातों में डैबिट की गई।

6. क्षेत्रीय स्तर पर, परिमण्डल/जिला स्तर पर विशेष छापे दस्तों का गठन।

7. दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

8. एक मैगावाट तथा०पर के लोड की उपभोक्ताओ की मीटर रीडिंग दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रुप से ली जाए।

9. अभी हाल ही में भारतीय विद्युत अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा बिजली की चोरी के लिये 3 वर्ष की कैद या और कम से कम 500 रुपये जुर्माना जो कि 5000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है का प्रावधान किया गया शै। इससे बिजली की चोरी की घटनाओं में कमी आयेगी।

(ग)बोर्ड को इससे वर्ष 1991–92 के दौरान 206.84 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ।

मन्त्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कल हमने समाज वादी जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से, जनता दल की तरफ से और बी० जे० पी० की तरफ है, चारों पार्टियों के 27 एम० एल० एज० ने साईन करके इस सरकार के खिलाफ नो–काफीडैंस मोलर आपकी सेवा में दिया है। मैं आपसे उसका फेट जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे वह मोशन मूव करने की इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष ऐसा है कि आपको कल एक्सैस एक्सपैडीचर की डिमांडज पर बोलने का और बोटिंग का मौका मिल चुका है। आज भी एक नहीं चार पांच मनी बिल्ज है, उन पर भी आपको बोलने का और बोटिंग का मौका मिलेगा। आप ऐसा डिले करने के लिए कह रहे हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक मिनट बोलना चाहना। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सही कि इनका रोल कोई बहुत बढ़िया नही है। ये हर सैशन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। जब मे हमरी नई सरकार बनी है उस समय से ये हर सैशन में अविश्वास प्रस्ताव लाते रहे हैं और हर बार इनको डिफीट जानी

पडती है। अविश्वास प्रस्ताव की कोई सैंटिटी होनी चाहिये। अविश्वास प्रन्ताव की सैंटिटी को भी इन्होने बहुत कम कर दिया है। दो या तीन साल में कोई ऐसे हालात बन जाएं या कोई विशेष बात हो जाए, तो ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते है। लेकिन जिस तरह से ये आज अविश्वास प्रस्ताव ले कर आये हैं, इनकी यह बात जंचती नही है। आज एप्रोप्रिएशन बिल भी है, मनी बिल्ज भी हैं, उन पर इनको बोलने का और वोटिंग करने का मौका मिलेगा। इनको सारी बातों का पता है और ये सब कुछ जानते है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इनके प्रस्ताव को एक्सैप्ट को ताकि हम इनकी बातों का डट कर जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि ये मेहरबानी करके हाउस में रहे, वाकआउट करके न जाए और हमारी बातों को आराम से, सुनें लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि आप लोग वाक आउट करके चले जाते हो और हमारी बातों को नहीं सुनते। हम भी आपकी सारी बातो को सुनेगे और जो जवाब हैं, उसको भी आप मेहरबानी करके सुनें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इनके अविश्वास प्रस्ताव को एक्सैप्ट करें। हम उस पर बहस के लिये तैयार हैं। आपके सामने पहले जो आध घंटे का ऐजेन्डा है, उसको निपटा लें उसके बाद इनके अविश्वास प्रस्ताव को टेकअप कर लें।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टूकलां): अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने ठोक फरमाया कि हमारी तरफ से बार बार नो–काफीडैसं मोशन लाया जाता है, जो नही लाना चाहिये। सरकार पांच साल के लिए आती है लेकिन हमें बड़े भारी मन से यह लाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार रोजाना कारनामें ही ऐसे करती रहती है जिनकी वजह से हमें यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। यह प्रस्ताव हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितो को ध्यान में रखते हए जा रहे हैं। दूसरी बात मेरी यह शै कि हाउस के लीडर इस मोशन को एडमिट करने के लिए मान रहे है लेकिन जो इन्होंने यह कहा कि पहले आज का बिजनस निपटा लिया जाये, इस बारे में मेरी गुजारिश है कि चाहे बिजनैस आज का 20 मिनट का है चाहे आध घण्टे का, अविश्वास प्रस्ताव एडमिट हो रहा है तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिये और उसके बाद आज का काम निपटाना चाहिये। स्पीकर साहब पिछलें दिनों दिल्ली में स्पीकर्ज व ग्रुप लीडर्ज की कांफ्रेस में आप भी गये थे पार्लियामेंट एफेयर्ज मिनिस्टर भी गये थे, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी गये थे। इसके अलावा, आल इण्डिया लैवल की सभी पार्टियों के ग्रुप्स लीडर भी थे और अपोजीशन लीडर भी थे। पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन साहब भी थे। उस समय हमें सभी को मिलने का मौका मिला था। वहां पता लगा कि यू० पी० स्टेट के अपोजीशन लीडर को यू० पी० विधान सभा में चार घण्टे तक डिबेट में लगातार बोलने का समय दिया गया जबकि उनके हाउस के सदस्यों की संख्या 425 है। इतनी बड़ी संख्या के

बावजूद एक मैम्बर को 4 घण्टे का समय दिया जाये और हमारे यहां नो सिर्फ 90 मैम्बर ही है, इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस प्रस्ताव पर हरेक मैम्बर को बोलने का मौका दिया जाये, न कि केवल पार्टी ग्रुप लीडर्ज को ही। इनके पास मैजोरिटी है, कोई खतरा नही है। सिटिंग कन्टीन्यूस चाहे कल तक चलती रहे, लेकिन बोलने का मौका हर सदस्य को मिलना चाहिये ताकि हर सदस्य अपनी अपनी बात कह सके। यही इस बारे में मेरी आपसे गुजारिश है।

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, रूल 65 की प्रोविजन के अनुसार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हाउस में जो बिजनैस ट्रांजैक्ट होना है, पहले वह सारा बिजनैस टांजैक्ट किया जाये और उसके बाद ही, अगर नो काफीडैंस मोशन एडमिट करना है तो उस पर डिसकशन की जाये। रूल 65 (3)इस प्रकार है –

"If leave is granted under Sub-rule 2, the Speaker may after considering the state of business with the Assembly allot a day or days or a part of a day for the discussion of the motion."

10 दिन के अन्दर आप कोई दिन इसके लिये अलाट कर सकते है पर इनका नो– कांफीडैसं मोशन ऐडमिट करना मान लिया गया है। इसलिये हमारी गुजारिश है कि पहले आज का बिजनैस हो जाये और उसके बाद इस प्रस्ताव पर बहस शुरू की

जाये। साथ ही साथ मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो टाईम आपकी तरफ से अलौट किया जाये, स्पीकर साहब इनका हाउस में 1/3 हिस्सा है इसलिये उस में यह जरूर कंसीडर किया जाये कि

if they speak for one hour, then two hours should be given to us. If they speak for two hours and we are given only one hour, it would amount to injustice with us.

स्पीकर सर, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हु कि जो नोटिस आफ नो–कान्फिडैस मोशन आज आया है, that is not according to the procedure. कोल एन्ड शकधर की किताब के मुताबिक नो–काफिडैस मोशन आलवेज सैशन के पहले दिन आनी चाहिये थी लेकिन ये दो दिन के बाद नो–काफिडैस मोशन लाए है। It means that it is frivolous. स्पीकर साहब, आपने इन लोगों का काडक्ट भी पिछले दो दिनों मे देख ही लिया है। ओपोजीशन को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिये और उसके बाद आपकी जो रूलिंग आए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)स्पीकर साहब, पहले ही दिन आपको इन्हें नेम करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इनको हाउस मे बैठने दिया। इसके बाद दूसरे दिन भी आपको इन्हें दो बार नेम करना पडा लेकिन फिर भी इनको सदन में आने दिया गयो। एक बार नेम करने के बाद सारे दिन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते और यदि दो बार नेम हो जाए, तो पूरे सैशन के दौरान वे कार्यवाही में हिस्सा नही ले सकते। They should be expelled for the full session.

स्पीकर सर, ये जो तीन सदस्य बैठे हुए हैं यह पूरे सैशन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते क्योंकि इनको दो बार नैम किया जा चुका शै। (विष्य एवं शोर)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर सर या तो ये हमे चौलेंज करें (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्षः धीरपाल सिंह जी, आप बैठिये।

Chaudhri Jagdish Nehra : I am talking about the rules. I am quoting Rule 104(2)/ (Interruptions)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी थी और अगर आप चाहें तो उसमें अमैंडमैंट कर सकते हैं। यह तो आपकी अलिंग है, ये बीच में वीलने वाले कौन होते हें ? (विष्य एवं शोर)

श्री अध्यक्षः आपको इनकी बात नमी चाहिये, ये पार्मियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर हैं।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, रुल 104 में यह स्पष्ट है किं यदि आप किसी सदस्य को नेम करते हैं.. (विच एवं शोर)

साथी लहरी सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः लहरी सिंह जी, आप बैठें।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ये पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर हैं ओंर इन्हें कहने का पूरा हक है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, ये हाउस का टाईम वेस्ट कर रहे हैं.. (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्षः इनको बोलने का राईट है, दलाल साहब, आप बैठिये।

You have no right to say so. He is Parliamentary Affairs Minister. He has right to express his views.

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, मैं रुल 104 को पत्र देता हूं। रुल 104 में लिखा हैः–

"Rule 104(2) He (Speaker) may direct any member whose conduct is in, his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the Assembly and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the days meeting. If any member is ordered to withdraw a second time in the session, the Speaker may direct the member to absent himself from the meetings of the Assembly for any period not longer than the remainder of the session and the member so directed shall absent himself accordingly............."

It means when you have second time named the Hon'ble Members, they are not entitled to sit in the session. But your generosity and Chief Minister's generosity has compelled us tha we should not object to their sitting. अध्यक्ष

महोदय, मैं यह कह रहा था कि इनको आपने नेम किया हुआ था परन्तु इसके बावजूद आपने इनको फिर बैठने की इजाजत दी और हम आपसे सहमत है। परन्तु इनका जो पिछला कडक्ट था वह ऐसा नही था कि इनको इजाजत दी जाती।

According to the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul and Shakdher, which governs our Assembly also, it is stated—

"………….the Opposition may give notice of another no confidence motion. The Speaker, on receipt of such a motion, may bring it before the House and rule it out of order if in his opinion, it is an abuse of procedures and calculated to obstruct the business of the House on a frivolous or an ordinary matter for which other procedures are available."

अध्यक्ष महोदय, इनका मतलब यह नही था कि सरकार में इनका अविश्वास है। इनका मतलब यह है कि ये हमारे०पर झूठे चार्ज लगाएं। अध्यक्ष महोदय, यह इनके पिछले दो दिन के कन्डक्ट से साफ जाहिर है। परन्तु इसके बावजूद भी आपने और मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि इन्हे यहां बैठने दिया जाए। इन्होंने जो नो–कान्फीडैसं मोशन दिया है, वह रिजैक्ट होना चाहिये।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, जब इनके नेता ने प्रस्ताव मान लिया है तो ये कहने वाले कौन होते हैं। यह सरासर ड्रामाबाजी है।

चौधरी जगदीश नेहराः यह ड्रामाबाजी नही है, यह तो फैक्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : He is expressing his views. The decision is to be given by me.

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इन सारे हालातों को और इनके पिछले कंडक्ट को देखते हुए इनका कोई मतलब नहीं है कि आज ये फिर नो–कान्फीडैस मोशन लाएं। आज तो बहुत से बिलों पर वोटिंग होनी है 1 मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस मोशन को ऐडमिट करते हैं तो पहले हाउस का बिजनैस टेक–अप होना चाहिये अगर नो कान्फीडैस मोशन को पहले टेक–अरप करने के लिये ये इनसिस्ट it means they do not want कि यह सिस्टम ठीक चले। यदि आप उसको ऐडमिट करते हैं, we will be particular about it. अध्यक्ष महोदय, यदि आप इनकी एक घन्टा बोलने का देते हैं तो हमें दो घन्टे देना चाहिये। यदिं' हमें दो घन्टे नही मिलते तो हम भी इनको बोलने नहीं देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय आप इस बारे में अपनी रूलिंग दें। (व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन के लीडर ने यह बात कही कि यू० पी० के अपोजीशन लीडर 4 घण्टे बोले और यह असैम्बली यू० पी० असैम्बली से छोटी है इसलिये इन्हें यहां 16 घण्टे बोलने दिया जाए और अगर ये 16 घण्टे

बोलेगे तो हम 32 घण्टे बोलेगे। They have expressed their stand and we are also expressing our stand. We will not obstruct them. मेरी आपसे स्पैसीफिक गुजारिश है कि इनके 3–4 धडे हैं और we will not obstruct them. But they should speak relevant. (Noise & Interuptions) हम यही चाहते है कि असैम्बली को माहौल ठीक रहे लड़ने से कोई फायदा नही है मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि ये हमारे बीच में न बोलें और आप इन पर पूरा कन्ट्रोल रखें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अभी से ही गवर्नमैंट इतनी चिन्ता में क्यों है? सर, ये पहले से ही कह रहे हैं कि मुझको एक घंटे से ज्यादा न बोलने दिया जाये। हम यहां पर पब्लिक की भावनाएं लेकर आए हें। जो कुछ इन लोगों ने किया है, वह हम यहां पर बतायेंगे। स्पीकर सर, अगर आपको लगता है कि जो कुछ हम कहते हैं, वह ठीक नही है तो आप हमें टोक सकते है, लेकिन अगर इनको अच्छा न लगे तो ये हमें नही रोक सकते। सर, ये बात इनको तो चुभनी ही है, तकलीफ भी होनी क्रश। लेकिन इस बात का डिसीजन आपको करना है कि हम नो–कान्फीडैस मोशन हम हाउस में लेकर आयें या न आयें। स्पीकर सर, मैं हाउस को औफर देता हू कि मैं बाहर जाये बिना लगातार 16 घण्टे तक बोलने के लिये तैयार हूं। आप इनको 32 घण्टे नहीं 48 घंटे बुलवाएं हमको कोई एतराज नही है और मैं इसके लिए तैयार हूं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जों डिसीजन लिया है, उसको नेहरा साहब ने रि–ओपन करने की कोशिश की है। नेहरा साहब या अन्य कोई भी मली आपकी चेयर से ज्यादा महत्व नही रखता। स्पीकर साहब, हम आपकी चेयर का सम्मान करते हैं, अगर आप हमें बाहर जाने के लिए कहेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। आपका हुक्म मानना हमारों फर्ज है लेकिन अगर कोई मंत्री .... करता है तो उसको हम नहीं मानेगे, केवल आपकी बात को ही हम मानेगे और जहां तक आचरण की बात है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम हाउस का पूरा सम्मान करेगे और हम कोई ऐसी बात नही कहेंगे। ये लोग पहले अपने दामन को देख लें, उसके बाद हमें कहें। स्पीकर साहब, अगर ये लोग हैम कहेगे तो इनके०पर अटैक करना भी हमारा फर्ज है।

श्री अध्यक्षः यह ''ड्रामेबाजी'' वाले वर्ड को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, अपोजीशन की तरफ से जो नो–कान्फीडेंस मोशन मूव होना था, उसका मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत किया है तो फिर अब क्यों टाईम खराब किया जा रहा है, अब हम नो–कान्फीडैसं मोशन पर डिसकशन शुरू क्यों नही कर रहे है? स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर 16 घन्टे तक सम्पत सिंह ही बोलेगे और 32 घण्टे नेहरा साहब बोलेगे तो क्या हम लोग चले जायें?

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, लीडर आफ दी अपोजीशन ने आपके सामने नो–कान्फीडैसं मोशन रखा और रूल पढ़कर सुनाया है। मुख्य मंत्री जी ने भी मोशन को वैल्कम किया है और कहा है कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिये। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है और मैं तैयार हूं। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर श्री जगदीश नेहरा जी को पता नही क्यों सामत सिंह के खड़े होने पर आपत्ति हो जाती है। स्पीकर सर, नेहरा जी ने आपके आदेश को, मुख्य मली जी के आदेश को ओवर रुल करने की कोशिश की जो नही करनी चाहिये थी। इस तरह से तो हाउस का कीमती समय बर्बाद होता है। स्पीकर साहब, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहना– चाहता हू कि आप नो–कान्फीडैस मोशन को ऐडमिट करके डिस्कशन शुरू करवायें।

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप यह बताएं कि क्या आप बोलने का सारा टाईम सम्पत सिंह जी को ही देना चाहते हैं या आप भी कूछ समय बोलने के लिये लेंगे?

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि सम्पत सिंह जी बोलेगे, उसके बाद सारे लीडर बोलेगे लेकिन अपोजीशन और हाउस की भावनाओं को देखते हुए........ (शोर एव व्यवधान)

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। अभी संसदीय मंत्री महोदय ने अपने हिसाब से रूल्ज की व्याख्या की है।

I want to submit in this connection the provisions of Rule 65(3) which reads as under .-

"If leave is granted under sub-rule(2), the Speaker may, after considering the state of business in the Assembly, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion."

Speaker Sir, it is your discretion. It is only yours sweet-will. It is not obligatory that the No-confidence motion should be discussed after the business entered on the order paper. It is not so.

स्पीकर सर, मैं आपसे गुजारिश करुंगा कि आप बाकी बिजनैस इसके बाद टेक अप करें, पहले नो–कान्फीडैस मोशन ले लें।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, आपने इन–आर्डर मोशन मूव किश और मुख्य मंत्री जी ने मोशन मून करने के लिए हां भर दी। (शोर)रूल 65 (ए) में भी लिखा है कि आप क्वैशचन आवर के बाद इसको ले सकते हैं और आपने ले लिया है। पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर ऐसा कहने का दुस्साहस न करें और आपकी अथौरिटी को चेलेज न करें।

Mr. Speaker : Honble Members, I have received a

notice of motion of no-confidence from Sarvshri Sampat Singh, Satbir Singh Kadian, Dhirpal Singh, Jaswinder Singh, Zile Singh, Bharath Singh, Balwant Singh, Krishan Lal, Ram Kumar Katwal,Daryao Singh, Mani Ram Rupawas. Amar Singh Dhanday, Mohan Lal Pipple, Ramesh Kumar, Suraj Bhan Kajal, Jaipal Singh, Smt. Chandravati, Sarvshri Amar Singh (Dhanak), Lehri Singh, Karan Singh Dalal, Pir Chand, Chhattar Singh Chauhan, Ram Bhajan, Om Parkash Jindal, Dharampal Singh, Ram Bilas Sharma and Verender Singh, MLAs against the Council of Ministers of Haryana which reads as under:—

"This House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Shri Bhajan Lal".

I must observe that the Business Advisory Committee met on the 21st December, 1992 where the programme for current session was duly finalised. The leader of the Opposition, Shri Sampat Singh, who is also a signatory to this motion, was also present, but he gave no indication of any intention of bringing such a motion. The Report of the Business Advisory Committee was presented and approved by the House on 21st December, 1992 and none of the other signatories to the motion also mentioned of such an intention.

Hon'ble members, the House has been discussing various important measures since it met on the 21st December, 1992. On the very first day i.e. the 21st December, 1992, an important Official resolution involving the law and order situation in the State was discussed. Again, on the 22nd December, 1992, Excess Demands over Grants and Appropriations were discussed and the opinion of the House

and majority of the Government was tested on these occasions when these were passed. Besides, no event has occurred since then in which the opinion of the majority of the Members has changed against the Government.

Further, there is an Appropriation Bill and certain other legislative measures, including financial bills on the agenda for today, which will come up for discussion and voting and will provide ample opportunities to the opposition to measure their strength and achieve its purpose of testing the majority on the floor of the House.

Moreover, it will be relevant to mention here that on the the 21st December, 1992, most of the members of the Janata Party including their leaders, Sarvshri Sampat Singh and Dhirpal Singh, had to be named for grossly disorderly conduct. So much so, even on the 22nd December, 1992, Sarvshri Sampat Singh and Dhirpal Singh had to be named twice for their reprehensible conduct in the House. These incidents indicate that these Hon. members were repeatedly obstructing the business of the House.

I, therefore, treat this motion as an abuse of rights, a dilatory tactic, and a calculated move to obstruct the business of the House. However, without going into the technicalities any further, **I** hold the notice of motion of No-Confidence in order and admit it for discussion.

Hon'ble Members, the notice of No-Confidence Motion will be taken up for discussion after the conclusion of the Business entered on the order paper. I allot three hours for discussion on the motion and the time to each party/group

will be according to the proportionate strength in the House.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, आपका धन्यवाद। लेकिन जो आपने इसके लिये टाईम रखा है, इसके बारे में पेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है कि तीन घण्टे का समय नो–कान्फीडैस के लिये कम दिया गया है। इस बारे में घंटों की पाबन्दी तो नहीं होनी चाहिये थी। इन लोगों को खाने की लगी है लेकिन हमें हरियाणा स्टेट के इन्ट्रैस्ट की लगी हुई है। तीन घण्टे तो कुछ भी नही हैं, इन तीन घण्टों में हम करा बोलेगे? इसमें से दो घंटे तो यह लेंगे और हमारे पल्ले सिर्फ एक–आध घटा ही पड़ेगा। कम से कम आप दो–तीन दिन का समय निश्चित करते, तब तो बात ठीक थी। इनको चिन्ता किस बात की है? ये क्यों घबरा रहे है?

(1)ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

रादौर ब्लाक जिला यमुनानगर के गांवों में यमुना नदी के पानी से भूमि कटाव सम्बन्धी–

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a Calling Attention Notice No. 2 from Shri Lehri Singh, M.L.A., regarding the erosion of land of farmers by the Yamuna River water in the areas of village Unheri to Gumthala Rao of Radaur block, district, Yamuna Nagar. **I** admit it.Shri Lehri Singh, M.L.A., may read his notice.

साथी लहरी सिंहः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हू कि

जिला यमुनानगर के रादौर ब्लाक के गांव उन्हेड़ी से गुमथलाराव तक के किसानों की भूमि का कटाव यमुना नदी के पानी से हो रहा है। यह कटाव गांव उन्हैड़ी ,बागवाली, जठलाना सन्धाली सन्धाला तथा गुमथलाराव मे हो रहा है। इस कारण से गरीब किसानों की भूमि समाप्त हो रही है। हजारों लोगों की जमीन प्रति वर्ष यमुना नदी की मार की रेंज में आ रही है।

यमुना नदी के पानी से भूमि का कटाव इतना अधिक बढ़ गया है कि यदि सरकार ने ठोकरों का निर्माण करके भूमि कटाव को न रोका तो आबादी सहित ये सभी गांव अगली बरसात में यमुना नदी के घेरे में आ जाएंगे। इससे लोगों के जान माल को भी हानि होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथा गम्भीर विषय है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पहले से निर्मित ठोकरों की मुरम्मत करवाई जाए तथा जनहित में नई ठोकरों का निर्माण किया जाए ताकि यमुना नदी के साथ लगते गांवों को यमुना नदी द्वारा किए जा रहे भुमि कटाव से बचाया जा सके। अतरू सरकार इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

Mr. Speaker : Now request the Irrigation Minister to make a statement.

वक्तव्य–

सिंचाई मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी–

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Speaker Sahib, River Yamuna forms the boundary between

Haryana and U.P. A maximum discharge of 1.85 lac Cusees was experienced in this river below Tajewala on 10-9-92 during flood season extending over 3 months from July to September of 1992. Due to meandering nature of river, the areas of U. P. and Haryana all along the river are reclaimed or eroded during every flood season. Erosion generally takes place during low discharge when the river is receding. Such erosion was experienced in Radaur block of district Yamuna Nagar in the each opposite villages Unheri, Baghwali, Jathlana Sandhala, Sandhali and Gumthala Rao. Similar erosion also occurd, in the reach of river passing through districts of Karnal, Panipat, Sonipat and Faridabad.

During the flood season, temporary preventive measures were taken by the department by constructing hanging brush-wood or empty cement bag spurs especially in the locations where the safety of the village abadi was threatened. In district Yamuna Nagar such measures were taken opposite village Jathlana and Lal Chhapra where the distance between the active river edge and village abadi was reducing rapidly.

After the flood season, detailed surveys have been carriedout. Proposals for construction of new protection works and renovation of damaged protection works were considered by the District Level committees in each district under the Chairmanship of Deputy Commissioner.

In case of Yamuna Nagar district, recommendations of District Level Committee have been received. The Committee has recommended construction of new protection works on Yamuna River opposite these villages costing Rs. 8.0 Lacs.

Similar proposals from the other district level Committee have either been received or expected by the end of this month. On receipt of the recommendations from the Districts, the proposals would be put up before the State Level Technical Committee and thereafter before the Haryana State Flood Control Board under the Chairmanship of Chief Minister.

New protection works and renovation of the damaged works would be taken up and completed before start of the next flood season in accordance with the priority decided by the Government within the available budget.

साथी लहरी सिंहः स्पीकर सर, अभी नेहरा जी ने कागजी कार्यवाही पढ़ कर सुना दी है। वहां पर लोग मर रहे हैं। स्पीकर साहब, इस समय भी वहां पर कटाव है, चाहे बरसात इस समय नही है, लेकिन फिर भी कटाव है। पानी ने हमारी सारी जमीन को काट दिया है। यमुनानगर के डिप्टी कमिश्नर ने दस बार लिखकर भेजा है कि यदि ठोकरें नहीं लगाई गई तो सारे गांव बह जाएगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ठोकरें जल्दी से जल्दी लगाई जाई। जो आलरेडी मन्जूर हैं और जिन के लिए पैसा भी पड़ा हुआ है, उन पर तो काम शुरु हो जाना चाहिये। इस बारे में क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि कब तक ऐक्जी– क्यूशन करवा देंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि वही पर अब भी कटाव है, बेशक अभी रिवर में फ्लड नहीं आया है। स्पीकर साहब, कटाव ज्यादा पानी आने से

होता है। हरियाणा और यू० पी० का बोर्डर 285 किलोमीटर का है और उसमें कही न कहीं कटाव हो सकता है। इस बार ज्यादा खतरा जटलाना और लाल–छापड, इन दोनों गावों को आया लेकिन कहीं भी आबादी के नजदीक फ्लड का पानी नही आया। फ्लड आधा किलोमीटर आबादी से दूर ही था, इसलिये खतरा नहीं रहा। खतरा इसलिये भी नहीं रहा कि कई गांव टीले पर बसे हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगले फ्लड सीजन आने से पहले ही जहां आबादी को खतरा है, वहा काम करा देगे।

साथी लहरी सिंहः जो पहले से ठोकरें मंजूर है, वे तो बना दें।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, जटलाना में भी स्टड बने हुए है। हर जगह जहां कटाव होता है, वहां स्टड लगाते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि अरनी जमीन उधर चली जाती है और यू० पी० की इधर आ जाती है। जिला लैवल पर डी० सी० के अंडर जो कमेटीज बनी हुई हैं और वे जो कुछ रिकमैड करती हैं, हम उस को प्रियारिटी बेस पर इम्पलीमैंट करते है।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, वहां पर फारैस्ट भी लगाया जा सकता है। आज हमारी तरफ की तीन किलोमीटर जमीन यू० पी० में जा चुकी है। क्या इस पर सरकार ध्यान नही दे सकती कि आज तीन किलोमीटर यमूना इधर आ गई है?

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, दीक्षित एवार्ड 1984– 85 में हुआ था। उसके मुताबिक जहां पहले नदी चलती थी, उसके बीच का भाग लेते हैं। उस भाग में आधा हमारा होगा और आधा यू० पी० का होगा। जमीन तो कभी इधर आ सकती है और कभी उधर जा सकती है। ऐसी हालत ज्यादातर फरीदाबाद जिले में होती है। फिर इन्होंने कहा कि वहां फारैस्ट लगा दिया जाए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जहां कटाव वाली ज मीन हो, वहां फारैस्ट नहीं लग सकता लेकिन स्टड लग सकते हैं।

चौधरी फूल चन्द मुलानाः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से यमुना नदी के बारे चर्चा की। स्पीकर साहब, यमुना नगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र ये तीन जिले ऐसे है जि नमें यमुना और मारकंडा नदियों से काफी कटाव होते हैं। इन्होने मारकंडा नदी का बिछल ही जि क्र नही किया। पिछले दिनों कई जगह, जहां कटाव थे, वहां स्टड लगाए गए थे ताकि नदी आगे की ओर न बड़े। हमारा बहुत सारा क्षेत्र मारकंडा नदी से इफैक्टिड है और वहां पर कोई काम नहीं हुआ। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या इस काम के लिये ये ड्रेनेज विभाग को कोई पैसा देगें।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, जहां कोई इमीजिएट बात होती है या आबादी को खतरा होता है, वहां हम इमीजिएटली काम करते हैं। हमारे पास कलैमिटी रिलीफ फंड का 25 करोड़ रुपया है। लेकिन जहां कोई काम इमीजिएटली न होने वाला हो, वहां हम थोड़ा ठहर कर पैसा खर्च करते हैं। इन्होंने

मारकंडा रिवर का जि क्र किया कि वहां आबादी को प्रोब्ल्म है, वह ड्रेनेज विभाग को कह कर ठीक करवा देगे।

चौधरी राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने काफी विस्तार से सदन के सामने यमुना नदी द्वारा कटाव के बारे में बताया। यमुना नदी शुरू से आखिर तक कटाव करती है। हमारे फरीदाबाद जि ले में दिल्ली से हो कर यमुना नदी आती है। उधार यू० पी० का नोएडा का हिस्सा पड़ता है जहां पर यू० पी० सरकार ने करोड़ों रुपय खर्च कर रखे हैं। उन्होने अपनी तरफ पक्का बांध और उस पर सड़क बना रखी है। जब बारिश के दिनों में फलड आता है तो यू० पी० की तरफ फलड का पानी जाने का कोई भी चांस नहीं रहता। सारे का सारा पानी हरियाणा के गांवों की तरफ आता है और 25– 30 गांव हरियाणा के पड़ते हैं। इस साल बरसात के समय उन गांवों को बड़ा भारी नुक्सान हुआ है और काफी जमीन का कटाव हुआ है। जब हम वहां से चुने हुए पब्लिक के नुमायंदे०पर प्रोपोजल भेजते हैं तो पर से यही जवाब आता है कि विभाग के पास पैसों नही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको यह काम वारफुटिंग पर करना चाहिए, नहीं तो हरियाणा के गांव बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। पिछली सरकार ने अपने चार साल के दौरान न गांवों को बचाने के लिए कोई भी काम नही किया यू० पी० की सरकार ने अपनी साईड में नोएडा के साथ साथ एक बांध

बना दिया और पक्की सड़क बना दी है। क्या यह चीज मली जी के नोटिस में है?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने जो बात कही है, वह दुरुस्त है। इन्होंने नोएडा के पास यू० पी० सरकार द्वारा बांध बनाने की बात कही। उन्होंने नोएडा को इंडस्ट्रीयल एरिया डिक्लेयर किया –हुआ है इसलिये उसकी प्रोटैक्शन के लिये उन्होंने वहां पर काफी अच्छा बांध बांधा है। यह ठीक बात शै कि पानी के कटाव की वजह से हरियाणा की कुछ जमीन उधर चली गई। लेकिन जहां पर आबादी देह को खतरा होता है वहां स्टड लगाए जाते हैं, दीवार बनाई जाती है ताकि आबादी देह को कोई खतरा न हो। कई दफा रीवर गलत तरीके से बहनी शुरू हो। जाती है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। यह भी बात ठीक है कि विभाग के पास पैसे की कमी है लेकिन एमिजिएटली रिलीफ के लिए हमारे पास पैसा है। जहां–जहां पर आबादी देह को कोई खतरा होगा वहां–वहां हम अवश्य प्रबन्ध करेंगे।

(2)ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

सरसों की बिजाई के समय ''धोलियां'' लगने के कारण हुई हानि संबंधी

Mr. Speaker : Hon. Members, I have received a notice of Calling Attention Motion from Smt. Chandravati, M.L.A. regarding payment of compensation to the farmers for

the loss they have suffered during the sowing season of sarson (Mustard) due to the attack of white insect (Dholia). I admit it. Shrimati Chandravati may read her notice.

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि सरसों की बिजाई के समय धोलिया कीड़ा लगने के कारण किसानों को लाखों रु० की हानि हुई। सरकार को इसके लिए मुआवजा देना चाहिए क्योंकि महंगे भाव की डी० ए० पी० खाद बीज के साथ डाली जाती है। छोटे किसान कर्जे के बोझ से दब गए हैं। अतः धोलिया कीड़ों से नष्ट हुई सरसों की फसल के लिए मुआवजा उसी प्रकार देना चाहिए जैसेकि ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के लिए मुआवजा दिया जाता है। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि किन कारणों से धोलिया कीड़े ने फसल को नष्ट किया है क्योंकि यह पहले कभी नहीं लगा है। क्या ऐसा मिलावटी खाद के कारण हुआ है त् अतरू मैं निवेदन करती हूं कि सरकार इम संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

स्पीकर साहब, इस कीड़े से बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। जो भी फसल बोई थी, उसको उससे बडा भारी नुक्सान हुआ है। कुछ लोगों को सरसों का बजि लेना पड़ा, पता नही उस बीज में कोई खराबी थी, या खाद मै कोई खराबी थी, या कोई और वजह थी, इसका सरकार को पता लगाना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वह लोगों को क्या रियायत दे रहे हैं, लोगो की क्या मदद करेंगे ताकि आयदा

फसलों को कीड़ा न लगे। इस बारेरू में कोई न कोई खोज करवा के आंयदा के लिए इन्तज ओम करें।

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister may make a statement.

वक्तव्य–

कृषि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : The State Government has stepped up its efforts to promote production and productivity of oilseeds. As a result of strenuous efforts of the Govt. and hard work of the farmer there has been all time record production of oilseeds of the order of 6.6 lakh tonne mustard and 1.61 lakh tonne of sunflower during 1991-92. Thus the target of 8.15 lakh tonne of oilseeds for 8th Five Year Plan has already been exceeded. The State Govt. has made all arrangements of inputs for the oil seed crop this year well in time and it is hoped that there will be again a record production of oilseeds this year.

During the current rabi season the total area under mustard crop in Haryana State is about 7.00 lakh hectare. The rainfall pattern during September, 1992 was considered good for early sowing of rabi oilseeds. Accordingly, about I/3rd area was sown in the month of September and rest of the area was sown in the months of October and November. However, the avarage temperature in the month of September was between 32 degree celcius to 34 degree celcius with an average humidity of 60-80M, which wasfavourable for the

multiplication of painted bug (Dholia). The painted bug attacked the mustard crop at the germination stage in the early sown crop. The timely sown crop escaped the pest attack. The pest attack was thusdue to favourable high temperature an humidity at the time of early sowing of mustard. This insect has nothing to do with the fertiliser application or adulteration. However, there are no complaints of adulteration of DAP which has been supplied by repute Govt. and cooperative agencies this year

Agriculture Department and Haryana Agricultural University took timely measures to control the pest attack. Field functionaries guided the farmers about the control measures like spray of Endosulphan and dusting of Fenvelarate and B.H.C. Control measures were also broadcast on All India Radio, Rohtak and Delhi. Huge losses, which could have been caused by this pest, have thus been avoided due to timely action by the Govt.

The area under early sown mustard, which was attacked by this pest had been reshown. Since only 2 kg. of mustard seed was used by the farmer per acre with an extra ploughing, there is no justification of compensation in this case.

बहन जी, इसमें मैं साथ ही यह भी एक्सप्लेन कर दू कि यह जो बीमारी लगी थी, वह काफी एरिया में लगी थी। उसका कारण यह रहा कि लोगों ने जो क्राप्स लगायी, वह समय से पहले बो दी। यानी इस फसल के लिए टैम्परेचर अनुकूल नही था। फसल के मुताबिक टैम्परेचर ठीक न होने की वज ह से ही यह

कीड़ा लग गया और फसल को नुकसान हुआ। जि तनी फसल को नुकसान हुआ था उसको या तो किसान ने दुबारा बो दिया या उसमें सरसों बो दी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपके उस एरिया में आज भी फसल बहुत अच्छी खडी है और जो सावनी फसल थी, वह इतनी अच्छी हुई थी जो आज तक पहले कभी नही हुई थी। जो रबी क्रौप इस साल खड़ी है, वह भी इतनी अच्छी खडी है कि शायद ही इससे पहले ऐसी फसल आपके एरिया में हुई हो।

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि जे सरसों की फसल है, वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। गेहूं की फसल की बरसात से नुकसान हुआ है। मौसम की वजह से कह लो या और कुछ कह लो, लेकिन फसल को कोड़ा लगने की वजह से किसान को नुकसान हु आ है, इसलिए उनको कम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस जमीन को टैरक्टरों का किराया देकर बहाया है, खाद भी डाला है और बीज भी डाला है। पैसा उनका लगा है। हरेक किसान के पास अपना ट्रैक्टर तो है नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, और मली महोदय भी किसान हैं, सभी को पता है कि जिन लोगों के पास एक एकड़ जमीन है, उनकी तो सारी फसल खराब हो गई। बाद में वे गेहूं उसमें बो नहीं सके क्योंकि वह बरानी एरिया है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि लोगों के नुक्सान को देखने हुए उन्हें कम्पनसेशन अवश्य दिया जाना चाहिए।

श्री हरपाल सिंहः ऐसा है बहन जी, इसमें कम्पनसेशन का केस इसलिए नही बनता क्योंकि एक तो सरसों का बीज बहुत कम पड़ता है। एक एकड़ में दो किलो ग्राम सरसों का बीज पड्हा है जो कि बहुत थोड़ा है और बहुत कम कीमत का होता है 20 रुपये किलोग्राम इसका रेट होगा इसलिए उसमें कम्पनसेशन वाली बात नही आती। (विघ्न) दूसरे बहन जी खेत में जो खाद डाली गई है, वह दूसरी फसल में काम आज। जमीन की प्लोईग अगर दूसरी बार हो जाएगी तो जो फसल उस पर बोई जाएगी वह अच्छी हो जाएगी। जो खाद डाली जाती है उसका असर जल्दी तो खत्म नहीं होता है। जब किसान 10 दिन के बाद दूसरी फसल बी रहे थैं तो उस खाद का फायदा दूसरी फसल को तो होगा ही। इस प्रकार से बहन जी, कम्पनसेशन का केस नहीं बनता है।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः आप सब लोग अपनी–अपनी सीटों पर बैठें। राम बिलास जी आप बैठिये, अमर सिंह जी, आप भी बैठिये। आप इस बारे में सप्लीमैंटरी नहीं पूछ सकते हैं, आप बैठिये।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move the Motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir. 1 beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisons of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

(Interruptions)

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move the Motion Under Rule 16.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) Sir, I beg to move

That the Assemby at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर सर, सैशन में पहले दिन इस सदन में बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी और आपने उस कमेटी को प्रिजाईड किया था। मुख्य मन्डी जी, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मन्त्री, लीडर ऑफ ओपोजीशन और एक–दो मिनिस्टर और भी उस कमेटी में थे। उस से क्लीयर कट आभास था कि सैशन 4 दिन चलेगा। आज सैशन को चलते हुए तीसरा दिन है और कल का दिन नान–आफिशियल–डे है। इसमें कोई भी मैम्बर रैजोल्यूशन मूव कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, कल का सैशन किन हालात में समाप्त कर दिया गया है और पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर किन हालात में आज रिक्वैस्ट कर रहे है कि हाऊस को माहने डाई एडजोर्न कर दिया जाए? इस प्रस्ताव पर हमे आपत्ति है। स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल का दिन सैशन चलना चाहिए, इसलिए पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जी ने जो प्रस्ताव पेश किया बै कि आज सैशन साईने डाई एडजोर्न कर दिया जाए, उस को वे वापिस ले लें। हम जानते है कि इनकी मैजोरिटो है और अगर मोशन पुट हो गया तो वह पास भी हो जाएगा। पार्लिया– मैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में स्वयं मौजूद थे, उस वक्त इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं उठाई थी। कल का दिन प्राईवेट बिजनैस के लिए फिक्सड है और कई मैम्बर्ज उस में रैजोल्य्शन लाएंगे और हम उस पर चर्चा कर सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मोशन को वापिस ले लिया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कला): अध्यक्ष महोदय, परसों बी० ए० सी० की मीटिंग हुई थी उसमें हाऊस के नेता भी थे, मिनिस्टर भी थे आप भी थे और मैं भी था। उसमें कहीं भी यह जिक्र नही आया था कि हाऊस 3 दिन का होगा और न ही उस मीटिंग में हमें डिस्कशन की जरूरत पड़ी। हमने सारी बात मान ली थी और जो भी अजैन्डा आया था वह मान लिया था। (शोर एव व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सुबह से गवर्नमैंट की इन्टैशन कलीयर नही है। इनको सुबह से यह लगा हुआ है कि यह सैशन फटा–फट खत्म हो और इनकी फटा–फट जान छुटे। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि आज 8 बिल हैं और नो–कान्फीडैस मोशन है। सर, कल के लिए भी सवाल लगे हुए हैं, लोग भी सोच समझकर सवाल देते हैं तथा इन पर सवाल–जवाब हाऊस में ही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, बजट सैशन के बाद जुलाई में मुश्किल से एक दिन का सैशन आया था और अब तीन दिन का हो रहा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों स्पीकर्ज कांफ्रैंस हुई थी, उसमें आप भी शामिल थे। उसमें आपने इस बात को एप्रिशियेट किया था कि जितनी देर कोई मैम्बर बोलना चाहता है, उसे उतनी देर बोलने देना चाहिए। हम तो यह चाहेंगे कि आज का काम खत्म करके आप नो–कान्फीडैस पर बहस करवाएं, चाहे यह बहस परसों तक चले। स्पीकर साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते है, आप ही हमारे कस्टोडियन हैं, वनों ये लोग चाहते हैं कि 3 घण्टे भी सैशन न चले। अध्यक्ष महोदय, हमारे हाऊस के 90 मैम्बर्ज हैं। 180

मिनट का अगर हिसाब लगाया जाए तो हर मैम्बर के हिस्से दो मिनट ही आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि गर्वनमैंट को इतनी जल्दी क्यों है? इनको कोई खतरा नहीं है। इन्होंने एक को तो शंट-आऊट कर दिया है और एक को दूसरे कोने में बिठा दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब अयोध्या के स्काईलैब का प्रोटैक्शन इनके०पर बैठा है तो इनको चिन्ता की कोई बात नही है।

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, ये अयोध्या को स्काईलैब कह रहे हैं, वह एक धार्मिक स्थल है। यह बात ठीक नही शै।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह अन-पार्लियामैंटरी शब्द नही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इन पर राम जी की कृ पा हो गई। इसलिए मैं तो आपसे बार बार रिक्वैस्ट करूंगा कि नो-कौन्फीडैंस मोशन पर बहस सारे दिन चलायें। मैं तो आपसे रिक्वैस्ट करूंगी, इन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप ही हमारे कस्टोडियन हैं और आप ही हरियाणा के लोगों का भला सोच सकते हैं। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (बवानी खेडा एस० सी०): स्पीकर सर, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक ही कल का एजेन्डा और क्वैश्चन निर्धारित किये गये थे और आज आपने

नो–कौन्फीडैंस मोशन भी ऐडमिट कर लिया है, साथ ही 8 बिलों के अलावा 9 वां एप्रोप्रियेशन बिल भी है। स्पीकर सर, यह सारा काम इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि एक एक बिल पर कम से कम एक घंटा डिस्कशन तो होनी ही चाहिए। सरकार को कोई खतरा भी नहीं है, फिर वह इतनी जल्दी बिस्तर क्यों सिमेटना चाहती है? स्पीकर साहब, यह सब अभी और चलना चाहिए ताकि आनरेबल मैम्बर्ज अपने हल्कों की बात कह सकें, अपनी तकलीफों की बात कह सके। लोगों को पानी नही मिल रहा है, उसके बारे में भी मैम्बर्ज अपनी बातें यहां पर कह सकें। मुझे पता नही क्यों ये लोग इतनी जल्दी सत्र को क्लोज करने की बात कर रहे हैं? स्पीकर साहब, आप हमारे कस्टोडियन है, हम तो आपसे ही कह सकते हैं। सारी जनता आपकी तरफ देख रही है कि स्पीकर साहब किस शानदार तरीके से हाऊस को चलाते हैं। सर, आप तो बड़े लिबरल हैं, फिर आप हाऊस के समय में क्यों कटौती कर रहे हैं? सर, आप जानते हैं कि आज प्रदेश में और देश में क्या हालत है। ऐसी हालत में हाऊस का गला घोंटने वाली कोई बात नही होनी चाहिए। स्पीकर साहब, आप चाहें तो आज नो–कौंफीडैंस मोशन ले सकते है औंर कल को ये सारे बिल ले सकते हैं। सर, आपको हाऊस एक दिन और चलाना चाहिए ताकि सभी मैम्बर्ज आसानी से अपनी बात कह सके। केवल यही तो एक बोलने का मौका होता है क्योंकि बाकी जगहों पर तो कोई राम की जय बोल रहा हे, कोई घटाने की बात कर रहा है, कोई बढ़ाने की बात कर रही है। स्पीकर साहब, सदन एक ऐसी

जगह होती बै जहा पर ममी मैम्बर्ज अपनी बात खुलकर कह सकते हैंय अपने हल्कों की समस्याओं को बता सकते हैं, अपने प्रांत की बात को कह सकते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आज आप हाऊस को इतना लम्बा न चलाकर, कल के दिन को भी इसमें जरूर शामिल कर लें और जो बिजनैस कल के लिए निर्धारित है उसको कल ही ले।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर सर, आज आपने हाउस को अच्छी तरह से चलाया है। अपोजीशन की तरफ से जो नो–कौफीडैस मोशन रखा गया था, मुख्यमंत्री जी गे भी उसको स्वीकार कर लिया हें परन्तु मेरे माननीय साथी जगदीश नेहरा आज कुछ नाराज से लग रहे हे। स्पीकर साहब, मुझे लगतों है नेहरा जी कल पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअन्त सिंह से मिलकर आये हैं, इसीलिए जैसे कल उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया था, वैसे ही आज ये हरियाणा में भी करना चाहते है। स्पीकर साहब, बी० ए० सी० की मीटिंग जो आपकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमे चार दिन हाउस चलाने के लिए अलाट किये गये थे। सब लोगों ने सोचा था कि इस बार हरियाणा का सत पंजाब से ज्यादा चल रहा है इसलिए हरियाणा गवर्नमैंट अच्छी ही होगी। स्पीकर साहब, अगर ऐसी कोई अमरजैसी थी तो आपको फिर से बी० ए० सी० की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। you are enough Competent. आप फिर बी० ए० सी० की मीटिंग बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमें तो यहां आकर सदन के विपक्ष के नेता से

पता चला कि सरकार भागने की स्थिति में है और आज ही ये सब कुछ करना चाहते हैं। इसलिए स्पीकर सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि कल का दिन आप आफ न करें और जो ये नो–कौन्फीडैस मोशन है इस पर आप जनरेसली चर्चा कराए। आपने जिस मर्यादा से इस सदन को चलाया है उसी तरह से आगे भी चलाएं। इन अनडैमोक्रेटिक डैलीगेशंज से अनडैमोक्रेटिक प्रिसीडैंटस क्रिएट हो जाएंगी और गल्त परम्परा पड़ जाएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दिन का समय और बढ़ा दिया जाए।

सिंचाई मन्त्री (चौ० जगदीश नेहरा): स्पीकर सर, मेरे माननीय अपोजीशन के लीडरों ने जो बात कही है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मीटिंग में जो सिटिंग डिसाइड हु ई थी हमे उसी के मुताबिक चलना चाहिए। स्पीकर सर, बिजनैस एड– वाइज री कमेटी में मनानीय संपत सिंह जी भी थे, उस समय इन्होंने नो–कांफीडै स मोशन का कोई जिक्र नहीं किया था। स्पीकर सर, यह जो अगले दिन के लिए बात कह ने हैं वह प्राइवेट मैम्बर्ज बिजनैस ट्रांजेक्ट करने के लिए है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। स्पीकर साहब, इनका जो बोलना था उसका तो आपने स्तर देख ही लिया। दो–दो, तीन–तीन बार नेमिग हुई, फिर भी ये प्रोसीडिंग्ज औबस्ट्रक्ट करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इनके सायं कोआप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर सर, मेरा निवेदन है कि यह जो रूल 16 की मोशन है, इसे पास किया जाए।

वाक आऊट

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जो बातें हमने कही हैं, उनकी आप कोई अहमियत नहीं समझ रहे। कन्न का दिन प्राईवेट बिजनैस के लिए फिक्सड है, इसलिए कम सै कम सैशन कल तक तो जरूर चलना चाहिए। अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम सब एज ए प्रोटैस्ट वाक आऊट करते हैं।

(At this stage, Prof. Sampat Singh and all the members of the Janata Party, Haryana Vikas Party, Janata Dal Party, Bhartiya Janata Party and Bahujan Samaj Party present in the House, staged a walk out).

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : House is the master of its own. The procedure is to be adopted by the House. (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : Question is—

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will lay papers on the Table of the House.

Irrigation Minister(Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg

to lay on the Table-

(i) The Report of Commission of Inquiry headed by Mr. Justice H.S.Rai, as required under sub-section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, and

(ii) The 24th Annual Report of Haryana Warehousing Corporation for the year 1990-91 as required under section 31(11) of the warehousing Corporation Act, 1962.

बिल्ज–

(1)दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐशन (नं० 3)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill 1992 and also move the motion for its consideration.

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (स० 3)विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (स० 3)विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation No. (3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will take up the Bill clause by

clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA **Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

साथी लहरी सिंह (रादौर–एस० सी०): स्पीकर साहब, यह जो 1986–87 की डिमांडज के बारे में 42 करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल आया है, इसे अब हाउस में पास किया जा रहा है। हम जब भी किसी बात का जवाब फाइनांस मिनिस्टर महोदय

से पूछते हैं तो जवाब 'नहीं' में आता है। मुख्य मंत्री जी तो तैयारी करके आते हैं क्योंकि उनको यह विश्वास है कि इनके मंत्री तो काम करते ही नही है। (व्यवधान व शोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः इनकी इस बात से यह जाहिर होता है कि इनको कितनी समझ थैं। इनको ही सारे अधिकार सौंप दिये जायें तो पता चले। आप बात ऐसे ही बनाने की कोशिश न करें। आप कभी मंत्री बने ही नहीं, आपने तो गाड़ी चलायी है। आप दिमाग से बात करो। (व्यवधान व शोर)

साथी लहरी सिंहः हमें भी लोगों ने चुन कर भेजा है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अकेले आपको ही नहीं भेजा, हमें भी चुनकर ही भेजा है। (व्यवधान व शोर)...

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, लहरी सिंह जी ने शायद इसको पढ़ा नही है। हुस बिल मे 1986–87 के समय के खर्चे की बात है और उस समय इम प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी थे जो इनके लीडर हैं। हम तो उनके वक्त के सारे मामले को ठीक कर रहे हैं।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, बात ठीक है, 1986–87 के खर्चे की बात है। वर्ष 1987 में चौधरी बंसी लाल ने इतने बढ़िया–बढ़िया काम किये थे जिनकी मिसाल नही मिलती। दादूपुर नलवी नहर का उद्घाटन किया गया था जो अभी तक नहीं बन सकी है।

श्री मांगे राम गुप्ताः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, चौधरी लहरी सिंह ने कहा है कि 1986—87 में बंसी लाल जी ने बहुत बहिया काम किये हैं। हम इस बारे में ही कह रहे हैं। हुआ यह कि उन्होंने खर्चा ज्यादा कर दिया, हम उसी को रैगुलेराईज कर रथु है। हम उनके कामों को नकार नहीं रहे है। हम तो उस खर्चे को केवल रैगुलेराईज ही कर रहे हैं। यह हाउस से पास होना जरुरी है, इसलिये इसको पास किया जाये।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2)दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल, 1902

Mr. Speaker : Now, the Excise & Taxation Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1992 and also move for its consideration.

Excise & Taxation Minister (Shri A. C. Chaudhary) : Sir, I introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1992.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मनीराम केहरवाला (एलनाबाद–एस० सी०): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)बिल, 1992 पेश किया है, इसके अनुसार आयल सीड पर छः परसैन्ट टैक्स लग रहा है. बिनौले पर भी टैक्स लगता है लेकिन बिनौला कपास से निकलता है और कपास पर पहले ही टैक्स लगता है। बिनौले पर टैक्स लगाकर डबल टैक्स हो जाता है। मेरी प्रार्थना है कि बिनौला और खल को टैक्स से अलग रखा जाता?।

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी): स्पीकर साहब, यह व्यापारियो के हित में है। मैं अलग से अमैंडमैंट भेज रहा हूं इसलिए इसको विद अमैडमैंट पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of an amendment to this clause from Excise & Taxation

Minister. He may please move his motion.

Excise & Taxation Minister (Shri A. C. Chaudhary) : Sir, I beg to move—

In section 15-A as proposed to be substituted, after the words "other than", occurring twice, the words "the tax paid on the last purchase" shall be inserted.

Mr. Speaker : Motion moved—

In section 15-A as proposed to be substituted, after the words "other than", occurring twice, the words the "tax paid on the last purchase" shall be inserted.

Mr. Speaker : Question is—

In section 15-A as proposed to be substituted, after the words "other than", occurring twice, the words "the tax paid on the last purchase" shall be inserted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister will move that the Bill be passed.

Excise & Taxation Minister (Shri A. C. Chaudhary) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill as amended, be passed.

The motion was carried.

(3)दि ईस्ट पंजाब बार ऐवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will introduce the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill and move for its consideration.

मुख मन्त्री (चौधरी भजन लाल) अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1992 प्रस्तुत करता हं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

Mr Speaker : Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment)

Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहब, यह जो ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल 1992 सदन में पेश हुआ है, यह बहुत अच्छा बिल है। इस अमैंडमैंट के द्वारा वार जागीर का रेट तीन सौ से बढ़ाकर एक हजार रुपया वार्षिक किया

जा रहा है। मैं तो चाहती हूं कि एक हजार की बजाए पांच हजार किया जाए क्योंकि आज मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये लोग हिन्दुस्तान की सरहदों की रक्षा करते हैं और उग्रवादियों का भी मुकाबला करते हैं। ऐसे नौजवानों की जितनी मदद की जाए उतना ही अच्छा है। मैं इस अमैंडमैंट की ताईद करती हूं लेकिन साथ ही यह भी चाहती हूं कि इसका रेट बढ़ाकर एक हजार से पांच कि या जाए। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मन्त्री जी मेरी बात को मानेंगे।

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause **2** stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं– कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Mr.Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4)दि प्रिवेन्शन ओफ फूड अडल्ट्रेशन (हरियाणा वैलीडेशन)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Health and Ayurveda Minister will introduce the Prevention of Food Adulteration (Haryana Validation) Bill, 1992 and also move for its consideration.

Health & Ayurveda Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I introduce the Prevention of Food Adulteration(Haryana Validation) Bill, 1992.

Sir, **I** also beg to move—

That the Peventicn of Food Adulteration (Haryana 'Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Prevention of Food Adulteration (Haryana Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहब, जगह जगह पर खाने पीने की चीजे खुली पड़ी रहती हैं और इनके जो इंस्पैक्टर होते हैं, उनकी दुकान वालों के साथ मन्थली बंधी होती है। चाहे दूध हो, चाहे मिठाई हो, अगर आप देखेगे तो पाऐगे कि इनको ढका नही जाता?। खास तौर पर लोहारू में सड़क के किनारे जहां पर कीटाणु होते हैं और धूल पड़ती है, वहां खाने पीने की चीजें खुली बिकती हैं। इन बातों की तरफ ठीक से ध्यान नही दिया जाता। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हू कि ज्यादातर बीमारियां खाने पीने की चीजें खराब होने की वजह से फैलती हैं। इन्हीं बीमारियों की वजह से जगह जगह आर० एम०

पी० डाक्टरों की दुकानें खूब चल रही हैं। ढाबों और होटलों में खुली चीजें रखी जाती हैं। मैं चाहती हूं कि इन चीजों को खुली रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दुकानों या ढाबों में शीशे के कवर होने चाहिएं जिनमें ये चीजें रखी जाएं। वहां पर सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके इंस्पैक्टरों की डियूटी इस बात को देखने की होनी चाहिए, न कि वे अपना महीना उन से बांध रखें।

डा० ओम प्रकाश शर्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, दि प्रिवैशन औफ फूड अडस्ट्रेशन एक्ट के बारे में सभी जानते हैं। उसमें बड़ी भारी क्रप्शन है, इसलिए इसको चौक करने का तरीका निकालना बहुत ही जरूरी है। जो भी सैम्पल्ज लिए जाते हैं, वे सारे के सारे फेल होते हैं लेकिन फिर भी उन सारे सैम्पल्ज को पास करवा लिया जाता है। सैम्पल्ज को पास करवाने का तरीका भी निकाल रखा है। जो सैम्पल टैस्टिंग के लिए लैबारेटरी में जाएगा, उसके पैसे लैबोरेटरी में पहुंच जाते है और सैम्पल पास हो जाता है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि एक मोबाइल टैस्टिंग लैबोरेटरी होनी चाहिए और उस लैबोरेटरी के साथ एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और एक सैम्पल लेने वाली अथोरिटी हो। स्पौट पर ही सैम्पल की टैस्टिंग हो जाए और अगर सैम्पल ठीक न पाया जाए तो दोषी को स्पोट पर ही सजा हो जाए। यदि स्पोट पर ही सैम्पल की टैस्टिंग का रिजल्ट बाहर आ जाए कि यह आदमी दोषी है तो उसको स्पोट पर ही सजा मिल जाए। स्पीकर साहब, इसके

अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे सियासी आदमी हैं, वे फूड डंस्पैक्टर्ज से माहवारी लेते हैं। इस बुरी आदत को चौक करना निहायत ही जरूरी है। मैं यह बात गलत नहीं कह रहा हूं। (शोर)मुझे चौधरी भजन लाल जी की काबलियत और ईमानदारी पर कोई शक नही है। मैं यह नही कहता कि इसमें उनका कोई दोष है। सवाल यह है कि सारे समाज में इस चीज का ब्लड कैंसर फैल चुका है। सारी सोसाइटी करप्ट है। उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः उसमें आप भी तो शामिल हो, आप हमें यह बात नही कह सकते।

डा० ओम प्रकाश शर्माः मैं भी उसमें शामिल हूं। लेकिन आपके राम मे जो कुछ होता था, उसके बारे में सभी जानते हैं। आपके लीडर चौधरी देवी लाल ने एक बात जरूर अच्छी की थी, मैं उसकी प्रसंशा करता हूं। चौधरी देवी लाल जी ने बी० जे० पी० के बारे मैं जो बात कही थी, उसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि बी० जे० पी० के भाई समाज के अन्दर .... है, वह तो बी० जे० पी० वाले जानते है। (शोर)

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, इन्होंने जो एलीगेशंज लगाए हैं ये एक्सपंज होने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष: बी० जे० पी० वाली बात रिकार्ड न की जाए।

स्वास्थय मन्त्री (बहन करतार देवी): स्पीकर साहब, यह एक साधारण सा बिल है। यह बिल खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कोर्ट के आदेशानुसार तहसील सैनीटरी इन्सपैक्टर्ज को फूड पावर देनी हैं ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट होने से रोका जा सके। बहन चन्द्रावती जी ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार चिन्तित है कि हरेक का स्वास्थ्य ठीक ने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस ढांचे को स्टैरन्थन कर रहे हैं। यह हम न केवल तहसील लैवल पर करने जा रहे हैं बल्कि हैड आफिस में भी एक फलार्ड्ग स्क्वैड बनाया गया है, जिसमें डायरेक्टर जनरल हैल्थ, फूड इन्सपैक्टर को साथ लेकर कभी भी कही पर छापे मार सकते हैं। हमने खास कर यह ध्यान रखा है कि आम चीजें जो हर घर में इस्तेमाल होती है, जैसे नमक है, चाय है या और दूसरी ऐसी ही 15–20 चीजें हैं, उनके सैम्पल लिए जाएं। हमने हरेक इन्सपैक्टर की ड्यूटी लगायी है कि आपको कम से कम महीने में इतने सैम्पल तो लेने ही पडेगे। यहां पर डा० साहब की तरफ से एक बात कही गयी कि सियासी लोग पैसा लेते हैं। यह समाज है। समाज में सब तरह के लोग हैं। मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाती हूं कि मैंने कभी भी कोई एक पैसा किसी से लिया हो तो मुझे कोई बता दे। डा० साहब बुजुर्ग हैं, मैं इनकी छोटी बहन के बराबर हूं। इन्होने सभी

सियासी लोगों को पैसे लेने के नाम में शामिल करने की जो बात कही है, उससे मुझे बड़ी भारी ठेस पहुंची है। मैं फिर कहती हूं कि 32 साल की राजनीति में मैंने किसी से भी कोई पैसा लिया हो तो यह बता दें। मैं राजनीति को एक मिशन मानती हूं, धन्धा नहीं।

डा० ओम प्रकाश शर्मा: बहन जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने तो यह कहा है कि समाज में एक प्रकार से कोढ़ लग गया है। मैंने स्पेसिफिक आपका नाम नहीं लिया। यदि मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं।

बहन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन चन्द्रावती जी को और अन्य सदस्यों को बताना चाहती हू कि खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही हे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: आप साथ ही साथ यह भी बता दें कि जो पैकेट्स दिल्ली से सील बन्द आते हैं क्या उनकी रेड का भी कुछ प्रबंध आपकी तरफ से किया जायेगा?

बहन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सैन्ट्रल एक्ट है। दिल्ली से जो सामान सीलबंद होकर आता है उसके लिए तो हम दिल्ली वालों को कह सकते हैं। दिल्ली की फैक्ट्रियों में

जो सामान तैयार होता है, वह हमारे अधीन नही आता। हम इसके लिए तो अपनी तरफ से भारत सरकार के नोटिस में ला सकते हैं।

श्री अध्यक्षः क्या आपके अधिकारी भी वहां पर जा सकते हैं?

बहन करतार देवीः स्पीकर साहब, हमारा अधिकार क्षेत्र हमारी स्टेट तक ही है। हमारी स्टेट में जो सैंट्रल गवर्नमैंट के अदायरे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, वहां पर हमारा अधिकार नही है, वहां सैंट्रल गवर्नमैंट के अधिकारियों का कंट्रोल होता है।

चौधरी अजमत खां (हथीन): स्पीकर साहब, यह जो बिल लाया गया है, वह बहुत ही नेकनीयती से लाया गया है। स्पीकर साहब, इन्सपैक्टरी राज से आज भी लोगों का गला भिचा हुआ है। सारे इन्सपैक्टर रिश्वत लेते है, यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं आर बड़े हाई लैवल पर भी करप्शन चलती है। इसलिए यह खदशा होता है कि यह बिल भी सिर्फ इन्सपैक्टरों को पैसा दिलाने के लिए इस्तेमाल होगा। स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि क्रप्शन को चौक करने के लिए भी कोई कानून बनाया जाना चाहिए ताकि करप्ट इन्सपैक्टरों को जेलों में डाला जा संके। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर मरेगा तो गरीब दुकानदार ही मरेगा। अगर दुकानदार इन्सपैक्टर को मन्थली नहीं देगा, उसका धन्धा चौपट रहेगा।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए तो कानून पहले से ही है और आई० पी० सी० भी श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया के नोटिस में एक बात लाना चाहता हू। मन्त्री महोदया ने सदन में बड़े विश्वास के साथ एक बात कही है कि कहीं भी, इनके विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की जाती है तो उस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हुं कि मन्त्री महोदया के पास पूरॉ ब्योरा नही है। जिला फरीदाबाद में ग्रीवैन्सिज कमेटी में मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि जिला फरीदाबाद में मिलावट का धन्धा बहुत ही जोरो पर है। मिलावट के धन्धे मे जिला फरीदाबाद शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे आगे है। इनके इन्सपैक्टरों के हारा जो 15 या 17 सैम्पल दुकानदारों के भरे जाते हैं, वे महज मन्थली इकट्ठी करने के लिए भरे जाते हें। हर महीने दुकानदारों से मन्थली के पैसे वसूल किये जाते है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे जिला फरीदाबाद में मिलावट का धन्धा जोरों पर चल रहा है। यहां तक कि दुकानदार जानवरों के चारे तक को भी मिलावट से नही बख्शते हैं। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने कहा है कि बड़ी ध्यानपूर्वक वे महकमे में काम करती हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर अस्पताल में दवाईयां गरीब लोगों को नहीं मिलती, वे किस बाजार मे बिकती हैं?

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अगर ऐसी कोई बात है तो आप लिख करके इनके नोटिस में लायें ताकि ये कार्यवाही कर सकें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Prevention of Food Adulteration (Haryana Validaticn) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr.Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

EN ACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Health & Ayurveda Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed .

The motion was carried.

(5)दि हरियाणा कोआप्रेटिय सोसायटीज (सैकिण्ड अमैंडमैंट)विल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Cooperation Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 1992 and move for its consideration.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Mehra) :

Sir, **I** beg to introduce the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 1992.

Sir, **I** also beg to move—

That the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr.Speaker : Motion moved—

That the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): स्पीकर सर, आज हाऊस में जो हरियाणा को–औप्रेटिव अमैंडमैंट बिल पेश किया गया है वह ठीक है। इसके अन्दर अच्छी बात कही गई है कि 5 आदमी मिल कर को–औप्रेटिव सोसाईटी फोर्म करके स्व–रोजगार प्राप्त कर सकते है। इसके साथ–साथ दूसरी तरह की जो सोसायटीज हैं उनमें मैम्बर्ज की सीमा वही 10 है। आज जमाना उतने पुराने तरीके से नही रहा कि ज्यादा आदमी इकट्ठे हो कर काम करेगे। आज जो सोसायटी का ट्रेण्ड है वह बदलता जा रहा है। ज्यादा आदमियों की हिस्सेदारी, सांझेदारी या मेल–मिलाप उतना नही रहा जितना कि जब यह ऐक्ट बना था, हुआ करता था। चाहे वह लेबर कंस्ट्रक्शन सोसा– इटी हो, चाहे वह कोआप्रेटिव सोसाइटी हो सभी की मैम्बरशीप कम से कम पांच कर दी जाए। अधिकतम की कोई सीमा नही है जो आदमी ज्यादा मैम्बर बनाकर सोसा– यटी फार्म करना चाहे तो उसे कोई रोकता नही है, अगर कम हो तो कानून की सीमा अडचन है। आज

कोआप्रेटिव क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। उसके चेयरमैन को अधिक पावर देने की जरूरत है। हमारे हरियाणा स्टेट कोआप्रेटिव ऐक्ट के तहत किसी भी चेयरमैन को कोई भी पावर नही है। वह साइनिंग मशीन है। सिर्फ टी० ए०, डी० ए०, कार और टेलिफोन की सहूलियत लेने के अलावा कुछ उनकी क्षमता में नहीं है। वे अपनी कलम से कोई फैसला नही ले पाते है। ये सभी के सभी चेयरमैन डमी हैं, सफेद हाथी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनी राम केहरवाला: क्या आप भी डमी हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने जो सवाल उठाया है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं डमी तो नहीं रहा परन्तु अपनी कलम से प्रभावित जरूर हुआ पर पावर मेरे हाथ में भी नहीं थी। चौधरी देवी लाल जी ने कोशिश जरूर की थी कि जितने भी सैन्टर में चेयरमैन हैं, उनको पावर दी जाए। सैन्टर में मल्टीस्टेट कोआप्रेटिव ऐक्ट अमैंड होने जा रहा है। यह तो उस वक्त की मुहिम थी। चेयरमैन को शायद सैन्टर में पावर तो मिलेगी लेकिन हरियाणा स्टेट में जितने भी बोर्ड हैं वहां इलैक्शन करवाने की जरूरत है। किसी भी बोर्ड में इलैक्शन से डायरैक्टर नहीं आए हैं सारे के सारे नोमिनेटिड हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादयान जी, इसमें 10 से पांच करने की कोई बात नहीं आ रही है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, आज जिक्र आता है चेयरमैन का। एक–एक डिप्टी कमीशनर दो–दो शूगर मिल का चेयरमन है। उसको अपने काम से फुरसत नही है। रोहतक जिले का जो डी० सी० है, वह मेहम और रोहतक की शूगर मिलों का चेयरमैन है। अब वे क्या चेयरमैन का कार्य देखेगे और यही कारण है जिसकी वजह से कोआप्रेटिव क्षेत्र मैं घाटा बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त आदमी का उपयुक्त समय में सही ध्यान जाता है।

श्री अध्यक्ष: आग रैलेवैंट प्वाएन्ट पर ही बोले।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मेरी गवर्नमैंट से यही गुजारिश है कि वे इतने संकुचित दायर में न रह करके सभी के लिए जो मैक्सीमम की सीमा है, वह 5 कर दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मै यही कहना चाहता था। धन्यवाद।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हरियाणा को– आप्रेटिव सोसायटी (सैकिण्ड अमैंडमैंट)बिल 1992 विचाराधीन है, उसके बारे में जो स्टेटमैंट आफ अब्जैक्टस छ्ण्ड रीजन्ज है उसके अनुसार रिक्रूटमैंट देने के लिए, रूट परमीट देने के लिए इम अमैंडमैंट की जरूरत है। यह जो अमैंडमैंट लायी गयी है यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि ज्यादा मैम्बर रहने से झगड़े की गुंजाइश रहती है मैं मंडी महोदय से एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 5 मैम्बर्ज की सोसाइटी

बनाकर के रूट परमीट ले सकते है, क्या इसमें 5 मैम्बर्ज एक ही फैमली के भी बन सकते हैं या नही बन सकते हैं? एक तो इस बारे में बताएं और दूसरे इसमें फैमिली का क्राईटेरिया क्यो है? इसके साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश मे जो एजुकेटिड युवक हैं, जो अनएम्पलाएड हैं, क्या रूट परमिट उन्हीं के लिए हैं? अगर उन्हीं के लिए ये परमिट हैं तो कम से कम इसमें एक प्रोविजन रखा जाए जिसमें मैट्रिकुलेट या इससे अधिक पढ़े लिखे हों, वही इसके मैंम्बर बन सकते है। इस किस्म का प्रोविज न इसमें जरूर रखा जाना चाहिए। वर्ना इस अमैंडमैंट के आने के बाद इसमें कोई इल्लीट्रेट आदमी भी आ सकता है। इसमें इस तरह का प्रावधान करनों चाहिए। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा): स्पीकर साहब, यह जो ''दी हरियाणा को– ओपैरटिव सोसायटीज (सेकिन्ड अमैंडमैंट)मिल, 1992'' इस सदन में बहस के लिए आया है, इस में जो दस आदमियों से घटाकर पांच आदमियों की बात कही गयी है, वह बहुत ठीक है क्योंकि आजकल ज्वाएंट फैमिली में भी बहुत दिक्कत आती है। मुझे पता है कि ज्वाइंट फैमिलीज में दीवानी लिटीगेशन के कितने केसिज सिविल कोर्ट में चल रहे है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हू कि अगर इस बिल में 10 आदमियों की सोसायटीज की जगह पांच आदमियों की सोसायटीज कर दी जायेगी तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, इस बिल में कई रुट परमिट देने की भी बात कही गयी है लेकिन क्या हरिजन

को–ओपरेटिव सोसायटीज को भी रूट परमिट देने में प्रैफरैन्स दी जाएगी? क्या रूरल एरियाज में रहने वाले लोगो को भी रूट परमिट में प्रैफरैन्स दिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि अगर इन लोगों की पांच आदमियों की सोसायटी बनी हुई शै तो इनको भी प्रैफरैन्स दी जानी चाहिए। मुख्य मली जी यह भी बताएं कि किस तरह से इन सोसायटीज को रूटों का वितरण किया जाएगा? इसके अलावा, जो लोग मैटाडोर या दूसरे अन्य व्हीकल्ज चला रहे है, क्या उनको भी रूट परमिट दिये जाएंगे? मैं मु कामंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इसके बारे में भी जरूर रोशनी डालें कि इन सोसायटीज को रजिस्टर्ड कराने में जो दिक्कते आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाये? इस बारे मे बिल्कुल क्लीयर कट हो जाना चाहिए कि जब भी पांच आदमी अपनी सोसायटी कौ रजिस्टर्ड कराने के लिए आयें तो उनकी सोसायटी की समय से पहले रजिस्ट्री करा देनी चाहिए। रूटों के परमिट देने में पिक एण्ड चूज नही होनी चाहिए। जैसो कि कल मु ख्य मंत्री जी ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सभी पार्टियों के एम० एल० एज० शामिल होंगे और वह निर्धारित करेगे कि कही पर भी पिक एण्ड चूज न हो। लेकिन कही ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि परमिटों की लिस्टें यही से बनकर जायें और वह कमेटियां फालोअप वाली कमेटिया ही बनकर रह जाये। अगर ऐसा होता है तो गरीब और अनएम्पलायड लोगों को नौकरी देने वाली मुद्दा बेकार हो जायेगा। इसलिए सही जैनुअन लोगों को ही परमिट मिलने चाहिए। स्पीकर साहब, इसके अलावी, एक दिक्कत

और भी शै, वह यह है कि अनाप–शनाप ढंग से जो सैकड़ों किस्म की मैटाडोर, फोरव्हीलर्स और बसिज आइज चल रही हैं, क्या उनको ये परमिट नही मिलेगे। अगर उनको परमिट नहीं मिलेगे तों ये लोग तो फिर भी डन सवारियों को जरूर ले जाएंगे तब क्या इन लोगों में औरे परमिट मिलने वाले लोगों में झगडा नही होगा? इसलिए मुख्य मंत्री जी यह भी बताएं कि इसके बारे में उन्हेंने क्यो सोचा बै? ये लोग तो अपनी सवारियां चलायेगे ही क्योंकि इन्हेंने कोई न कोई अपना गाड फादर बना रखा है और जब यह लिटिगेशन होगा तो उन गाड फादरों मे भी टकराव जरूर होगा तो इस चीज का इलाज होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न आये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इसके बारे में जरूर स्पष्टीकरण दें।

श्री धीरपाल सिंह (बादली): अध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन)विधेयक, 1992 विचाराधीन है, इसमें जो सोसायटीज के सदस्यों की संख्या 10 से 5 करने की बात कही गयी है, वह समय की मांग भी है और हम भी यह मानते हैं कि यह ठीक है। इस बिल के आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज मे दिया गया है कि रोजगार उपलब्ध कराये जायेगे और इसमें सोसायटी के सदस्यों की संख्या 10 के बजाए पांच होगी तो यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने जो इस बिल में रूटों के परमिट वाली चर्चा की है उसके बौर में मैं एक बात आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन सोसायटीज में

एक्स सर्विसमैन को रखा जाना चाहिए और जो सदस्य यह सोसायटीज बनाने जा रहे हैं, क्या उनके पास साधन हैं? कही ऐसा न हो कि रोज गार दिलाने का सरकार का उद्देश्य तो अच्छा हो लेकिन उसके पीछे सरकार के ही कुछ प्रभावशाली लोग भिन्न भिन्न सोसाइटियों परे अपना प्रभाव डालते हुए अलग–अलग नीम से सोसायटी बना लें और मालिक एक ही हो। यह जो शंकों जाहिर होती है, इस पर भी विचार कियां जाए और माथ ही यह भी देखा जाए कि जो सदस्य सोसोयटी बनाने जा रहे है, उनके पास आगे मिनी बसें खरीदने के साधन भी है और यह काम करने का उनको पिछला कोई अनुभव शै? इन सारे आब्जैक्ट्स पर जाते हुए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार ने कौन से रूटों पर ये बसें चलोने को विचार किया है? कहीं ऐसा न हो कि सरकार की बसें आहिस्ता–आहिस्ता निजीकरण की तरफ न चली जाएं। सरकार जिस उद्देश्य मे इसे लाई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगे को रोजगार मिले और कुछ लोग इन सारी की सारी बसों पर काबू न पा ले, इन बातों का जरूर पहले अध्ययन किया' जांए। जिन्हें परमिट दिया जाए, उनका पिछला अनुभव अवश्य देखा जाए और यह भी देखा जाए कि इसमें काम करने वाले कौन लोग हैं, उनका आका कहीं एक ही न हो। यही मेरा सुझाव है। धान्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): अध्यक्ष महोदय, अभी जो हरियाणा को–आपरेटिव (सैकण्ड अमैंडमैंट)बिल, 1992 इस सदन में बहस के लिए आया है, मैं उसका समर्थन करते हुए इतनी

प्रार्थना करूंगा कि इन रूटों पर बसें चलाने के लिए जिनको परमिट दिए जाएंगे, उसमें वे एक बस में पांच आदमियों को स्टाफ के तौर नर रखें ताकि पढ़े–लिखे बेकार नौजवानों को रोजगार भी मिले और उनका काम भी सूचारू रूप से चले।

श्री पीर चन्द (रतिया): अध्यक्ष महोदय, अभी जो हरियाणा को–आपरेटिव (सैकिण्ड अमैडमैंड)बिल, 1992 इस सदन में बहस के लिए आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु इस बारे में मेरी गुजारिश है कि इस बिल के तहत इन्होंने दस मैम्बरों के स्थान पर पांच मैम्बरों को सोसायटी बनाने का प्रावधान किया है, इस बारे में मेरा सुझाव है कि 5 मैम्बरों में से एक मैम्बर अनुसूचित जाति का होना चाहिए ताकि वे पांच आदमी मिलकर उस परमिट को ठीक से इस्तेमाल कर सकें और रूट पर बसें ठीक से चला सकें। इस बारे में मेरा यह भी निवेदन है कि जब आप यह स्व दें तो इसमें हरिजनों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे कि नौकरियों में बीस परसैन्ट रिजरवेशन है, उसी प्रकार रूटों में भी शिडयूल्ड कास्ट के लोगों के लिए बीस परसैन्ट रूट रिजर्व होने चाहिए ताकि व भी अपना गुजारा कर सकें। आजकल दूसरी जातियों में पढ़े–लिखे लोग इतने बेकार नही फिरते जिसने कि हरिजनों में हैं। बी०ए०, एम०ए० पढ़े–लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं, उनके लिए तकनीकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए ताकि उनको आसानी ले रोजगार मिल सके। यही मेरे सुझाव हैं। (धन्यवाद)। हो सकता है दूसरी कास्टों के भी

पढे–लिखे बेरोजगार होते होगें लेकिन कम से कम एक हरिजन को' भी उसमें जरूर लिया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि उनका रोल ही कम कर दिया जाये। उनके लिए इसमें भी 20 परसैन्ट रिप्रेजैन्टेशन जरूर रिजर्व रखी जाए। इन सोसोंइटीज में एक मैम्बर हमारे लोगों का' भी अवश्य होना चाहिए। हर कास्ट के मैम्बर इन सोसोइटीज में जरूर होना चाहिए। एक सोसाइटी में हरिजन कुछ ज्यादा हो तो कोई बात नही है। एक परिवार के पांचों आदमी नही होने चाहिएं। (व्यवधान व शोर)। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी परिवार के पांचों सदस्य एक साथ सोसाइटीज के मैम्बर बनकर के रूट्स न ले ले, यह ध्यान रखा जरूरी है। आर किसी कोस्ट का कोई भी पढ़ा–त्रिखा आदमी हो, तो उसको इस सोसाइटी में रखा जा सकता है। उन पांच आदमियों को मिलाकर रूट परमिट दें इससे उनको रोजगार मिल सकेगा। दूसरी बात यह है कि हरिजनों के पास पैसा नहीं है। उनके लिए सरकार को लोग देना जरूरी है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। अगर आप सही मायनों में हरिजनों की मदद करना चाहते हैं तो उर पट्टे–लिखे लड़कों के धिर लोर जरूर दें जो ऐसे काम करना चाहते हैं। इस तरह करने से वह बसों को अच्छी तरह से चला सकेगे! यह आप जरूर देखें कि इन सोसाइटीज में एक मैम्बर हरिजन का आदमी जरूर हो। उनकी सोसाइटीज बेशक अलग से हों, उनको दूसरी किसी कास्ट के साथ मिलाकर रूट बिल्कुल नही दिए जाने चाहिए। इससे दूसरी कास्ट वालों को भी फायदा मिलेगा और इन हरिजनों को भी

फायदा मिलेगा। मेरी यही दरख्वास्त है, आशा है सरकार इस पर गौर करेगी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्य मंत्री जी भी इस बात की हां कर रहे हैं कि वे ऐसा ही करेगे ताकि हरिजनों का भला हो सके, इसलिए मैं इतना कहते हुए ही अपना स्थान लेता हूं।

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर सर, जो सरकार कोआप्रेटिव सोसाइटीज (सैकिण्ड अमैंडमैंड)बिल यहां पर लायी है, वह आज सदन के जेरेगौर है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास बसें पूरी नहीं हैं। दूसरी तरफ हमारे साधन बड़े ही सीमित हैं। जो यह सोसाइटीज के मेम्बर्ज की संख्या 10 से घटाकर 5 करने का प्रावधान करने जा रहे हैं, इसमें एक सदस्य अनिवार्य रूप से ऐसा जोड़ा जाना चाहिए कि वह या तो ड्राइवर लाइसैसं शुदा या फिर कंडक्टर लाइसैन्स शुदा हो। एक सदस्य इसमें अनिवार्य रूप से हरिजन या बैक्वर्ड जाति का भी अवश्य होना चाहिए। व्यवधान व शोर)ब्राह्मण तो कई ऐसे आ जायेगे। कंडक्टर बनकर आ जायेगे, ड्राइवर बनकर आ जायेगे। आपके मारने से ब्राह्मण मरेगे नही। वह तो अपने आप आ जायेगे.। कभी राम का नाम लेकर आ जायेगे तो कभी ब्राहमण के०पर राम की कृपा हो जायेगी, उसके०पर तो भगवान राम की कृपा रही है। आप चिन्ता क्यों करते हो। ब्राहम्ण का सम्बन्ध तो ब्रहमा से रहता है। तो मेरा यह सुझाव है कि इन 5 आदमियों की जो व्यवस्था की

गयी है, इसमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि डन मैम्बरों में से एक सदस्य ऐसा जोड़ना चाहिए जो ड्राइवरी लाइसैस शुदा हो या तो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो और एक सस्दस्य हरिजन हो या– बैकवर्ड क्लास का हो।

चौधरी राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन में हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (सैकिंड अमैंडमैंड)बिल पेश किया गया है। इस बिल का सभी राजनैतिक दलों ने समर्थन किया है और यह एक समयानुसार बिल है। दस मैम्बर्ज की बजाए जो पांच मैम्बर्ज का प्रोवीजन किया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। भाई सम्पत सिंह की पार्टी के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारी सरकार का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और श्री भजन लील की सरकार में जो बेरोजगारी की भयंकर समस्या है, उसको सीरियसली लिया है। बेरोज गारी की समस्या आज विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऑज गांव गाव में पढ़े लिखे बेरोजगारों की सेना बनती जा रही है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो में वॉयदा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पड़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया करवायेने। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस वायदे को पूरा किया है, इसके लिए मैं मुख्य मती जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह इतना शानदार निर्णय है कि हर गांव में, चाहे वे किसी भी पार्टी के लोग हैं, बहुत ही

खुश होंगे कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी कमाने का साधन सरकार ने मुहैया किया है। जब सम्पत सिंह की सरकार थी, उस वक्त इन्होंने हमारे नौजवानों को ग्रीन ब्रिगेड में शामिल किया था लेकिन हमारी सरकार तो हमारे नौजवानों का भला चाहती है और सरकार के इस कदम से प्रदेश के हजारों की संख्या में नौजवानों को रोजगार मिलेगा और लोगों में जागृति आएगी। स्पीकर साहब, हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां ऐक्स सर्विसमैन नही है। कई साथियों ने कहा कि इसमें एक हरिजन होना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ मेरा निवेदन यह है कि इसमें ऐक्स सर्विसमैन भी होना चाहिए मेरी मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इसमें ऐक्स सर्विसमैन भी अवश्य होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (सैकिण्ड अमैंडमैंट)बिल सदन के सामने आया है और जब मैंने इसके औब्जक्टस एंड रीजन्ज को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि मैम्बरशिप दस से घटाकर पांच इसलिए की जा रही है कि मौजूदा सरकार ने कोई फैसला लिया है कि इन सोसायटीज को रूट परमिट दिए जाएं। यह फैसला अपने आपमें मुबारिकबाद का मुस्तहिक है, इसमें कोई दो राय नही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक क्वैश्चन के जवाब मे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन रूट्स को ईयरमार्क करेगी। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट के विपक्ष के एम०एल० एज० और एम०पीज० भी शामिल होग और दूसरे लोग

भी होंगे। मतलब यह है कि उस कमेटी में सभी तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से आश्वासन चाहूगा कि ईयरमार्किग के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी और जिसमें विपक्ष के एम०एल०एज० और एम०पीज० शामिल करेंगे, क्या उनकी रिकमैन्डेशनज पर भी वे कोई गौर करेंगे या नही करेंगे? एक तो यह स्पष्टीकरण जरूर दें और कम से कम उस इलाके के लिए जैसे मरी कांस्टीच्यूएंसी है, बहिन चन्द्रावती और राम बिलास शर्मा जी की है। वहां आप 10– 10 या 15– 15 रूट्स ईयर मार्क करते हैं तो वहां के विधायकों की भी राय ले। वहां के विधायक भी जनता ने ही चुने है लेकिन वे ट्रेजरी बैंचिज ने नही चुने। वहां पर विशेष तौर पर अगर कोई नाजायज बात की जाए तो उमकी बिल्कुल इग्नोर किया जान–। चाहिए परन्तु वहा के विधायकों की राय को पूरी तरह से वजन दिया जाना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण में मुख मन्त्री जी से चाहूंगा। तीसरी बात यह आई कि इससे बेरोजगारी में कुछ फर्क पड़ेगा। इस सरकार को बने हुए डेढ़ साल हो गए। इस सरकार ने अभी तक कोई और कदम नहीं उठायीं जिससे यह आभास मिले कि बरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। जसाकि मुख्य मंत्री जी का वायदा है कि हम पांच लाख या दस लीख लोगों के रोजगार दे देंगे तो वह कदम ये कब उठायेंगे और किस किस किस्म के वे होंगे, उसके बार में ये रोशनी डाले। इससे तो मैं समझता हूर कि दस बसि हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा परन्तु यहा तो बेकारी की हालत बहुत बुरी है। यह कोई छोटी समस्या नही है। डसके लिए

मैं मौजूदा सरकार को दोष नही दूंगा। आगे कई नई सरकारें आएगी और पीछे भी आई हैं। यह बेरोजगारी की इतनी भयकर समस्या है जिसका हल करना आसान काम नहीं है। आज ममेरीका जैसे कटरी में बेरोजगारी की समस्या जोरों से पनप रही है हमारे सामने दो समस्याएं हो गई है एक तो पापुलेशन कन्ट्रोल करने की और दूसरी जो इस दुनिया में लोग आ गए है, उनको रोजगार मुहैया करने की। इस बारे में मुख्य मंत्री और सारे हाउस को चिन्तां होनी चाहिए। हम उनको कोआप्रेट करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसी कमेटीज या कमिशन का गठन हो जो इस चीज का पता लगाए कि बेकारी को ज्यादा से ज्यादा कहां तक और कितनी जल्दी दूर कर सकते हैं। कोई हाउस की कमेटी बनाई दो या काबिल अफसरों की कमेटी बना दो या इकनोमिस्टस की कमेटी बना दो और उसकी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर मांगें ताकि यह जो भयंकर समस्या बढ़ती जा रही है, इसका हल ढूंढा जा सके। हम भी मन्त्री रहे है और एम०एल०ए० भी हैं। हमें अगर कम से कम सौ आदमी मिलते हैं तो उनमें से 95 आदमी नौकरी के लिए मिलते हैं। ऐसे ऐसे परिवारों के लहूके, जिनको हम अच्छा परिवार मानते हैं अपने हिसांब से, वे कहते हैं कि मुझे सड़क पर मेट लगवा दो, तारकोल छिड़कने के लिए लगवा दो या नहर पर बेलदार लगवा दो। यह देखकर मन में बहुत दर्द होता है। हम सोचते हैं कि सरकार के लोगों के पास जाए लेकिन उनके पास भी चारा नहीं है। हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष वालों को ऐसे टूटि किया जाता है जैसे वे अछूत हो। मैं यह नहीं कहता कि

मौजूदा गवर्नमेंट यह कर रही है, इससे पीछे वाले भी करतें होगे। लेकिन कम से कम 20– 25 साल पहले विपक्ष और रूलिंग पाटी के लोगों में हम अपने बुजुर्गों से रिश्ते सुनते थे। वे एक दूसरे के काम आयी करते थे। जब सामाजिक फक्शन होते थे, उनमें वे एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं रखते थे। ओछे और झूठे एलीगेशन नहीं लगाते थे। वे चरित्रवान लोग थे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बेकारी की जो समस्या इस प्रान्त में, इस देश में है, उसको दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, उसके लिए चाहे कोई कमिशन मुकर्रर करे, चाहे कोई कमेटी मुकर्रर करें। जितने ज्यादा से ज्यादा ऐवेन्यूज खोल सकते है वे खोलने चाहिएं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आज सारे मुल्क में सबमे भंयकर समस्या अगर कोई है तो वह बेरोजगारी की हुँ और वह खास करके पढ़े लिखे लड़के लड़कियों में है। उसमें हरियाणा भी पीछे नहीं है। हरियाणा में भी बेरोजगारी की बडी भारी समस्या है। इमको हमने महसूस किया है कि किसी न किसी तरह से इस समस्या को दूर किया जाए। जो पढे लिखे नौजवान लड़के–लडकियां है, वे नौकरी की तलाश में निकलते है। नौकरी हम सबको दे नही पाते। इसी बात को लेकर हमने दो तीन फैसले किए है। एक फैलना तो यह किया है कि जो पड़े लिखे नौजवान हैं, उनको हम बसों के परमिट दें। उसमें दो बातें होंगी। एक तो जो हमारे पास बसों की कमी है, जितनी बसें

होनी चाहिए उतनी बसें अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए सवारियों को बड़ी भारी दिक्कत रहती है। मै यह बात तो नही कहती कि पिछली सरकार के समय में कुछ बसे जली दी गई। यह बात कहना मुझे शोभा भी नही देता। लेकिन यह बात कह सकता हूं कि बसी की दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि छोटे रूट्स पर जो बसें चलती हैं, वे बहुत ज्यादा प्रोफिट में नही हैं। प्रोफिट में क्यों नहीं पै, क्योंकि उन बसिज की चौकिंग नहीं हो सकती। छोटे रूट्स की बसों की फ्लो पर सवारियां बैठ कर जाती हैं लेकिन इतना ज्यादा सवारियां होने के बावजूद भी केवल 8 या 10 टिकटें ही कटती है। बड़ा झमेला णै। हमने यह फैसला किया कि जो स्टेट हाईवे और नैशनल हाईवे है, उन पर हरियाणा रोडवेज की बसे चलेगी। जो छोटे रूट्स हैं, जों लिक रोड्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट के रोड्ज है, जो सब–डिविजन के रोडज हैं, जो तहसील के रोडज है, उन पर प्राईवेट रूट परमिट दे कर बसे चलाएंगे और जो बसें बच जाएंगी उनको हम बड़े रुट्स पर डालेंगे। ऐसा नही है कि जो बसें बच जाएंगी, वे. खड़ी रहेगी। उनको बड़े रूट्स पर चलाया जाएगा ताकि बड़े रूट्स पर सवारियों को, जो तकलीफ होती है, उनकी वह तकलीफ कम हो जाए। इमसे जो पढ़े–लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा इसलिए हमने यह फैसला किया है। इस बिल में हमने यह प्रोविजन किया है कि 5 पढ़े लिखे नौजवानों की एक सोसाइटी होगी, उसको बस का परमिट देगे ताकि उनका गुजारा चल जाए और बस भी वायबल हो सके। यदि एक छोटा रूट हो और 20

लड़कों की सोसाइटी हो तो वह घाटे में रहेंगे और उनका गुजारा भी नहीं होगा। इस तरह उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी बात को ले करके हमने 5 पड़े लिखे नौ– जवानों की सोसाइटी बनाने का फैसला किया है। वे 5 से कम नहीं होंगे, 5 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं होंगे। जो 5 लड़कों की सोसाइटी होगी उसमें उनकी हमने 18 साल से 40 साल तक की एज रखी है। उस सोसाइटी में एक्स सर्विसमैन भी हो सकते है, हरिजन भी हो सकते हैं और ड्राइवर भी हो सकते हैं। ड्राइवरों के लिए हमने यह फैसला कर दिया है कि जिस ड्राइवर के पास पांच साल पहले का हैवी लाइसैंस है, चाहे वह एक जमात भी पढ़ा हुआ नहीं है, वह भी सोसाइटी में शामिल हो सकता है। उस सोसाइटी में एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को लिया जाएगा। स्पीकर साहब जैसा कि महानुभावों ने खदसा जाहिर किया है कि पांच आदमी एक ही परिवार के हो जाएगे। उस बारे में मैं बतानी चाहता हूं कि हमने एक सर्वे करवाया है। इस सर्वे के मुताबिक 5 लाख परिवार ऐसे मिले है जिनके परिवार के किसी सदस्य को कोई रोजगार नही मिला हुआ। इसमें हमने सर्विस का कोई क्राईटेरिया नही रखा। इस में हमने परिवार की परिभाषा ली है। परिवार की क्या परिभाषा होती है, उस को सभी साथी अच्छी तरह से जानते शै। जो पाच व्यक्ति मिल कर एक सोसोइटी बनाएंगे, वे पांच अलग– अलग परिवारो से मिल कर बनाएगे। एक परिवार के ही पांच व्यक्तियों की यह सोसोयटी नही बनेगी बल्कि तक परिवार से सिर्फ एकं ही मैम्बर होगा। साथ ही वीरेन्द्र सिंह जी ने कह

दिया कि रूट अलौट करने मे तो हमारा साथ ले लें पता नही फिर किसी और काम में साथ गौ या नही। इस बारे में मैं कहनों चाहता हूं कि सभी एम०एल०एज० को साथ लेकर, चाहे वह अपोजीशन का एम०एल०ए० है चाहे रूलिंग पार्टी का एम०एल०ए० है, सभी साथियों को साथ लेकर जिले के रूटों को आप लोग मिल कर तय करेगे कि कौन कौन से रूट किस किस कैटेगरी को जाने चाहिएं। हमने यह भी फैसला लिया है कि ऐसे रूट्स पर जो प्राईवेट बसें चलेगी, वे 10 किलोमीटर नैशनल हाईवे पर और 10 किलोमीटर स्टेट हाई वे पर चल सकेगी लेकिन इन 10 किलोमीटर के अन्दर न तो वे कोई सवारी ले सकेंगी और न कोई सवारी उतार सकेगी। उदा– हरण के तौर पर यदि कोई बस नारनौद से चलकर हिसार आती है तो इस बीच मे वह स्टेट हाई वे के 10 किलोमीटर के अन्दर न तो सवारी उतार सकती है और न ले सकती है। अगर उनको यह छूट दे दी जायेगी तो फिर हमारी रोडवेज को घाटा हो जायेगा। इसलिए ऐसे रूट्स आप लोग ही तय करेंगे कि फलां–फलां रूट्स होने चाहिएं और इन रूट्स में से कितने वायबल हो सकते हैं, कितनी बसें चल सकती है। यह भी साथ ही साथ देखना होगा कि ऐसे रूट्स पर चलने वालों को घाटा न उठाना पड़े। जो–जो रूट्स आग तय करेगे उनको बाकायदा नोटिफाई करेगे। जैसे आदमपुर से हिसार रूट है। तो यी देखना पड़ेगा कि इस पर 2 परमिट की आवश्यकता है, 4 परमिट की आवतयकता है या पांच परमिट की आवश्यकता है। ये सारी बाते देखने के बाद ही रुटस का अन्तिम निर्णय लिया

जायेगा। जो लोग इसके लिए अप्यायंट करेगे उनका बाकायदा इन्ट्रव्यू लिया जाएगा। इसके लिए हम सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी बनायेगे, वे सारी चीजे ध्यान में रखते हुए फैसला करेगे। यदि आप लोगों के०पर यह मामला छोड़ दिया गया तो कल को लोग कहेगे कि अपने भतीजे को परमिट दे दिया, भाई को या अपने परिवार वालों को परमिट दे दिया तो इससे आप लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाई लैवल के आफिसर्ज की कमेटी बनाई जाएगी जो इन्ट्रव्यू लेकर अपनी रिकमन्डेशन करेगी। उसी के आधार पर जिनको वे परमिट अलाऊ करेगे, दिए जायेगे, रुटस आप लोग निर्धारित करेगे। साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का एक ख्य परमिट होगा। इन रुटस पर जो बसें चलेंगी, वे मिनी बसें या श्री बसे ही चलेगी। इन रूट्स पर थी ब्हीलर या फोर व्हीलर या स्काईलैब नहीं चलेगे। साथ ही साथ हमने यह फैसला भी लिया है कि 200 किलोमीटर का उनसे लम्पसम टैक्स लिया जायेगा और मान लो, किसी बल में 100 सीट्स के बैठने का प्रबंध है तो उस सूरत में हम 70 सीटों का लम्प– सम टैक्स लेंगे ताकि उनको भी घाटा न रहे। आमतौर पर सारी बसिज भर कर चलती हैं। 70 सीटों का इसीलिए हम लम्पसम टैक्स लेगे ताकि उनको भी घाटा न रहे और 200 किलोमीटर की लम्पसम टैक्स लेगे चाहे वह दिन में दो चक्कर लगाये, चाहे इमसे अधिक लगाये।

श्री अमर सिंहः इन लोगों को बसें खरीदने के लिए क्या लोन दिलवाने का भी कोई प्रबन्ध सरकार करेगी?

चौधरी भजन लालः मैं अब इसी बात पर आ रहा हूं। स्पीकर साहब, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों को को–औप्रेटिव बैक से ठीक गज दर पर लोन दिलवाया जाए। (विघ्न) मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल चालू वित्त वर्ष में को– औप्रेटिव बैकों ने 6 करोड़ रुपए के लोन 5500 बेरोजगार लोगों को, छोटे उद्योग– धन्धे लगाने के लिए दिए हैं जोकि इससे पहले कभी नहीं दिए गए। दूसरे स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि उन लोगों को कर्जा दिलाने की कोशिश करेगे। हमने इन रूट्स के लिए एक्स सर्विसमैन का कोटा भी रखा एं। हरिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत का कोटा रिजर्व है। इन रूट परमिटों में भी 20 प्रतिशत कोटा हरिजनों को देने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार बैकवर्ड स्वास के भाइयों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा है और रूट्स परमिटों में भी 10 प्रतिशत कोटा बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। ड्राईवर्ज और एक्स सर्विसमैन भी इन रूट परमिटस को ले सकेंगे। आज समाज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। समाज के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और उसका समाधान करने की कोशिश हम लोग कर रहे है। मैं यह नहीं कहता कि रूट परमिट्स देने से इस समस्या का कोई समाधान हो जाएगा लेकिन जितने लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं, देने की

कोशिश करेगे, इसके लिए जितनी सरकारी नौकरियां हम लोगों को दे सकेंगे वह भी देंगे। अभी कुछ समय पहले मैं विदेश गया था और वहां पर बहुत से लोगों से और कम्पनियों से अपील की कि वे इस मुल्क में अपनी फैक्टरियां लगाएं। अनिवासी भारतियों और दूसरे बहुत से लोगों से 3 हजार करोड़ रूपए की प्रोपोजल हमारे पास पिछले डेढ़–दो महीने में आ चुकी है, ये लोग अपने उद्योग हरियाणा में लगाना चाहते हैं। ये प्रोपोजल्ज हमें इसलिए मिली है क्योंकि हरियाणा प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पर इण्डस्ट्रीज लगाने का स्कोप सबसे ज्यादा है। यह पूछा जा सकता है कि यहों पर क्यों ज्यादा स्कोप है?। तो इस बारे मे मैं अर्ज करूंगा कि हरियाणा देश की राज धानी दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। पूरे मुल्क में दिल्ली की मार्किट बहुत बड़ी है, इन्दिरा गांधी ऐयर पोर्ट जैसा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सारे मुल्कों से जुडी हुई एस०टी०डी० सेवा भी दिल्ली में उपलब्ध है और सारी दुनियां में एस०टी०डी० के जरिये कही भी बात की जा सकती है। यह सारा प्रदेश दिल्ली के नजदीक है और यहां पर लेबर भी आसानी से मिल जाती है और लेबर की कोई प्रोब्लम भी यहां पर नही है। एक भी फैक्टरी ऐसी नही है जो लेबर प्रौब्लम की वजह से बन्द पड़ी हो। विदेशी कम्पनियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने जो नई पोलिसी निर्धारित की है, उसके अनुसार 51 प्रतिशत पैसा वे उद्योगों में लगा सकते हैं और उनसे उस पैसे का कोई अकांउट चौक नही किया जाएगा। इसलिए लोगों की यहां पर उद्योग लगाने में रूचि

है। हरियाणा मे इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए बन विण्डो सर्विस भी हमने चालू कर दी है। इण्डस्ट्रियलिस्टस से इण्डस्ट्री लगाने के लिए जो भी प्रोपोजल आएगी उसको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जमीन उसको जि तनी चाहिए वह अलौट की जाएगी, बिजली का कनैक्शन दिया जाएगा, फैक्टरी लगाने के लिए उसको लोन भी उसकी जरूरत के मुताबिक दिया जाएगा। हमारे टैक्नीकल आदमी उसको देखेगे। हम इण्डस्ट्रियलिस्ट की सारी जरूरियात 30 दिन के अन्दर–अन्दर कम्पलीट करेंगे। इसके लिए बाकायदा 30 दिन के भीतर ए०डी०सी फैसला करेंगे 31वां दिन नहीं होगा। ऐप्लीकेशन में अगर कोई कमी होगी तो महकमा उसको खुद पूरा करवायेगा। 7 दिन के अन्दर यह काम पूरा हो जाएगा और बाकी के अगरने 23 दिन में उसको सारी सुविधा हासिल हो जाएगी। ऐसी सुविधा प्रदान करने वाली पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ हरियाणा स्टेट ही है। यहां पर बिजली की कोई समस्या नहीं है। आज कहीं पर भी बिजली का कट नहीं है। ट्यूबबैल्ज और इण्डस्ट्रीज के लिए आज पूरी बिजली दी जा रही है। सारे राज्य में अमन और शांति है। आज तो पंजाब में कुछ शान्ति है लेकिन पिछले काफी समय से वहां का माहौल ठीक नही था लेकिन हरियाणा प्रदेश में हर प्रकार से अमन और शांति है इसीलिए लोगों ने यहां पर अपनी इण्डस्ट्रीज लगाने की इच्छा जाहिर की है। हमने सिर्फ एक ही शर्त उनके सामने रखी है कि उनको चाहे टैक्नीकल आदमी चाहिए या दूसरे आदमी चाहिए, सब आदमी हमारी स्टेट से ही लेने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर

हमारी स्टेट में टैक्नीकल आदमी नही मिलता तो उन्हे उन पोस्ट्स को तीन दफा एडवर्टाइज करना पडेगा। अगर फिर भी नहीं मिलते तो व बाहर से ले सकते हैं। इससे हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने एक ही शर्त रखी है जो आदमी ये लेंगे वे हरियाणा के ही लेंगे। लेकिन इस वक्त भी जो इण्डस्ट्रियलिस्टस हैं, वे हरियाणा के वाशिन्दों को मौका नही दे रहे हैं, दूसरे लोगों को मौका दे ने हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोगों को रखना तो दूर रहा, वे हरियाणा के हरिजन लोगों को भी कोई रिसपौन्स नहीं दे रहे हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि जो पहले के लगे हुए है, उनको तो हटा नही सकते। परन्तु आगे के लिए मैंने उन्हें कहा है कि वे हरियाणा प्रदेश के लोगों को ही फैक्टरियों में लेगे। यह फैसला हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हू कि जहां ये उद्योग लगाएंगे, वहां बिजली भी जाएगी। बिजली पैदा करने के हमारे तीन बडे प्रोजैक्टस हैं–एक हिसार में एक हजार मैगावाट का, दूसरा यमुना नगर में 840 मैगावाट का और तीसरा फरीदाबाद में 16 सौ मैगावाट का है। इनकी मंत्री तो भारत सरकार से आ गई है लेकिन पैसे की कमी के कारण यह काम शुरु नही हो पाया है। बाहर भी कुछ कम्पनियों ने इनको बनाने की इच्छा जाहिर की है।

उनके साथ बातचीत हो रही है, हमने उनको कहा है कि वे इस बारे में भारत सरकार और एन०टी०पी०सी० के साथ बातचीत करें। हमें पूरी आशा है कि जनवरी के महीने में इस एग्रीमेंट पर साईन हो जाएंगे।

श्री धीरपाल सिंहः क्या ये तीनों प्रौजैक्टस केन्द्रीय सरकार से ऐप्रूव हो गए हैं?

चौधरी भजन लालः सबको मन्जूरी मिल गई एं लेकिन पैसे की दिक्कत के कारण काम शुरु नही हो पाया। भारत सरकार कहती है कि हमारा बिजली बोर्ड घाटे में है। हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो यह प्रोजैक्टस कैसे चलेगे ? परन्तु मैं यह कहता हूं कि बहुत ही जल्द यह काम शुरु हो जाएगा। गैस बेस्ड परियोजनाएं आने वाले दो–तीन साल में पूरी भी की जा सकती हैं और ताप बिजली परियोजनाएं 4– 5 साल में पूरी हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, आने वाले सालों में हम बेरोजगारी को दूर करने में सफल होंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये रोजगार की बात करते हैं, परन्तु आज देश की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। आप जो उद्योग लगाते हैं या वे किसी और के लगाये हुऐ उद्योग हैं, सरकार उन्हें हिदायत दे कि वे प्रदूषण को रोकने वाले यन्त्र जरूर लगायें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया है कि अगर हरियाणा में कोई भी इन्डस्ट्री लगेगी तौ उसे प्रदूषण रोकने के यन्त्र का इन्तजाम करना पड़ेगा। यदि वह यह इन्तजाम नहीं करेगा तो उसे इन्डस्ट्री लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके लिए हमने एक बोर्ड भी बना रखा है।

श्री कर्ण सिंह दलालः बोर्ड तो पैसा खाकर चला जाता है।

चौधरी भजन लालः अगर कोई पैसा खाता है तो आप उसे पकडाओ।

श्री कर्ण सिंह दलालः मैंने डिप्टी कमीश्नर को लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः आप उनको पकड़ाओ, लिखने से क्या होता है। अध्यक्ष महोदय मैंने डी०आई० जी०, आई० जी० और एस०पी० को आदेश दिया हुआ है कि चाहे एम०एल०ए० या कोई भी आम आदमी अफसर को रिश्वत लेते हुए पकडवाता है तो उसको 500 रु० ईनाम और साथ में सर्टिफिकेट भी देंगे। आपको यूं ही हवा में बात नहीं करनी चाहिए (शोर)हमने लोगों को पकड़ा भी है। हम यह आपको बता भी देगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जो तीन नये उद्योग लगे हैं, उनमें इतनी बुरी बदबू आती है कि वहां से लोग हटने के लिए तैयार है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बिल बहुत अच्छा बिल है, इसको पास कर दिया जाना चाहिए। एक बात चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कही, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करनी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले या 25 साल पहले अच्छा अपोजीशन था, बड़ा अच्छा हाउस का माहौल रहता था, बड़ी सदभावना थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब बातें सभी लोगों पर डिपैडं करती हैं। हमारी तरफ से कभी भी किसी को कोई ओछी या गलत बात नही कही गयी है लेकिन जब दूसरे लोग गलत बर्ताव करते हैं तो हमें भी मजबूर होकर दुखी मन से जवाब देना पड़ता है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr.Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill. The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(6)दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1992 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) ; Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bi 1 1, 1992.

Sir, I also move—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकण्ड अमैंटमैट)बिल, 1992 है, इस का इरादा बहुत अच्छा है लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी सब बातों को किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जमीन म्यूनिसिपल कमेटी की होती है और उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। इस कब्जे को कभी छुड़वाया नही जाता। मेरा कहना यह है कि जैसे आजकल टाउन्ज भी बढ़ रहे है, शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है, तो इस हिसाब से वहां पर पार्क भी जरूर होने चाहिएं। स्पीकर

साहब, आप स्वयं देखें कि आजकल शहरों में सबसे खराब बात यह है कि लोग सड़को पर चल नहीं सकते क्योंकि शहरों की सड्कों पर दुकानों के सामने काफी सामान पड़ा रहता है दुकानें तो केवल रात के समय ही सामान बंद करने के काम में आती है। दिन में तो वहां कोई चल नही सकता। इसी तरह से ट्रकों के खडे होने का इंतजाम भी होना चाहिए क्योंकि कुछ ट्रक वाले सारी की सारी सड़क घेर लेते हैं। सड़कों और गलियों के गड्ढों में पानी सड़ता रहता है। मेरी तो समझ मे नही आता कि इन म्यूनिसिपल कमेटियों का काम क्या है। सारी सड़कें खराब हैं, कूड़े–करकट के ढेर लगे हुए हैं, इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। जगह–जगह नालियां टूटी हुई हैं। हम शिकायत करते हैं तो आफिसर भी हमसे कहते हैं कि दर्खास्त लिख कर दे दो। हमें स्टैनो भी कोई नही दिए हुए, आखिर हम कहां तक हाथ से लिख–लिखकर देते रहे। हमें पब्लिक को भी अटैण्ड करना होता है, उनकी समस्याएं भी सुननी होती हैं। अतः म्यूनिसिपल कमेटियों के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको आप निर्देश दे कि वे इन बातों का ध्यान रखें। वैसे यह अमैंडमैंट तो बहुत अच्छी है लेकिन उस की इम्पलीमैंटेशन भी होनी चाहिए। हर शहर में पार्क होना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (चौधरी धर्मबीर गाबा): अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय बहन जी से अर्ज करना चाहता हूं कि यह अमैंडमैंट है ही इसलिए। उस ऐक्ट के मुताबिक

म्यूनिसिपल कमेटी को जो 25 प्रतिशत जगह मिलती थी, इस अमैंडमैंट से अब 40 प्रतिशत जगह मिलेगी जिससे उसमें पार्क व पार्किग की जगह भी बना सकेंगे। इसके माथ ही जो हम 12 फुट की सड़कें बनाकर गुजारा कर रहे थे, वह भी अब कम से कम 22 फुट तक बनाने की बात सोच सकेगे। इसमें जहा पर 40 परसैंट जमीन इस परपज के लिए छोड़ी गयी है, वही पर कमेटी को यह अख्तियार भी होगा कि वह किसी जमीन पर बिल्डिंग बनने से छः महीने पहले–पहले, अगर तंगी महसूस करती है तो 10 परसैट एक्स्ट्रा जमीन ले सकती है। यह अमैंडमैंट तो केवल इतनी सी है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी): स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट)बिल, 1992 द्वारा एक्ट के सैक्शन 203 के सब सैक्शन (1)तथा सैक्शन 277 के सब–सैक्शन (1), (2)तथा (3)में अमैंडमैंट की जा रही है, और 277–ए सैक्शन इन्सर्ट किया जा रहा है, इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। काफी दिनों से इस अमैंडमैंट की अपेक्षा की जा रही थी कि इस किस्म की अमैंडमैंट आयेगी ताकि जो छोटे–छोटे शहर है, उनके वाटर वर्कस और सीवरेज सिस्टम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को ट्रांसफर कर दिये जाएंगे और अपने हाथ में इन कामों को ले सकेगे। पहले म्यूनिसिपल कमेटीज के हाथ में होने पर इनकी मेनटेनसे ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। यह बहुत बढ़िया बात की गयी है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। इस बिल को असैट मिलतेही इस पर फौरन अमल शुरु हो

जाना चाहिए और अब तक जो एस्टीमेट्स की ऐप्रूवल के लिए केस चण्डीगढ़ में चीफ इंजीनियर के पास आता है, वह नीचे एस०ई० या एक्सीअन लैवल पर ही ऐप्रूव हो जाया करे। इस तरह से नीचे वाले अधिकारियो को फाइनैशियल पावर्ज दी जाएंगी तो यह काम जल्दी से जल्दी हो सकता है और सुलझ सकता है। मैं यही बात कहकर आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : New, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker :fQuestion is—

That clause 3 stands part of the Bill. The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill. The motion was carried.

ENACTING FORMULA Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula cf the

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, यह जो म्यूनिसिपल अमैंडमैंट बिल आया है, इस बारे में मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। आज हरियाणा में कोई भी ऐसा नगर नहीं

है जिसकी रैगुलेराईज्ड और अथोराइज्ड पापुलेशन का 50 प्रतिशत इररैगुलेराइज्ड और अन–अथोराइज्ड कालोनीज में न बसी हुई हो। उनको रैगुलेराईज करने के बारे में कोई प्रावधान करें। उनके लिए कोई जन–सुविधा, जैसे पीने के पानी और बिजली की सुविधा देने की बात करें। खास कर गरीब बस्तियों में हमारी बहिनों के लिए लैट्रीन्ज की कोई सुविधा नहीं है। उनकी बस्ती, न शहर लगते है और न ही वह गांव लगते है। मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में भी कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(7)दि पंजाब प्रि–एम्पशन (हरियाणा अमैंडमैंट)विस, 1992 (विदड्रान)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैंने आपको एक पत्र लिखा था कि पंजाब प्रि–एम्पशन (हरियाणा अमेंडमैंट)बिल, 1992, जो हम लाये हैं वह हाउस की इजाजत से वापस लेना चाहते हैं। इस बारे में हम दौबारा विचार करने की कोशिश करेंगे और अगले सत्र में लेकर आयेंगे।

Mr. Speaker : If it is the sense of the House that the Bill be withdrawn ?

Voices : Yes.

(The Bill was withdrawn with the leave of the House)

(8)दि हरियाणा कौम जिनिंग एंड प्रैसिंग फैक्ट्रीज बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will introduce the Haryana Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1992 and also **for** its consideration.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1992.

I also move—

That the Haryana Cotton Ginning & Pressing Factories Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Cotton Ginning & Pressing Factories Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Cotton Ginning and Pressing Factories Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

CLAUSES 2 to 26

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister to move that the bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(9)हि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाऊंसिज (अमैंडमैंट)मिल, 1992

(10)दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाऊसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1992

(11)दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1992

(12)दि हरियाणा लैजिस्लेटिच असैम्बली (अलाउ सिज एंड पेंशन आफ मैम्बर्ज)अमैंडमेट मिल, 1992

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये चारों बिल एक ही प्रकार के हैं, इसलिये इन चारों को एक साथ ही कंसीडर कर लिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है। The four bills will be taken up together and the members can speak on them but at the conclusion of the discussion, the motions in respect of these Bills will be put to vote, separately.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक, 1992 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मन्त्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक, 1992 भी प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन)विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद, मै हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा)संशोधन विधेयक, 1992 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा)संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैशन)संशोधन विधेयक, 1992 भी प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैशन)संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved-

(i) That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

(iii) That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

(iv) That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर सर, ये जो चारों बिल आए हैं इनका अवश्य क्रिटीसीज्म होगा। प्रैस के भाई भी क्रिटीसीज्म करेंगे और लोग भी करेंगे। परन्तु हमें हिपोक्रेसी में विश्वास नही करना चाहिए। इस मंहगाई के जमाने में जो भत्ता, अलाउन्स या तनखाह स्पीकर साहब, मन्त्रीगण और एम०एल०एज० को मिलती है, वह बहुत कम है और एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, उसे इतना कुछ जरूर मिलना चाहिए कि वह उस

पैसे से अच्छी तरह गुजारा कर सके, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैम्बर्ज को जो सुविधाएं दी गई हैं, जैसे टेलीफोन की और कांस्टीच्यूऐंसी अलाउन्स की, उनमें पिछले कुछ दिनों में पैट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ौतरी हुई है और दो रुपए किलोमीटर के हिसाब से जो हमें दिया जाता है, वह बहुत कम है।

चौधरी भजन लालः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, वह हमने दो की बज अढ़ाई रुपए कर दिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस बिल में तो ऐसा कहीं पर नही लिखा है।

चौधरी भजन लालः उसके लिए बिल की जरूरत नहीं है, अलग से चिट्ठी आने लग रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी यह कहा गया है कि दो से अढ़ाई रुपए कर दिया है। मैं चाहता हू कि अढ़ाई से तीन होना चाहिए। तीन रुपए से कम बात नहीं बनेगी। भाव बहुत बढ़ गार हैं। चीफ मिनिस्टर साहब आठ आने की कंजूसी मार रहे हैं। आप हाऊस की सैस ले लें। अगर दो से तीन रुपए की सैस है तो वह कर दो और अगर आठ आने मारने की सैस है तो वह कर दो।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कोई ज्यादा कहने की बात नहीं है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह दोनों बातें कह

गए। एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत क्रिटिसिजम होगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि तीन रुपए कर दो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं प्रैक्टिकल मैन हूं और हिपोक्रैट नहीं हूं, मैंने यह कहा था।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, परसों जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो सब से पहले चौधरी सम्पत सिंह ने यह प्वांयट रेज किया था कि मंहगाई ज्यादा हो गई है, टैलिफोन का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। उस दिन की बात को ले कर यह फैसला किया गया था। जहां तक इन्होंने कहा कि कार का टैरवलिंग अलाउन्स अढ़ाई की बजाए तीन रुपए पर किलोमीटर होना चाहिए अगर इस बात को सारा हाउस चाहता है तो मैं अकेला कैसे रोक सकता हूं। (थम्पिंग)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker. : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried,

Mr. Speaker : Question is-

That thy Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

चौधरी भजन लाल (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री राम पाल सिंह कवर (घरोंडा): स्पीकर साहब, मैं अपने अपोजिशन मैम्बर साहेबान का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल के अन्दर पूरी सहमति प्रकट करते हुए हाउस में कोई शोर नहीं मचाया। जैसे मुख्य मैली जी ने बताया कि अपोजीशन लीडर ने और दूसरे मैम्बरान ने इस बिल का समर्थन किया है। अपोजीशन मैम्बरान की ओर से मांग आती है तो इम मांग को मान कर मुख्य मली जी ने बहुत बड़ा काम किया है। एम० एल० एज० की दिक्कत को दूर किया है। जो फैसिलिटीज इस बिल के माध्यम से मैम्बरान, मिनिस्टर्ज और अपोजीशन लीडर को दी जा रही हैं, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूं। इसके साथ– साथ मैम्बरान को जो दिक्कत आ रही है, वह मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में जरूर लाना चाहूंगा। हमें जो मैडीकल बिलों की अदायगी होती है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। यदि हम किसी प्राइवेट डाक्टर से इलाज करवाते हैं और उसके बिल की पेमैंट मांगते हैं तो उस समय कहा जाता है कि आप सी० एम० ओ० के

काउंटर साइन करवा कर लाए। जब हम सी० एम० ओ० को साइन करने के लिए कहते है तो सी० एम० ओ० कहता है कि न आपने गवर्नमैंट होस्पीटल से इलाज करवाया, न मैंन आपको दवाई दी, इसलिये मुझे इस बिल पर साइन करने का अख्तियार नही है। आजकल आम ट्रैड हो गया है कि लोग प्राइवेट डाक्टर पर विश्वास करते हैं और प्राइवेट डाक्टरों से इलाज करवाते हैं। यदि आपने हमें मैडीकल बिल लेने की फैसिलिटीज दी है तो हम जिस किसी प्राइवेट डाक्टर से इलाज करवाते हैं, उस पर सी० एम० ओ० से साईन करवाने के लिए मजबूर न करें। अगर हम प्राइवेट डाक्टर से इलाज करवाते है तौ उस डाक्टर की फीस, कमरे का रैट और जो दवाई इस्तेमाल की गई है, उसके लिए उस डाक्टर को ही सर्टिफिकेट माना जाना चाहिए, न कि उस पर सी० एम० ओ० के काउंटर साइन करवाए जाएं। हमें इस बात के लिए मजबूर न किया जाए कि सी० एम० ओ० के साइन कराओ। मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना शै कि हम जिस किरी प्राइवेट डाक्टर से इलाज कराएं, केवन उसी डाक्टर का सर्टिफिकेट माना जाना चाहिए, उस पर सी० एम० ओ० के साइन करवाने के लिए हमें मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने आज तक कभी मैडिकल बिल नहीं लिया। इस बार मैं बहुत बीमार रही। मैंने दो बिल दिए है वे पता नहीं पास होंगे या नहीं। वे दोनों बिल पी० जी० आई० के हैं। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि जिस

किसी डाक्टर का बिल हो, उस पर सी० एम० ओ० के काउंटर साइन करवाने के लिए हमें मजबूर न किया जाए। यह बीत ठीक शै कि यदि पीछ जी० आई० के बिल ही पास नही हो रहे है तो प्राइवेट डाक्टर के कैसे होंगे? मैंने तो जिन्दगी में पहली बार बिल दिया है, पता नही पास होगा भी या नही।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, रामपाल सिह जी ने ठीक बात कही है। ऐसी बात तो है नहीं कि माननीय सदस्य कोई गलत बिल देते हैं। ये पब्लिक के चुने हुए नुमायदे हैं और जिम्मेदार आदमी हैं। अगर माननीय सदस्यों से यह कहा जाए कि अगर सी० एम० ओ० के काउंटर साइन 'नहीं होंगे तो बिल का भुगतान नहीं करेगे, यह शोभा नहीं देता। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि प्राइवेट डाक्टर एम० बी० बी० एस० और एम० डी० से नीचे नहीं होना चाहिये, अगर उसका सर्टिफिकेट होगा तो सरकार उसको मानेगी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 TO 6

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause I stand pant of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA:

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Quettion is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

चौधरी भजन लाल (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि–

बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed .

The motion was carried.

मध्याहन भोजन अवकाश

Mr. Speaker : If it is the sense of the House the Sabha be adjourned for half an hour for lunch break.

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned for lunch-break and will re-assemble at 2.15 P.M.

(सदन की बैठक 3.15 बजे आरम्भ हुई)मन्त्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

Mr. Speaker : Now, Shri Sampat Singh will move his motion.

Shri Sampat Singh : Sir, I beg to move—

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Ch. Bhajan Lal."

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Ch. Bhajan Lal.

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टूकलां) स्पीकर साहब, आपने नो–कान्फीडैंस मोशन पर मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, इसके लिए हमने आगसे टाईम भी मांगा है। (विघ्न)टाईम के मामले में उम्मीद है कि आप लिबरल रहेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि आप अपनी बात को 20 मिनट में समाप्त कीजिए क्योंकि बाकी के मैम्बर साहिबान ने भी इस बारे में अपने विचार रखने हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, 20 मिनट का समय तो बहुत ही थोड़ा है। मुझे कम से कम एक घण्टा तो लगेगा। अपनी बात कहने के लिए आप हमें सफिशिएट टाईम दीजिए (विघ्न) स्पीकर सर, आज इस सरकार के खिलाफ हम लोग अविश्वास का प्रस्ताव ले कर आए हैं। आज सारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई कानून नाम की चीज नहीं है और प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो चुका है। हर जगह पर ला–लैसनैस बनी हुई है। हत्या और बलात्कार जैसे हीनियस अपराध पूरी स्टेट में हो रहे हैं। हर तरफ लूट मंत्री हुई है। ये सारे के सीरे काम राजनैतिक संरक्षण में हो रहे है। दूसरी तरफ प्रदेश का हर व्यक्ति दुखी है। चाहे कोई किसान है, चाहे कोई ऐम्पलाई है, चाहे कोई व्यापारी है, सभी के सभी वर्ग

इस सरकार से तंग आ चुके है। स्पीकर सर, जहां तक किसानो का सवाल है, कल भी यह बात आई थी कि कृषि इनरुट्स के दाम दो गुणा हो गये है। मैं आकड़े बताने की भी कोशिश करूंगा दूसरी तरफ फारमर को उसकी प्रोड्यूस का उचित दाम नही मिल रहा और उसको कोई पूछता नही है। स्पीकर सर, जो यह जबरदस्त गैप आया है इससे फारमर खत्म होता ज रहा है। यही वज भए है कि जब ये लोग अपने हल्कों में नहीं जाते तो भोग इनको गांवों में घुसने नहीं देते, लोगों को ये फेस नहीं कर सकते थैं। पिछने दिनों में इन्होंने अपनी प्रगति यात्राओं के रूप में अपना हश्र देख लिया है इनकी प्रगति यात्राएं प्रगति यात्राएं नहीं थी, बल्कि ये देख रहे थे कि कोन से माल को लूटना है, कौन सा माल हड़पने के लिए सही है, कौन सी सरकारी लैण्ड है, कहां पंचायत की जमीन है, कहां वक्फ की जमीन है, कहां जमीन खाली पड़ी है जिस पर कि ये अपना कब्जा कर सकें। यह लोग तो उस जमीन को और माल को ढूंढने की कोशिश में थे। स्पीकर साहब, इनकी इस प्रगति याता का नतीज क्या निकला? इस प्रगति याता का मकसद गांव के गरीब और किसान को धोखा देना था। हिन्दी के अखबार में छपा है कि ''हरियाणा की प्रगति यात्रा नौटंकी बनी''। स्पीकर सर, यह अखबार की रिपोर्ट है (विध्न एवं शोर)इनकी अपनी खुद की पार्टी के नेता भी गुटबाजी का शिकार होँ कर तरह तरह के ध्यान देते हैं। इनकी अपनी सरकार के वजीर जो आज एम० पी० बन गए हैं, इनके सैंटर के वजीर, इनकी पार्टी के प्रधान रहे चौधरी बीरेन्द्र सिंह हिसार की रैली में क्या

कहते हैं ''करप्शन रैम्पेट–इन–हरियाणा''। उसमें हम नहीं कह रहे हैं, यह सब इनकी पार्टी कह रही है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने परसों आवाज उठाई थी कि जिन लोगो ने अमनप्रिय लोगों को उकसाया है, उनको डिसमिस करना चाहिये और सजा मिलनी चाहिए। वही बात कल प्राइम मिनिस्टर जी के पास हरियाणा के एम० पीज० ने उठाई है। अगर मिनिस्टर ही ऐसी बातें करने लगेगे तो क्या कानून रह जाएगा तो क्या मिनिस्टरी रह जाएगी? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार रह गई है, क्या ये विश्वास वाली बात रह गई है, यह सब इनके लोग कह रहे हैं। इसी तरह से इनके वायदे इनकी बात देखें तो रोज ऐसे असत्य नारे लगते हैं। आज यह कहते है कि एस० वाई० एल० नहर तैयार हो जाएगी। फरीदाबाद गेस का जिक्र आया, जमुनानगर थर्मल प्लांट का जिक्र आया। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की जो रिपोर्ट है और सैन्टर मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है, उसको देखा जाए तो हरियाणा के सारे लोग हैरान हो जाएंगे। ये तो उस बात का जिक्र भी नही करते हैं। ये कहते हैं कि 6 महीने में तैयार हो जाएगी और पिछली बार भी इन्होंने 10 बार रिपीट किया था कि बी० आर० ओ० को एस० वाई० एल० की काम दै चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि चन्द्रशेखर के टाईम ये आर्डर हुए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आर्डर हो गए हैं और बी० आर० ओ० को काम मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा प्रदेश के पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला थे आज

एम० पी० है, के सवाल का, केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री श्री विद्या चरण शुक्ल जी ने जवाब 'न' दिया है। सवाल यह है –

"Whether it is a fact that the construction of Sutluj Yamuna Link Canal in the 'Punjab Territory was handed over to Border Roads Organisation. If so, the progress made in this behalf."

केन्द्रीय मन्त्री का जवाब था – ''नो, सर''। अव ये बताए, कि इनके पास क्या जवाब है? इसी तरह जहां तक से थर्मल पावर प्रोजैक्ट का जिक्र है, श्री सुरजेवाला ने संसद में प्रश्न किया –

(a) "Whether the foundation-stone for the Yamuna Nagar Thermal Power Station in Haryana was to be laid by the Prime Minister on Haryana Day i.e. on 1st November, 19 92."

(b) If so, the reasons for the postponement of the foundation stone laying and by what time, the work of this project is likely to begin ?

स्पीकर साहब, जो केन्द्रीय मंत्री जी का जवाब है वह भी मैं आपको बसा देता हूं। वे ऐनर्जी मिनिस्टर श्री कलप नाथ राय हैं –

(a)&(b) No programme was finalised for the laying of the foundation stone of the Yamuna Nagar Thermal Power Station by the Prime Minister on Haryana Day i.e. 1st November, 1992.

(c)to(e) "Funding for the project has not been tied up..........."

अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा ये हरियाणा के लोगों को क्या गुमराह करेंगे।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपने भी तो कहा था कि आर्डर हो गए हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः जी हां सर, मैंने कहा था। मैंने कहा था कि फाईल पर आर्डर हो गए हैं। परन्तु उसके बाद एग्जीक्युटिव आर्डर होने होते है, वे आर्डर नही हुए थे। उसके बाद हमारा गवर्नमैंट गिर गई थी। अध्यक्ष महोदय, उन आडर्ज को इनको एग्जीक्यूट करवाना चाहिए था। ये जो कुछ भी कह रहे हैं यह सब गुमराह करने वाली बातें हैं। थर्मल पावर प्लांट के बारे में इन्होंने दो बार अनाउस किया। पहले तो इन्होंने कहा कि नवम्बर 1991 में प्राइम मिनिस्टर से पत्थर रखवाएंगे और फिर कहा कि जनवरी में रखवांएगे, फिर इन्होंने इस बार नवम्बर का कहा था परन्तु आज तक कुछ थी नहीं हुआ है। ये कहते है कि प्राइम मिनिस्टर जी बिजी थे। यह प्रोजैक्ट अभी तक कलीयर नही हुआ है और इसकी पोजीशन अब भी वही है जो अप्रैल 1991 में थी। मुख्य मंत्री जी अपने जवाब के अन्दर बताएं कि इस बारे में क्या प्रोग्रैस हुई है? मैं तो यह कहता हू कि कोई भी प्रोग्रैस नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि यहां बाहर की कम्पनियां आएंगी और इन्डस्ट्रीज लगाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा ख्याल है

कि बाहर से कोई कम्पनी नहीं आएगी और इस बारे में कोई भी फैसला नही हुआ है क्योंकि गवर्नमैंट आफ इण्डिया इसमें डायेरेक्ट इन्वालव्ड है। इनके सारे के सारे व्यान एक तन से गुमराह करने वाले हैं।

स्पीकर सर, इसी तरह से इरीगेशन के ये किसी भी ऐसे प्रोजैक्ट का नाम बता दें जो इन्होने नया लगाया हो। वर्ल्ड बैक का भी फेस 3 डेढ साल से लेट हो रहा है और पता नहीं यह सरकार क्यों चुप बैठी है, क्यों नही सरकार की नीद खुल रही है? केवल वाटर मैनेज मैट पर ही दस बीस करोड़ रुपये खर्च करने के सिवाये ये और कुछ नही कर पाये हैं। कोई नया माईनर या नयी नहर पर इन्होंने काम शुरू नहीं किया है। अगर इन्होंने किसी भी एक माईनर या नहर पर काम शुरू किया हो, मुख्य मन्त्री जी उसका नाम बता दे कि वह माईनर है, जिस पर हमने काम चालू कर रखा है। स्पीकर सर, जब इनके पास पैसा ही नही है तो यह काम कहां से चालू करेंगे? दूसरी तरफ इन्होंने फिर से जमुना वाटर का झगड़ा छेड़ दिया है, ये फिर जमुना वाटर को खो बैठेंगे। पिछले सप्ताह फिर ये इस संबंध में कोई मीटिंग करके आये हैं। मैंने पिछली बार भी इनके०पर चार्ज लगाया था कि ये फिर से जमुना वाटर को रि–ओपन न करें। वह मामला एक बार डिसाइड हो चुका है। जमुना के वाटर में वन थर्ड हिस्सा तो यू० पी० का है और टू थर्ड हिस्सा हरियाणा का है इसलिये the matter stands close now लेकिन इन्होंने उसमें दिल्ली को भी

जोड़ दिया है, राजस्थान को भी जोड़ दिया, हिमाचल को भी जोड़ दिया और साथ ही पंजाब के चीफ मिनिस्स्टर भी अब ललकार कर कह रहे है कि हम भी एस० वाई० एल० का पानी तब तक नही देगे जब तक कि जमुना के वाटर में से हमें हिस्सा नही मिलेगा। स्पीकर सर, बाकायदा वे लोग खुल कर कह रहे है लेकिन फिर भी ये लोग उनके साथ मीटिंग कर रहे है। सैन्ट्रल वाटर रिसोर्सिज मीनिस्टर फिर भी इनको मीटिंग के लिए बुलाने हैं। लेकिन इनको उन मिटिंगों का बायकाट करना चाहिये। इनको उन लोगों को मूंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि आप लोगों का इसमें कोई हक नही बनता है। स्पीकर सर, वे लोग उसमे कोई पार्टी नही है, उन लोगों कौ ऐसी मीटिंगों में नहीं बुलाना चाहिए। स्पीककर सर, जब मुख्य मंत्री जी वहा पर मीटिंग मे भाग लेने के लिए जायेगे तो जैसी हालत है उसके अनुसार इनको वहां पर दबना भी पड़ेगा। स्पीकर सर, ऐसी मीटिंग यदि फिर हो तो इनको क्लीयर कर लैटर लिख देना चाहिए कि हम इस बात के लिए तैयार नही है और दूसरे अन्य इशूज पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम हथनी कुड बैराज पर बातचीत के लिए तैयार हैं। स्पीकर सर, वाटर के शेयर को ये लोग रि–ओपन न करें, नही तो हमारा क्लेम डूब जायेगा। इसी तरह से पावर के दोनों थर्मल प्लाट एक तो गैस पाईप वाला और दूसरा जमुनानगर वाला, खत्म हो गय हे। इन लोगों ने आकर दोनों प्लांट समाप्त कर दिये है।

स्पीकर सर, आज बिजली बोर्ड की क्या हालत है? विजनी बोर्ड में 527 करोड़ रुपए का घाटा है। केवल इस साल में ही 142 करोड़ रुपये का घाटा बिजली बोर्ड को हो चुका है। दूसरी तरफ इन लोगों ने फामर्ज पर, आम कंज्यूमर पर इतनी जबरदस्त मार मारी है कि बिजली बोर्ड ने चालीस परसैंट रेट एक बार में हरियाणा में पहली बार बढाये हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बिजली के रेट हमारे यहां पर हैं। हमारे यहां पर प्रत्येक हार्स पावर का रेट 39 रुपये इन्होंने किया है जबकि पंजाब में ये रेट 25 रुपये पर होर्स पावर है। इसके अलावा, हमारे यहां पर–यूनिट ट्यूबवैल्ज मीटरज सप्लाई के 50 पैसे प्रति यूनिट है जबकि पंजाब में ये 30 पैसे है और आल इण्डिया में यह फिगर 43 पैसा है। स्पीकर सर, यह कह रहे हैं कि हम सबसिडी दे रहे हैं जबकि यह कोई भी सबसिडी नहीं दे रहे है, बाकायदा चोरी हो रही है। किसानों पर यूं ही मार पड़ती है। घर से ही बैठे बैठे लिख दिया जाता है कि आपकी मोटर ज्यादा लोड के रही थी इसलिये आप पर पैनल्टी लगा दी गयी है। इस तरह से ऐसे बिल्ज बनाकर के फार्मर्ज पास भेज दिये जाते हैं। स्पीकर सर, कभी कभी बिलों का यह हाल होता है कि बिल लाये जाते है और रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते है। अगर फार्मर्ज एक महीने तक बिल भरने के लिए नही जाता है तो उनसे कह दिया जाता है कि तुम्हारे०पर पैनल्टी इसलिये डाली गयी है क्योंकि तुम ने अपना बिल नही भरा। खुद मुख्य मंत्री के जिले में ऐसा हुआ है। लाडवा गांव में 700 ऐसे बिल कूड़े के ढेर में मिले और लोगों को नहीं

दिये गये। यह बिल दफ्तर से जारी करके कूड़े के ढेर में डाल दिये गये औरे किसानों से बिल देने को कहा गया। (शोर)जी हां, मेरे नोटिस में तो है और अगर आपके नोटिस में नही है तो you do not deserve to be a Chief Minister. आपकी स्टेट में क्या हो रहा है, इसका पता आपको होना चाहिये। स्पीकर सर, जब लोग इस बात का विरोध करते है और बिल नही भरते तो उनके कनैक्शनों को डिसकनैक्ट कर दिया जाता है। वे लोग इसका विरोध करते है और कहते है कि हमारी खेती नष्ट हो जायेगी, हमारी फसल नष्ट हो जायेगी क्योंकि नहरों में पानी आ नहीं रहा है, इसलिए हमें बिजली जरूर चाहिए तो ये लोग किसानों परे लाठी चार्ज करवाते है। इन्द्री और पिलुखेड़ा में भी किसानों पर लाठी चाज किया गया और परसों भी जब लोग विरोध करेंने के लिए यहां परे जा आ रहे थे तो उनको जीरकपुर के पास बुरी तरह से खदेड़कर वहां से पीटकर भगा दिया गया। जबकि वे लोग अपनी ही स्टेट के थे और यहां पर बात करने के लिए आ रहे थे। इनको उन नोवो से बात करनी चाहिये थी और उनकी बातों पर गौर करना चाहिए था। स्पीकर सर, लोग कैसे इन लोगों को बर्दाशत करेंगे। ऐसे हालात इन लोगों ने बना रखें बै और इसी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनोमी है, वह सारी की सारी बैठ गई है। कल मुख्य मंत्री महोदय जवाब देते समय फर्टिलाइजर का जिक्र कर रहे थे। स्पीकर सर, इनकी खुद की सरकार सैन्ट्रल औंर हरियाणा में जब आई थी, तो उस समय खाद का रेट डी० ए० पी० का 180 रुपये प्रति कट्टा था, न कि 234 था और 180

रुपये सै आज 405 रुपये है। गवर्नमैंट आफ इण्डिया की उस पर 50 रुपये सबसिडी है लेकिन रेट उसकों 405 रखा हुआ है और उसको 234 के साथ क्यों कम्पेयर करते है। कहा 180 रुपये और कहां 355 रुपए। पैसा बर्बाद कहां कर रहे हैं, किस प्रकार करते हैं? सुनिये बडे–बड़े पोस्टर और इश्तिहार छापते है, अखबारों में ऐड देते है कि आपको हरियाणा की तरफ से, हैफेड की तरफ से तोहफा, आपको एग्रो की तरफ से तोहफा, आपको मुख्य मंत्री की तरफ सै तोहफा, आपको गवर्नमैंट आफ इण्डिया की तरफ सै तोहफा। समझ में नहीं आता ये तोहफे किसके हैं? किसान दूकान पर जाकर झगडा करता है कि 50 रुपए सैन्टर का, 50 रुपए हैफेड का, 50 रुपए ऐग्रो का, 50 रुपए मुख्य मंत्री का, दो सौ की छूट हो गई परन्तु छूट कुल मिलती है 50 रुपए। इन्होंने हरियाणा के खजाने से 15–20 लाख रुपए इन अखबारों में न्यूज देकर खर्च करके कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से आपको 50 रुपये की छूट दी जाती है। यह इन्हौंने सरासर गलत किया है क्योंकि छूट केवल 50 रुपए सैन्टर ने दी है। वो जो 15–20 लाख रुपए खर्च किए थे, वो अगर किसानों को दे देते स्पीकर सर, तो इनकी बात वन सकती थी। खाद का रेट जब आया तो इन्होने एकदम कहा कि हम पुराने रेट पर देगे। इनकी यह एनाउन्समैंट भा सरासर थोथी निकली। स्पीकर सर, मेरे पास तीन–चार तो डेयरिग एग्जाम्पल्ज है, बाकी ठीक है कि हम सब जगह उनको पकड़ नहीं सकते। धुरकड़ा (अम्बाला)में पुराना राइस शैलर के गौदाम में पुराना स्टाक था उस पर लोगों ने रेड करके 33 हजार

कट्टे खाद के पकडवाए और इन्होंने उसको बढ़े हुए दाम पर बिकवाया। बीच का पैसा कौन खा गया, वो तो ये जानते हें?

स्पीकर सर, अब मैं केसिज की बात करता हूं। कल हमारा एक एम० एल० ए० भी इस बारे में पूछ रहा था तो आपने कहा था कि उनकी बात रैलेवैट नहीं है। खुद इनका एग्रीकन्चर इन्सपैक्टर खाद के कट्टें न्य० पी० में अपने गांव में लेकर जा रहा था। कलानौर बैरियर पर पकड़ा गया। उसके विरुद्ध केस रजिस्टर हुआ, उसे अन्दर किया लेकिन अमी भी उसकी पोस्टिंग वहीं है उसकी सस्पेन्शन नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, डिपार्टमैंट ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की। और भी कई केसिज मैं बताऊंगा लेकिन अभी खाद का मामला है तो मैं बता रहा था कि इसमें करोड़ों रुपये की बंगलिग हुई है। हरियाणा प्रदेश में बहुत बडा स्कैंडल हुआ है। सारा का सारा ये लोग खा गए हे। अग्रोहा के अन्दर सोसायटी में चार सौ फालतू कट्टे पुराने रेट के पड़े थे। बाद में मिनी बैक का आदमी वहां के लोगों सै मिल कर उन्हे बेचकर पैसा खा गया, शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही कोई ऐक्शन उसके खिलाफ नही लिया गया। स्पीकर सर, अगर आप चाहें तो रिपोर्ट डी० सी० हिसार से मंगाकर देख सकते हैं। सीकर सर खाद के मामले में केसिज की भरमार रही है और दूसरी तरफ भाव क्या मिल रहा है? इन्होंने जिक्र किया था कि पिछले साल ये दाम मिले थे। दो सील पहले के दाम गिना दिए। स्पीकर सर, आप बहुत अच्छे, सीनियर अनुभवी पार्लियामैंनटेरियन

हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अच्छे दाम मिलें, इसके लिए नेशनल पौलिसी बनाई जाती है। 1951– 52 का रिकार्ड आप देखें, देश के 94.6 परसैन्ट टोटल एक्सपोर्ट में से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो ऐक्योर्ट था, आज वो घटाकर 16 परसैन्ट पर आ गया है तो फिर दाम मिलेंगे कैसे? चौधरी देवी लाल ने पोलिसी बनाई थी। पहले रूई की 5– 5, 4– 4 लाख गांठों का निर्यात किया जाता था। उन्होंने 28 लाख गांठों का आर्डर बाहर भेजने के लिए दिया था, इसलिए रूई का दाम 1400– 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा था। चावल को बाहर भेजने की बात थी, सरसों के तेल को भी बाहर भेजने की बात थी। सरसों के दाम 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिले थे। इसी तरह से जीरी के दाम मिले। बढ़िया जीरी 1800 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। लेकिन इस बार हालत क्या है? स्पीकर साहब, जीरी को 800–900 रुपये में कोई पूछता नहीं है। आज तो काटन को भी कोई 900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर पूछ नहीं रहा है खुद इनकी आदमपुर मंडी में सबसे ज्यादा भाव रहता है, वहां पर भी 900–1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कोई पूछ नहीं रहा है। आज किसान की प्रोडयूस लूटी जा रही हए। यही नहीं, दूसरी तरफ उसकी प्रोडयूस की मूवमैंट पर बैन लगाया जा रहा है। पैडी को बात आयी है। उस पर इन्होंने बैन लगा दिया कि बाहर पैडी नहो ले जा सकते। किसानों में खलबली मची। उन्होंने सोचा जितने दाम मिलते है ले लो। राईस शैलरों ने मौनं–पीने भाव पर खरीद की। मंत्री जी से जब पूछते है कि बैन है तो वह यह कहते

हैं कि नहीं है। डिपार्टमैंट की तरफ से अखबार में बाकायदा यह ब्यान आया था कि बैन लगा है। हरियाणा का किसान इस तरह से लुटा है। जहां तक शूगर मिल का सवाल है, शूगर मिल्ज का भी हरियाणा प्रदेश में बुरा हाल है। शूगर मिलों द्वारा पिछने साल का गन्ना अमी तक भी नहीं उठाया जा रहा है। सरस्वती शूगर मिल का गन्ना अब तक पिछले साल का पड़ा है। भूना मिल क्षेत्र में पिछवी बार जहां 7,000 एकड़ में गन्ना था, वहां इस बार केवल 2,000 एकड़ में गन्ना है। ऐसा इसलिये है कि किसानों को इन्सैन्टिव नहीं मिल रहा है। उनको इन्सैन्टिव के तौर पर फर्टीलाईजर, पावर और इरीगेशन के लिये वाटर सप्लाई देनी चाहिये। उनको अच्छे भाव देकर इन्सैन्टिव देना चाहिये। भाव क्या बढ़ाते हैं एक रुपया क्विंटल। कहते हैं कि हमरे एक रुपया क्विंटल बढ़ा दिया और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा भाव कर दिया। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा भाव तो हमारे वक्त में था। आपने तो यह भी कर दिया कि किसान दो रुपये फालतू भाड़ा देगा। किसान को देंगे एक रुपया और उससे लेंगे दो रुपया। इस तरवर से टोटल नैट लास किसान को एक रुपये क्विंटल के हिसाब से हुआ है। गन्ना जब हमारी मिलें बोंडिड एरिया का पूरा पेल का लेती थीं तो बाहर से गन्ना मंगाया जाता था। आज से दो साल पहले तक हम पंजाव का गन्ना भी लेते थे और यू० पी० का गन्ना भी लेते थे और तब भी मिलें लाभ में थीं। कम सै कम उस समय कोई शिकायत नही थी कि गन्ना कम ऐरिया में लगा है, उस समय पूरा राम राज था। किसानों को गन्ने का पूरा रेट मिलता

था। इसलिये पंजाब के किसान और यू० पी० के किसान हमारे यहां पर गन्ना लेकर आते थे। पिछले सील क्या हुआ कि गन्ना किसान का पेला नहीं गया, इसलिये उनको गन्ना बाहर ले जाना पडा। उनको पूरे पैसे भी नहीं मिले। इस वजह से इस बार गन्ना लोगों ने लगाया ही कम है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। आज भी अगर गन्ने का रेट 70 रुपये क्विंटल कर दें तो हमारे यहां गन्ना पर्याप्त मात्रा में लगेगा। अगर आप ऐसा करेगे तो अगले साल लोगों के लिये इन्सैन्टिव होगा और किसान ज्यादा गन्ना लगायेगे। हाल ही में एक सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर का ब्यान आया था। एक सोशल सिक्योरिटी को, सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट की, ओल्ड एज पेन्शन को स्कीम है। ब्यान क्या देते है हम यह स्कीम खत्म करने जा रहे हैं। मैं कोट करता हूंः–

"Haryana' second thought on old age pension".

पता नही ये बूढ़ों के लिये बाड़े बनाने जा रहे है या क्या करने जा रहे हैं? मान– सम्मान तो यह बूढ़ों कौ देंगे नहीं, उनके बाड़े बनायेंगे। ऐसा इसलिये कर रहे हैं क्योंकि गर्वनमैंट के एक्सचेकर पर वे बोझ हैं। पंचायत समितियों के पिछले दिनों जो इलैक्शन्ज हुए हैं, उनमें मुख्य मती जी की खुद की जो भूमिका रही है, वह काबिले गौर है। लान्धड़ी वाले मक्खन का केस आपको याद होगा, मुख्य मंत्री जी ने लोगों को बुला–बुलाकर कोआपशन करवायी है। इन्होंने अपने आदमी को चेयरमैन बनाना था। किसी दूसरे से कहने लगे कि मैंने उसको हां भर दो है, अब आप बैठ

जाओ, अगली बार आपको देख लेगे। इस तरह से लोगों के०पर प्रैशर डाल–डाल कर काम किया गया है। थानेसर और सोनीपत में किस तरह से हुआ है, यह आप सब को पता है। अगर मिनिस्टर्ज के गनमैन आपस में गुत्थमगुत्था हों, किडनैपिंग करें और गोलियां चलायें तो आपको हालात का अन्दाजा हो सकता है। इन दोनों जगह ऐसी हालत हुई है। ट्रांसपोर्ट महकमें के बारे में मैं ज्यादा क्या कहू। इन्होंने किराये बढ़ा दिये। जहां पर पहले 50 पैसे टिकट लगती थी, अब एक रुपये टिकट लगती है और जहा पहले डेढ़ रुपये लगते थे, अब दो रुपये लगते हैं। इस तरह से इन्होंने 33 से लेकर 100 परसैन्ट तक इन्क्रीज को है। हिसार इनका अदना शहर है। वहां पर जो बसें चलती हैं, शहर के अन्दर जो छोटे रूट्स की लोकल बसें चलती हैं, उनका किराया एक रुपये से बढ़कर दो रुपये हो गया है। इस तरह से स्पीकर साहब, इन्होंने 100 परसैन्ट इन्कीज की है। इन्होंने लोगों के०पर असहनीय बोझ डाला है। स्पीकर साहब, यही हाल बाकी सब जगहो पर हो रहा है। सीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के हालात इस सरकार ने कर रखे हैं। आज स्टेट के अन्दर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नही है। हीनियस क्राईम्ज अब इस सरकार के संरक्षण पर होने लग रहे हैं। स्पीकर साहब आप खुद अखबार पढ़ते होंगे। अब हालत यह है कि अखबारों के हैडिग भी नहीं देख पारे। जघन्य अपराध हो रहे हैं, रोजाना हत्याएं हो रही हैं। लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा है। बलात्कार किए जा रहे हैं, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं।

हालत यह है कि लड़कियां स्कूल छोड्कर जा रही हैं। देवराला में एक स्कूल था, गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने उसको बनाया था। वहां से स्कूल की लड़कियां छोड़ कर चली गई। फरीदाबाद में नवोदय स्कूल की लड़कियों ने उस स्कूल को छोड़ दिया और कहीं और वे पढ्ने लगी हैं। स्पीकर साहब, ये कहते थे कि कोई भी बहन रात को जेवर पहन कर चली जाए, वह सुरक्षित है। लेकिन आज कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रिवाड़ी का एक बुजुर्ग सी० एम० की एक सभा में कहने लगा कि अब तो सुरक्षा नाम की कोई चीज नही है। पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गए। दो पुलिस वालों को स्सपैंड किया गया। इस तरह के हालत इस समय हो रहे हैं। मरडर किए जा रहे हैं, सामूहिक बलात्कार पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वालों ने कैथल के अन्दर यह जघन्य अपराध किया है। जब पुलिस वाले ही ऐसा काम करेगे तो क्या हालात होंगे? जो रक्षक हैं, वही भक्षक बन जाएं तो कानून और व्यवस्था की हालत आप सोच सकते है। लोग सुरक्षा कैसे महसूस करेंगे? पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा ऐट्रोसिटीज हो पी हैं। सरदार अजीत सिंह, जो सत्तर साल का किसान था, उसको पकड़ कर पुलिस ले गई। उसकी बुरी हालत की गई। उसकी डाढी पाटी गई। उसको पुलिस पीटते हुए थाने में ले गई, उसकी बड़ी भारी बेइज्जती की गई। इसके बाद पुलिस इनके भतीजे की दुकान नम्बर आठ पर उसको लाई और कहा कि इसके साथ फैसला कर लो। उसने कहा कि मेरी बेइज्जती करने से ज्यादा अच्छा था कि मुझे मार देते, मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई गई है,

मैं किसी के साथ कोई फैसला नहीं करता। इसी तरह से एक मिस्टर ओवर थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। श्री सत्यपाल बंसल जो आर्यसमाजी लीडर थे, उनको पुलिस पकड़ कर ले गई और उनको पीटा गया और उनको दुकान पर लाकर कहा जाता है कि राजी नामा कर लो। स्पीकर साहब, इस तरह के कारनामे पुलिस कर पी है। एक दफा तो वहां के पुलिस इंसपैक्टर को डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने बदल दिया लेकिन फिर उसको वहीं वापिस कर दिया। दो महीने बाद हिसार का ही थाना उसको दे दिया। पता नही कहां से दबाव पड़ा कि उसको हिसार में वापिस भेज दिया। स्पीकर साहब, जाखल का एक बचना राम नाम का आदमी था, उसको मारकर नहर में फैक दिया गया। उसका पोस्ट मारटम किया जाना चाहिए था लेकिन पोस्ट मारटम कराना तो दूर की बात है, उसको मार कर नहर में फैंक दिया। इस अत्याचार के कारण जाबल में दो महीने हड़ताल रही। भड्साना का बिशम्बर नाम का आदमी था। वह बाईस साल का हरिजन है। चोरी के केस में सात अक्तूबर को उसको पकड़ लिया और उसकी मार मारकर हालत खराब कर दी। उसको नपुंसक बना दिया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया कि he was trying to commit suicide उसके बाद वह हरियाणा सरकार को मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में कोर्ट से डायरैक्शन आई। कोर्ट ने इन्क्वायरी का आर्डर दिया। इससे बड़ी शर्म को बात और क्या होगी? इनको इन्क्वायरी के लिए भी कोर्ट को आर्डर देने पड़ ने हैं ' (विज)स्पीकर साहब, मैं जिस यूथ आर्गेनाइजेशन का स्टेट

का प्रैजीडैंट था, उसमें हमारे साथी कैप्टन अजय सिंह भी रहे थे। इनमें थोड़ी बहुत गैरत थी और ये विशम्भर को देखने हस्पताल में गए। इन्होंने कहा था कि इसके साथ जो कुछ हुआ है वह ज्यादती हुई है। इनका ऐसा ध्यान भी आया था, मैं आज फिर उसकी एप्रीशिएट करता हूं। लेकिन उसी दिन वहां के एस० पी० ध्यान देते हें कि नहीं, यह सारा पोलिटिकल स्टंट है। एक मिनिस्टर ने जो कहा था, वह पोलिटिकल स्टंट था। स्पीकर साहब, बिल्कुल गल्त थी यह बात। एक ही अखबार में०पर इनका ब्यान था और नीचे एस० पी० का ब्यान था। इन्होंने जो बात कही वह ठीक कही थी क्योंकि ये मेरे साथ रहे हैं, इसलिए इनमें थोड़ी बहुत गैरत बची हुई थी। स्पीकर साहब, ऐसा आदमी जो फैमिली लाइफ के लायक न बचा और उसका जीवन एक तरह से खत्म हो गया, तो इससे फालतू कलंक और क्या हो सकता है? ये बख्शते किस को हैं?

स्पीकर साहब, ईवन जुडिशियरी और प्रैस को भी ये लोग नहीं बखशते। आपको पता है कि फरीदाबाद में जुडियिरी का इन्होंने क्या हाल किया। दोनों बाप बेटा, सीनियर और जूनियर जजों को इनके मन्त्री के रिश्तेदार जाकर, मकान खाली करवाने के लिए, उनको धक्के मारते हैं और पीटते हैं। एक तरफ तो हिसार में 15 अगस्त का झंडा लहराया जा रहा है और याद किया जा रहा है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और दूसरी तरफ वहां एक जुडिशियल अफसर जाता है और उसका अपमान एक

पुलिस इंस्पैक्टर द्वारा किया जाता है। जब वह एतराज करता है तो उसी के खिलाफ वह रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और अगले दिन सैशन जज और एडीशनल सैशन जज, दोनों की सिक्योरिटी वापिस कर लेते हैं। यह बात तो समझ में आएगी कि सम्पत सिंह की चण्डीगढ़ और हिसार में हाउस की सिक्योरिटी वापिस कर लें, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। सरकार को हम अच्छे नहीं लगे, कोई बात नही। लेकिन स्पीकर साहब, वे एडीशनल सैशन जज और सैशन जज है। जब बाद में यह बात अखबारों में छपी तो पांच सात दिन के बाद इनको इस बात के लिए सिक्योरिटी दोबारा लागू करनी पडी। प्रैस का यह हाल है कि जो भी प्रैस का भाई इनको एक्सपोज करता है, उसको ये मारने की धमकी देते हैं। इन्होंने हिसार के पत्रकार को कहा कि तुम मार दिए जाओगे, उडा दिए जाओगे, अगर आगे से अखबार हमारे विरुद्ध छापोगे। यहां चण्डीगढ़ के जनसत्ता अखबार के दो कोरसपौडैट हैं, उनको जिप्सी से मारने की इन लोगों ने अटैम्मट की। इनके लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। इसी तरह से कई स्थानों पर पत्रकारों को जूतों की माला पहनाई गई बाजारों में घुमाया गया। कहीं उनको पानीपत में घुमा रहे हैं, कही घरौंडा, करनाल और हांसी में घुमा रहे है। इस तरह की हालत सारे प्रदेश में इन्होंने कर रखी है। जो इनको एक्सपोज करते हैं, उन पर मार मारेगे तो यह डैमोक्रेसी पर अटैक है। इसी तरह से इनके मिनिस्टर खुद एट्रोसिटीज करते हैं। इनके चार पांच लोगों के खिलाफ मुकद्दमे पहले ही चल रहे हैं। एच० सी० एस० हरियाणा की प्रिमियर सर्विस

है। वह चाहे शुगर मिल का एम० डी० हो, चाहे मेहम का एस० डी० एम० हो, उनको बुला कर और अन्दर से कुंडा लगा कर उनको धमकाया जाता है कि कर दस्तखत मेरी लिस्ट पर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज अगर ऐसे हालात एक मिनिस्टर पैदा करता है तो य अफसर क्या काम करेगे? कल को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से काम चलेगा ? ऐसा होने के बाद यह नहीं कि मिनिस्टर के खिलाफ कार्यवाही हो, बल्कि उस अफसर को वहां से बदल कर दूसरी जगह भेज दिया जाता है।

इसी तरह से स्पीकर साहब, हिसार के अन्दर दयानन्द कालेज है। वहां चारू पाठक नाम की एक लड़की प्रैजीडैंट बन गई। स्पीकर साहब, उस लड़की को वैसे तो क्रैडिट देना चाहिए था क्योंकि लड़कों की तादाद ज्यादा होते हुए भी वह लड़की चुनी गई। हुआ यह कि उस लड़की को हमारी कैबिनिट के वजीर का लडका जाकर कहता गै कि तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और जान से मार देगे। वे 15–20 गुण्डों को कालेज में ले गए औरे उस लड़की का होना हराम कर दिया है। सारा कालेज दस दिन तक बन्द रहा और उसके बाद केस भी रजिस्टर हुआ। उस बारे में मुख्य मन्त्री जी को भी लोग मिले थे। इन्होंने भी आश्वासन दिया था और अंडर सैक्शन 306 केस रजिस्टर हुआ। लेकिन बाद में कह दिया प्रैशर डलवा कर, कि इनका राजी नामा करवा दो क्योंकि यह बालकों का मामला है। स्पीकर साहब, किसी लड़की को यह कहा जाए कि उठा ले जाएंगे, मारे देगे और उसके बाद आप यह कहें

कि यह बालकों का मामला है, ठीक नहीं है। यही हाल इनके एम० एल० ए० का हो रहा है। एक एम० एल० ए० साहेबान एलनाबाद से चल कर रोड़ी हल्के में से गुजर पा था और उसी सडक पर एक किसान ट्रैक्टर ट्राली ले जा रहा था। उसने उस एम० एल० ए० कीं गाड़ी को साईड नही दी। आगे चल कर वह एम० एल० ए० साहब उस किसान को रोकते हैं और जब उसको पीटते हैं तो उसके बाद उसके और आदमी आ जाते हैं। उस किसान को यह उम्मीद नही थी कि हरियाणा सरकार उसको न्याय दे देगी। नेहरा साहब ने बता भी रखा होगा कि जरूरी नही है कि कानून आपकी मदद करे, कई बारे खुद भी मदद किया करो। उन लोगों ने उस एम० एल० ए० पर हमला बोल दिया और उसकी जो गत बनाई, वह देख और कह नही सकते। बड़ी शर्म आती है बताते हुए कि उस एम० एल० ए० को इतनी बुरी तरह से पीटा गया। नेहरा साहब इस बात के गवाह हैं। वहां इस तरह की घटना हुई है। स्पीकर साहब, इनकी सिक्योरिटी का इन्तजाम देखें। .... (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गवर्नर साहब के बारे में जो बात कही है, वह रिकार्ड न की जाए।

श्री अध्यक्षः हिज हाइनैसं वाली बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के अन्दर करप्शन का बहुत बुरा हाल है। Jobs are on sale. हर जौब के लिए इन्होंने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा रखे हैं। फेयर प्राईस दुकानों के बोर्ड तो खत्म हो गए लेकिन हिसार अनाज मंडी की दुकान नम्बर 11 और फतेहाबाद अनाज मंडी की दुकान नम्बर 8 के आगे बोर्ड लगाए हुए हैं कि सिपाही की भर्ती के लिए 50 हजार रुपए, मास्टर के लिए एक लाख रुपए और इंस्पैक्टर के लिए तीन लाख रुपए। स्पीकर साहब, सरेआम पैसा लिया जा रहा है और मास्टरों को तो दो दो बार मार दिया। उनसे पहले पैसा लिया गया उस समय वे नौकरी पर नही लगे। अब उनसे बड़े हुए दामों के हिसाब सै पैसा लिया जा रहा है।

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, सदन में यह लिखा हुआ है कि या तो सभा में प्रवेश न किया जाए, अगर प्रवेश किया जाए तो सच बोला जाए। सम्पत सिंह जी शुरु से .... बोलने लग रहे हैं। लगातार जो भी प्वांयट ले रहे हैं उसमें .... बोल रहे हैं। किसी भी प्वायंट में सदाकत नही है। स्पीकर साहब, आपने इनको .... बोलने के लिए 20 मिनट का समय दिण था लेकिन इनको .... बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं। कभी किसी दुकान का नाम ले रहे हैं, कभी किसी दुकान का नाम ले रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, 2 15 बजे सैशन शुरू हुआ था और अभी 2.40 बजे है। .... तो नेहरा साहब बोल रहे हैं कि इनको बोलते हुए 45 मिनट हो गए।

चौधरी जगदीश नेहराः इस समय 2.45 बजे हैं और इनको .... बोलते हुए 30 मिनट हो गए हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः आपने तो कहा है कि 45 मिनट हो गए। .... तो आपने बोला है। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहराः यह तो आप मानते हैं कि ये .... बोल रहे है। (शोर)

श्री अध्यक्षः नेहरा साहब आपको जवाब देने के लिए टाईम मिलेगा।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, आपने शुरू में. यह कहा था कि इनको बोलने के लिए एक घण्टे का समय दिया जाएगा और हमें दो घण्टे का समय दिया जाएगा। सम्पत सिंह जी ने सारा समय खुद ही खा लिया तो इनके दूसरे मैम्बर कब बोलेंगे।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप दो मिनट और बोल लें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आप पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर के कहने पर मेरा टाईम काट रहै है, यह बात

जंचती नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपके सामने करप्शन का एक कंक्रीट ऐग्जम्पल देता हूं। मैं उसका नाम लेता हूं। मुख्य मंत्री जी टाईम नोट कर लें, 13– 12– 1992 को शाम के चार बजे, दर्शन सिंह डी० एस० पी० विजिलैंस ने, मनजीत सिंह धीर को, जो पशु मेला अधिकारी रोहतक सर्कल मेहम में हैं, 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। उसके अगेंस्ट करप्शन एक्ट की धारा 7 के अंडर केस रजिस्टर हुआ और वह पकड़ा गया। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम कार्यवाही करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने इस केस में क्या कार्यवाही की है? आपने न उसको सस्पैंड किया और न उसको वहां से ट्रांस्फर किया। कोई विभागीय कार्यवाही नही की। कार्यवाही क्यों नहीं की, क्योंकि वह आपके गांव मोहम्मदपुर सेही का रहने वाला औफिसर है। आप इसको बैरीफाई कर लें। वह आपके गांव का रहने वाला है, इसलिए उसको छूट दे दी कि लूटो क्योंकि उसने आपके गांव में जन्म लिया है और हिस्सा आपकी दुकानों पर पहुंचता रहता है। ये कहते हैं कि कैसे हिस्सा पहुंचता है? यूं लूटते है। केस मैंने बताया णै और एक्ट की धारा का नम्बर भी मैंने बताया है, आप पता कर लें। उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है। इसी तरह से स्पीकर साहब, आज हर जगह पैसा लिया जा रहा है। किसी की ट्रांस्फर हो तो पैसा, कैंसिल हो तब पैसा, परोमोशन हो तो पैसा, डिमोशन हो तो पैसा और डैपुटेशन पर हो तो पैसा। सब जगह यह हो रहा है। स्पीकर साहब, अब मैं एक तहसीलदार और एक एस० डी० एम०

का जिक्र करूंगा। फरीदाबाद के तहसीलदार का यह हाल हुआ कि वहां के बार के वकीलों ने मिल कर उस पर झूठा पानी फैका क्योंकि वह एक महान क्रष्ट आफिसर है। इससे बड़ी लानत की बात और क्या हो सकती है कि बार के लायर्ज मिल कर एक तहसीलदार पर झूठा पानी फैंके।

इसी तरह से हिसार मे एक फिल्म नाइट का प्रोग्राम एक दिन के लिए रखा गयी था। उस नाईट में मुख्यमंत्री के राजकुमार ने क्या खेल दिखाया, वह मैं आपको बताना चाहता हू। उसका इनआगुरेशन धर्मपाल मलिक ने किया था। वहां पर बड़े बड़े कमीश्नर, डी० आई० जी० और सीनियर आफिसर्ज भी थे। (शोर)उस समय कहा गया कि आप चिन्ता मत करो, सी० एम० यहीं है और कैबिनैट के मंत्री भी यही हैं। पूछा गया कि सी० एम० साहब कहां पर हैं तो कहा गया कि ये चन्द्रमोहन सी० एम० ही तो है। इनके क्या कारनामे रहे, वह मैं बता– रहा था। उस फिल्म नाइट में लाखों रुपये के टैक्स की चोरी की गई, रसीदें छापी गई, कूपन छापे गए लेकिन टैक्स जमा नही करवाया गया। (शोर)

इसी प्रकार से स्पीकर सर, एच० एफ० सी० का और एच० एस० आई० डी० सी० का काफी पैसा, जो पब्लिक अदायरे हैं, उनका गल्त इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर लोगों के गाढ़े खून के पैसे को ये लूट रहे है। किस के लिए लूट रहे हैं, केवल अपने परिवार के लिए लूट रहे है। इन्होंने भानू इण्डस्ट्रीज को जो इनके सन इन–ला की है, एच० एफ० सी० से 78 लाख 15

हजार रुपया दिलाया है। जबकि नो डयूज सर्टिफिकेट के बगैर कोई पैसा किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर किसी किसान ने लोन लेना हो तो जब तक वह नो–डयूज सर्टिफिकेट नहीं दे देता, तब तक उसको इन पब्लिक अदायरे से लोन नहीं मिलता जबकि इस इण्डस्ट्रीज को बगैर नो–डयूज–सर्टिफिकेट लिए पैसा दिया जा रहा है। इस फैक्टरी का, पंजाब नैशनल बैंक का एक करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। सिविल सूट इसके खिलाफ दर्ज है। इसी प्रकार इस इण्डस्ट्रीज ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अढ़ाई करोड़ रुपया देना है।

इसी प्रकार न्यू बैक आफ इण्डिया का 45 लाख रुपया देना है। (शोर)इतना लोन इस इण्डस्ट्रीज ने देना है जिसके खिलाफ सिविल सूट दर्ज हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा आन ए प्यायंट आफ आर्डर। ये जितनी भी बाते कह रहे है, वे सारी की सारी .... कह रहे है। .... के सिवाये इनके पास और कुछ नहीं है। लगता है कि इनको फीवर हो गया है और यह फीवर भी फीवर न हो कर, भानू इण्डस्ट्रीज का फीवर हो गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच साल तक आपकी सरकार का राज रहा, क्या उस दौरान एक भी सबूत आप इस इण्डस्ट्रीज के खिलाफ जुटा पाये? इसके अतिरिक्त, आपने जसवंत सिंह आयोग बिठवाया। क्या उसमें एक भी बात चौधरी भजन लाल के खिलाफ मिली? सारी बातें आप

.... कह रहे हैं। आप इस समय केवल अपोजीशन लीडर होने का नाजायज फायदा उठा रहे है और .... कर रहे है।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, इनको कहा जाये कि ये .... शब्द को वापस लें या इस को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये।

श्री अध्यक्षः ये शब्द रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी जगदीश नेहराः क्या इनको .... बोलने का अधिकार मिला हुआ है।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, अब आप बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मै ठीक ठीक प्यायट्स पर ही अपनाऊई बात, बाकायदा डेटस के साथ कह रहा हू, कोई इररैलेवेंट नही बोल रहा। मैं बताना चाहता हूं कि इम इण्डस्ट्रीज के खिलाफ 16–6–91 को धारा 420, 406, 409, 379 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है क्योकि ये बैकों के ताले तोड कर प्लैजड माल बाहर ले गए। ये हरियाणा प्रदेश का ....। (शोर)आपने अच्छा किया जो मुझे भानू इण्डस्ट्रीज की बात याद दिला दी। स्पीकर साहब, इसमे कोई दो राय नहीं कि हमने इनके खिलाफ मैमोरेंडम दिया। इन्ही श्रीमान ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की थी। देश के अन्दर कानून का राज है यह नही है कि जिसे मरजी आये उसे फांसी तोड़ दो। कानून मैं थोड़ा टाईम तो लगता ही है। स्पीकर सर, इनके खिलाफ एफ०

आई० आर० दर्ज हुई थी। उस एफ० आई० आर० को हाईकोर्ट ने क्यैश कर दिया था उसके बाद सुप्रीमकोर्ट में उसे ले जाया गया। जो कम्पलेनैन्ट था, उसको इन्होंने विनओवर कर लिया और उससे लिखवा लिया कि उसे अब कोई ऐतराज नहीं है। स्पीकर सर, क्या ये अब पाक साफ हो गये है? दूसरी तरफ जो गवर्नर रूल था, उसका फायदा इन्होंने उठाया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः क्या यह मैटर सब–जूडिस है?

प्रो० सम्पत सिंहः Speaker, Sir, it is not sub-judice उसके बाद इन्होंने इस केस को कैसिल करवा लिया लेकिन सरे you will be surprised to know कि पिछले ही हफ्ते सुप्रीमकोर्ट के दो आंनरेबल जजों, श्री पाण्डयन और श्री रेड्डी ने, इस केस में फैसला दिया कि क्वैश का जो आर्डर किया है, वह गलत फैसला है, वह इनवैलिड है। फिर जो इन्होंने कैंसेलेशन करवाया था, that was also invalid. It means FIR now stands against Shri Bhajan Lal आज भी वह एफ० आई० आर० इनके नाम के अगेन्सट स्टैंड करती है। (विघ्न एवं शोर)स्पीकर सर, इसके लिए मैं हाउस की मार्फत इनसे रैजिगनेशन की मांग करता हूं। स्पीकर सर, जब प्रदेश के मु ख्य मन्डी के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हो तो कौन उस एफ० आई० आर० को इन्वैस्टिगेट करेगा? क्या कोई डी० एस० पी० या इन्सपैक्टर उसको इन्वैस्टिगेट करेगा?

Mr. Speaker : Your time is over, please take your seat आपने अपनी बात कह ली है, इसलिए अब आप बैठिये।

(विघ्न) आप दूसरों की बात सुनने के लिए तो तैयार नहीं हैं (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जब अनाग्लैजैन्ट बात आने लगी तो इन्हें तकलीफ हो रही है। (विघ्न एवं शोर)स्पीकर सर, मुझे बोलने के लिए 5 मिनट का समय और दे दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए काफी समय हो चुका है। आप अपनी बात दो मिनट के अन्दर कह लें। (विघ्न)

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। स्वीकर सर, इन्होंने अभी सब–जूडिस मैटर के बारे में कहा है that is total उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सब जज है, उनको यह केस स्पैशल जज को भेजना चाहिए था, न कि यह कोई एफ० आई० आर० स्टैंड करती है। इनकी यह बात बिछल गलत है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः ऐसा है कि वह क्यैश हो गया था इसलिए हम उसके अगेन्स्ट सुप्रीम कोर्ट गये थे। उन्होंने केस को स्टैड किया है, तभी तो स्पैशल जज के पास जाएगा। अगर सारा केस खत्म हो जाता तो स्पैशल जज को रैफर करने की जरूरत क्या थी? इसलिए स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि एफ० आई० आर० स्टैंड करती है, फिर इन्वैस्टिगेशन आफिसर की जरूरत होगी लेकिन स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कौन ऐसा आफिसर होगा

जो इन्वैस्टिगेशन करेगा? इनको यह बात करने से पहले सोचना चाहिए था।

He does not deserve to be a Chief Minister now.

चौधरी भजन लाल कितनी .... गलत बात यह कह रहे है, जिसका कोई अन्त ही नहीं है। (विघ्न)

(At this stage there were heated exchanges between the members of the Opposition and the Treasury Benches and some of them even came to the well of the House resulting in uproarious scene. However, with the intervention of leaders of certain parties/groups and appeal by the Speaker, order was restored.)

श्री अध्यक्ष: यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी आप बैठ जाए। आपने माइक तोड़ दिया है यह बहुत ही गलत बात है। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)आप बैठिए, बेहूदा शब्द ऐक्सपंज होगा। वीरेन्द्र सिंह जी आप भी बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय मैंने अभी कनकलूड नही किया।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपका टाईम हो गया है, अब आप बैठ जाएं और वीरेन्द्र सिंह जी को बोलने दें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुःखद बात हुई है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से बेहूदा शब्द निकल गया।

श्री अध्यक्षः उस शब्द को एक्सपंज करवा दिया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई बेहूदा शब्द इनको नही कहा है। मैंने तो यह कहा है कि यह बेहुदा बात है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह तो बात साफ हो गयी है और आपने भी एक्सपंज करवा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी भी यह कहते हैं कि इन्होंने इनको बेहूदा नहीं कहा है, बल्कि यह कहा है कि इन्होंने बैहूदा बात कही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सब इस हाऊस की गरिमा को बनाएं रखें और यहां पर ठीक वातावरण बनाएं। संयम से काम करें और यहां पर संयम लाएं।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी और बोलना है।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपका टाईम हो चुका है, आपने जितना टाईम मांगा था उससे डबल टाईम आप बोल चुके

हैं। आप अपनी बात एक लाईन में कह कर कन्कलूड करे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अभी तो बहुत कुछ बोलने को रह गया है। मेरा टाईम तो इन्होंने खराब कर दिया। दूसरे मैं पिछले केस को यही पर कन्कलूड करता हूं कि अगर किसी सी० एम० के अगेंस्ट एफ० आई० आर० स्टैड करती है तो उसको सी० एम० रहने का कोई हक नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपने कहा था कि आप आगे कुछ नहीं कहेंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं दो मिनट ही और लूंगा। इसी तरह से लैंड गरैबिंग का मामला है। हरियाणा प्रदेश के अन्दर आज काफी लैंड ग्रेविंग हो रही है। पहले इन्हेंने नाथुपर में 25 बीघा जमीन को ग्रेब किया ओर अब इसी तरह से ये लोग 78 बीघा जमीन को ग्रेब कर रहे हैं, जिसके दाम करोड़ों रुपये के हैं, जिसको ये लोग केवल पांच लाख रुपये में बेचने की साजिश कर रहे हें। डिप्टी कमिश्नर ने इस केस को आगे भेज दिया तो यह उसमें खामियां निकाल रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि इस जमीन की आक्शन न करें। इन लोगों ने उस डिप्टी कमिश्नर को बदल दिया, उसको फांसी चढ़ाना चाहते थे तथा किसी और नये डी० सी० को लाना चाहते थे। वहां से चार एस० डी० एम० बदले

जा चुके हैं और पांचवां भी पता नही अब वहां पर प्रैजैन्ट है या नहीं है। स्पीकर सर, इसी तरह से हिसार की बीड़ की लैड को, इनके अपने लड़के कुलदीप सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के एक बिसला नाम के आदमी से, जिसने कि चुनाव भी लड़ा था, की जमीन गलत ढंग से ग्रैब की है। उस बिसला नाम के आदमी ने इसके अगेंसट कोर्ट से स्टे भी ले लिया है। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री के अपने आदमी के घर पर 28 किलो अफीम पकड़ी गयी है, उसके अगेस्ट अगर इन्होंने कोई भी कार्यवाही की हो तो यह बता दें। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर खुद इनके मिनिस्टर रैंक के व्यक्ति के यहां पर अफीम पकड़ी गयी थी।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी आपका टाईम समाप्त हो चुका है, आप बैठिये

प्रो० सम्पत सिंह स्पीकर सर, इसी तरह से गूडगांवा में 80 एकड़ जमीन टूरिज्म डिपार्टमैंट की थी। वहां पर इन्होंने पैसा लेकर कह दिया कि टूरिज्म डिपार्टमैंट अब वहां पर काम्पलैक्स नहीं बनायेगा। इसके अलावा, फतेहाबाद शहर के बारे में भी मुख्यमंत्री जानते होंगे, कि वहां पर एक तरफ तो मार्किट कमेटी है, तो दूसरी तरफ बिजली बोर्ड का कार्यालय है। वह जमीन दोनों के लिए 1964 में इकट्ठी ऐक्वायर की गयी थी तथा इन दोनों विभागों के बीच में तीन कनाल जमीन बच गयी थी।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, यह रात तो पहले भी आ चुकी है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, नहीं, पहले नहीं आयी है। पहले जो बात आयी थी, उसका तो मुआवजा मिल चुका है लेकिन यह नई बात है। यह तीन कनाल जमीन इन दोनों विभागों के बीच में पड़ी थी, जहां पर जिला टैम्पु युनियन का कार्यालय और ठेले भी लगते थे। यह जमीन पार्क के लिए थी। इस तीन कनाल जमीन की रजिस्ट्री अभी पिछले सप्ताह इनके परिवार के दुकान वाले लोगों ने अपने नाम करवाई है, जिस की कीमत तीन करोड़ रुपये है। आप भी चाहें तो इसका पता कर सकते हैं। स्पीकर सर, आज हरियाणा प्रदेश में सारी सम्पत्ति को लूटा जा रहा है।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपका टाईम समाप्त हो चुका है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरी आपसे सबमिशन है कि मैं जल्दी ही कन्कलूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, अब आप बैठिये। अब डांगी साहब, बोलेगे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे थोडा समय बोलने के लिए और दें। सर, मैं अभी कन्कलूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपने तो बोल लिया, क्या आप नहीं चाहते कि और मैम्बर साहेबान बोलें। इसका मतलब यह हुआ कि आपको नेम करना पडेगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अब आप नेम का शब्द ही निकाल दें। आप हमारे राइट के कस्टोडियन हैं (शोर)आपसे निवेदन है कि आप मुझे कन्क्लूड करने के लिए थोड़ा सा समय दे दें।

श्री अध्यक्षः आपको सिर्फ दो मिनट का समय और दिया जाता है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, झज्जर के अंदर आई० टी० आई० के लिए जमीन ऐक्वायर की गई। बारह एकड़ जमीन ऐक्यायर हुई और बारह नोटीफिकेशन हो गए, और 14 नवम्बर को वहां कौन जाते हैं? वहां कांग्रेस (आई)के प्रधान और मुख्य मंत्री जी के प्रैस सेक्रेटरी जाते हैं और उनके साथ आई० टी० आई० मिनिस्टर भी जाते हैं, उनका वहां पर प्रौपर्टी डीलर स्वागत करते हैं। इन प्रौपर्टी डीलरर्ज ने वहां उसी आई० टी० आई० वाली जमीन पर मिट्टी भरवा ली, सड़क बनानी शुरू कर दी, कालोनी काटनी शुरू कर दी और उनको कहते हैं कि यह जमीन तो हमारे लिए कालोनी काटने के लिए छोड़ दो। जमीन छोड़ने का ऐलान प्रौपर्टी डोनर्ज के हक में कर दिया। स्पीकर सर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या स्मैल आ रही है इसके अंदर से? कांग्रेस के

प्रधान वहां हों, चीफ मिनिस्टर के प्रैस सेक्रेटरी वहां हों तो न जाने कितना गिव एण्ड टेक किया होगा। लाडवा का किला भी नहीं बख्शा स्पीकर सर, इतनी पुरानी बिल्डिग थी, उसे सिर्फ 65 हजार रुपये में लुटवा दिया। इतने बडे–बडे दरखत वहां खड़े थे कि एक एक दरखत की कीमत 65–65 हजार रुपये रही होगी, उसको भी इन्होंने बिकवा दिया। स्पीकर सर, कैथल का जिक्र मैं अपनी जुबान से नही कर सकता। रात को आए जैसे लुटेरे आते हैं, तीन दुकानों की छत फाड़ी, छत फाड़कर सामान उठा लिया और वही के मंत्री ने केस लेबर के खिलाफ दर्ज करवाया। केस तो मत्री के खिलाफ रजिस्टर होना चाहिए था, न कि लेबर के खिलाफ। दूसरे मंत्री ने क्या किया है, अपने ही इन लाज के नाम म्यूनिसिपल कमेटी की अन अथोराइज्ड लैण्ड, मार्केटिंग कमेटी के पीछे, अपने इन लॉज की दुकान के पीछे, पांच दुकानों पर कब्जा कर लिया है और सात म्युनिसिपल काउसिलर अब तक भटक रहे हैं और इनकी जान को रो रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आज यह अविश्वास का प्रस्ताव पास होना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के लोग इनसे छुट्टी पा सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः वीरेन्द्र सिंह जी, चौधरी अमर सिंह जी, आप बैठ जाइए। पहले श्री आनन्द सिंह डांगी को सुन लें।

लोक निर्माण (भवन तथा सक्के)मन्त्री (श्री आनन्द सिंह डांगी): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके नित बहुत–बहुत धन्यवाद। आज विरोधी पार्टियों की तरफ से

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सामने बैठे हुए लोगों की हरकतें इस विधान सभा में चल रही हैं, यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े दुख की बात है। जनता जिन बातों को लेकर अपने हितों के लिए नुमाइन्दगी देकर यहां लोगों को भेजती है, फिर वो लोग यहां आकर अपनी लाइन से हटकर दूसरे ढंग की बातों में जाकर इस विधानसभा की गरिमा को एक किस्म से धब्बा लगाते हैं, यह बड़े शर्म की बात है। आज जो अविश्वास का प्रस्ताव यहां लाया गया है, यह कई बार ये लोग यहां ऐसा कर चुके हैं लेकिन हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि सारी की सारी बातें निराधार होती हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि समाजवादी जनता पार्टी के लोगों के साथ–साथ चौ० बीरेन्द्र सिंह एवं राम बिलास शर्मा जी जैसे सीनियर नेता और हरियाणा विकास पार्टी के जितने भी महानुभाव हैं, इनको प्रदेश की हर हालत का हर गतिविधि का पता रहता है कि कितने अच्छे दंग से यह सरकार चल रही है, कितने अच्छे ढंग से चारों तरफ प्रगति के कार्य हो रहे हैं इस लिए इनको चाहिए कि वे सरकार के साथ अपने आपको जोड़कर, अपने आप को मिलाकर चलें। आज जो लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में कुंए, उनसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन लोगों से पीछे हट जाए, क्योंकि चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने तो इनको पिछली बार देख लिया है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे इन लोगों को छोड़कर एक सही लाईन पर इस प्रदेश की जनता के हित के लिये तथा इस प्रदेश के विकास के लिये बात करें ताकि जिन लोगों ने विश्वास देकर हमें यहां पर

भेजा है, उनकी सही बातों को हम यहा पर रख सकें और उनके हित के बारे में विचार किया जा सके। मैं हाउस के सभी साहेबान को बताना चाहता हू कि जब मेरे भाई सम्पत सिंह ने राज किया, मैं इनको इस बात के लिये मुबारिकवाद देता हूं कि जो चार सोल इन्होंने राज किया और जो कर्म इन्होंने किये, जो जुल्म अत्याचार, हत्याएं ..... किये, जितना जो कुछ भी किया, इन्होंने सारे का सारा इस विधान सभा के पटल पर रख दिया। (व्यवधान व शोर)अध्यक्ष महोदय, यह एक घंटा तक बोल चुके हैं, अब इनको बोलने का कोई अख्तियार रही है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आप देखिये इन्होंने अभी क्या कहा है? इन्होंने यह कहा है कि हमने .... किये। ऐसा शब्द रिकार्ड पर नही आना चाहिये।

एक आवाजः इन्होंने ऐसा कुछ नही कहा है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, बेशक आप रिकार्ड चौक करवा लीजिये। इन्होंने यह कहा है कि इन्होंने अपने राज मैं यह–यह किया। (व्यवधान व शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, मैंने तो, इनके राज में जो कांड हुए हैं, उनको उजागर किया है। (व्यवधान व शोर)

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, the words spoken by Shri Dangi are unparliamentary. आप रिकार्ड

निकलवा कर देख लें इन्होने यह कहा है कि इन्होंने .... किये हैं। आप बेशक बैठकर टेप सुन लें।

श्री अध्यक्षः अगर कोई अनपार्लियामैंट्री बीत कही गई है .... उसको निकाल दिया जाये।

श्री आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, मैं एक बात तो यह कहना चाहता हू कि जब भी विधान सभा का सैशन चले तो डाक्टर का इन्तजाम जरूर होना चाहिये क्योंकि इन लोगो को कुछ करंट सा लगता है, जिससे इनकी नसें फटने को हो जाती हैं। इसलिये हमारे यहां पर डाक्टर का इन्तजाम जरूर होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय,

यह बात हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जनता के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि सामने बैठे हुए लोगों को उसने चुन कर यहां पर भेज दिया क्योंकि यह जनता को हर बार बड़ा दुःखी करते हैं, हर तरह से जनता को गुमराह करते है। कभी कानून और वय्वस्था की बात करते हैं, कभी किसी की हत्या की बात करते हैं लेकिन यह कभी नहीं कह सकते कि गवर्नमैंट ने यह काम अच्छा किया है। (व्यवधान व शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, इनका यह कहना गलत है कि जनता ने हमें दुर्भाग्य सै भेजा शै। जनता कभी दुर्भाग्य से नहीं भेजती। (व्यवधान व शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि ये सोलह के सोलह अस्तीफा दे दें और दुबारा इलैक्शन लड़ लें। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि शासन में आए दिन हत्याएं होती हैं, जमीनों पर नाजायज कब्जे होते है और बलात्कार के केस होते है। बड़े गजब की बात है कि प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार हो, उसी पार्टी का मुख्य मन्त्री हो और उसी मुख्य मन्त्री के घर में उसी की पुत्र वधु का कत्ल कर दिया जाए (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। अध्यक्ष, महोदय, सम्पत सिंह ने जितनी बातें हाउस में कहीं, उनमें से एक बात भी सच्ची नही कही लेकिन हम इनको आराम से सुनते रहे। अध्यक्ष महोदय, एक घंटे तक इनकी बातों को जिनमें कोई सार नही था, हमने आराम से सुना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैने सम्पत सिंह जी को कह भी दिया था कि आप सारी बातें सुनकर जाना।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इस तरह की बातें ये जानबूझ कर कर रहे हैं ताकि इनको नेम करना पड़े। (शोर एव व्यवधान)चौधरी देवी लाल के घर में कत्ल हो गया कग यह गल्त है? (शोर एवं व्यवधान)जो एक चीज हुई है वही इन्होंने कही है।

प्रो० सम्पत सिंहः आपके घर में आपके साले का कत्ल हुआ था....... (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अगर यह साबित हो जाए कि मेरे घर में कल्प हुआ था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, इन की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कानून और व्यवस्था खराब है, मुख्य मन्त्री के राज में कहीं शांति नहीं है और जनता सुखी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है और यहां के लोग पढ़े लिखे हैं। उनको इस प्रदेश का मूख्य मन्त्री, जिसको ये लोग अपना लीडर मानते हैं और सब कुछ मानते हैं, यह कहे, अपनी जनता को यह कहे कि मैं आपके हाथ कटवा दूगा, टांग तुड़वा दूंगा और अपना जैसा बनवा दूगा, अगर मेरे कहने के अनुसार नहीं चलोगे, तो यह कितने शर्म की बात है। स्पीकर साहब, आज चारों तरफ अमन है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटनों नही हो रही है। अगर कोई आकस्मिक घटना हो भी जाती है तो वह दूसरी बात है। सरकार इन आकस्मिक घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न भी करती है। आज सरकार को और इस प्रदेश के लोगों को इस बात का गर्व है कि प्रदेश में चारों तरफ अमन है और किसी तरह का कोई डर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रदेश कीं मुख्य मन्त्री यह कहे कि उस मुख्य मन्त्री के नाम मे या किसी व्यक्ति विशेष के नाम हे हजारों सोते हुए आदमी चारपाई से न गिर पड़े वह कैसी मुख्य

मन्त्री है। आप देखेंगे कि आज चारों तरफ अमन है, किसी तरह की दिक्कत नही है। आज स्टेट में चहुंमुखी विकास के कार्य हो रहे हैं। (विघ्न) जो व्यक्ति जैसा सीखता है या जैसा उपको सिखाने वाला होता है, उसकी भी वही हरकत होती है। केवल इस तीन दिन के सैशन में ही नहीं बल्कि पिछले जितने भी सैशन हुए, उनमें इन्हेंने अपने गुरु और गौड फादर के कहने पर जो हरकतें की, वह किसी से छिपी हुई नही हैं। ये किसानों का नाम ले कर जनती के सीथ धोखा कर रहे हैं, किसानों की बात कह कर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये कहते है कि आज की सरकार ने खाद और बिजली का रेट बढा दिया। मुझे उस समय की बात याद है, जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो तीन बार बिजली के रेट बढ़ाए गए थे। इस बारे में न तो कोई बात सैशन में लाई गई और न ही लोगों को विश्वास में लिया गया। लेकिन आज सारी बातें जनता के सामने बताई जाती है। हम मानते है कि खाद के भाव बढ़े है और डी० ए० पी० के भाव ज्यादा बढ़े हैं। ये लोग उसको एक मुद्दा बना कर लोगों को गुमराह करके कहते हैं कि खाद को हाथ मत लगाओ। मैं इनको बताना चाहता है कि सरकार, जो किसानों को उनकी जिन्स का भाव देने जा रही है, उसको हिसाब लगा कर देखें तो पर एकड़ में किसान को पांच सौ रुपए का फायदा होता है। एक एकड़ में कम से कम 13 क्विटल गेहूं पैदा होती है। पिछले साल गेहूं का भाव 280 रुपए था और अब की बार सरकार 320 रु० करने जा रही है। इसमे किसानों को सवा पांच सौ रुपए पर एकड के हिसाब से आमदन होगी। यानी

किसान सौ रुपए फालतू देगा और सवा चार सौ उसको फालतू मिलेगे। ये कहते हैं कि न खाद डालो, न खेती करो। इन्होंने कहा कि कल किसान यहां पर अपनी बात करने के लिए आए थे। वे बात करने के लिए नहीं आए थे बल्कि आप लोगों द्वारा गुमराह करने पर आए थे। ये प्रदेश की जनता को तबाह करने के लिए वही पुराने इरादे बनाने जा रहे हैं। लोगों को इनकी बातों में आक र गुमराह' नहीं होना चाहिए। फिर ये कहते है कि भूमि पर नाजायज कब्जे हो रहें हैं। पीछे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रगति यावा हुई। उस वक्त इन्होंने कहा था कि यह कोई यात्रा नहीं है, बल्कि ये तो खाली जमीन ढूंढ रहे हैं ताकि उस पर नाजायज कब्जे किए जा सकें। स्पीकर साहब, पिछले चार साल के राज में. अगर इन्होंने कहीं पर कोई शमिलात जमीन या खाली जमीन छोड़ी होती, तभी हम कब्ज करते। इनके राज में तो ऐसा भी होता था कि कोई भाई, अपने मकान को ताला लगा कर किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला जाती था तो वापिस आने पर उसकों यह यकीन नहीं रहता था कि मेरा घर खाली मिल जाएगा या नहीं।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। मंत्री जी कहें रहे हैं कि कब्जा करने के लिए खाली जमीन बची हो तो ये कब्जा करें। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी की स्टेटमैंट में कितना दम है। इन्होंने बार बार कहा है कि 95 परसैंट नाजायज कब्जे हटा लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि

अगर 95 परसैंट कब्जे हटा लिए तो इनको कब्ज करने की छूट मिल गई। मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूगा कि वे कौन से 95 परसैट नाज कब्जे थे जो हटा लिए गए, उनके बारे मे व्हाईट पेपर जोरी करे।

श्री आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जैसा आदमी क्या प्वायंट औफ आर्डर करेगा? इनको सारी दुनिया जानती है। सम्पत सिह बागडू की चार एकड़ जमीन का मालिक था।

श्री रामपाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस में प्वायंट औफ आर्डर रेज करने के लिए प्रोवीजन किया हुआ है। उसका यह मतलब नहीं है कि प्वायंट औफ आर्डर का सहारा ले कर स्पीच करनी शुरू कर दी जाए। मेरी आपसे प्रार्थना बै कि ऐसा कोई प्वायंट औफ आर्डर रिकार्ड में नही आना चाहिए जिसका कोई मतलब ही न हो। मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहूंगा। इस बारे में आपका क्या फैसला है।

श्री अध्यक्षः यदि कोई प्वायंट औफ आर्डर नही बनता होगा वह प्वायंट आफ आर्डर नही समझा जाता।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यदि मुख्य मंत्री जी कोई प्वायंट औफ आर्डर करे तो वह रिकार्ड पर रहेगा और हम करते हैं वह रिकार्ड पर नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्षः मैने यह कहा है कि अगर कोई प्वायंट औफ आर्डर नहीं बनता तो वह प्वायंट आफ आर्डर नहीं समझा जाता है।

श्री आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जैसा आदमी करप्शन की बात करता है। कहता है कि आज की सरकार में करप्शन है। ये अपने समय की बात भूल गए। ये बागडू की चार एकड़ जमीन के मालिक थे। आज हिसार में इनकी 50 लाख रुपए की कोठी बनी हुई है। वह पैसा कहां से आया था। वह सारी जनता के सामने है। फिर ये इस सरकार पर यह लांछन लगाएं कि यह सरकार करप्ट है। अगर कोई भी आदमी इस सरकार में करप्शन की बात साबित कर दे तो उस बात के लिए हम जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एस० वाई० एल० नहर की बात है। वह नहर अब तक क्यों नहीं बनो? उसको बनाने का हक तो चौधरी देवी लाल और चौधरी सम्पत सिंह को था। इन्होने जनता को विश्वास दिलाया था कि उस नहर को बनाएंगे। उस विश्वास के सीथ हरियाणा प्रदेश की जनता इनके साथ लग गई और मैं भी उसमें शामिल था। राज गद्दी पर बैठने के बाद ये लोग सारी बातों को भूल गए। यह रिकार्ड की बात है। चौधरी देवी लाल अढ़ाई साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और उसमें सम्पत सिंह होम मिनिस्टर रहा, आई० पी० एम० भी रहा और उसके बाद चौधरी देवी लोल 14 महीने तक देश के उप–प्रधान मंत्री रहे। आप लोग मुझे यह बता दें कि उन्होंने कभी भी रेडियो पर, टी० वी० पर या अखबारों में एस० वाई० एल०

नहर को बनाने की बात कीं हो। इन्होंने लोगों को धोखा दिया। लोगों को हर तरह से तबाह करने की कोशिश की। जो लोगों के सीथ धोखा करते हैं, उनका वही हाल होता है जो आज सामने बैठे भाइयों का हो रहा है। (शोर)ये कह रहे है कि एस० वाई० एल० नहर पर कोई काम नही हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में 7 मीटिंगें सेन्टर के साथ को हैं। यदि नहर नहीं बनी तो इनके कारनामों की वजह से नहीं बनी। पीछे इनका पांच साल तक रजि रहो, उस समय क्या करते रहे? (शोर)मैं भी पहले इनके साथ था। इनके कारनामों की वजह से ही मुझे इनको छोड़ना पड़ा। बाद में मुकाबला करके, हिम्मत करके मैं यहा पर आया हूं। सम्पत सिंह जी, मैं फिर कहता हूं कि जो लोग जनता के साथ विश्वास घात करते हैं या धोखा देते हैं, उनका हाल वही होता है जो आप लोगों का हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात इनकी तरफ से यह कही गई कि हिसार मे प्रैस रिपोर्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या उस समय की बात को ये भूल गए जब महम के बाई–इलैक्शन के समय खुद ओम प्रकाश चौटाला मुख्य मंत्री एक महिला प्रैस रिपोर्टर को धक्के मारता है? क्या उस समय को ये भूल गए जब इन्होंने उन घटनाओं की जानकारी लेने वाले पत्रकारों के साथ बदसलूकी की थी? (शोर)यह मामला न्यूज ट्रेक पर दिखाया गयी था और सारी दुनिया ने देखा भी था (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चौटाला साहब के काल में, उनके मुख्य मंत्री रहते हुए, किसी महिला पत्रकार को धक्के मारे, यह सरासर गलत कह रहे हैं। (शोर)मैं इनकी बात बताना चाहता हूं कि जनसत्ता अखबार में लिखा है कि तेलू राम की विधवा पत्नी को, जो 50 हजार रुपये मिलने थे उसको डांगी देने नही दे रहा, जबकि वहां के डी० सी० साहब के पास पैसे पहुंच चुके हैं और वे पैसे सैक्शन भी हो चुके हैं। लेकिन इनकी वजह से वे पैसे आज तक उस विधवा औरत को नहीं मिले, जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। (शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगीः मेहम में जो लोग मारे गए थे, वे इन जालिम लोगों की गोलियों से मारे गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? वह कहती है कि वहां पर गोलियां मिस्टर आनन्द सिंह डांगी के सपोर्टर्ज की तरफ से चलाई गई थी। (शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगीः सी० बी० आई० की इन्क्वायरी चल रही है। उस रिपोर्ट से पता चल जायेगा कि किसने क्या किया। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इनके बोलने का तरीका ठीक नहीं है, यह हरियाणा विधान सभा है, डांगी साहब मदीना की चौपाल में नहीं बोल रहे हैं। (विघ्न एव शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर सर, हमारे माननीय अपोजीशन के लीडर चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि आनन्द सिंह डांगी मदीना की चौपाल में नहीं बोल रहा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आनन्द सिंह डांगी आज हरियाणा विधान सभा में बोल रहा है और अपने दम पर बोल रहा है। इनके लीडर चौधरी औम प्रकाश चौटाला, जो कहते थे कि आनन्द सिंह डांगी को विधान सभा का मूंह नही देखने दूंगा, आज वही आनन्द सिंह डांगी यहां विधान सभा में दनदना रहा है और हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल के मन्त्रि मण्डल में पी० डब्ल्यू० डी० मन्त्री है, लेकिन चौटाला साहब आज न जाने कहां ठोकर खा रहे हैं। जब वे मुख्य मन्डी थे तो किसी को कुछ नही समझते थे। जो व्यक्ति मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठकर जनता को भूल जाता है, उसके साथ वही होता है जो चौधरी औम प्रकाश चौटाला के साथ हुआ है। स्पीकर साहब, जब वे कुर्सी पर थे तो कहते थे कि मैं भगवान को नहीं मानता। बड़े गजब की बात है, जो व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता हो तो फिर वह किस को मानता है? अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी माननीय भाई सतबीर सिंह कादयान ने 50 हजार रुपये की बात कही। 50—50 हजार रुपये तो हमने अपनी तरफ से उन सभी भाईयों को दिये हैं जो वहां शहीद हुए थे। मुख्य मन्त्री जी की वहां सभा थी, मैंने मुख्य मन्त्री जी को कहा था कि 50—50 हजार रुपये इनको दे दें, मैं आपको वहां से दे दूंगा। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यहां से ले कर चलेंगे, वहां से तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सी० एम० साहब, आप मेहम जा

रहे हैं, मैं आपको अपने पास से 50 हजार रुपये दे दूंगा। 50 हजार रुपये मैंने अपने पर से निकाल कर सी०एम० साहब को दे कर उनको दिया था। 50 हजार रुपये तो क्या, मैं एक लाख रुपए और भी दे दूंगा। (विष्य)ये रुपए उनको मिलेगे। आनन्द सिंह डांगी वह शख्सियत है जो पैसे को ठोकर लगाता है। आज अगर आनन्द सिंह डांगी विधान सभा में खडा है तो उसकी एक ही चीज है, और वह है ईमानदारी। मेरी ईमानदारी के बारे में कोई भी शख्स एक पैसे के लिए भी उंगली नहीं उठा सकता। (विध्न)वह मेरा काम है, मेरे हल्के की बात है तुम बीच में दखल देने वाले कौन होते हो? (विघ्न एवं शोर)।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर सर, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है (विघ्न एवं शोर)स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो दूसरे लोग हैं, उनको भी बोलना है। सम्पत सिंह जी, हमने दस्तखत इसलिए किये थे कि हम् लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और हम लोग भी बोल सकेंगे। आप तीनों बीच में खड़े हो कर बोलते चले जा रहे हौ (विघ्न एवं शोर)क्या मैंने कोई गाली दी है? आप लोगों ने एक–दूसरे को गालियां दीं और अब बीच में खड़े हो कर हाउस का टाईम खराब कर रहे हैं। हाउस का जो टाईम खराब हो रहा है, उस पर हमारा भी हक है। (विघ्न एवं शोर)हमारे सनी मैम्बर चाहते हैं कि सबको बोलने का मौका मिले (शोर त्वं व्यवधान)।

श्री आनन्द सिंह डांगीः बहन जी, मै आपकी बात पर अमल करुंगा। अध्यक्ष महोदय, भजन लाल सरकार 100 रुपए पैशन बूढ़ों को देती है जो बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति तो पूर्ण होता है लेकिन वह आदमी है, उसने देवी लाल जी से कहा था कि पिता जी, आजकल हर चीज में लिया जाता है। अगर किसी को कुछ चीज दी जाती है तो उससे कुछ लिया भी जाता है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बिछल गलत है।

श्री आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, इस बात की सारी सभा गवाह है। गैलरी में बैठे हुए लोग, सारे विधान सभा के सदस्य और सारे प्रैस वाले इस बात के गवाह हैं कि चौधरी देवी लाल हर बूढ़े से 100 रुपए के मनीआर्डर में से 10 रुपए का मनीआर्डर वापिस मंगवा लेते थे। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी पर छोड़ देते हैं, वे बतायेगे कि क्या यह बात नहीं हुई है? (शोर एवं व्यवधान)।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह सब एक्सपंज होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, जो कुछ भी वे बोल रहे हैं यह उनकी स्पीच है।

श्री आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल' हर बूढ़े व्यक्ति के 100 रुपए के मनीआर्डर में से 10 रुपए

वापिस मंगाते थे। आप एक महीने का हिसाब लगाएं, 80 लाख रु० बनते हैं और इनकी सरकार चार साल रही है। चार साल का हिसाब लगाया जाए लगभग चार करोड़ रुपए बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, वह पैसा कहां गया ? (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय जब तक आनन्द सिंह डागा इनके साथ रहा, तब तक ये ठीक रहे और जब इनका साथ छोड दिया तो ये किनारे पर लग गए।

अध्यक्ष महोदय, गन्ने के बारे में तो सम्पत सिंह का यह भो नहीं पता है कि गन्ना कैसे उगता है क्योंकि ये ऐसी ही धरती में पैदा हुए हैं। इन्हेंने गन्ने को चूस कर ही देखा होगा। अगर गन्ने का रेट देखा जाए तो आज 50 रुपए पर क्विटल मिलता है। अगर कोई किसान मिल के गेट गर गन्ना ले आता है तो उसे 3 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः क्या 3 रुपए में कैरेज हो जाएगा?

श्री आनन्द सिंह डांगीः हम 15 किलोमीटर पर 3 रुपए के हिसाब से देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से और भी कई बातें आई और ये कहते चले गए जो कि बड़े ही खेद की बात है। हमें कम से कम जिम्मेवारी के साथ इस विधान सभा में कोई बात कहनी चाहिए। लोग हमें विधायक चुन कर भेजते हैं और हमें लोगों की भलाई की बात ही यहां पर करनी चाहिए। लेकिन ये लोग गलत बातें कर के किसानों को तबाह करना चाहते हैं। मेरी पूरे प्रदेश के किसानों से प्रार्थना है कि इस तरह से इनके झांसे

में न आयें। अपनी आजीविका कमाने के लिए पूरी लगन से अपनी खेती बाड़ी करें ताकि प्रदेश की इन्कम बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव आपोजीशन के मैम्बर साहेबान और मेरे आदरणीय विपक्ष के नेता सम्पत सिंह की ओर से रखा गया है, मैं इसका हर तरह सै विरोध करता हू क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं कोई आधार नहीं है। ये लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं और उल्टी सीधी बातें जनता के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और हमारे जितने भी विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, की ओर से सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं माननीय अध्यक्ष जी, आज से कोई डेढ़ या पौने दो साल पहले जब लोगों ने यह देखा जो उस समय की मौजूदा सरकार थी, वह ठीक ढंग से चलती नजर नहीं आ रही है। जनता ने इन सामने बैठे हुए लोगों पर विश्वास व्यक्त किया और इतने भारी बहुमत से इनको राज सौंपा था और इनसे काफी उम्मीद भी की थी। जिस तरीके से इन लोगों ने उस समय वायदा किया था कि अगर कांग्रेस का राज आया तो लोगों को बहुत सहूलियतें दी जायेगी, हम प्रदेश में कानून और व्यवस्था को ठीक तरह से बनायेगे, गुन्डागदी को रोकेंगे, कीमतों को कम करेगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मौजूदा हरियाणा सरकार, जिसे भजन लाल एंड संस सरकार कहा जाये तो ज्यादा उचित होगा, प्रदेश में आज जिस तरह से अफरा तफरी मच रही है, चाहे कोई नौकरी का मामला हो, चाहे तबादलों का मामला हो, आज प्रदेश में एक ही आवाज निकलती है कि चन्द्रमोहन और कुलदीप से कन्ट्रैक्ट कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो तो नौकरी पक्की हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों मुख्य मन्त्री के बेटे बेशक हैं... (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरा इस बात के लिए चौलेन्ज है कि अगर एक भी आदमी यह कह दे कि भजन लाल के बेटों ने या भजन लाल के किसी भी रिश्तेदार ने फला जगह पैसा लेकर नौकरी दी है या तबादला करवाया है तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा ये फिजूल की बात करते है। जिस बात का कोई सिर पांव न हो, उस बात को नही कहना चाहिएं। मैं आपसे अनुरोध करता हू कि आप सदन के पांच आदमियों की एक कमेटी बनाएं जिसमें दो मैम्बर इनकी पार्टी के एक चौ० वीरेन्द्र सिंह, एक राम बिलास शर्मा और एक पीरचन्द जी हों। अध्यक्ष महोदय, अगर ये पांचों आदमी यह कह दे कि भजन लाल के बेटों ने फलां जगह पैसा लेकर तबादला भी करवाया हो, नौकरी की तो बात ही छोड़िए, तो मैं यह अनाउस करता हूं कि मैं इस्तीफा देकर अपने घर चलीं

जाऊंगा। दलाल साहब, आपको घटिया बात कहतें हुए ....
....

श्री कर्ण सिंह दलालः ....

श्री राम रतनः ....

चौधरी भजन लाल स्पीकर सर, मैं इस बारे तो चौलेज करके कह रहा हूं कि इसमें अगर सच्चाई होगी तौ में इस्तीफा दे दूगा।

श्री अध्यक्षः दोनों तरफ से ये जो बातें चल रही हैं, इनको रिकार्ड पर न लाया जाए। कर्ण सिंह जी, आप भी टू दि प्वायन्ट बोलिए। राम रतन जी आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे 1991 में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, मै दावे से कह सकता हू कि पूरे प्रदेश मे उस वक्त के हालात को देखते हुए पब्लिक सोच रही थी कि किसकी सरकार को लाया जाए। मेरे नौजवान भाई का आनन्द सिंह डांगी जी, जो अभी–अभी स्टेटमैंट दिए जा रहे थे, वो एक बात भूल गए जब 30–35 विधायकों ने कहा था कि लोगों, हमे वोट दो, अगर कांग्रेस का राज आया तो हम भजन लाल को मुख्यमत्री नही बनाएंगे। मैं तो यह कहूंगा कि अपना जमीर बेचकर ये लोग पैसा कमाने के लिए बैठे है (शोर एव व्यवधान)

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर सर, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है। अभी मेरे भाई कर्ण सिंह दलाल ने यह कह दिया कि ये लोग सदन में बैठे है, पैसों कमाने के लिए अपने आप को बेच बैठे है तो यह टोटली अनपार्लियामैंर्न्ट्रा बात कही है। हम रही समझते थे कि ये लोग इस स्तर तक नीचे आ जाएगे (शोर एवं व्यवधान)यदि नो–कोन्फीडैन्स मोशन का स्तर इतना ही नीचे लाना है तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि इन्हें वाइंड अप कर देना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, हम भी इनकी तरह से चुनाव लड़कर आये है। आपको याद होगी। जब यह देश अग्रेजों का गुलाम था, उस समय किसी बात की आजादी नही थी। आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी। जो हजारों लाखों लोगों ने अपनी जाने कुर्बान की और नौज वानों ने फांसी के फंदे चूमें, वह इसलिए चूमे थे ताकि देश के अन्दर आज आये। उन्हेंने देश को आज करवाया ताकि यहां पर चुनाव हो सकें चुनावों के दौरान यहां पर तरह तरह के वायदे करते हैं और विधान सभा में आकर ओंथ लेते हैं कि हम इस देश के कानून और संविधान को मानते हुए सच्ची और सही बात करेगे। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि आज हम सब की आखों के सामने क्या हो रहा है? मुख्य मंत्री जी कहते है कि कानून और व्यवस्था है। क्या यह कोई कानून और व्यवस्था है? यह अखबार की कंटिग मेरे पास है। करनाल के ....

प्रो० सम्पत सिंहः ....

चौधरी भजन लालः ....

प्रो० राम बिलास शर्माः ....

चौधरी भजन लालः ....

श्री अध्यक्षः अब मामला क्लीयर है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हू कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है। जनता हमको भगवान की तरह देखती है। जनता चाहती है कि हम विधान सभा में जाकर अच्छे काम कर के प्रदेश का नाम०ंची करे। जनता चाहती है कि हमारे नुमाइंदे विधान सभा मे जाकर हमारे दुःख दर्द की आवाज उठाएं लेकिन आज क्सिकी आवाज उठाई जा रही है? आज मुख्य मंत्री कैसे कहते हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मुख्य मन्त्री जी ने एम०ल०एज० से उनकी आय के साधन पूछे हैं कि उनकी कितनी जायदाद है, कितना बैक बैलेन्स है? क्या इन्होंने मन्त्रियों से पता किया है कि उनके पास कितनी प्रोपर्टी णै और कितना पैसा है? मन्त्री बनते ही कार और कोठी बन जाती है और अन्धाधुन्ध पैसा आ जाता है।। इन्हें लोगों के दुख दर्द का ख्याल नहीं रहता। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रहा है कि किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाएं, किस तरीके से अपनी एक विशेष जाति को फायदा पहुंचाया जाए। आज मुख्य मन्त्री जी ने हाउस में बताया कि इन्होंने प्रदेश में नौकरियों का बड़ा अच्छा

सिलसिला चलाया है। मै दावे से कह सकता हू कि पूरे प्रदेश में किसी को कोई नौकरी नही दी गई। अध्यक्ष महोदय, पुलिस में आज तक जो भरती होती रही है चाहे कोई भी मुख्य मन्त्री रहा हो, चौटाला सरकार के समय में चाहे कितना ही भ्रष्टाचार क्यों न रहा हो, लेकिन भरती हमेशा जिला मुख्यालय पर हुई है। आज हिसार में चौधरी भजन लाल के घर पर भरती होती है। आए दिन सौ दो सौ सिपाहियों की भरती होती है (शोर)अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे साथी यह कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री और अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आज प्रदेश में जितनी भी नौकरिया दी गतु णै, उन पर एक व्हाइट पेपर इशू करें। अध्यक्ष महोदय, यह वह प्रदेश है जिसने भारत की आजादी से लेकर सैकिण्ड वर्ल्ड वार के जमाने तक, इस धरती पर अगर कोई जवान शहीद हुए तो हमें इस बात का गर्व है कि हरियाणा के जवानों ने अपनी जानें फूकने की कसर नही छोड़ी। इस देश और प्रदेश की आजादी के लिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो आजादी का नपना था, वह ठीक तरीके की कानूनी–व्यवस्था और उम्मीदों मे था। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंजी जी अभी कह रहे थे कि उनके लड़कों का किसी भी केस मे कोई दखल नही। मैं इन्हें बताना चाहता हू कि फरीदाबाद की ट्रक यूनियन, फतेहाबाद कीं ट्रक यूनियन और रतिया की ट्रक यूनियन में सरदारों की दाढ़ियों को पकड़ पकड कर ऐसे उखाड़ा गया जैसे खेत से चना उखाड़ते हैं। क्या इन्साफ है यह, इसी तरीके से मैं दावे सै कह सकता हूं कि फरीदाबाद के

विधायक अपनी छाती पर हाथ रख कर कहें कि वहां की ट्रक यूनियन से 6 लाख रुपया महीना इन के परिवार को नही आता? यह जो सामने दीवार पर लिखा है इसको ये खुद भी पढें। (शोर)

चौधरी भजन लालः मैं फिर चौलेजं करता हूं कि इस बारे में हाउस की कमेटी इन्क्वायरी कर ले। इन्कवायरी रिपोर्ट के आधार पर या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या ये दे देगे। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः मुझे मजूर है। अध्यक्ष महोदय, हर एक सरकार में एक नियम है। अगर मुख्य मन्त्री की नीयत प्रदेश के लोगों के प्रति ठीक है तो जिस तरह से और प्रदेशों में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है, क्यों नही मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा मे लोकायुक्त नियुक्त करवाया? अगर कही भी भ्रष्टाचार का आरोप है इनके खिलाफ, इन के बेटे के खिलाफ, इनके विधायक के खिलाफ या इनके किसी मन्त्री के खिलाफ, तो इस प्रदेश के लोगों को यह हक हो कि वे लोकायुक्त के यहां दर्खास्तं दे सकें कि जनाब, आपके प्रदेश में फलां मुख्य मंत्री, मन्त्री, विधायक या फलां अफसर इतना पैसा मांग रहा है 1 अध्यक्ष महोदय, आज यहां प्रजातन्त्र है। मैं दावे से कह सकता हूं कि यह बैठी हुई अफसरशाही इन मन्त्रियों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे कानून और पालिसिंज बनाते हैं कि इनके एयर कंडीशन्ड कमरों में इन को गरमी की हवा न लगे और इन मन्त्रियों कें जो अनाप शनाप काम हैं, उनमें रुकावट न आए। क्या ऐसा करके ये लोगों की भलाई करते हैं? जिला मुख्यालय पर आप कमी जाए? डिप्टी

कमिश्नर से मिलने के लिए, उसको ऐसे मिलना पड़ता है जैसे अंग्रेजों के वायसराय से मिलने जा रहे हों। यह प्रजातन्त्र है, क्या इसीलिए इस देश को आजादी मिली थी? नौजवान नौकरियों के लिए मेहनत करें, पढ़ाई करें और खेल कूद में हिस्सा लें। चाहिए तो यह कि उनकी उस पढ़ाई का और डिग्री का ध्यान रखा जाए। एक तरफ चौधरी भजन लाल अपनी जमात खड़ी किए जा रहे हैं। मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी बड़ी विरादरी है इनकी इस प्रदेश में, कितना बड़ा विश्वास इस प्रदेश के लोगों ने इनसे किया है, क्या इन के विश्वास का यही सिला है? बी– 1 की यह लिस्ट मेरे पास है। बी– 1 के कम से कम 50 नंबर पास होने के लिए जरूरी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 10– 10 नंबर के बिशनोई पास करके उस में ले लिए। (शेम शेन की आवाजें)इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चुनावों के प्रचार में एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आई तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। डांगी साहब बड़े विश्वास के साथ एक बात कह रहे थे कि पैन्शन दी जाती है, कितनी पैन्शन दी जाती है, हमें तो पता नहीं इतना जरूर पतों है कि आए दिन हर गांव से 20,30 और 40 आदमियों की लिस्ट काट कर भेजी जाती है और कहा जाता है कि इनको पैन्शन देंगे। इनके मन्त्री अधिकारियों में इस बात का प्रचार करते हैं कि किसी भी तरह से आप लोगों को डिमोरेलाईज करें और इस पैन्शन की स्कीम से हटाएं। मैंने आपके सामने कल भी यह बात कही थी और आज भी कहता हूं कि इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी पैन्शन देने में

सक्षम नहीं है। इनको भी यह बयान दे देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कल भी कही थी और आज भी कहता हूं कि एक तरफ तो सरकार के पास पैसे का अभाव है और दूसरी तरफ सरकार ने दुनिया भर की कारपोरेशंज बना रखी हैं। एक आदमी जो दसवीं कलास पास नहीं कर सकता, उसको आई०ए०एस० आफिसर के०पर कारपोरेशन का चेयरमैन बना रखा है और वह इसलिए बना रखा है ताकि वह मुख्यमंत्री जी की जय बोलता रहे। ये लोगों का क्या भला करेंगे, इनको इस कुर्सी पर बैंठने का क्या हक है? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पैसे की किल्लत है लेकिन मुख्यमंत्री जी अमी एस०टी०सी० से 22 लाख रुपए की कार ले कर आए हैं। ये खुद बुलटप्रूफ कार में चलते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि उस बुलटप्रूफ कार में बैठ कर. कौन चलेगा?

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में एच०एम०एल० (विघ्न) एक कारपोरेशन, एक संस्था है जो हरियाणा में काम करती है। एक विधायक को खुश करने के लिए एक कार, एक पी०ए० और ड्राईवर देने के लिए उसका चेयरमैन बना दिया और उसमें क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद की जो बढ़िया जमीन जहां से रेती, बजरी निकलती है। हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी .... ने, कोई सेठी है (विघ्न) उस सेठी को वह जमीन दिलवायी। 400 लड़के बेरोजगार हुए। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (विध्न)स्पीकर साहब, जो अधिकारी यहां अपने आप को डिफैंड नहीं कर सकता उसका जिक्र नही आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ये जो चीफ सैक्रेटरी का नाम इन्होने लिया हे, उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः क्यों चीफ सैक्रेटरी का नाम निकाल दिया जाए चीफ सैक्रेटरी कोई भगवान ई?

श्री अध्यक्षः यह नाम न लिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इन्होने यह कहा कि इनके लड़के का नाम, अगर कहीं पर आ जाए तो आप बता दें। अध्यक्ष महोदय, हिसार के शेर सिंह गोदारा, चौधरी वीरेन्द्र सिंह के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछें, उनकी जमीन को, हाई कोर्ट से स्टे के बावजूद, इनके लड़के कुलदीप ने अपने नाम करवा लिया और उस जमीन की एक दिन के अन्दर, तीन बार म्युटेशन ट्रांसफर करवाई गई। क्या यह सरकार चौधरी भजन लाल ने अपने घार वालों की सुरक्षा के लिए बना रखी है? सरकार जो बनती है, उसको गरीब आदमी बनाते हैं। वर्कर मरते हैं, आन्दोलन चलाते हैं। सरकार उद्योगपति नही बनाते लेकिन यह सरकार उद्योगपतियों की सेवा में लगी हुई है और चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और गरीबों के अन्नदाता बनते हैं। जनाब के पेट में कीड़े हो गए।

ईलाज कराने कहां गए, इंगलैन्ड, इटली और यू०एस०ए० में। कारण यह बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गए। ये वहां से कितने उद्योग ले कर आए, कितना पैसा खर्च करके आए, क्यो मुख्य मंत्री जी बतायेगे?

श्री अध्यक्षः वे जा सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, क्या चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है कि वे अपने साथ पूरी बारात ले कर विदेशों में घूमते रहें? अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मेवात में जो कुछ हुआ उसकी हम सब ने निन्दा की है। इनके मिनिस्टर्ज ने वहां जो कुछ किया, उसके बारे में हमारे सारे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। वहां पर चौधरी खुरशीद अहमद जी हैं। उन्होने जिन्दगी में एक गलती कर दी कि चौधरी भजन लाल के खिलाफ इलैक्शन लड़ लिया। उसकी सजा, महसूस कराने के लिए कि तुमने भजन लाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की गुस्ताखी क्यों की, यह दी कि मेवात में जितने भी दंगे हुए, वे सारे उनके लड़के के जिम्मे लगा दिए और मुकदमें दर्ज कर दिए? इसी तरीके से आज मुझे किसी ने बताया कि करनाल में चौधरी वीरेन्द्र सिंह की पार्टी का एक व्यक्ति श्री राम किशन है, वे डी०पी०सी०सी० के मैम्बर हैं और के० आर० थियेटर के मालिक हैं। उसकी कल से लगातार पुलिस में पिटाई की जा जो है। क्या वह कानून व्यवस्था है? क्या मुख्य मंत्री ऐसी बातें करने के लिए बनाए जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, आपकी आखों के

सामने आज सुबह से मुख्य मैत्री जी किस तरह से अपोजीशन के लीडर को धमका रहे हैं और हमारी तरफ आखें निकालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम इनकी बापौदी हैं? क्या हम इनके खरीदे हुए हैं? ये आज मुख्य मन्त्री हैं कल नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को भी जनता ने चुन कर भेजा है और हमें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है (शोर)हमारी बात को आप ध्यान से सुनें। (शोर)

चौधरी भजन लालः मुख्य मंत्री हूं तभी तो सुन रहा हूं। अगर मुख्य मंत्री न हूं तो एक मिनट भी नही सुनूं। (शोर)

सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद इलियास): आन ए प्यायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं आदरणीय कर्ण सिंह दलाल से यह पूछना चाहूंगा कि जब चौधरी बंसी लाल हरियाणा के मुख्य मत्री थे और उनका राज था, तो उनके लड़के ने क्या किया था, इसको सारी जनता अच्छी तरह से जानती है। (शोर)हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। (शोर)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप बैठिए, आपका टाईम हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आपका मेहरबानी से पीछे हम हैदराबाद गए थे। वहां पर दूसरी स्टेट्स के विधायक तथा एम०पीज० आए हुए थे। उनसे हमारी बातें भी हुई थी।

उन्होंने जो बातें हमको बताई, उनको सुन कर हमारा सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने पर यानी उनकी अपोजीशन के नेता लोग यह कह रहे थे कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार है, लेकिन वही भ्रष्टाचार इस लैवल का नहीं है। वहां मास्टरों की भरती में, नौकरियों में या तबादलों में पैसा नहीं लिया जाता, हाई लैवल पर पैसा लिया जातां है जबकि हमारे यहां नौकरियों में पैसा लिया जाता है। केरल के अपोजीशन के नेता ने बताया कि उनके यहां तो टीचरों की नियुक्ति में एक पैसा भा नहीं लिया जाता। इतना हा नहीं हमारे यहां तो स्कूलों में 14– 14 टीचर हैं और बच्चों की संख्या 6–6 और 7–7 है, जबकि हमारे यहां टीचरों की कमी हमेशा बनी रहती है। ऐसी बातें सुन कर हमारा सिर शर्म से झक गया। (शोर)

श्री मनी राम केहरवालाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होने यह बात तो कह दी कि हमारा सिर शर्म से झुक गया। (शोर)उन लोगों की तरफ से हरियाणा के विकास के बारे में क्या कहा गया था, कितनी तारीफ की गई थी, उसको शायद ये कह नहीं पा रहे। उन्होने हरियाणा के विकास की काफी तारीफ भी की थी। (शोर)

श्री कर्णसिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्कूलों की छतों की बहुत बुरी हालत है। कई स्कूलों की छते गिरने जा रही हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहां पर कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिला करें। जब हम डी०आई० से या एस०पी० से मिलने जाते हैं तो वहां के

अधिकारी, जो मंत्री दौरे पर जाते हैं, उनकी आवभक्त में ही लगे रहते हैं। इन बड़े बड़े आई०पी०एस० और आई०ए०एस० आफिसर्ज की कोठियां बन रही हैं। वह पैसा कहां से आ रहा है? (शोर)मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हू कि इस के लिए जो लोग कसूरवार हैं, उनको सजा दें। यदि सजा नहीं देंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन से एक बड़ा सदन भगवान का भी है। (शोर)

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां प्रदेश की व्यवस्था इतनी खराब हो, प्रदेश के मुख्य मंत्री को, मन्त्रियों की, विधायकों को और इन सारे आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों को एक बात समझनी चाहिए कि यहां प्रजातन्त्र है, किसी राजा का राज नहीं णै और ऐसे राजा जाने कितने आए, कितने आएंगे और जोते रहेंगे, और उनके पैरों के निशान तक नहीं मिलते। यह धरती और ये लोग यहीं रहेंगे। ये लोग जो कहते हैं कि बी० एस० ओझा का नाम कार्यवाही से निकाल दो, यह समझ लें कि चौ० भजन लाल को राज्य इस प्रदेश में सारी उम्र नहीं रहेगा। जो उनकी कार्यवाहियां हैं, इन्हें इनका हिसाब देना पड़ेगा। यह क्या मतलब हुआ कि अगर चीफ सैक्रेटरी है तो उसका नाम विधान समा की कार्यवाहा में नहीं आ सकता और विधायक उसके बारे में यहां कुछ नही कह सकते? (विघन)किस बात के विधायक है, हम यहां? (विघन)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बार–बार ये वही बात करते हैं (विघ्न) मैं जवाब दे दूंगा बाद में, इन्हें बता देने दो।

श्री कर्णसिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आम आदमी इन अधिकारियों से मिलने से डरता है। डिस्क्रीशनरी कोटे के प्लाट, क्या मुख्य मंत्री को इसलिए दिए जाते हैं कि जो ग्रीन बैल्ट सैक्टरों में छोड़ा गई है, उसको भी काट–काट कर अपने रिश्तेदार और परिवार के लोगों को दे दे? इन्होंने हरियाणा का कोई जुडीशियरी का जज नहीं छोड़ा जिसको प्लाट न दिए हों, शायद ही कोई एक–दो ऐसे छोड़े होंगे। कोई हरियाणा का ऐसा अधिकारो नहीं है जो इनके गलत कामों को मानता है, जिसको प्लाट न दिए हों। क्या इसीलिए ये मुख्य मन्त्री बने थे, ब्रूट मैजोरिटी के आधार पर चाहे इनको सरकार गिरे या न गिरे, उनके विधायक और मंत्री चाहे इनका साथ बिल्कुल न छोड़ें लेकिन मेरी बात याद रखना कि यह सदन इस धरती पर हमेशा रहेगा और तुम लोग ये जो गलत काम कर रहे हो, गलत बातों में गलत आदमियों का साथ दे रहे हो, तुम्हारा भगवान और इन्सान तुम्हें इस बात की सज देगा, तुम्हें ये बातें भुगतनी पड़ेगी। (व्यवधान एवं शोर)

(इस समय मोहम्मद इलियास तथा श्री अमर सिंह बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्षः अब मोहम्मद इलियास बोलेंगे।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

(।)सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री द्वारा–

सिंचाई तथा बिजली राज्य मन्त्री (मोहम्मद इलियास): अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल ने मेरे बारे में कुछ कहा, मैं इस पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, ये क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, किस बात पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर अपनी बात कह रहे है, मैंने इन्हें इजाजत दी है। आप कृपया बैठिए। (व्यवधान)

मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने और श्री कर्ण सिंह के बीच की केवल दो बातें यहां पर ही बताऊंगा। मैं अपनी बात ओन औथ कह रहा हूं। नं०1 जब राज्य सभा के चुनाव थे तो श्री कर्ण सिंह 10 लाख रुपया ले कर मेरे पास आए थे। (शोर एवं व्यवधान)अगर मेरी यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और यदि मेरी बात ठीक है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)अध्यक्ष महोदय, ये मेरे हिन्दू भाई हैं और मैं मुसलमान हूं। यह गंगाजल हाथ में ले कर कसम खाएं कि मेरी बात गलत है। मैंने जो कहा है वह बिल्कुल सच है और मैं इसके लिए कुरान की कसम खा सकता हूं। (विघ्न एवं शोर)दूसरी बात यह है कि मैंने इनसे एक तालाब लिया था, 25 हजार रुपए में। इन्होंने न तो मुझे तालाब ही दिया और मेरे 25 हजार रुपए भी

खा गए। (शोर एवं व्यवधान)(इस समय कई सदस्य खड़े हो गए और अपनी अपनी बात कहने के लिए समय मांगने लगे)मैंने जो बात कही है उसका सबूत यह है कि जमालगढ में एक मिस्त्री से आप इस बात की पूछ ताछ कर सकते हैं। (शोर एवं विघन)यह रात को 3.00 बजे पहुंचे थे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से चौलेजबाजी हो रही है। सारे मैम्बर बार बार उठकर एक दूसरे को चौलेजबाजी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप आज हाऊस से एक रैजोल्युशन पास करवाकर इस हाउस को डिजोल्व करवा दें। जब दोबारा इलैक्शन होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Birender Singh : Whatever has been discussed between the Chief Minister and the Hon'ble Members of the Opposition about the lady constable, I want to know whether the whole portion has been expunged or still it is part of the record. If it is part of the record, I will request you that the whole chapter should be expunged.

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, बिरेन्द्र सिह ने जो कहा है वह ठीक है और हम भी चाहते है कि वह पोर्शन कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्षः वह सारे का सारा पोर्शन रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(2)श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा——

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, पता नही मैंने ऐसी कौन सी बात मोहम्मद इलियास, मंत्री महोदय को कह दी, पता नही कौन सी इनकी नस पर मैंने हाथ रखा दिया कि इनको बुरा लग गया? अध्यक्ष महोदय, मैंने सच्चाई कही है। इन्होंने जो मेरे०पर आरोप लगाया है तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उस समय मैं इनके पास दस लाख रुपये लेकर इसलिये गया था क्योँकि इनके आदमी ने यह कहा था कि मोहम्मद इलियास खां वोट लेने के लिये इतने पैसे लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)।

सिचाई मन्त्री (चौ० जगदीश नेहरा): प्वायंट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कर्णसिंह दलाल ने स्वयं यह स्वीकार कियो है कि वह रिश्वत देते हैं जो कि कानूनन जुर्म है। रिश्वत लेना या देना दोनों का नूनन जुर्म हैं। सर, यह खुद ऐडमिट करते है (शोर)।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब आप बैठिए।

मोहम्मद इलियास: सीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य ने यह तो स्वीकार कर

ही लिया कि 'मैं वहां पर गया था ''। अध्यक्ष महोदय, इनको मछलियों वाली बात भी हाउस को बता देनी चाहिये। सर, ये मुझे गरीब आदमी समझकर पैसे देने के लिये आए होंगे लेकिन इन्हें यह पता नहीं है कि जिस तरह से मेरे फादर की जमीर थी, उसी तरह की जमीर मेरी भी है, ये मुझे खरीद नहीं सकते। स्पीकर साहब, मुझे मुख्यमन्त्री जी का प्यार चाहिये इनका पैसा नहीं चाहिये। जिस जनता ने मुझे चुनकर यहां पर भेजा है, मैं उसको बेच नहीं सकता। इनको मछलियों की 25 हजार रुपये. वाली बात भी हाउस को बता देनी चाहिये (शोर एवं व्यवधान)सर, इन पर धारा 420 के तहत केस दर्ज होना चाहिए।

वित्त मन्त्री (श्री मागे राम गूप्ता): अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन का ही दौर चलता रहेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी कितना सच बोलते हैं, यह अपिने परसों हाउस में भी देख लिया होगा कि उस दिन इनकी क्या स्टेटमैंट थी और अजमत खान जी की क्या स्टेटमैंट थी। इससे पता चलता है कि यह कितना सच बोलते हैं (शोर एवं व्यवधान)

मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पूनरारम्भ)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, सुबह विरोधी पक्ष की तरफ से जब अविश्वास प्रस्ताव आया उस वक्त लिस्ट आफ बिजनैस में ऐसी कोई आईटम नहीं थी। सरकार को

भी तभी पता लगा कि सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से नो कोन्फीडैन्स मोशन लाया जा रहा है जब आपने इसे ऐडमिट किया तो मुख्यमन्त्री जी के साथ हमारी सलाह हुई कि कायदे कानून के हिसाब से आज इसका कोई महत्व नहीं है। कानून के हिसाब से भी इसका कोई महत्व नहीं और मौरल भी इसका कोई औचित्य नही था क्योंकि यह सारी बातें पिछली बार भी सरकार के खिलाफ आ चुकी थी और यह भी समझा गया था कि आज ये भाई प्रस्ताव लाने मे कितनी ही अपनी बातें कह लें इस का कोई महत्व नही है। नो कोन्फीडैन्स का महत्व तो तभी बनता है जब विरोधी पक्ष के भाई यह बात समझें कि सरकार तो इतने बड़े संकट में है, सरकार के प्रति विधायकों का विश्वास घट गया है, सरकारी पक्ष से भी कुछ वोट आ जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। (शोर)स्पीकर सर, फिर भी मुख्यमन्त्री जी से विचार विमर्श हुआ तो यह बात महसूस की गई कि प्रजातन्त्र में जहा सरकारी पक्ष का होना जरुरी है, उतना ही विरोधी पक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी अथोरिटी पर बैठा है, जिन से सरकार चलती है, उन काम करने वालों से कुछ न कुछ गल्ली तो हो ही जाती है। जिसने कुछ करना ही नहीं उससे गलती क्या होगी और उसकी चर्चा क्या होगी। अध्यक्ष महोदय, हम सबने यह फैसला किया कि हालांकि कानून के मुताबिक आज यह प्रस्ताव नही आना चाहिए था लेकिन फिर भी हमारा यह फर्ज बनता है कि हम सरकार की तरफ बैठे है और विरोधी पक्ष के भाई अगर यह समझते हैं कि सरकार से कुछ

गल्तियां हो रही हों, हमारे अधिकारियों से कुछ गल्तियां हो रही हों और हो सकता है ये गलियां हमारे नोटिस में न आ रही हों तो वे हमें बताएं और सरकार का फर्ज बनता है कि विरोधी पक्ष के भाइयों की बात को अच्छी तरह से सुनके, उनकी इंक्वायरी करे और उसको देखें। अगर मन्त्रियों से, विधायकों से, सरकार के अधिकारियों से कोई गलती हुई है तो इसकी इंक्वायरी करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करे और सुधार भी करें। (शोर एवं व्यवधान)सम्पत सिंह जी, मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी कि आप अपोजीशन के लीडर हैं। मैंने यह कहा था कि इस तरह से कभी किसी विधायक या किसी मन्त्री साथी के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाये जाते। आपने उस समय एक जलसे में बोलते हुए कोई बात मेरे बारे में भी कह दी। मैंने यह कहा था कि अच्छा होता, आप मेरे से कोई बात बता देते। अगर कोई गलती हुई होती तो मैं मान लेता। मैंने पूरे चौलेन्ज के साथ यह बात कहो है। जैसे आपने भर्ती की बात कही., मैंने एक सिपाही भी पुलिस में भर्ती नही कराया। (व्यवधान व शोर)आपने मेरे०पर यह इल्जाम लगाया था इसलिये जवाब देना मेरा फर्ज कुए। आपकी यह बात गलत है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनकी तो चलती ही नहीं है। मैंने तो अब भी यह कहां है कि इन्होंने कोई भर्ती नही करवाया है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये कह रहा था। पिछली सरकार को भी जनता ने चुनकर भेजा था।

पिछली जो सम्पत सिंह की सरकार थी, वह भी जनता ने चुनकर भेजी थी। इनकी ब्रूट मैजोरिटी हाउस में थी विधान सभा में पूरी ताकत थी, लेकिन जनता के अन्दर जाकर जगतों की तकलीफ को ये लोग कभी सुनते नहीं थे। जो जुल्म इन्होंने किये, वे आख मीच कर किये। इसका नतीज इनको पिछले चुनाव में देखना पड़ा। हमारा भी यही फर्ज है कि जनता की आवाज को सुनें जनता ने इनको बनाया लेकिन इन्होंने उनके साथ अन्याय किया। हमने तो विरोधी पक्ष की बात को खूब सुना है और सुनकर उस पर कार्यवाही भी की है और करनी भी चाहिये। ऐसा करना बहुत बढ़िया बात है। अभी कुछ बातें सम्पत सिंह और कर्ण सिंह जी ने कहीं। विरोधी पक्ष का यह फर्ज होता है कि वह कुछ बातें जहां झूठी कहें वहां कुछ सच्ची भी कहें। वह सच्ची कहता है या झूठी कहती है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका फैसला जनता करेगी। सम्पत सिंह जी ने कुछ बातें कहीं है। मैं उन्ही की तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनके नेता ने जींद से ही संघार्ष का बिगुल बज था।

प्रो० सम्पत सिंहः फिर वहीं से बजा देगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः फिर वही से बज नहीं सकोगे लेकिन अगर फिर भी बजाओगे तो देखेगे। तो मैं कह रहा था कि इनके नेता ने जींद से संघार्ष का बिगुल बजाया और इनके आदमी कामयाब हो गये। फिर हरियाणा में इनका राज आया। चौधरी सम्पत सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके हाथ में राज

आया था और जींद से आपने एक संघर्ष की शुरुआत की थी, वहां से आपको राज मिला। अगर आपने एक बात भी वहां के गरीब के हित की, किसान के हित की या किसी के हित की, की हो तो बतायें। कोई प्रोजैक्ट या को ई ऐसा कारनामा आपने जींद जि ले के लोगो को दिया हो, तो यहां पर खड़े होकर बता दे। आपने बहुत बडा विश्वासघात वहां के लोगों के साथ किया है। (व्यवधान व शोर)सम्पत सिह जी ने यह कहा कि इस सरकार के आने के बाद एक माईनर भी नही बनी। मैं सम्पत सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि यह ये बताये कि इनका तीन चार साल तक राज रहा इन्होने क्या किया। अगर ठीक काम करते तो शायद पूरे पांच साल राज कर जाते। आपके कारनामें ही ऐसे थे कि आपको साढ़े तीन सोल में जाना पडा और खामियाजा भुगतना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, ये लोग यहां पर किसानों की बात तो करते हैं लेकिन जींद का इलाका जो किसानों का गढ़ मानते हैं, वहां पर एक भी माईनर इन्होंने बनायी हो तो बतायें। इन्होंने जींद जि ले में एक भी माईनर बनायी हो तो साबित करें।

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, ऐसा लगता है कि अपोजीशन वाले इस नो–कोन्फीडैस मोशन के बारे में सीरियस नही हैं। इसलिये यहां पर इस तरह की बात हो रही हैं। आप इस पर वोटिंग करवा लें और खत्म करैं।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के का एक गांव है आसल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त चीफ

मिनिस्टर थे। वहां पर किसानों को पानी की दिक्कत आ रही थी। वे ओम प्रकाश चौटाला के पास आए जैसा कि आपको पता है, श्री चौटाला बगैर पैसे की माला डलवाए बिना किसी से बात नही करते थे। उन बेचारे गरीब किसानों ने इक्कीस हजार रुपया इकट्ठा करके चौटाला के गले में माला डाल दी और जो माईनर बननी थी, उस पर कस्सी भी मार दी और एलान कर दिया कि तीन महाने के अन्दर माईनर बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह माइनर जो चौटाला माइनर के नाम से जानी जाती है, उन पर इनके टाईम में कोई काम नहीं हुआ।

प्रो० सम्पत सिंहः ....

श्री मनी राम केहरवालाः ....

प्रो० सम्पत सिंहः ....

श्री अध्यक्षः इस बात का इससे कोई ताल्लुक नही है। मेरी इजाजत के बगैर जो भी कहीं गया है, वह रिकार्ड पर न वायां जाए। गुप्ता जी, आप बोले।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरे आदरणीय साथी कह रहे थे कि इनको किसानो के हित के बारे मैं क्या पता है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जाजवान गांव है

जो किसानों का सब से बड़ा गांव है। इन्होने कहा था कि हरियाणा में एक भी माइनर नही चला। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां पर अभी 22 अक्तूबर को नया माइनर बन कर चालू हो गया है और किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। एक बात मैं इनको और बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में 52 गांव हैं इन गौवों के किसानों की माइनर की मांग हो या और कोई मांग हो, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो मानी न गई हो। सभी के०पर कार्यवाही हो रही है। हमारे राज में सभी किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। (शोर)अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के भाइयों को कोई ठोस सुझाव देने चाहिये थे। हर विधायक की यह मांग होती है कि उसके हल्के में सड़क, माइनर स्कूल और हस्पताल आदि बने। विकास कार्यों की यह एक बहुत बड़ी बात है लेकिन इन्होंने ऐसी बातें न कह कर लोगों को भड़काने वाली बातें कही है। अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरुरत नहीं होती। जब इनका राज था और ये भाई मान भी रहे हें कि बूढ़ों की आठ महीनों की पैन्शन बाकी थी, जिसे ये दे नहीं सके थे। उस समय विकास नाम की कोई चीज नही थी। कर्मचारियों को समय पर तनखाह भी नहीं मिलती थी। आज हमारी सरकार ने सभी को समय पर पैन्शन दी है और कर्मचारियों को तनखाह दी है। इनको तकलीफ इस बात की हो सकती है कि इन्होंने जो चालीस साल के आदमी की पैन्शन लगा रखी थी, वह हमने बन्द कर दी हए। जिनको मरे हुए 10— 15 साल हो गए थे, इनके राज में उनको पैन्शन मिलती थी। हमारी सरकार ने कायदे के अनुसार सब को

समय पर पैन्शन दी है और समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को तनखाह दी जाती है। अब समय पर पैन्शन दी जाती है। जिन विधायकों की तरफ से उसके हल्कों में विकास के काम करने की मांग आती है, उनके काम किए जाते हैं। चाहे उनकी मांग सड़की के बारे में हो, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग के बारे में हो, चाहे कोई भी मांग हो, उस पर गौर किया जाता है। जब चौधरी सम्पत सिंह और चौटाला साहब का राज था, उस समय इन्होंने. सड्कों के लिये केवल 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था लेकिन हमने 35 करोड़ रुपए का किया है। इनके टाईम में स्कूलों और कालेजों में टीचर्ज और लैक्चरार्ज की सैक्शन नही मिलती थी लेकिन छात्रों की तादाद बढ़ती ही चली गई। इस समय आप देखें चाहे स्कूलों की बिल्डिग बनाने का काम है, चाहे सड़कें बनाने का काम है और चाहे होस्पीटल बनाने का काम है, प्रदेश में हर जगह विकास का काम हो रहा है। चौधरी सम्पत सिंह जी सदन से बाहर चले गए मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि वे कोई मूवमैंट चलाने की बात सोच रहे हैं, कोई ऐजीटेशन करने की बात सोच रहे हैं। मुझे इस बात का बडा अफसोस है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश को आजाद कराने के लिये आन्दोलन चलाया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन करके हमें रास्ता दिखाया था कि कैसे आन्दोलन करना चाहिये। उन्होंने बड़ी शान्ति के साथ आन्दोलन किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शान्ति का आन्दोलन करके हमें राज दिलाया लेकिन आप राज लेने के लिये लोगों को गुमराह करते हैं। रास्ता बन्द करने के लिये सडकें

तोड़ देते हैं और 20–20 वर्ष पुराने द्रखत काटते हैं। आप तो 20–20 वर्ष पुराने द्रखत गॉजर मूली की तरह काट देते हैं। एक बस शत लाख रुपए की आती है, उसको माचिस दिखा कर फूंक देते हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। गुप्ता जी को प्रिवियस गवर्नमैंट की प्रफोरमैंस बताने की क्या जरूरत है? इनको तो प्रैजैंट गवर्नमैंट की प्रफोरमैंस बतानी चाहिये।

श्री मांगे राम गुप्ता: आपकी गवर्नमैंट ने तो कुछ किया ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, दोनों, सरकारों की प्रफोरमैस का कम्पैरीजन करके बताना पड़ेगी। पिछली सरकार ने क्या किया और यह सरकार क्या कर रही है। ये पिछली सरकार के बारे में भी बताएंगे और इस सरकार के बारे में भी बताएंगे।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मेरा भी प्यायंट आफ आर्डर है। गुप्ता जी पिछली सरकार की प्रफोरमैंस भी बताएंगे और प्रैजैटं गवर्नमैंट की प्रफोरमैंस भी बताएंगे तो फिर मुख्य मन्त्री जी क्या बताएंगे? जब मुख्य मन्त्री जी जवाब देगे तो रैपीटिशन होगी। इसलिये गुप्ता जी, अगर कोई नई बात कहना चाहते हैं तो वह कहै।

श्री मांगेराम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी इनकी सारी बातों का जवाब देंगे। मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि वें कोई मूवमैंट चला करके किसानों, मजदूरों गरीबों और अमीरों की भलाई करना चाहते हैं तो चलाएं लेकिन उस मूवमैंट में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिये, न ही जाति पाति के आधार पर कोई लड़ाई होनी चाहिये। औप लोगों को भडका करके राज लेने की बात न करें। जैसे बी० जे० पी० वालों ने अयोध्या की घटना खड़ी करके देश को मुशिकल में फंसा करके खड़ा कर दिया, उस तरह से न करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों ने हमारी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है मुझे खुशी होती कि ये कोई कंक्रीट सुझाव हमारे सामने रखते और अपने हल्कों की तकलीफ बताते, लेकिन ये तो हर बात में सरकार पर इल्जाम लगाते रहे। क्या इस तरह से यह सरकार गिर जाएगी, यह वे भूल जाए। सारे विधायक मजबूत हैं। हमारे विधायक गुमराह नहीं हो सकते। आप यह भूल जायें, 5 साल से पहले यह सरकार नहीं गिर सकती, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इन साथियों से अनुरोध करता हूं कि ये अपने इस अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेकर अपनी सद्बुद्धि का परिचय दे (धन्यवाद)।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारु): स्पीकर साहब, जो अविश्वास प्रस्ताव श्री सम्पत सिह जी ने रखा है, मै उस के समर्थन में बोलने के लिये खडी हुई हू। स्पीकर साहब आज हाउस की डिबेट का

स्टैन्डर्ड देखा इस डिबेट में बहुत आपत्तिजनक शब्द दोनों तरफ से इस्तेमाल किए गए है। हमें यही पर लोगों की बातें कहनी चाहिए न कि आउट आफ दी वे जाकर एक दूसरे के खिलाफ अनपार्लियामैंट शब्द इस्तेमाल करें। जो इस तरह से डिबेट का स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है, इसके बारे में मैं आपसे यह अर्ज करना चाहती हूं कि आप सभी मैम्बर साहेबान को सलाह दे ताकि इनको सद्बुद्धि आ सके और डिबेट का स्टैण्डर्ड०ंचा हो और उसमें कुछ डिसैंसी हो। इस तरह की बातें न हों जिनको छापते समय और सुनते समय भी शर्म आये। डिबेट का जो स्टैण्डर्ड अब तक रहा है, वह कोई अच्छा नहीं रहा है। अब मैं आपके माध्यम से एक बात एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहती हूं। दफ्तरों में लोग बैठते नहीं और फाइलें निकलती नहीं। हां कुछ फाइलें जिनके अन्दर किसी का इन्ट्रैस्ट हो या सरकार की तरफ से आदेश हों, वह फाईल आगे सरकती है वरना कोई फाईल नहीं निकलती। आज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चल रहा। आज हमारे यहां टौप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है। 6– 6 आई० जी० और दूसरे सीनियर अधिकारी, आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यू० पी० से अधिक ज्यादा आई० ए० एस० अधिकारी हमारे यहां पर हैं। सारा पैसा इनकी सैलरी, पर खर्च हो जाता है। जब पैसा इन्नकी सैलरी पर खर्च हो जायेगा तो फिर डिवैल्पमैंटे कहां से होगा? सड्कों की मुरम्मत कहां से होगी? यहां पर कहा जा रहा है कि हम सबको शिक्षित कर देंगे। शिक्षित कहां से करेंगे, स्कूलों

में टीचर तो हैं नहीं? जो लगे हैं वे पढ़ाते नहीं। देहातों में जो 2–4 कालेजिज है उनमें स्टाफ पूरा नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री जी को भी कहा है और जाखू जी को भी कहा है कि मेरे यहां पर जो कालेज हैं, उसमें प्रिंसिपल नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। इसी प्रकार से 10 + 2 के जो स्कूल हैं, उनमें भी प्रिंसिपल नहीं हैं। आज कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है। जब योग्यता किसी में नहीं होगी तो किसी को कोई बात कौन सुनेगा। योग्यता न होने की वजह से ही कोई किसी का हुकम मानने के लिए तैयार नहीं है। आज एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज हरियाणा प्रांत में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ला एण्ड आर्डर की बात कहना चाहती हूं। ला एण्ड आर्डर के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जवाब देते हुए बताया था कि मर्डर के इतने केसिज हुए, अपहरण के इतने केसिज हुए और रेप के इतने केसिज हुए। ये केसिज क्यों ज्यादा हो रहे हैं, ये इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि जो दोषी लोग होते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। सजा न मिलने की वजह से ही दूसरे लोगों में गलत काम करने का हौंसला बना रहता है। इस बारे में मेरी अर्ज यह है कि जो कानून–कायदे के मालिक अधिकारी बैठे हैं, उनकी कमजोरी है। उनको कमजोरी की वजह से ही ये अपराध बढते जा रहे हैं। ये अधिकारी अपनी जिम्मेवारी के प्रति श्री तरह से सजग नही हैं। ये लोग तो साहब बने बैठे हैं और सोचते हैं कि वे तो लोगों पर हुकम करने के लिए हैं। गरीब

आदमियों के प्रति इन लोगों की कोई सहानुभूति ही नहीं है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में दया, ममता नही होगी लोगों की भराई के काम नहीं हो सकते। हमारे फाईनैंस मिनिस्टर जी ने बोलते हुए कहा कि 100 रुपये महीना जो बुजुर्गों को पैंशन देते हैं, वह भी कई बार टाईम पर नहीं दे पाते है। अध्यक्ष महोदय, केरल में किसान को 1000 रुपये पैंशन दी जाती है। उनके पास से 100 रुपये, 50 रुपये या कुछ राशि काट ली जाती है लेकिन उनको एक हजार रुपये पैंशन दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गुजरात में एम० एल० एज० को, चाहे वे विपक्ष के हों, चाहे ट्रेजरी बैचों के हों, 35—35 लाख रुपये उनकी मर्जी के मुताबिक, जहां भी वे चाहे डिवैल्पमैंट के कामों पर खर्च करने के लिए दिए जाते हैं लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। आज डिवैल्पमैंट के कामों पर खर्चे करने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि हमारा कोई काम होता ही नही है, जो काम हम कहते हैं उनमें से कुछ होते है लेकिन विपक्ष के सभी मैम्बरों के शायद नहीं होते। हमारे जो काम हुए हैं, मैं उनसे इन्कार नहीं करती लेकिन ओपोजीशन के ज्यादातर मैम्बरों के काम नहीं होते। स्पीकर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी लोगों के नुमाइन्दे हैं और चुनकर यहां पर आए हैं। कोई किसी पार्टी से आता है, कोई किसी पार्टी से आता है, लेकिन मैं एक बात की तरफ सरकार कां ध्यान दिलाना पाहती हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इस बहस के लिए 3 घण्टे का टाईम दिया गया था। यदि हाउस की सहमति हो तो इस विषय पर डिसकशन के लिए एक घण्टे का टाईम और बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः डिसकशन का टाईम एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का जिकर यहां करने जा रही हूं कि सिरसा ब्रान्च की सफाई पर एक करोड़ रुपये की राशि 20 दिन में खर्च कर दी गई। उस राशि को खर्च करने के लिए सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। सिरसा ब्रान्च की बालू रेत तो इतनी अच्छी है कि उसको उठाने के लिए बोली लगती जी है और सबसे ज्यादा बालू रेत उसकी ही उठाई जाती रही है। यह रेत चिनाई के काम में इस्तेमाल होती है लेकिन इस रेत से आमदनी करने की बजाये एक करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी गई। इस ब्रांच में पानी तो आता ही नही। स्पीकर सर, नरवाना ब्रान्च पर सबसे ज्यादा धन का दुरुपयोग किया गया। सिरसा ब्रान्च पर जो एक करोड़ रुपये की राशि गलत ढंग से खर्च की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए थी और जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिम आदमी ने उस राशि का दुरूपयोग किया, उसी आफिसर ने करनाल सर्कल में रहते हुए, वर्ष 1987 मे, 8 लाख से भी अधिक के मस्टररोल बनाए। (विघ्न)

सरकार द्वारा मस्टररोल किस तरह से स्वीकृत कर दिए गए? जिस अधिकारी ने रुपये का दुरूपयोग किया है वह आज भी दफतर में बैठा हुआ है। मुख्य मन्त्री जी, यह हंसने को बात नही है। वह आप के इन्जीनियर–इन–चीफ श्री जे० पी० गुप्ता है लेकिन बेकसूर ओवरसीयर जो था, उनको सस्पैड किया गया है। इसके बारे में मैं पिछले सैशन में भी बोली थी और आपने उसकी इन्कवायरी भी करवाई थी। एक ओवरसीयर ने आत्महत्या कर ली थी। उस ओवरसीयर को घर बुलाया गया, डराया धमकाया और उससे पैसों की मांग की। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के भ्रष्ट अफसर दफतरों में बैठे होंगे तो कोई काम कैसे होगा और नहरों में पानी कैसे आएगा? (विघ्न) सारी नहरों की हालत ऐसी ही है। मैं अभी सिवानी जा कर आई हूं और हर तीसरे शुक्रवार को मैं वहां जाती हूं। मेरा हल्का क्योंकि तीन जिलों महेन्द्रगढ़, भिवानी और हिसार में पड़ता है, इसलिए मैं एक शुक्रवार को एक जगह, दूसरे शुक्रवार को दूसरी जगह और तीसरे शुक्रवार को तीसरी जगह पर जाती हूं। सिवानी कैनाल की हालत ऐसी है कि वहां मिट्टी भर जाने की वजह से 300 क्यूसिक पानी की बजाए 150 क्यूसिक पानी आता है। तलवाना, शेरपुरा और मिठावाली में पांच साल से पानी नही आ रहा है,। वहां पानी एक महीने में. एक सप्ताह चलना, चाहिए परन्तु एक् महीने में सिर्फ साढ़े तीन दिन चलता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ला एंड आर्डर की बाते कहना चाहती हूं जैसे सम्पत सिह जी ने भी कहा और मैं भी कहती हूं कि सरदार अजीत सिंह, जिसकी उम्र 7० साल की है, उसको दादी से पकड कर

पीटा गया। मैं खुद उस बूढ़े से मिली थी, उसेकी आखों में आसू आ गए थे। उसकी आखों में आसू देखकर मेरी आखो में भी आसू आ गए थे। जिस आदमी ने उसको पीटा है उसको बर्खास्त किया जाए।

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री लीला कृष्ण): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्याइन्ट आफ आर्डर णै। उस थानेदार को यूं ही बदनाम किया जो रहा है, उसका कोई कसूर नही है। ये सब लोग वहां पर गए थे और उस बुजुर्ग को थानेदार के विरुद्ध उकसाया कि वह शिकायत करे।

सरदार जसबीन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्याइन्ट आफ आर्डर है। अगर किसी बुजुर्ग को उसकी दाढ़ी पकड़ कर पीटा जाए तो यह बात बिछल गलत है।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कह कर खत्म करती हू। टूरिज्म के जितने भी पट्रोल पम्प है वहां 20—20 साल के लड़के लगे हुए थे परन्तु उनको वहां से हटा कर अपने आदमी लगा दिए है और वे डीजल की जगह मिट्टी का तेल बेचते हैं जिससे गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है। मैंने इसके लिए काल अटैन्शन मोशन भी दी है। दादरी में, भिवानी में, हिसार में कुछ जगहों पर तो अच्छा डीजल मिलता है परन्तु 90 परसैंट जगहों पर अफसरों की मिली भगत से डीजल की जगह मिट्टी का तेल मिलता है। अध्यक्ष महोदय, किसानों के ट्रैक्टर, गरीब आदमी

के टैम्पू डीजल से चलते हैं और वे पता नही कैसे गुजारा करते हैं? अगर डीजल की जगह मिट्टी का तेल डाला जाएगा तो गाड़ी के इंजन का तो भट्ठा बैठ जाएगा। मैंने खुद डीजल की गाड़ी लो है क्यों पैट्रोल तो मैं अफोर्ड नही कर सकती। अगर डीजल का यही हाल है तो गाड़ी का बुरा हाल तो हो ही जाएगा, उसका इजन बैठ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में कहते हैं कि ''मां के सराहे से पूत नहीं सराहे जा सकते।'' अध्यक्ष महोदय, मै तो यह कहूंगी कि जो कमियां लोग बताते है उन कमियों को पूरा करना चाहिए।

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी): अध्यक्ष –महोदय, आज हमारा देश बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है। संसद और विधानसभा लोकतंत्र में ऐसे स्थान होते है जहां को खबरों को हर देशभक्त, प्रत्येक सुबह अखबारों की सूर्खियों से, रेडियो से और टेलीविजन से जानना चाहता है। देश के अन्दर आज क्या हालात हैं। विघटनकारी शक्तियां आज देश में आगे बढ़ती जा रही हैं और आज ये शक्तियां इस हद तक कामयाब हो चुकी है कि इनके अपने षडयन्त्रों से, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं को अपना बलिदान देना पड़ा है। स्पीकर साहब, .आज जनता के चुने हुए नुमायंदे पार्लियामैंट और असैम्बली में आकर क्या निणय लेते हैं, इस पर जनता का पूरा ध्यान है। यहां पर बोला हुआ एक–एक शब्द, यहां पर लिया गया एक एक निर्णय। इतिहास की धरोहर बन जाता है। ऐसे में हम लोगों के०पर आज

कितनी जिम्मेदारी है, यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है। स्पीकर साहब, वैसे तों मैं यह प्लने वाली कोई अथोरिटी नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती नष्ट कि यहां पर कुछ भी मुंह से मोलने से पहले उसको तोल लेना चाहिए। परन्तु कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज यहां पर बोलने का स्तर कितना गिर गया है?

स्पीकर साहब, हम यहां पर पांच बहिनें बैठी है परन्तु जो कुछ अब यहां बोला जाता है, उसके कारण हमारा यहा पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हम यह सोचती हैं कि ये हमारे भाई क्या बोल रहे हैं? स्पीकर साहब, बात क्या है इसका इतना महत्व नहीं है लेकिन बात किसने कही है और क्यों कही बै, इसका ज्यादा महत्व है। यह बात एक महान नेता ने कही थी, तब मैं बच्ची थी और सोचा करती थी कि यह क्या बात है? यह ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन यह बात धीरे धीरे समय के थपेड़े खाकर, हालात को देखकर, मेरी समझ मे आ रही हे। स्पीकर साहब, यी जो अविश्वास प्रस्ताव आज विपक्ष की ओर से लाया गया है, इसका न तो कोई औचित्य है और न ही कोई कारण। यह विपक्ष के सदस्य भी स्वयं अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी छः मास में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव केवल इसलिए लाया गया है ताकि कुछ सदस्य सतही राजनीति की घाटिया एवं व्यक्तिगत आलोचना कर सके। एक तरफ तो देश की पार्लियामैंट में सभी पार्टियों के नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्षता की चुनौती है, जो हमीर देश के आदर्श हैं,

उनके टूट जाने से भारत का सिर सारी दुनिया के सामने नीचा हुआ है उसी भारत के सिर को०ंचा उठाने का उन्होंने निर्णय लिया है। इसलिए हमने भी उनके साथ सहयोग करके भारत का सिर०ंचा उठाना है और ऐसी गलत ताकतों को मुंह तोड़ जबाव देना है। मैं यह सोचती हूं कि क्या ये पार्टियां अपनी स्टेट पार्टियों को, यह निर्देश नही देती हैं कि आप ऐसे सवालों को उठायें और ऐसे सवालों को न उठायें? मैंने इस संबंध में सम्पत सिंह से भी पूछा था कि क्या आपकी पार्टी ने आपको कोई ऐसा निर्देश नही दिया है? स्पीकर साहब, अभी पिछले सैशन में तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए ही थे और आज फिर ले आए है। क्या आज उन्होंने कोई ठोस मुद्दे उठाये हैं? सरकार, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है और ऐसी हालत में चुनकर भेजीं है कि जब लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो हर उम्मीदवार को यह खतरा था कि पता नहीं उनके साथ क्या बनेगा। वो तो भला हो गवर्नर साहब के ऐडबाईजर सैफुल्ला खां का, जो हर उम्मीदवार से यह पूछने जाते थे कि आपको कोई खतरा तो नही है। स्पीकर साहब, उस समय वोटर भी बड़ा आतंकित था और वह सोचता था कि वह बोट डाल भी पाएगा या नही। मैं उस समय के अधिकारियों को बधाई देना चाहती हूं और यह याद दिलाना चाहती हूं कि जनता ने अपने प्राणों की बलि देकर हमें यहां चुनकर भेजा है। हम यहां पर किसी के रहम पर नहीं आये हैं। स्पीकर साहब, विपक्षी दलों ने तो तोड़फोड़ में, मारने में, अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। न केवल कांग्रेसियों पर बल्कि अपने विधायकों पर भी सभी

हथकन्डे अपनाए थे। इनको तो सबक लेना चाहिए था, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नही रहती थी। 85 एम० एल० ए० चुने गए थे। जब समय आया तो गवर्नर ने कहा कि विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। उस वक्त कोशिशो के बावजूद भी बहुमत साबित नहीं कर पाये थे। तब हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए थे। तो उस वक्त इतनी संख्या में भी नही थे कि विधानसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाते। आज वैसे हालात बिल्कुल नहीं हैं, मैं ऐसॉ इसलिए नहीं कह रही हू कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्त्ता हूं और भजन लाल जी के मंत्रिमंडल में मती हूं। भारत की नागरिक होने की हैसियत से, बड़े गर्व से कहना चाहती हूं कि उस वक्त जो भयप्रद वातावरण था, उस से हरियाणा डंके की चोट से उभरा है और चारों तरफ शान्ति है। यह ठीक है कि कभी कमी कोई बात हो भी जाती है पर लोगों का विश्वास है कि जब वे सरकार के पास शिकायत लेकर जाएंगे तो उन्हे इंसाफ मिलेगों। विपक्षी दलों को यह स्टैप कि सरकार को चौलेजं करना है, आज गिराना है,. कल गिराना है, ऐसे गिरने से तो कोई गिरता नहीं। हमने लोगों से वोट लेते समय कोई झूठे वायदे तो नहीं किए कि उनको बसों के किराए नहीं देने पड़ेगे, यह नहीं करना पड़ेगा, वह नहीं करना पड़ेगा। हमने तो जनता को यही कहा कि उन्हें स्वाभिमान सै प्रदेश. में रहने का मौकों मिलेगा। विकास के पूरे अवसर मिलेंगे, उनकी शिक्षा, रोजगार और आवश्यकताओं की जिम्मेदारी लेकर, जब इस सरकार मे कार्यभार संभाला तो आर्थिक अवस्था कैसी थी, यह बताने की आवश्यकता नही है क्योंकि मेरे

आदरणीय भाई श्री मांगे राम गुप्ता जी इस बारे में कह चुके हैं। उस समय नौ महीने की ओल्ड एज पैशन बकाया थी। मैं विपक्ष पर आरोप नही लगा रही, बल्कि यह बता रही हूं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत गिर चुकी थी। चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व की दाद देनी पड़ेगी कि इस सब के बावजूद, उन्होंने बिना कोई टैक्स लगाए स्टेट को उभारा है और आज हर क्षेत्र में स्कूल अपग्रेड किए गए, अस्पतालों की तरफ काफी ध्यान दिया गयी है। मुख्यमंत्री जी विदेश गए थे तो उन पर यह आरोप लगाए गये कि वे अपना इलाज कराने गए है। यह झूठ है। मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष आरोप लगाए लेकिन ऐसे आरोप लगाए जिनमें प्रामाणिकता हो, जिनका कोई आधार हो। जनता यहां मेरा और आपका मुंह नहीं देख रही, मेरे और आपके शब्दों पर विचार नही कर रही, वह तो यह चाहती है कि हर किसी के घर में सारी सुख–सुविधाएं और खुशियां पहुंचें। इसलिए विपक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक विचार हमें हमेशा मान्य है, उसका स्वागत है। लेकिन सरकार की जो मंशा है, स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने भाइयों को विचार करने के लिए कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि किसी हल्के में 5 स्कूल अपग्रेड हुए हों और किसी में दो ही अपग्रेड हुए हों, लेकिन उनको यह तसलीम करना होगा कि हरियाणा के अन्दर चहुमुखी विकास हो रहा है। बड़ी तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। इन सब से०पर उठकर, जजबात को मैं सबसे ज्यादा अहमीयत देना चाहती हूं। जो बात मैं यहा पर कहने के लिये खडी हुई हू, वह सबसे वड़ी बात है। लोगों में आपसी भाईचारा और सदभावनों

बनाने में इस सरकार का अपना एक रोल है। इसका श्रेय जहां मंत्रियों और विधायकों को जाता है, वहां सबसे ज्यादा श्रेय मुख्य मंदी जी की लोकप्रियता को जाता है, उनकी मिलनसारी की भावना को जाता है। मुझे तो वह समय याद आ पा है जब मंडल कमीशन के विरोध में आन्दोलन चल रहे थे। उस वक्त गाँव–गांव में जो गरीब तबके के आदमी बैठते थे, उनको चारों तरफ से मारधाड़ की खबरें आया करती थीं। गांवों के अन्दर डौन्डी पिटती थी कि सब आ जाओ, आज लाठी से हमला होगा, आज जैली से हमला होगा, आज चमारों के घरों पर हमला होगा, आज बाल्मीकियों के०पर हमला होगा और आज फलाना के०पर हमला होगा। उस समय हम भगवान से यह कहा करते थे कि हे भगवान, ऐसा कभी न हो। बहू–अकबरपुर की बात आपको याद होगी। (व्यवधान व शोर)मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, किसी व्यक्ति को दुखी होने की आवश्यकता नही है। सच्चाई भगवान भी जानता है। यह बहू–अकबरपुर की बात है। मैं इसे जानती हूं। स्पीकर सर, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के बोलते वक्त बीच में नहीं बोली हूं। विरोधी पक्ष वालों ने कई ऐसी बातें कहीं, जिनका मैं विरोध कर सकती थी लेकिन मेरे तहजीब में रहते हुए, सारी बातें सुनने को मेरी कमजोरी न मान लें। जो बात सच्च है, वह मुझे कहने का अधिकार है। मैं यह कहना चाहती हूं कि अब भी मंडल कमीशन का निर्णय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नें अब भी निर्णय दिया है लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रही है। (व्यवधान व शोर)

ओद्योगिक शित्रा राज्य मन्त्री (चौधरी तेजेन्द्र पाल सिंह मान): मैं इस महान सदन की सूचना के लिये यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के पाई के अन्दर एक टागरी गांव है। वहां के सारे चमारों की बस्ती को आग लगा दी गयी, कत्ल हुए। अब हमने उनको दोबारा गांव में बसाया है। इसके अलावा, एक नन्दगढ़–माजरा गांव है। वहां पर आज भी सारे घर गिरे पडे है। वहा एक पाली नाम का व्यक्ति. है, उसकी सही नाम रामपाल है। उसने बदतमीजी और बेहूदगी से लोगों को उस गांव से उजाड़ दिया, निकाल दिया, उनके घर गिरा दिये। अब उनको हमने दोबारा वहां पर बसाया है। (व्यवधान व शोर)

बहिन करतार देवी: स्पीकर साहब, इनको सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिये। जब आप वहां पर जाओगे तो यह बात आपको लोगों से सुननी होगी। हम तो यह कहते हैं कि लोगों को अभी वह दर्द भूले नहीं है। (विपक्ष की ओर से व्यवधान व शोर)मैंने किसी का नाम नही लिया है। आप बताये कि जो कुछ मैं कहना चाहती हूं, क्या मुझे कहनें का हक नहीं है? यही नही, यह अखबारों में भी आया है कि वहां पर कत्ल तक हुए है। (व्यवधान व शोर).... यह गांव–गांव की कहानी है, ये इस बात को क्या समझगे? मैं यह कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद, मेरे पास इस किस्म की रिपोर्ट आयी है कि कुछ लोगों वे, शरारती तत्वो ने लोगों को भड़काने की कोशिश की है। लेकिन यह हमारे प्रशासन की, मुख्य मंत्री जी की और इस सरकार की

तत्परता है कि सारे प्रदेश में एक पत्ता तक भी नहीं हिला। 6 दिसम्बर को जो दु:खद कांड हुआ, उससे एक बार तो आग– सी लग गयी थी। ढांचा हिल गया था। लेकिन हमारे यहां, दूसरे? प्रदेशों के मुकाबले में छुट–पुट घटनाएं हुई हैं। इसके लिये– मुख्य मंत्री जी और हमारी यहं सरकार बधाई की पात है। एक बार फिर इन्होंने पूरे हरियाणा को आग लगने से बचाया है। ऐसे प्रदेश में, जहां चारों तरफ विकास कार्य प्रगति पर हों, दिन–रात लोग मेहनत करने में लगे हों, वहां लोगों को भडकाना कोई अच्छी बात नहीं है। हम भी आपके भाई हैं। कल हम यहां थे आज आप यहां पर हो पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लें, तब कोई बात कहनी चाहिए। दिन–रात हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सीकर साहब, ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। मैं इन भाइयों को कहूंगी कि किसी पार्टी के लिए हर काम में राजनैतिक नजरिया रखना जरूरी नहीं होता। अच्छा नजरिया जो है वह है वातावरण का सदभाव बनाना, भाई चारे का वातावरण बनाना और हर प्रकार की कटुता को खत्म करना। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ये भाई मुख्य मन्त्री जी के पास कोई काम लेकर चले जाएं तो वे इनका काम जरूर करेंगे। हमें तो वे मना भी कर सकते हैं किसी काम के लिए, लेकिन आपको मना नहीं करेंगे। इसके लिए मैं मुख्य मती जी को बधाई देना चाहती हूं। अन्त में मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करुंगी कि वे अच्छा वातावरण बनाने के लिए इस प्रस्ताव को वापिस ले लें और बजाये घटिया आलोचना के जनता के दु:ख दूर करने के मुद्दों पर सदन के समय

का उपयोग करें जिसकी एक– एक मिनट की कार्यवाही पर हजारों रुपया खर्च होता है। जनता अपनी समस्याओं के समाधान की इच्छुक है, न कि राजनैतिक द्वेष भावना की।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर सर, मैं तो केवल बोलने की इसलिए हिम्मत कर बैठा कि बहन जी केवल पांच मिनट ही बोली हैं। जितना टाईम हमें अलॉट हुआ था, बहन जी उससे आधा टाईम ही बोलीं। स्पीकर साहब, नो–कौफिडैस मोशन आया और श्री डांगी ने बोलते हुए कहा कि हमने भी उस पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर साहब, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिनसे हरियाणा का हित जुड़ा है। स्पीकर साहब, पिछले पांच सात महीने में जो पहले सैशन में बातें कहीं गई थीं, उनकी कंट्राडिक्शन उन सोर्सिज से हो गई जिनको हम अथौन्टिक मानते हैं। इसलिए हमने वाजिब समझा कि जिन बातों से हरियाणा का हित जुड़ा हुआ है, उनको क्लीयर कराया जाए। स्पीकर साहब, अगर मेरे पास कोई प्रमाण न हो तो मैं आरोप नहीं लगाता। स्पीकर साहब, सब से पहला मुद्दा, एस० वाई० एल० का है। आज से नहीं, जब से हरियाणा बना है, तब से चला आ रहा है। एस० वाई० एल० के लिए हमारे विपक्ष के नेता ने भी और चौधरी भजन लाल ने भी इस सदन में यह कहा कि चन्द्रशेखर के जमाने में इस नंहर को बनाने का काम बोर्डर रोड्ज आर्गेनाईजेशन को दें दिया गया था। उस समय चौधरी सम्पत सिंह यहां इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे और चन्द्रशेखर प्रधान मन्त्री थे। स्पीकर साहब, कुछ

दिन के बाद मुख्य मकी जी ने स्वयं क्रेडिट लेने के लिए इस सदन में फिर कहा कि इस नहर को बोर्डर रोड्ज आर्गेनाईजेशन को दिलवा दिया है और नहर बहुत जल्दी पूरा होगी। इस पर अपोजीशन के नेता ने आपत्ति की कि यह काम चन्द्र शेखर जी के जमाने में हुआ था। आप कैसे ये बातें कह सकते हैं? लेकिन हैरानगी की बात है कि श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, जो आई० पी० एम० हुआ करते थे और दो चार महीने पहले राज्य सभा में चले गए हैं, उन्होंने इस बारे में पार्लियामैंट में एक सवाल पूछ लिया और श्री वी० सी० शुकला जी ने जोकि इस महकमे के मिनिस्टर इंचार्ज हैं, स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस नहर को जब कोई बनाएगा तो पंजाब सरकार ही बनाएगी। इसको बी० आर० ओ० को देने का कभी कोई फैसला नहीं हुआ। अब दोनों महानुभावों के बारे में क्या कहा जाए। सम्पत सिंह जी तो अपोजीशन के नेता हैं और भजन लाल जी सदन के नेता हैं। अगर हम इनके खिलाफ प्रिवलेज मोशन लाएं तो भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह बात इन्होंने क्यों कही, सारे हरियाणा प्रान्त को क्यों गुमराह किया गया? मैं इम बात का स्पष्टीकरण मुख्य मन्डी जी से चाहूंगा। दूसरी बात यमुना नगर थर्मल प्लांट की है। चौधरी भजन लाल जी की सरकार जब से बनी है, तब से इन्होंने प्रधान मन्द्री जी के प्रोग्राम हरियाणा में रखने शुरू किए। इन्होंने एक नवम्बर का दिन रखा था, जिस दिन हरियाणा बना था लेकिन हमें प्रधान मन्त्री जी के दर्शन नहीं हुए। एन० टी० पी० सी० से एक एग्रीमैंट हुआ था और सारा मामला

तय हो गया था। तय भी उस वक्त हुआ था जब मैं इस महकमे का इन्चार्ज था। आज खुद मुख्य मन्त्री जी के मुख से हम अन्दाज लगा ने हैं कि एन० टी० पी० सी० भी इस थर्मल को नही बनाने जा रही है। इनकी बातों से मुझे ऐसा आभास हो रहा है। इन्होंने यह उस वक्त कहा था जब ये विदेशों के दौरे पर गए थे तो वहां पर इनको कुछ लोगों ने आफर की है कि हम आपके थर्मेल प्लांट बनाने के लिए तैयार हैं। आज हरियाणा प्रान्त में बिजली की इतनी कंजम्पशन बढ़ रही है, टयूबवैल्ज के कनैकशन रोजाना दिए ज रहे हैं और देने पड़ेगे। मुख्य मन्त्री जी हरियाणा में इंडस्ट्रीज लाना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज तभी लगेगी जब हमारे पास पर्याप्त बिजली होगी। तो में इसका भी स्पष्टीकरण चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी आप डेड पौने दो साल से कैसे कहते आ रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे जबकि इसकी कैबिनिट ने एप्रूबल भी नहीं दी है। किस लिए हरियाणा के लोगों को बार बार कहा गया कि थर्मल पर काम शुरू होने वाला है? तीसरी बात यह है कि जहां तक ला एंड आर्डर की बात है, इस बारे में बहुत कुछ कह दिया गया है। लेकिन एक अपराध ऐसा हुआ जि ससे आदमी का दिल दहल जाता है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर हमारी बहिनें बैठी हैं। पत्थर के जमाने में ऐसी सजाएं दी जाती थी जो आज हरियाणा में दी जाती हैं। वह युवक विशम्बर 22 साल का हरिजन युवक था। पुलिस ने उसके साथ क्या क्या थर्ड ग्रेड मैथड इस्तेमाल किए। ऐसे मैथड बीसवीं सदी में हरियाणा प्रान्त में इस्तेमाल किए गए। ऐसे मैथड एडाप्ट करने

वालों को केवल सस्पैंड करने की सजा मिली। (शेम शेम की आवाजें)उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया है। कोई अच्छा तरीका मुख्य मंत्री जी को अपनाना चाहिए था। जो पुलिस के लोग इस माहौल में पले हैं, वे थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके ही बात को निकलवाते हैं, उनको आंयदा के लिए ऐसी सजा दी जानी चाहिए थी ताकि वे ऐमा तरीका इस्तेमाल न करें। इसके अलावा, मैं एक बात किसानों के बारे में कहना चाहता हू। 'नेहरा साहब पद यात्रा पर थे। नेहरा साहब आजकल नहरी महकमे के इन्चार्ज है। अच्छे आदमी हैं। जब ये पद यात्रा पर थे तो उस समय इनको जगह जगह शिकायतें मिलीं कि लोगों को नहरी पानी बहुत कम मिल रहा है। इन्होंने कई जगहों पर यह आश्वासन भी किसानों को दिया कि आपको पानी मिलेगा, पानी टेल तक. पहुंचेगा। इनकी उस अश्योरैस का एक हफ्ते तक असर भी रहा। उस समय ये मेरे इलाके से गुजरे, मेरे पड़ोस के इलाके से गुजरे। ठीक है, पानी टेल तक पहुंचे लेकिन नहरी पानी की चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। नेहरा साहब आप उन चोरियों को रोकें। पुलिस की पैट्रोलिंग करवाए। चोरी करने वाले लोग नहरी अफसरों के काबू में नहीं आएंगे। आपके महकमे का मैं भी इन्चार्ज रहा हूं। मेरे जमाने में चोरों ने एक जे० ई० पर हमला कर दिया, जब वह पानी की चोरी रोकने के लिए गया, लेकिन वह जे० ई० बहादुर था, उसने उनका मुकाबला किया और वह बच गया। मैं कहता हू कि आप पुलिस की जबरदस्त पैट्रोलिग कराएं और पानी की चोरी को रोकें। नहरों में सफाई की आवश्यकता है, वह कराएं। आप अपने औफिसर्ज को

हिदायत दें कि यदि तुम नहरों की टेल तक पानी पहुचाओगे तो तुम्हें एप्रिसिएशन लैटर भी देगे। तुम्हें ईनाम भी मिलेगा और तुम्हें और तन्य की ऐन्क्रर्जमैंट मिलेगी। मैं कहता हूं कि किसानों को वाकई में पानी कम मिल रहा है। मैं यह बात आपका क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं।

अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। ठीक है बिजली की पैदावार साल प्रति साल बढ़ती जा रही है। जब मैं इस महकमे का इन्चार्ज था तो हमने भी बिजली का पैदावार बढ़ाई थी और अब भी बिजली की पैदावार बढ़ रही है। इस सरकार ने बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं। रेट तो हमने भो बढ़ाए थे, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। मैंने बिजली के रेट बढवाए थे क्योंकि बिजली बोर्ड रोज घाटे में जा रहा था। उस समय हमने किसानों पर बिजली के रेट बहुत ही थोड़े बढ़ाए थे। केवल 4 या 5 पैसे पर–यूनिट के हिसाब से बढ़वाए थे लेकिन इंडस्ट्रीज पर ज्यादा रेट बढ़ाए थे। हमने डोमैस्टिक सैक्टर पर रेट नहीं बढवाए, इंडस्ट्रीज पर बढ़ाए थे। किसानों की बिजली के रेट बहुत ही कम बढ़वाए थे। उस समय भी रिजैटमैट हुई थी। हमने उस समय सारी पार्टियों की एक मीटिंग भी की थी। उस समय मुख्य मंत्री, और मिनिस्टर्ज को यह कहा था कि देखिए आप जो बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ाना जरूरी भी है, इसका क्रिटिसिज्म भी होगा। यह बात सभी पार्टीज की मीटिंग में हुई थी। इसकी हम और 'तरह से मीठविद कर सकते हैं। हमने 1987 में चार्ज लिया

था। मैं यह रिकार्ड की बात कहता हूं, आप रिकार्ड चौक कर सकते हैं। आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन रिकार्ड जो लिखा गया, वह वही रहेगा। जब हमने चार्ज लिया था तो लोगों को 24 घंटे में से चार घंटे भी बिजली नही मिलती थी। हमने चार्ज सम्भालते ही लोगों को दो महीने के अन्दर 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी। बलबीर पाल शाह हाउस में बैठे हैं, ये उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेजीडैट थे। उस समय ये विधायक भी थे। उस समय चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह और बलबीर पाल शाह ने यह कहा था कि डोमैस्टिक सैक्टर में, इडस्ट्रियल सैक्टर में और एग्रीकल्चर सैक्टर में यानी किसी भी सैक्टर में बिजली की कोई कमी नही है इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बिजली की पैदावार बढ़ाये'। आज किसान को या दूसरे सैक्टर को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। इसका आप पर्याप्त इंतजाम करें। टैरिफ आपने बढ़ा दिया, इससे किसान कतई तौर पर नाराज नहीं होगा, यदि उसको 24 घंटे बिजली मिलती रहे। एक तरफ तो टैरिफ बढ़ा दें और दूसरी तरफ 24 घंटे किसान को बिजली न मिले, यह कोई जस्टिफिकेशन नही बनती। बिजली की कटोती करके टैरिफ बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इसकी सजा पांच साल बाद चुनावों में वही पार्टी भुगतती है जों सत्ता में होती है क्योंकि वही पार्टी जनता के प्रति जवाब देह होती है।

स्पीकर साहब, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक पुलिस की रिकरुटमैंट का ताल्लुक है, इस बारे में

पिछले सैशन में भी सरकार पर आरोप लगे और अब भी आरोप लगे कि पुलिस की भरती मुख्यमंत्री के घर मे होती है। इस सिलसिले में पिछले दिनों एक एस० पी० साहब को भी पकड़ा गया। उसके घर से 1 लाख 40 हजार रुपया या कुछ कम या ज्यादा रुपया बरामद हुआ। पता चला कि चार कमांडोज भरती किए गए थे, उनसे यह पैसा लिया गया था। पैसा और भी ज्यादा वहां से मिलता लेकिन वह पैसा इधर उधर कर दिया गया था। मैं चाहता हूं कि इस बात को ये स्पष्ट कर दें कि रिकरुटमैंट बारे जो आरोप इन पर लगाये जा रहे हैं, उनकी किसी से जांच करवा ली जाये ताकि इनके०पर लगे आरोपों की सच्चाई सबके सामने आ सके। चौधरी सम्पत सिंह जी का घर और मुख्यमन्त्री जी का घर आमने सामने है। मेरा घर तो इनके घर से अढ़ाई किलोमीटर दूर पड़ता है। सम्पत सिंह जी ठीक कहते हैं या नहीं, यह तो यही जाने। आजकल इन्होंने मेरे से बात करनी छोड़ रखी है। इनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, वह यही जाने। इसलिए इस बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति से सारी रिकरुटमैंट की इन्क्वायरी करवा लें कि वाकई पैसा पुलिस की भरती में लिया गया है या नही। निष्पक्ष इंक्वायरी के बाद यह जो आरोप इन पर लगाये जा रहे हैं, यह रोजाना की झक–झक खत्म हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हूए अपना स्थान लेता हूं।

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, जो हम सबने मिलकर यह अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ रखा है, मैं 'उस पर अपनी कुछेक बातें कइना चाहता हू। हरियाणा में कई मुथ्य मली आये है और हरेक मुख्यमंत्री की अपनी अलग छवि रही है। पिछली बार जो छवि इनकी थी, उसके अनुसार इनमें सुनने का मादा था। जो व्यक्ति दुःख तकलीफ ले कर इनके पास आया तो इन्होंने उसे रिड्रैस करने की कोशिश की। नो–कौन्फिडैस मोशन का भी इन्होंने वैल्कम किया और हमें भी लगा कि उसी जिगर और कलेजे के साथ वे व्यवहार करेगे लेकिन आज चौधरी भजन लाल जी गुस्से में दिखाई दिए, सदन के माननीय विपक्ष के नेता के खिलाफ। हम विपक्ष के लोग आज बहुत ही अनपलैजैन्ट जाब कर रहे है। हम लोगों को रि–प्रैजैन्ट करते हैं। स्पीकर सर, अगर हम उनकी बात को यहां पर अभिव्यक्त नही करते तो वे हमें मारते है, जो लोग मन्त्री बन जाते हैं, उनको तो पुलिस और कमाण्डों मिल जाते है और आम आदमी उन तक पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि उनको चारों तरफ से पुलिस घेरे रखती है। मगर हम विपक्ष के लोगों को तो खुद को छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलती क्योंकि हमें लोगों के बीच में रहना होता है और उनकी हर बात को सुनना पड़ता है। हम उनसे भाग कर जा भी कहा सकते हैं क्योंकि हम अगर शौचालय भी जाएं, तो भी लोगों को पता होता है। हमारे सभी ठिकानों का लोगों को पता है। स्पीकर सर, इस प्रकार से हम विपदा के लोग बहुत ही अन–पलैजैट जाब कर रहे हैं। हम लोग विपक्ष मे है, इसलिए

हमारी बात को सुनने को सरकार में मादा होना चाहिए। हम विपक्ष के लोग सरकार की आलोचना करते है क्योंकि यह हमारा फर्ज है और सरकार को आलोचना सुन कर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सरकार ने चुनाव से पहले लोगों को दो नारे बड़े जोर–शोर से दिये थे। हरियाणा में उस समय जिस तरह की राज नीति चल रही थी और उस राजनीति में जिस तरह का दमघोटू वातावरण बना हुआ था, उसके लिए लोगों ने इस सरकार को मैंडेट दिया था। लोगों में सुरक्षा की भावना प्रमुख थी क्योंकि लोग डरे हुए थे और सुरक्षा चाहते थे। आज की मौजूदा सरकार को लोगों ने दो बातों पर ही मैंडेट दिया था This Government will establish a rule of law यह सरकार कानून का राज्य स्थापित करेगी। चौधरी भजन लाल जी ने एक बात और कही कि हम हरियाणा को एस० वाई० एल० का पानी 90 दिन में देंगे। इन दो बातों को लेकर ही स्पीकर सर, आज की मौजूदा सरकार आई थी। स्पीकर सर, आप तो कुरूक्षेत्र और कैथल जिले के है। आपका इलाका खादर का इलाका शै और पैडी का इलाका है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस ने अपना चुनाव मैनिफैस्टो बनाया था। रोहतक जिले में खानपुर गांव में इनकी एक जनसभा थी, उसके तुरन्त बाद हमारा कार्यक्रम था। वहां पर ही लोगों ने हमें वह मैनिफैस्टो दिखाया था जिसमें एस० वाई० एल० का पानी 90 दिन में हरियाणा को उपलब्ध करवाने की बात थी और लोगों से वायदा किया गया था। हमने कहा था कि हम तो 90 दिन में पानी उपलब्ध करवाने का वायदा

नही करेंगे। स्पीकर साहब, लोगों के साथ धोखा हुआ। हरियाणा के 6 जिलें भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गांव मेवात ऐरिया, फरीदाबाद और रोहतक की तहसील झज्जर और कोसली में सिंचाई की कोई गारन्टिड व्यवस्था नही है। बरानी जमीन है, वर्षा हो ज ओए तो ठीक, नही तो कोई अन्न नहीं होता। हमारी बहन चन्द्रावती जी ने कहा कि सरसों की फसल को धौलिया लग गया। चौधरी हरपाल सिंह जी ने अंग्रेजी मे जबाब पढ़ कर सुना दिया। उन्होंने कहा कि धोलिया पेटिड बग है। स्पीकर सर, हमारे कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जिनकी ग्रामीण भूमिका नही होती। Painted bug is something else and Dholia is just different from painted bug. धोलिया जलवायु का कीड़ा है। इस बार धौलिया सरसो में इसलिए लगा क्योंकि मौजूदा सरकार ने खाद की कीमते बढ़ा दी और किसान खेत में पूरा खाद नहीं डाल पाया। एक किल्ले में 2 कट्टे डी० ए० पी० डलता था लेकिन इस बार खाद महंगा हो गया। अलग–अलग इलाकों की अलग–अलग बात है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं अभी सरसों वो के आया हूं। हमारे यहां का पानी खारा है इसलिए दो कट्टे खाद डलती है। (विघ्न)टयूबवैल को पानी खारा है। स्पीकर सर, दूसरे इस सरकार ने एस० वाई० एल० के पानी का जो वायदा किया था, उसमें प्रयास करते और लोगो को नजर आता कि चौधरी भज न लाल जी की सरकार एस० वाई० एल० की लड़ाई लड रही है, पानी की लड़ाई लड़ रही है। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए जि तने रिसोर्सिज हैं, उनके मुताबिक डिवैल्पमैंट का काम करके रोजगार देते हैं।

सरकार यह विश्वास दिलाती है कि वह पानी की लड़ाई लड़ रही है, लोगों की लड़ाई लड रही है। सी कर सर, आज हरियाणा का आम आदमी यह – महसूस करता है कि इस सरकार ने एस० वाई० एल० के मुद्दे को दबा दिया है और इन्होंने उसकी कोई चिन्ता नही की। स्पीकर सर, इस मामले में बल्कि कुछ उल्ट हुआ और इनके साथी कुछ और ही कहते रहे हैं। अब यह इनकी पार्टी का कल्चर रहा है। डिसिडैंट और मिनिस्ट्रियल ग्रुप, जब से कांग्रेस जन्मी है, तब से है। स्पीकर सर, एक जनसभा पलवल में हुई और एक हांसी में हुई, जिसमें केन्द्र और यहां के लोग थे। स्पीकर सर, लोगों ने वोट दे दिया, अपनी जान इनके हाथ में दे दी। अब कोई किसी को बरगलाए और कोई किसी को बरगलाए। जिस समय वोट मांगे गए थे, उस समय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोनों ने मिल कर वोट मांगे और कहा कि हम एस० वाई० एल० की पानी ला कर देंगे। एक रैली में यह कहा गया कि पंजाब और हरियाणा के विवाद में चण्डीगढ़ कोई मुद्दा ही नहीं है। स्पीकर साहब, उस मुद्दे का डायलूट कर दिया। This is the first crime which the present Government has committed.

अध्यक्ष महोदय, पंजाब केसरी अखबार उतरी भारत में सबसे ज्यादा छपती है, इसमें एक हैडिंग है ''शुक्ला के ब्यान ने सम्पर्क नहर सम्बन्धी भजन व सम्पत के दादी को झूठला दिया।'' दूसरी बात चौ० भजन लाल जी ने कही कि बिजली के रेट इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि राजस्थान सरकार ने बढ़ाए हैं। वह सरकार तो भंग कर दी है और अब तो कुछ लोगों की छाती ठण्डी

है। अध्यक्ष महोदय, भंग करके ये जी भर लें, जान से मारने को कोई कानून बना लें, खाड़ी बंगाल में फैंकने का कानून बना लें और जो राम का नाम लेगा, उनके विरुद्ध कोई धर्म निरपेक्ष कानून बना लें, We will face it, Sir. अध्यक्ष महोदय, बिजली के जो रेट हैं वे तीन बार बढ़ाए हैं। ये रेट बढ़ाते पर उसकी सप्लाई सिस्टम में ऐफीशीएन्सी तो लाते, पावर जनरेशन बढ़ाते। अध्यक्ष महोदय आज जितने भी मली बोले हैं, उनको उनके आफिसर्ज ने, किसी को कोई कागज पकड़ा दिया और किसी को कोई कागज पकड़ा दिया। जब मांगे राम गुप्ता जी जवाब दे रहे थे तो वे जवाब में एक अफसर का दिया हुआ कागज पढ़ रहे थे कि यह जो एफ० आई० आर० जिस आदमी के विरुद्ध दर्ज है, वह आदमी कर्ण सिंह दलाल के गांव का है। अध्यक्ष महोदय, कोई रेलेवैन्सी होती है। पिछली सरकार से आप कम्पेयर करते हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि उनके अपराध की सजा तो उनको मिल गई है और आप भुगतने के लिए तैयार हैं। You should not compare yourself with the past government but should create hew history.

अध्यक्ष महोदय, अगर ये यह सोचें कि हम इस हाऊस में बैठे– हैं और कोई हमारी परफोरमैन्स नही देख रहा है, यह गलत है, सब लोग बडी माईन्युटली से हमें देख रहे हैं। इस सरकार ने बिजली के रेट तो बढ़ाए परन्तु पावर जनरेशन नही बढ़ाई। टेल के जो इलाके हैं, वहां बिजली नहीं पहुंचती। में 220 मैगावाट का बिजली पर है। वह राजस्थान में गंगानगर सै चल कर आयें तो झूझनू तक तो लटटू जलता है। महेन्द्रगढ़ में जो पेंतावास

गांव है, राव बंसी सिंह जी पंचायत मंत्री हैं, वे वहां पर जाते रहते हैं। एक दिन ते। इनके जलसे में बिजली चली गई और ये गर्म हो गए कि यह क्यों हुआ। तो लोग कहने लगे कि साहब यहां तो यह रोज होता है क्योंकि हम तो टेल पर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पावर में ऐफीशीऐन्सी लाते और जनरेशन बढ़ाते तो बात ठीक होती। अध्यक्ष महोदय, श्री पी० के० बैनर्जी और डा० तरसेम लाल बड़े काबिल अफसर लगा रखे हैं, इनको वहा पर भेजना चाहिए कि जाओ, आन्ध्र प्रदेश का पावर जनरेशन देखो, उनके जो प्रोजैक्टस प्लांट और थर्मल प्लांट हैं, उनकी पावररू जनरेशन टू दी कपैस्टी आफ 95 परसैंट है। हमारे हरियाणा का थर्मल प्लांट, या कोई दूसरा प्लांट चाहे वह यमुना नगर का है चाहे पानीपत या फरीदाबाद का है, ये 45 परसैंट से 53 परसैंट तक पावर जनरेट डरते हैं, इससे ज्यादा कौस्ट इनकी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्हेंने पीने के पानी के रेट भी बढ़ा दिए हैं। पता नहीं यह सरकार धर्म–निरपेक्ष के चक्र में चंगेज खां के रास्ते पर क्यों चल पड़ी है? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि Water is always measured through litres and not by meters or square yards. पानी का मापदण्ड तो मीटर से होता है, लिटर से होता है। परन्तु इस सरकार ने नोटिफिकेशन किया है कि जिसका प्लाट 60 गज का है, उसको 30 रुपए महीना बाटर चार्जिज देना पड़ेगा, जिसका प्लाट 200 गज का है, उसको 66 रुपए देने पड़ेंगे और जिसने दो कनाल का ले रखा है, उसे साढ़े तोन सौ रुपए देने पड़ेंगे। पानी को गजों में नापना बड़ी ही बिचित्र बात है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसा कोई गांव का आदमी ऐसी बात कर दे तो अलग बात है। क्य बारे में कानून देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लोगों पर एक प्रकार का जजिया लगा रहे हैं। बसों का भाड़ा भी बढ़ा दिया है। ठीक है, मुख्य मंत्री जी एक प्रस्ताव लाए हैं जिस के द्वारा ट्रांसपोर्ट को डीनैशनेलाईज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चौ० भजन लाल जी ने एक वाक्य कह दिया जो हरियाणा के हर आदमी की जुबान पर थी –''मैं ऐसे राज्य की स्थापना करूंगा कि रात के 12 बजे जवान बहू–बेटी, सेर सोना पहन कर, कहीं भी चली जाए, वह सुरक्षित घर पर पहुंचेगी।'' अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा धज्जियां तो इसी बात की उड़ी हैं। मेरे भाई सुरजीत सिंह बैठे नही हैं, इनके हल्के सढौरा में जो इनके पड़ौस में है, संतोष नाम की एक हरिजन बाला के साथ तीन लोगों ने मुह काला किया। उनकी गिरफ्तारियां भी हुईं। जब उसके घरवाले ने, जिसका नाम रघुबीर है, कहने के लिए गया कि तुमने यह क्या किया तो उसको जान से मार दिया। जब उसकी लाश को उठाकर, कुछ गरीब लोग हिम्मत करके जाने लगे तो स्पीकर सर, उसके मुंह में साईनाईड की पुड़िया झोंक दी। लोगों ने हिम्मत करके इस सदन में इस मुद्दे को उठाया था, तब जाकर उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। लोग कहते हैं कि उनको कुछ कांग्रेस के लोगों ने प्रेशेराइज किया था। स्पीकर सर लोगों की अस्मिता लूटी जा रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, इससे हम कौन से राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? कौन सा ला एंड आर्डर मेनटेन करना चाहते हैं? ये तो जबाव दे देंगे कि इन्होंने

उन लोगों की गिरफ्तारिया कर ली हैं, लेकिन जो लोग जुर्म करते हैं, दिन दहाड़े बहन अबला के साथ ऐसा करते हैं, सरकार उनको फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुँचाती? स्पीकर सर, इसी तरह से भूतमाजरा की बात आज तक हल नहीं हुई है। इसके साथ ही बराही के संबंध में जो रिपोर्ट आयी है, हम इसको भी डिसकस करेगे। स्पीकर साहब, चाहे वह पृथला की बात हो, चाहे कोई और बात हो, हम जरूर कहेंगे। (घंटी)आपकी घंटी बज गयी है, इसलिए मैं अपनी मर्यादा को समझता हूं। मैं अपनी पार्टी का एक मात सदस्य हूं। मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन स्पीकर सर, कल्याण सिह की सरकार को तो भंग कर दिया गया और जो कुछ मेवात में हुआ (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इस पर तो आप पहले भी बोल चुके हैं।

प्रो० राम विलास शर्माः स्पीकर सर, मैं इस पर जरूर बोलूंगा। यह दर्द ही इतना बड़ा है कि मैं फिर बोलूंगा। अगर इस बात को यह सदन न भी सुने, तो भी मैं यह बात सदन के बाहर कहूंगा। चौ० अजमत खां जी ने गाय के बारे में कहा कि वह बीमार गाय थी, इसलिए जला दी गयी। क्या किसी को बीमार गाय को जनता का अधिकार है? स्पीकर साहब, बेदी ने भी गाय की महीमा गायी है। हम लोग गाय के दूध को अमृत कहते है। पण्डित नेहरू ने भी एक बार विदेश मे कहा था कि हम गाय के दूध को दूध नहीं, अमृत कहते हैं। स्पीकर सर, हो। सकता है कुछ लोगों के लिए गाय भोजन हो, लेकिन मैं जिस परम्परा में से आया हूं

उसमें गाय मेरे लिए पूज्य है। मैं जिसकी अराधना करता हूं, यदि उसकी मूर्ति को तोड़कर सड़क पर डाला जाये, उस मूर्ति पर पेशाब किया जाये और दो माननीय मली इस बात को यह कहकर उड़ा दें कि हम लोग वहां पर नहीं थे तो बड़ी खेदजनक बात है। भाई मो० इलियास कुछ भी कहें लेकिन क्या वे नूह क्षेत्र से विधायक नहीं हैं? क्या वे मली नहीं हैं? क्या उनको वहां के लोगों का विश्वास नहीं जीतना चाहिए? इन्होंने इसी सदन में कहा था कि वहां पर एक मदिर भी नहीं टूटा, एक भी मन्दिर को आग नहीं लगी। भाई अजमत खां ने भी ऐसा ही कहा लेकिन स्पीकर साहब, मैं आज भी अपनी बात पर, अपने स्टैड पर कायम हूं। मैं इस्तीफे का नाटक नहीं करता, मेरी आपमें आस्था है। आप स्वयं या मुख्यमंत्री जी नूह में जाकर देखें कि अगर नूह खा कोई मन्दिर बिना खण्डित किए हुए हो तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दें। अगर यह बात गलत हो, सदन से इस्तीफा तो क्या, हम जीवन से भी हाथ धोने के लिए तैयार हैं। मेवात में जो इस बार हुआ है, वह पूरे हिन्दुस्तान में कभी नही हुआ। यह ठीक है कि भजन लाल जी अपने मंत्रियों को कुछ भी दे दें, मगर लोगों की भावनाएं बातों से नही दबेगी। सरकार से नहीं दबेगी, जब तक इन भावनाओं पर मरहम नहीं लगाया जाएगा। जब तक गुनाहगारो को कटघरे में लाकर लोगों को नहीं दिखाया जायेगा, तब तक लोगों की भावनाएं नहीं दबेगी, लोगों के जजबातों में जो आग लगी है, वह शान्त नहीं होगी। सर—

''जिन्होंने हथेली पर रखी हुई है दुनिया, वे दुनियां नू झुकान्दे,
कभी झुकदे नहीं होन्दे,

पहाडा दी छाती नू छलनी बना के, जेड़े सोमे निकलदे होन्दे, ओ
सुकदे नहीं होदें?।

कभी कोई राम, बाबर दे अग्गे, झुकदे नहीं होन्दे।'' जय श्री राम।

श्री सतबीर सिह कादयानः अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का टाईम दे। (शोर)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बैठिये। आपको बोलने का टाईम दिया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री जी बोलेगे। (शोर)

मुख्यमंत्री (चौ० भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, डिसकशन का समय और बढ़ा दियो जाये।

श्री अध्यक्षः कितना समय और बढ़ा दिया जाये?

चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये क्यों कि मुझे एक घंटा तो बोलना ही है (शोर)अध्यक्ष महोदय, इनको आप बैठाईये।

श्री अध्यक्षः बहस का समय डेढ घंटा बढ़ाया जाता है। कादयान साहब, आप बैठिये। अब हम किसी को भी टाईम नहीं देंगे क्योंकि सभी पार्टियों के नुमायन्दे बोल चुके हैं, इसलिए अब

आप बैठ जाये। (शोर)शांति से सब कुछ हो गया है, अब आप बदमगजी पैदा न करें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, आप हमें केवल दस मिनट के लिए बोलने का मौका दे दीजिये। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये लोग बार–बार चेयर को डिफाई कर रहे हैं। आप इनको बैठाईये ताकि मैं अपनी बात शुरू कर सकू (शौर)(इस समय चौधरी अमर सिंह जी भी बोलने के लिए बड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : चौ० अमर सिंह जी, आप बैठिये। अब किसी को भी बोलने का टाईम नहीं मिलेगा। (शोर)

चौधरी भजन लालः अष्यक्ष महोदय, इनको तो बोलने का टाईम मिल चुका है।

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप बैठ जायें। मैं आपने पुनः अपील करता हूं कि आप बैठ जाये क्योंकि आपको ज्यादा टाईम मिल चुका है। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें तो बोलने का समय मिला ही नही है। (शोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब आप मूझे दौ मिनट

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप लोग ऐसी बातें न कीजिए। अगर आपको दोबारा टाइम देंगे तो सभी पार्टियां दोबारा टाइम देने के लिए कहेगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आज हाउस में इनकी फिर वही बात है। ये फिर जाने वाले हैं, ये सुनेंगे नहीं। हमने पहले ही कहा था कि ये सुनने वाले नहीं हैं। एक घंटा सारे अपोजीशन का था और एक घंटा सिर्फ सम्पत सिंह जी बोले हैं।

श्री अध्यक्षः हर कोई प्रपोरशनेट टाइम लेकर बोले हैं। चौ० अमर सिंह जी आप बैठ जाइए, जिद्द न कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः क्या वायदा किया था, आप रोल तो लिए पहले। (शोर)

अध्यक्ष महोदय, इनका टाइम तो 12 मिनट बनता था लेकिन ये 40 मिनट से ज्यादा बोल लिए (शोर)इसके अलावा, अभी मुझे बोलना है नही तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पेपर में भी इनकी बात आएगी, हमारी बात नहों आएगी। देखिए, आपके लिए तीन घंटे फिक्स किए थे। तीन. घंटे सवा पांच बजे खत्म हो गए। हाउस को एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए क्योंकि एक घंटा तो मुझे ही बोलने के लिए चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जाना है, वाक–आउट करना है। यह हमको सुनेंगे नहीं। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपने वायदा किया था कि आप बात सुनोगे। आप इस ढंग से बोत न करें कि कोई बदमजगी पैदा हो। (व्यवधान व शोर)कादयान जी, आप बैठिये।

आवाजें: आप हमें बोलने दो।

श्री अध्यक्षः नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देते। आप बैठ जाएं।

श्री सतबीर सिंह कादयानः मैं इनडैफिनिट भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे बोलने के लिये समय नही दे रहे हो।

(इस समय श्री सतबीर सिंह कादयान ने हाउस के 'वैल' में आकर धरना दे दिया)

चौधरी भजन लालः देखिये, क्या यह तरीका ठीक है? यह कोई तरीका नही है। सवा घंटे तक तो इनके लीडर अकेले बोले है, आखिर कोई न कोई नियम तो होना चाहिए। क्या इनका यह तरीका ठीक है?

एक आवाजः स्पीकर साहब, आपने पहले इनको बोलने के लिये कहा था।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

चौधरी भजन लालः इनको बोलने के लिये बिल्कुल नहीं कहा था। मुझे बोलने के लिये कहा था अध्यक्ष महोदय ने। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः आप आखिर में बदमजगी क्यों फैलाना चाहते हो? अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि 5 मिनट इनको बोलने के लिये दे देते हैं।

चौधरी भजन लालः नहीं, नहीं, फिर तो ये भी बोलेगे, सारे ही दोबारा बोलेगे, फिर ऐसे काम कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्षः ऐसे है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए इनकी पार्टी वाले बोलने के लिंए एग्री करते हैं तो ठीक है, 5 मिनट बोल लें।

(इस समय श्री सतबीर सिंह कादयान हाउस के 'बैल' से उठकर अपनी सीट पर चले गये।)

आवाजेः हमें भी 5 मिनट का समय चाहिये।

चौधरी भजन लालः ठीक है, अध्यक्ष महोदय, जैसे आप ठीक समझते है, कर में। वैसे इनका यह तरीका ठीक नहीं है। जो आदमी आपको डिफाई करके नीचे बैठ जाये, उसको टाईम देना मुनासिब नही है। ये आपको थैट करके नीचे बैठे हैं कि टाईम दो।

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, वैसे तो यह तरीका ठीक नही हे। फिर भी हम आपको टाईम दे देते हैं। पहले भी आपको दो दफा नेम कर दिया गया, अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट न करें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः हम नेम होने से डरते थोड़े ही हैं।

श्री अध्यक्षः इसमें डरने की बात नही है, बात कायदे–कानून की है। पहले भी आप को दो दफा नेम किया जा चुका है। अगर किसी मैम्बर को दो दफा नेम कर दै तो उसको इस हाउस सै या सैशन से निकाला जा सकता है। इस बारे में कायदे–कानून हैं, रूल्ज बुक है। आपने अपनी बात तो कह ली और आप चीफ मिनिस्टर साहब की बात सुनना नही चाहते, यह ठीक नहीं है। अब फैग ऐन्ड में यह बात अच्छी नही लगती कि आपको निकालें। जिस तरह से कादयान साहब आकर बैठ गये, उस तरह से धरना देना कोई अच्छी बात नही है। आपकी सारी बातें हो ली, ङ्ोय आप बदमजगी क्यो पैदा करना चाहते हो? वैसे तो यह अच्छी बात नही है लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा नाप कर आप उससे आगे एक मिनट भी नही बोलेंगे। कादयान साहब, आपकी पार्टी को अब 5 मिनट और मिलेंगे इसके अलावा 5 मिनट इंडीपैडैट को दिये जायेगे। (व्यवधान व शोर)अब आप मारे बैठिये।

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का टाईम दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

सिंचाई मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। हमने आपसे शुरु में हो प्रार्थना की थी कि पार्टीवाईज टाईम बांट दो और आपने बांटा भी। इसके लिये आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन उस टाईम के बंटने का कोई औचित्य नहीं रहा। आपने टोटल अपोजीशन को एक घन्टा देना था, लेकिन इनके लीडर सम्पत सिंह ने ही एक घंटे से ज्यादा समय ले लिया। हमें दो घंटे मिलने चाहिये थे लेकिन हमें वह भी पूरे नही मिले (व्यवधान न शोर)। स्पीकर साहब, एक घंटा फिर बढ़ाया। उसमें भी माननीय सदस्य फिर बोल लिये। वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती चन्द्रावती और पंडित जी ने तो सारा मामला गोल कर दिया। स्वीकर साहब, इतने लम्बे– समय तक जब ये लोग बोलेंगे तो फिर उसी हिसाब से हमें टाईम दे दिया जाए। आपने एक रुलिंग दे दी कि पार्टीवाईज टाईम मिलेगा तो उस पर अमल होना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्षः नेहरा साहब, तीन दिन कार्यवाही चल चुकी है इसलिये अब बदमजगी क्यों पैदा करें। कादियान जी अब आप बोलें। आपको सिर्फ पांच मिनट दिये जाते हैं। पांच मिनट से सवा पांच मिनट नहीं होंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, आपने मुझे टाईम दिया, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूं। स्पीकर साहब, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खडा हुआ हूं। स्पीकर साहब, पिछले छः महीने के अन्दर इस मौजूदा सरकार ने किस प्रकार के कांड किए, कैसी घटनाएं की और कैसे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, वे सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हू। पिछले दिनों पानीपत के अन्दर चार सट्टे वालों के०पर करनाल के एस० पी० मि० राय ने रेड करके 23 आदमी पकड़े और उनमें से चोर आदमी बाद तक पकडे रखे। उन को तरह तप की यातनाएं दी गई और जब पैसा मिल गया तो उनको छोड़ दिया। स्पीकर साहब आज भी हरियाणा प्रदेश के अन्दर 18 अक्तूबर 1992 के बाद, उन चार आदमियों के०पर कोई केस दर्ज नही है। वे चार आदमी है बलवान, चन्द्रभान, जयकंवर और रणधीर सिंह जो कि सट्टा खेलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इस केस मे करनाल का एस० पी० अपनी जुरिस्डिक्शन और अपनी ताकत से बाहर गया था। उसको क्या अख्तियार था अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर रेड मारे? इसका मतलब तो यह हुआ कि पानीपत का एस० पी० और सारा प्रशासन नंपुसक हो गया। क्या उनको पता नही था कि पानीपत में ऐसी हालत है? अगर वहां पर कोई गल्त काम हो रहा था तो उनको उसी समय, पानीपत के सिटी थाने में, एफ० आई० आर० दर्ज करानी चाहिए थी। हो सकता है उन सट्टे वालों ने मुख्य मन्त्री को ऐप्रोच किया हो तब वे छोडे गए हों। स्पीकर साहब, छिछराना

एक गांव है। वहा का लिप्टीनाम का आदमी निशानदेही लेने के लिये उरलाना थाना से हरियाणा पुलिस के एस० एच० ओ० तथा दस सिपाही और मधुबन से महिला पुलिस के कुछ कांस्टेबल तथा 100 के लगभग दूसरे सिपाही थे, लेकर निशानदेही के लिये गये थे लेकिन पुलिस उसकी लाश लेकर आई। यह कितने शर्म की बात है। स्पीकर साहब, जब ऐसी हालत हो तौ लोगों के अन्दर कैसे इस तरह की भावना पैदा होगी कि उनको न्याय मिलेगा और सब को सम्मान मिलेगा? स्पीकर साहब, पिछले दिनों पानीपत के एक हैड कांस्टेबल ने थर्मल प्लांट के अन्दर एक चौकी है, उसमें एक तीस वर्षीय महिला के साथ रेप कर दिया लेकिन सरकार के कानों पर इन सब बातो की जू तक नही रेंगती कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। स्पीकर साहब, मेरे इलाके मे सिवाह एक गांव है, वहां एक सीनियर सेकेन्डरी स्कूल है। वहां पर विजेन्द्र नाम के लड़के की हत्या प्रिंसीपल की लापरवाही के कारण हुई है। मैंने बहन जी को इस बारे में बार बार तबादले के लिंए कहा था।

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आपका टाईम हो गया. है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, राजेन्द्र त्यागी नाम का जो प्रिंसीपल है अब उसकी बदली करदी तथा दोबारा वापिस पानीपत के अन्दर लगा दिया गया है। मुझे दुख इस बात का है कि घटना 14 तारीख को हुई थी। प्रिंसीपल न तो 13 तारीख को और न ही 14 तारीख को हाजिर था और उस

प्रिंसीपल ने मर्डर होने के बाद दोनों दिन की प्रैजेन्ट लगा दी। एस० पी० पानीपत और डी० सी० पानीपत इस बात के गवाह हैं और सारे सिवाह गांव के स्कूल के बच्चे तथा सारा गांव भी इस बात का गवाह है। वह प्रिंसीपल त्यागी है और बहिन जी के हल्के में त्यागी बहुत रहते हैं और ये पोलिटीकल सिफारिश बहुत मानते हैं गुस्से में कुछ बच्चों ने पानीपत में कुछ नुकसान कर दिया और मरने वाले बच्चे के रिश्तेदार एक मास्टर को उस नुक्सान का जिम्मेदार ठहराया जो कि गलत है। मैं पानीपत के डी० ई० ओ० वधवा से किसी काम से मिलने गयीं। उसने बातों बातों में मुझे कहा कि किसी को भर्ती कराना हो तो बहिन शान्ति के हसबैंड को मिलो। वे यह कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर वे पैसे ले लेते हैं, वे एक साल की तनखाह ले लेते है और कैंडीडेट को यह कह देते हैं कि तुम यह समझना कि एक साल लेट भर्ती हुई। (शोर)अगर यह बात झूठी है तो उस डी० ई० ओ० को मेरे सामने लाओ और पूछ लो। अगर बात ठीक निकली तो या बहिन जी इस्तीफा देगी या मैं दे दूंगा। आज मन्त्रियो का कोई नैतिक स्तर नही रहा और प्रशासन में उनकी पकड़ नाम की कोई चीज नहीं रही है।

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, अब आप बैठे आपका टाईम पूरा हो लिया है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने एक मैचिंग ग्रांट की स्कीम चलाई थी। हमने इसराना कालेज के

लिये, 27—3—91 को 5 लाख 40 हजार रुपए मैचिंग ग्रांट स्कीम के तहत जमा किए थे लेकिन हमें, पौने दो साल के बाद आज तक, एक पैसा नहीं दिया। (शोर)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आपका टाईम हो गया है। दूसरे आनरेबल मैंबर्ज खड़े हैं। आप दूसरों के टाईम का भी लगन रखें। यह आपकी बात ठीक नहीं है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, आपकी बात को मानते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल (हिसार): स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे दो दिन के बाद बोलने का समय दिया। सब से पहले मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी अभी गुप्ता जी ने और बहिन करतारी देवी ने कहां कि 6 महीने के बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। हमने यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए रखा है कि इस गवर्नमैंट में क्रप्शन और घटिया ला एंड आर्डर चल रहा है। शायद अविश्वास प्रस्ताव मैं इधर के लोग हमारा साथ दे दें। यह गवर्नमैंट गिर जाए इसलिये हमने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा था। चौधरी सम्पत सिंह ने कहा था कि 24 किलो अफीम पकड़ी गई है। वह 24 किलो नहीं बल्कि 38 किलो है। जब हम गांव में रहते थे तो अगर किसी से एक तोला भी अफीम मिल जाती थी तो उसको पांच साल की सजा होती थी।

आज कानून इतना गिर गया है कि 38 किलो अफीम किसी मिनिस्टर के घर से मिल जाए और उस केस को मुख्य मन्त्री जी दबाना चाहें तो आगे चल कर यह स्टेट क्या चलेगी और क्यों यहां ला एंड आर्डर चलेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ला एंड आर्डर नहीं चलेगा यह बड़े दुख की बात है जा एंड आर्डर चलता है मुख्य मन्त्री जी से, औंर क्रप्शान चलती है तो मुख्य मन्त्री से। जब०पर से क्रप्शान फैलती है तो वह नीचे तक जाती है और नीचे वालों का कोई कसर नहीं होता लेकिन उसमें सभी लिप्त हो जाते है। जैसे आज आपने मैम्बर्ज को कार का 3 रुपए पर–किलोमीटर का खर्चा देने का बिल पास किया तो खुशी में लोबी में पेड़े बेर रहे थे और रुम० एल० एज० कह रहे थे कि आज हमने मैदान मोर लिया। मैंने कहा कि ये जो रेट बढ़ाए हैं, आप इसके लिए क्या पेड़े बांट रहे हैं, आप इससे थोड़ा ही सारते हैं। आप तो बहुत बड़े बड़े डाके मारते हो और पब्लिक को बहुत बड़े बडे धोखे देते हो। पब्लिक को आपने क्या दिया है? यह तो आपने बढ़वा लियो, और भी बढवा लेगे। कोई मैम्बर यह कह रहा था कि तीन रुपए से क्या होगा, 5 रुपए होना चाहिए था। मै कहता हूं कि अगर आप 10 रुपए बढ़ाने के लिए भी कहते तो मुआ मली जी बड़े दयालु हैं, खुश करना जानते हैं, वे 10 रुपए भी कर देते। लेकिन जनता को क्या मिला? इस छोटी सी स्टेट में अगर इस तरह से कोस्ट बढ़ती जाएगी, इस तरह से. हमारे०पर खर्चे होते रहेगे तो हम पब्लिक को क्या देंगे हमें इतना कुछ मिलते हुए भी

टेलीफोन का, कार का फिर उसके बावजूद और डिमांड करते रहें तो यह हमें शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्षः सभी पार्टीज के लीडर ने उनसे टेलीफोन पर पूछा था और मुख्य मंत्री जी एग्री कर गए। उसमें सम्पत सिंह जी, अभर सिंह जी और सभी पार्टीज के सदस्य शामिल है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दलः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सजैशन दी और वह हम सबको माननी चाहिए कि पांच विधायक, सभी पार्टीज के जो आपको अच्छे लगें, उनसे इस बात की इन्कवायरी करवाए कि हिसार में मुख्य मंडी जी के लड़कों ने या इनके रिश्तेदारों ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है। यह फैसला आज ही कर लें क्योंकि मुख्य मंत्री जी खुद एग्री करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो हो सकता है, यह इल्जाम इनके सिर से हट जाएगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी बहुत होशियार हैं और सारी बातों के योग्य है, ये ठीक कर लेगे। स्पीकर साहब, मैं आपके घंटी बजाने से पहले ही बैठ जाऊगां हू। (धन्यवाद)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज समूचे विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है हमने इसका वैलकम किया है। प्रजातन्त्र का तरीका है कि अगर सरकार में कोई कमी है, अगर सरकार कोई गलत काम करती है और सरकार को नीति ठीक

नहीं है, तो सभी चुने हुए नुमायदों का फर्ज बनता है कि सरकार को रास्ता बताए, रास्ता दिखाएं और सरकार का भी यह फर्ज बनता शै कि सरकारी क्रिटिसिज्म को सुने। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत ही शांतिपूर्वक इनकी बातों को सुनने की कोशिश की लेकिन जिस तरह का वातावरण सम्पत सिंह जी के ग्रुप की तरफ से बना और जिस तरह को भाषा का इस्तेमाल सम्पत सिंह जी ने किया। वह बहुत ही निन्दनीय है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी किसी प्रूफ के साथ कोई बात कहे तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन वैसे ही एलीगेशन लगाएं तो बात समझ में नहीं आ सकती। अब मैं चौधरी देवी लाल के बारे में कुछ कह दूं या किसी और के बारे में वैसे ही कुछ कह दूं तो वह मुझे शोभा नहीं देता। इन्होने इस तरह की बातें कह करके हाउस में जो शानदार माहोल बना हुआ था, उसको बिगाड़ा। इसके लिए मुझे बड़ा भारी दुःख है, बड़ा खेद है। हम जानते थे कि ये लोग ऐसी हरकत करेगे। अध्यक्ष महोदय, अपिने भी डनकी हरकतों को देखा और कंडैम भी कियां कि इनकी एक्शन ठीक नही है। अध्यक्ष महोदय कल भी, पहले दिन भी और आज भी आपने इनको दो दफा नेम किया और नेम करने के बाद हू नको सदन में आने का अधिकार नही है लेकिन हमने आपसे यही कहा कि आप उनको हाउस में बैठाएं। जब अपोजीशन सामने न बैठी हो तो कोई बात कहने कोई मज नहीं आता। खाली टेबल को कोई बात सुनाने का कोई फायदा नहीं। मजा तभी आती है जब अपोजीशन के साथी सामने बैठे हों क्योंकि यह प्रजातन्त्र है। प्रजा द्वारा चुने हुए जो नुमाइन्दे हैं,

उनको सारा प्रदेश देखता है कि हरियाणा की विधान सभा में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, मैम्बर क्या बोलते हैं, किस तरह काम करते है और किस तरह पब्लिक की बात करते हैं। चौधरी सम्पत सिंह 1 घंटा 10 मिनट इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। इस अवधि के दौरान इन्होंने एक बात भी अपने हल्के के बरे में नही कही कि मेरे हल्के में यह तकलीफ है। वहां पर यह कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए यह किया जाना चाहिए। इन्होंने जो कुछ कहा, वह सारा रिकार्ड पर मौजूद है। (विघ्न) एक बात आपने स्टेट की कही। वह कही कि ला एंड आर्डर की सिचुएशन प्रदेश की ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं' कि जब आदमी कुर्सी से उतर जाता है, तब वह अपनी बात भूल जाता है किं –उनके समय में क्या होता था। इनके समय में ला एंड आर्डर की क्या स्थिति थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है, इस बात को सारा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। इनके राज में ग्रीन ब्रिगेड के नाम से किस तरह बूथों और जमीनों पर कब्जे होते थे, सभी जानते हैं। इलाहाबाद के इलैक्शन में यू०पी० के अन्दर जहां से वी० पी० सिंह चुनाव लड़ रहे थे, के चुनाव में यहां से एक हजार मोटर साईकिल, लाठियां और असला तथा हरी पट्टी बांध करके ग्रीन ब्रिगेड के लोगों को भेजा। चौधरी देवी लाल में एक खासियत है कि जब कभी उनकी किसी से बिगड़ जाती है तो चाहे वे लोक सभा के अन्दर हो या कहीं बाहर हों, फौरन सच्चाई कह देते हैं। जब उनकी वी० पी० सिंह से बिगड़ गई तो उन्होंने कह दिया कि वी० पी० सिंह, अगर मेरे ग्रीन ब्रिगेड के लोग इस

इलैक्शन में बूथ कैपचर न करते तो आप चुनाव नही जीत सकते थे। किस तरह का वातावरण इन लोगों ने देश और प्रदेश में बनाया, उसको सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इनके समय में किस तरह से जमीनों पर कब्जे होते थे, वह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है, इनके समय में जितनी लूट खसूट होतीं थी, वह आज तक कभी नही हुई। जो जमीन खाली पड़ी नजर आई इन्होंने उस पर ही कब्जा कर लिया। हमने चुनाव के समय वायदा किया था कि जितने नाजायज कब्जे इन लोगों द्वारा किए गए हैं, वे सब छुड़वा लिये जाएंगे। (विघ्न) हां 90—95 प्रतिशत कब्जे हमने छुडवाये हैं। (विघ्न) आप मागेंगे तो लिस्ट भी आपको दे देगे कि किस किस जिले में किन किन लोगों से नाजायज कब्जे छुडवाये गए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आदमी जिस तप का होता है, वह दूसरे के बारे में उसी तरह की बात सोचता है। यदि कोई शरीफ आदमी है तो वह दूसरे को भी शरीफ समझता है और ऐसा शरीफ आदमी कई बार धोखा भी खा जीता है। (विघ्न) हम भी चाहते तो कह सकते थे कि मनी बिल हैं, एप्रोप्रिएशन बिल है, उस पर वोटिंग होनी है तो क्या जरुरत है नो काफिडेंस मोशन लाने की? इनकी तो यह बात हो गई कि दंगल में जब कोई पहलवान कुश्ती के लिये आता है और वह हार जाता है, तो दुबारा फिर अजमाईश करता है और फिर मार खा जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन्हें कुछ शर्म हया तो करनी चाहिए। इनको एक दफा पटकनी लगी, दोबारा फिर मुकाबले के लिये सामने आ गए। दोबारा पटखनी खाई फिर तीसरी बार मुकाबले पर आ गए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको

अपना जमाना याद नहीं, जब इनके आदमी गुण्डागर्दी और दूं बदमाशी करते थे। उनको परमिट जारी किए हुए थे कि अगर कहीं कोई पूछे तो दिखा देना कि यह ओम प्रकाश चौटाला का कार्ड है। अध्यक्ष महोदय, फिर इन लोगों ने फारमर की बूरी हालत कर दी, इस देश और प्रदेश के अन्दर इस बात को हरियाणा के किसान अच्छी तरह से जानते हैं। पहले जो राज आया था उसमें किसान की क्या हालत थी, इस बारे थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा किसानों को खेतों में खड़ा गन्ना खेतों में ही जलाना पड़ा। अगर किसी ने आलू बो लिया तो उसकी भी हालत बहुत बुरी हुई। लोग आलू की देरी खेतों में कर के आ जाते थे कि कोई इनको उठा ले जाए। पांच रुपए आलू का भाव किसानों को मिला था और बोरी समेत मण्डी में उसको चार रुपये में बेचना पड़ा। इनके राज में किसान की यह हालत थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज में किसान को बहुत ही बढिया भाव मिला है। पिछले साल किसान को जितना अच्छा भाव कपास और जीरी का मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला। हर जिन्स का बहुत ही अच्छा भाव हमने किसान को दिया है औंर वह इसे हमेशा याद रखेंगे। (विघ्न) क्या चान्द सूरज और आसमान भी आपके ही बनाए हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुन्दर भाव हमने किसान को दिया और इस बार भी सरकार सपोर्ट प्राईस जो तय कर रही है उसमें उम्मीद है कि 40 रुपये का भाव किसान को ज्यादा मिलेगा (विघ्न) आप बडे हो सकते हैं मैं छोटा ही सही। हमने कितना अच्छा भाव किसान को दिनी है। आप लोगों ने कितना शोर मचाया कि खाद का भाव

बढ़ा दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिये। इसीलिये किसानों को कहते हो कि किसीनों खेतों में खाद मत डालो, टयूबवैल का बिल मत भरो। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आडर है। समाजवादी जनता पार्टी ने किसी भी प्लेटफार्म से कमी यह आहवान नही किया कि किसान खेतों में खाद न डोले यां बिजली का बिल न भरें। स्पीकर साहब, मैं आन ओथ कहती हूं कि हमने कभी ऐसी बात नहीं कही हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि खेतों में बाद का प्रयोग नहीं होगा तो उत्पादन कम हो जाएगा।

चौधरी भजन लालः क्या आपने यह नहीं कहा कि बिजली के जो रेट बढ़ाए हैं, वे गलत हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमने यह कभी नहीं कहा कि खेतों में खाद मत डालो या टयूबवैलों के बिजली के बिल न भरो। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, किसान को रबी की फसल का अच्छा भाव मिलेगा और पीछे अच्छा भाव मिला भी है। जो खाद के रेट बड़े हैं, उससे किसान को सौ रुपए मुश्किल से एक एकड़ में खाद डालने पर, ज्यादा खर्च करने पड़े हैं परन्तु जो उसको भाव मिला है, वह करीब पांच रुपए एकड़ के हिसाब से ज्यादा मिला है। इस प्रकार किसान को करीब चार रुपये प्रति

एकड़ का फायदा ही हुआ है। खेती के नए भाव भी आने खा वाले हैं, वे जल्दी ही एनाऊंस होने वाले है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि बिजली आज एक ऐसा साधन बन गई बै कि बिजली के बगैर न तो खेती हो सकती है और न ही इण्डस्ट्रीज लगाई जा सकती है। खेती और इण्डस्ट्री आज देश के रथ के दो पहिये हैं। किसान और इण्डस्ट्रियलिस्ट देश की अर्थ–व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। आज किसान को बिजली मिलनी चाहिए ताकि वह देश को अन्य दे सके। रोजगार भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसके लिए भी इण्डस्ट्रीज की जरुरत है। इन दोनों के सहयोग से ही देश की अर्थ–व्यवस्था सुद्रढ़ हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि किसानों को, इण्डस्ट्रीज को पूरी बिजली मिले। एक बात इन्हेंने कह दी कि बिजली का रेट बढ़ा दियो यह भी कह दिया कि हरियाणा में प्रधानमन्त्री आने वाले हैं, अमी तक नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बनाना चाहता हूं कि 266 करोड़ रुपए का बिजली बोर्ड को घाटा होता है। जब हम प्रोजैक्ट की बात भारत सरकार से करते हैं तो भारत सरकार कहती है आपके पास दो सौ करोड़ रुपया कोल और तेल का बकाया है, पहले वह वापिस दो। अगर नही दोगे तो हम आपके प्रोजैक्टस कैसे मन्जूर करेंगे?

प्रो० सम्पत सिंहः यह भी तो एक कारण है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह भी एक कारण है। जब स्टेट के पास पैसा नहीं होगा तो प्रोजैक्टस कैसे लगेंगे? अगर प्रोजैक्टस नहीं लगेंगे तो जितनी बिजली को मांग आज, उतनी ही आने वाले पाच सालों में और हो जाएगी तो इस प्रदेश का क्या बनेगा? अगर यही स्थिति रही तो किसी ट्युबवैल को कनैक्शन नही मिलेगा। कोई भी इण्डस्ट्री नही खुलेगी। इसलिए हमने बिजली का रेट थोड़ा बढ़ाया है और जो बढ़ाया है, उससे बिजली बोर्ड को टोटल 50– 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर 266 करोड़ में से 60 करोड़ चले भी जाएं तो भी 206 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो छोटे लोग बिजली का उपयोग पर में करते हैं, उसके हमने रेट नहीं बढ़ाए हैं। बाकियों का भी थोड़ा सा रेट बढ़ाया ताकि उनका काम चलता रहे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि यमुना नगर थर्मल प्लांट, फरीदाबाद थर्मल प्लांट और हिसार का थर्मल प्लांट है। हिसार का थर्मल प्लांट साईन हो गया है, यह एक हजार मैगावाट का है। इस बारे जनवरी में एग्रीमैंट होगा। इस तरह से यमुना नगर थर्मल प्लांट के बारे में एन०टी०पी०सी० से बात–चीत चल रही है। लगभग बात तय हो गई है, जब मैं बाहर गया था तो वहा से आने के बाद मैंने भारत सरकार को पत्र लिख दियों था कि अगर एन०टी०पी०सी० नहीं मानती है तो हरियाणा बिजली बोर्ड सीधा यह प्लांट लगाने को तैयार है। मेरे पास 5– 6 दिन पहले भारत सरकार की चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है कि नही, हमने एन०टी०पी०सी० को टौप प्रारिटी पर ले रखा है और हमारी

बातचीत चल पी है। बहुत ही जल्द हम फैसला करगे वाले हैं कि हम और एन०टी०पी०सी० मिलकर यह प्लांटस लगाएंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं, शायद ठीक कह रहे हैं। परन्तु पार्लियामैंट में एक सवाल आया है, उसका जवाब एनर्जी मिनिस्टर ने दिया है। वह सवाल था

श्री अध्यक्षः उसकी तारीख क्या है?

प्रो० सम्पत सिंहः सर, 1– 12– 1992 है

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चिट्ठी तो हमें अब आई है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भी वही कह रहा हूं, वह सवाल था :–

(a) "Whether Government have received any offer from private Sector to help setting up of Thermal Power Station at Yamuna Nagar and a gas based power plant at Faridabad both in Haryana, if so, the detail, thereof;

(b) whether any foreign help is coming forth, if so, in what way Government propose to proceed with the construction of Yamuna Nagar Super Thermal Power Station and the Faridabad Gas based units ?"

The reply of the Minister of State of the Ministry of Power, (Shri Kalp Nath Rai) is as under :-

" (a) No firm technical or financial offer has been

received by the Government from the private sector for setting up the Yamuna Nagar Thermal Power Station or the Faridabad gas based power project.

(b) Does not arise."

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये प्रोफैसर हैं थोड़ा बहुत जरूर पढ़े लिखे होंगे। सर, जब मैं जिम्मेवारी के साथ खड़ा होकर कह रहा हूं कि हमने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और अगर ये कहें तो कापी दिखा भी देंगे। भारत सरकार का जवाब भी आयों है। हमारी कोशिश यही होगी कि इस 31 मार्च से पहले-पहले इसका एग्रीमैंट हो जाए और अगले साल अप्रैल से इसका काम शुरू हो जाए। दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एस०वाई०एल० के बारे में कहा कि इसका काम बी०आर०ओ० को नहीं सौंपा गया। चौधरो वीरेन्द्र सिंह ने भी कहा कि मैंने जो स्टेटमैंट दी है, वह गलत दी है। आपको उसकी तह में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उस स्टेटमैंट का क्या मकसद है? उन्होंने यह भी कहा कि इसके फाईल पर आर्डर नही है और अभी तक काम बी०आर०ओ० को नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके फाईल पर आर्डर हैं और इसकी कापी भी हमारे पास है। यह काम अभी तक बी०आर०ओ० के हवाले इसलिए नही किया गया क्योंकि पंजाब के हालात बहुत खराब थे। अब पंजाब के हालात 90 परसैन्ट तक नार्मल होने लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लोग किसी भी तरह से अपनी स्टेटमैंट तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। अध्यक्ष

महोदय, मेरी इस बारे में श्री बेअन्त सिंह से भी 6–7 मीटिंग हुई थीं। वे भी इस बात को कहते हैं कि पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। (शोर)आप मेरी बात को तो सुनिये। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कभी भी यमुना नदी के पानी की बात नहीं कही है। (शोर)अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, पानी पर आपका अधिकार भी है और फिर जितने पानी के लिए आप कह रहे हो, उतना पानी तो पाकिस्तान में भी जा रहा है, इसलिए वे एक ही बात कहते हैं कि अगर हमें राजस्थान के हिस्से का थोड़ा पानी मिल जाये तो हम लोगों को कहने वाले हो जाये। वैसे भी जब तक राजस्थान पानी इस्तेमाल नहीं करता, जब तक उसकी नहर बन नहीं जाती, तब तक अगर पंजाब उस पानी का इस्तेमाल कर लेता है तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत नजदीक लग चुका है लेकिन ये लोग मामले को छेड़ते रहते हैं। ये लोग यह सोचते हैं कि अगर हरियाणा को पानी मिल गया तो लोग भजन लाल की पूजा करेंगे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का जनता तो जानना चाहती है कि कब हरियाणा की जनता को पानी मिलेंगीं? अगर ये हरियाणा में पीनी लाते हैं और उसका श्रेय इनको मिलता है तो यह तो अच्छी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पानी हम ही लाकर दिखायेगे। इसके अलावा, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड

बैक से फिशरीज के लिए पैसा नही मिला, कोई नया माईनर शुरू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमने डेढ़ साल के अन्दर कम से कम 20 से भी ज्यादा माईनरों का काम शुरू कर रखा है। यहां पररू आनन्द सिंह डांगी बैठे हुए हैं, वे बतायेगे कि जब चौधरी देवीलाल एम०एल०ए० बने थे तो शुरू में एम०एल०ए० बनते ही, उन्होंने मेहम में एक पत्थर रखा था और वह चार साल तक पत्थर ही रखा रहा।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, वहां पर तो काम चालू हो गया था और पैसा भी दिया जा चुका था। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह सुनने की तो कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: दो माईनर तो हमारे यहां पर ही सैक्शन हो चुके हैं। सम्पत सिंह जी आप बैठिये। 31 मार्च से पहले पहले एग्रीमैंट हो जायेगा, जैसे मुख्य मन्त्री ने कहा है।

प्रो० राम विलास शर्मा आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि एस०वाई०एल० के फाईल पर आर्डर है और वह इनको पता है। तो क्या ये केन्द्र की सरकार से यह असर्ट करेंगे कि यह काम बी० आर०ओ० को जल्दी से जल्दी सौंपा जाये।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पांच मीटिंग प्रधानमन्त्री के साथ और दसियों मीटिंग सैन्ट्रल इरीगेशन मंत्री के

साथ हमारे अधिकारियों ने अलग से की हैं। प्रधानमन्त्री लेवल पर भी अलग से मीटिंग हुई हैं और मैं इतना ही कड़ु सकता हूं कि जब तक भूखे को रोटी नहीं मिलती, जैसे भूख लगी हो तो आटा माढ़ो, रोटी बनाओ और फिर खाओ, तब तसल्ली होती है। इसी तरह से हरियाणा के लोगों को और हमें, जब तक काम शुरू नहीं होता, तसल्ली नहीं होगी। इस बात को भी आप जानते हैं कि इस नहर की शुरुआत का काम भी भजन लोल ही करवा गया था, यह किसी और के बस की बात नहीं थी।

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एस०वाई० एल० नहर का कोम कब तक चालू हो जाएगा?

चौधरी भजन लालः काम शुरू होने के बाद से छह महीने लगेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मुख्यमन्त्री महोदय ने यह कहा कि पंजाब के हालात में 90 प्रतिशत सुधार हो गया है और जब एस०वाई०एल० का काम दी० आर०ओ० को दिया था तो हालात खराब थे और अब हालात में सुधार हो चुका है इसलिए यह काम किसी और एजैन्सी को दे दिया जाए क्योंकि बी०आर०ओ० को काम देने का फैसला पता नहीं कब तक होगा?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बी०आर०ओ० को यह काम देना इसलिए जरूरी है कि वहां दो दफा नहर पर काम

करने वाले लेबर और इंजीनियर को मार दिया गया, इसलिए हालात में कितना भी सुधार क्यों न हो जाए, चूंकि ज्यादातर लेबर को ही मारा था इसलिए उनमें डर बैठा हुआ है। इसलिए बी०आर०ओ० द्वारा यह नहर बनवानी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात और कह दी कि पानी की चोरी भी बहुत होती है। (विघ्न) वर्ल्ड बैक के फेस– 3, जिस के तहत हमारे पक्के खाल बनते हैं, बाकायदा वर्ल्ड बैक से 50 करोड़ रुपये मंजूर होकर आ गए हैं। मैं अभी वहां जीकर आया हूं और वर्ल्ड बैक के चेयरमैन भी आए थे और प्रधानमन्त्री से उनकी मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में चेयरमैन ने यह कहा था कि अगर हरियाणा जैसा काम हिन्दुस्तान के बाकी के प्रदेश भी करें तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्यायन्ट आफ आर्डर है। जैसा कि अभी भजन लाल ने कहा कि वर्ल्ड बैक फेज–3 सैंक्शन हो गया है और उसका पैसा आ गया है, क्या यह बात ये ठीक कह रहे हैं? स्पीकर सर, वर्ल्ड बैंक फेज–2 31 मार्च, 1992 को खत्म हो गया था और 1 अप्रैल, 1993 से वर्ल्ड बैक फेज–3 शूरु होना था।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, फेज–3 सैक्शंड है, पैसा आ गया है और हम काम चालू रखेगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी मेहरबानी से डिले हुई है हालांकि एक साल पहले ही फेज–3

सैक्शन हो जाना चाहिये था। पहली वाली सरकार की नालायकी थी जिस की वजह से यह उसको सैक्शन नही करवा सके।

प्रो० सम्पत सिंहः आप 199 1– 92 से यहां पर आये हो, तब से क्या किया? मैंने पिछली बार भी कहा था कि नान–टैकनीकल आदमी ई०आई०सी० लगाया हुआ था, अब इन्होने टैक्नीकल आदमी को ई०आई०सी० लगाया है। इस वजह से हालात सुधरने लग रहे हैं। एक नान–टैक्नीकल आदमी की वजह से एक साल खराब हो गया है। मैं मानतीं हूं कि एक अच्छे आदमी को इन्होंने ई०आई०सी० लगायीं है। उसकी वजह से अब यह प्रोजैक्ट सैक्शन हो गया होगा, वरना एक सोल जो बर्बाद हुआ ही है, वह इसी वजह से हुआ है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो भी पैसा सैक्शन होकर हमारे पास आया है, हमने उससे कामं शुरु कर दिया है। जितनी भी हमारी खालें थीं, उन पर काम शुरू हो गया है। जहां तक हथिनीकुंड बैराज का सवाल है, कई सालों से यह मामला उलझा हुआ था, अब बाकायदा उसका फैसलों हो गया है और यू०पी गवर्नमैंट के साथ एग्रीमैंट हो गया है। हरियाणा का शेयर ताजेवाला में जो पहले 2.1 था, वह ज्यों का त्यों ही कायम रहा है। इसके लिये हमें बहुत भारी लड़ाई लड़नी पड़ी है। हथिनी कुंड बैराज का भी तय हो गया है। आप जानते हैं कि हथिनी कुड का मामला कितना उलझा हुआ था। वह सारा मामलों एग्रीमैंट होकर तय हो गयो है। इसके साथ ही एक बीत इन्होंने कही।

श्री अध्यक्षः यह हथिनी कुंड का काम कब तक शुरू हो जायेगा।

चौधरी भजन लालः इसका एग्रीमैंट यू०पी० के साथ हो गया है। पहले तो एग्रीमैंट न होने की वजह से हम काम ही शुरू नहीं कर सकते थे। अब हमारी कोशिश यह होगी कि एक महीने तक यह काम शुरू हो जाये। अप्रैल तक तो काम शुरू करा ही देगे। इन्होंने एक बात और कहा कि पानी की चोरी होती है। यह बात ठीक हो सकती है कि कुछ लोग पानी की चोरी कर लेते होंगे लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि टेल तक पानी पहुंचे और पहुंचा भी है। हमने नहरों की और माईनर्ज की सफाई कौरा की है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सफाई से 80 प्रतिशत पूरा पानी टैलों पर पहुंचा है। 20 प्रतिशत तक, हो सकता है पानी न पहुंचा हो पहले तो 20 प्रतिशत पानी भी टेल तक नहीं पहुंचता था। एक बात इन्होंने किसानों के डैपुटेशन के बारे में कह दी कि हरियाणा के किसान आये थे। भजन लाल उनसे मिला नही। मैं इनको यह बताना चाहता हू कि उन किसान भाइयों का, 5 आदमियों का एक डैपुटेशन मेरे पास आया था। मैंने बाकायदा उनसे बातचीत की है। मैंने उनसे यही कहा कि हम आपके रेट्स कम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। आपकी बात को हम समझते हैं। लेकिन आपको और कोई तकलीफ हो तो बतायें, हम वह तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। एक बात पर सम्पत सिंह ने और एतराज किया। इन्होंने यह कहा कि अम्बाला जिला में

धूरकड़ा में खाद के 33,000 कट्टे पकड़े गये, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कट्टे किसी भाई ने अपने रखे हुए थे (व्यवधान व शोर)बाकायदा डी०सी० ने मौके पर जाकर, सारे के सारे कट्टे पहले रेट पर यानी पुराने भाव पर बिकवाये हैं। सारे कट्टे पुराने भाव पूर बिकवाये हैं।

श्री सतबीर सिंह कादयानः उस आदमी के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की **चौधरी भजन लालः** कोई स्टाक रखना क्या कोई जुर्म शै? हमने उस पर भी कार्यवाही की है। जहां तक उस खाद के बेचने की बॉत थी, वह खाद हमने पुराने रेट पर ही बिकवायी है। खाद के स्टाक रखने पर कोई पाबन्दी नहीं शै। (व्यवधान)बात खत्म हो गई, पुराने रेट पर खाद बिकवा दिया। अगर कोई खाद को ब्लैक में बेचता हो और वह पकड़ा जाए तो ऐक्शन लिया जा सकता है। खाद जहां भी पड़ा था, चाहे वह मिनि बैक में था या प्राईवेट लोगों के पास था, पुराने रेट पर हमने बिकवाया है। स्पीकर साहब, इन्होंने शूगर मिल की बात कही कि मिले गन्ना उठाती नही है और बाहर से मंगवाती है। (शोर एवं व्यवधान)इन्होंने कहा था कि इंस्पैक्टर खाद बाहर ले जा रहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयानः आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, 23– 12–92 को शूगर केन कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उस मीटिग में मैंने गन्ने के भाव पर डाइसैनटिंग नोट दिया था परन्तु मेरे नोट पर ध्यान न देकर, एक

रुपया बढ़ाने का, यूनानिमिसली फैसला किया। मेरा डाइसैनटिंग नोट कार्यवाही में दर्ज नहीं किया, यह धोखा हुआ है। इस तरह की प्रोसीडिंग्ज नहीं होनी चाहिये। क्या यह बात मुख्य मन्त्री के नोलिज में नही है? (शोर एवं व्यवधान)। मेरे पास शूगर कंट्रोल बोर्ड की प्रोसीडिंग्ज यह रहीं। मैंने कहा कि अगर साठ रुपए से कम भाव दोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा और मैंने रिजाइन भी किया। पानीपत शूगर मिल के किसानों को, उनकी पर्चियों पर गन्ने के भाव नहीं लिखे जा रहे हैं और न ही उनको इस साल की पेमैंट मिली है। (शोर एवं व्यवधान)और रेट घटा दिए। एक रुपया रेट घट गया और दो रुपया भाड़ा बढ गया। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः दो रुपया भाड़ा नही बढ़ा। स्पीकर साहब, सारे मुल्क में सब से अच्छा गन्ने का रेट हरियाणा में है। कपास का भी रेट अच्छा है। (शोर एवं व्यवधान)स्पीकर साहब, ये इंस्पैक्टर की बात कर रहै हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार उसकी मदद करती तो वह पकड़ा क्यों जाता? (शोर एवं व्यवधान)। वह पकड़ा गया बै तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, हर हालत में कार्यवाही होगी। स्पीकर साहब, इन्होंने बूढ़ों की पैन्शन के बारे में बात कही। स्पीकर साहब, साठ साल के लोगों को सबको हमने पैन्शन दी है। इनके जमाने की बात कहूंगा तो ज्यादा टाईम लग जाएगा। अभी जरूरी बातें तो मुझे कहनी हैं। फिर इन्होंने कहा कि बसों का किराया बढ़ा दिया। स्पीकर साहब,

आप जानते हैं कि डीजल के रेट बढ़ गए हैं, बसों के रेट बढ़ गए है और दूसरे सामान के रेट भी बढ़ गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)। आपके समय में तीन बार किराए बढ़ाए गए थे। स्पीकर साहब, इसके बाद इन्होंने बलात्कार और हत्याओं के बारे में जिक्र किया, कत्लों और गुण्डों का जिक्र किया।

श्री अध्यक्षः बिजली के जो रेट बढ़ाए हैं क्या वे भारत सरकार के कहने से बढ़ाए हैं?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, बाकायदा भारत सरकार ने सौर देश के मुख्य मन्त्रियों की मीटिग की और उसमें यह कहा गया कि सब जगह बिजली बोर्ड घाटे में जा रहे हैं, इसलिए बिजली के रेट बढ़ाए जाए और साथ में पानी के भी रेट बढ़ाए जाएं। हमने पानी के रेट बढ़ाने के बारे में तो मनाह कर दिया लेकिन बिजली के रेट बढ़ाने के बारे में सारे देश के मुख्य मन्त्रियों ने युनानिमसली फैसला लिया। उस मीटिंग में बी०जे०पी० की सरकारों के भी नुमाइंदे थे.......

श्री अध्यक्षः कितना टाईम और बढ़ा दिया जाए?

चौधरी भजन लालः अभी मुझे एक घंटा और लगेगा।

श्री अध्यक्षः इस विषय पर डिस्कशन के लिए समय एक घंटा और बढ़ाया जाता हे।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं आपको बता रहा था कि मुझे शेखावत ने कहा कि रामबिलास शर्मा को मैंने बताया है कि रेट बढ़ाने में हम भी शामिल हैं और यू०पी० सरकार ने भी बिजली केरेट बढ़ा दिए हैं और राजस्थान ने भी बढ़ा दिए हें। राम विलास शर्मा उनसे मिले थे उन्होने इनको बताया होगा।

श्री राम विलास शर्माः स्पीकर साहब, राजस्थान ने रेट बढ़ाए हैं तो उनकी सप्लाई बढ़ी है, लेकिन यहां जनरेशन नही बढ़ी। वहां पा ऐफीशैन्सी बढ़ी है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कह दिया कि बलात्कार कांड हुए और हत्याएं हो गई। कैथल कांड हो गया, धारुहेड़ा में हरिजन कांड हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमने बाकायदा केस दर्ज करके लोगों को गिरफ्तार किया है और अफसर को भी सस्पैडं किया है। इसके अलावा हमने उस गरीब आदमी कौ पचास हजार रुपया देकर उसकी मदद की है। (विघ्य)मेरे कहने का मतलब यह है कि उस बारे में हम जो कार्यवाही कर सकते थे वह पूरी की है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्होंने कह दिया कि कैथल शहर में ,रेणु पुत्री भोलू झीवर, वासी शहर कैथल को पुलिस कर्मचारियों, जो चन्दाना गेट नाका कैथल पैर डियूटी पर तैनात या, द्वारा बलात्कार किया गधा इस संबंध में मुकद्मा' शहर कैथल में दर्ज किया गया। इसमें कुल सात पुलिस कर्मी तथा अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किछ गए हैं। उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में दिया गया है। पूरा

एकशन उनके खिलाफ हमने लिया है, कोई भी ऐसी बात नहीं रही जिस पर हमने एकशन न लिया बै।। कहीं न कहीं इक्का दुक्का बात तो हो सकती है, मैं इन्कार नहीं कर सकता। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने जिक्र किया कि इंस्पैक्टर प्रेम नाथ, जो थाना फतेहाबाद में लगा हुआ था, उसने सरदार अजीत सिंह की दाढ़ी फाड़ दी। वह यालकी गांव को था। मैं जानता हूं, वह मेरा जिला है और इनका भी जिला है। अध्यक्ष महोदय, उस मामले की हकीकत और ही है। ये किस तरह से दाढ़ी का नाम ले कर और एक समुदाय को भड़काने की बात करते है, यह अच्छी बात नही है। असलियत यह है कि उन दिनों में, आप जानते हैं कि पंजाब में आरमी का बड़ा भारी प्रैशर पड़ा हुआ था। उस वजह से उग्रवादी हरियाणा की सीमा में दाखिल होते थे। हरियाणा की सीमा में दाखिल हो कर उन्होंने टोहाना और सिरसा में वाके कर दिए। हमने इस मामल में मीटिंग करके पुलिस के जिम्मे लगाया कि पूरी सख्ती होनी चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि प्रदेश के अन्दर कोई घटना घट जाए। तो क्या हुआ, जब इंस्पैक्टर गश्त पर था, और आप जानते हैं कि रतिया का एरिया बिल्कुल पंजाब के साथ लगतीं है और वह उसका बोर्डर है। एक मारुति कार में चार आदमी थे और पुलिस वाले जिप्सी में थे। पुलिस वालों ने उन चार आदमियों को रोकने की बड़ी भारी कोशिश की लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने 8– 10 मील तक उनका पीछा किया और उन्होंने गाड़ी और तेज भगा ली ओखिर मजबूर होकर, और बहुत तेजी से पुलिस वालों ने रिसक लेकर, जिप्सी

को आगे लाकर उनकी कार को रोका। ये चारों शराब में आउट थे। उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब में धुत थे। वे पुलिस वालों को गालियां देने लग गए कि तुमने हमारा एकसीडैंट करवा देना था औरे उन्होंने कर भी देना था। जब उन्होंने पुलिस को गालियां दी तो पुलिस ने कहा कि तुम वापिस चलो वे कहंने लगे कि हम वापिस नहीं जाते। आखिर उनको थाने में लाए। मैं यह नही कहता कि पुलिस ने उनको लड्डू खिलाएं होंगे। मैं कहता हूं हो सकता है जब उन्होंने पुलिस वाखों को माली दी होगी तो उन्होने भी थोड़ा बहुत आबड साबड कर दिया होगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह आबड साबड क्या होता है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये तो खुद होम मिनिस्टर रहे हैं और जानते है। उन्होंने उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर दी होगी। (शोर)दाढ़ी फाड़ने का सवाल ही पैदा नही हलो। उनकों पकड़ने वाले जो पुलिस के आदमी थे, उनमें दो सरदार भी थे इसलिये दाढ़ी फाड़ने का सवाल नही पैदा होता (शोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः वह आदमी मेरे से मिला था और मैंने उसकी दाढ़ी फाड़ी हुई देखी है।

चौंधरी भजन लालः बहिन जी, क्या उसने अपनी दाढ़ी के फाड़े हुए बाल आपको दिखाए थे। क्या आपको दाढ़ी पर फाड़े हुए बालों के निशान दिखाए थे। (विध्न)हम जितने आदमी बैठे हैं,

इनमें दाढ़ी वाले बहुत् कम हैं लेकिन अगर किसी की दांढी फड़ो होगी तो उसमें बाल कहीं पर कम होंगे और कही पर ज्यादा होंगे। सरदार जसविद्र सिंह जी, आप बताएं कि क्या आपकी सारी दाड़ी इकसार है? आपकी दाड़ी भी एक जैसी नही होगी। (शोर)

श्री जसविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने यह पूछा कि आबड खाबड़ क्या होता है तो बताया नही। वहां पर एक सरदार जी की दाड़ी फाड़ दी गई लेकिन इन्होंने कहा कि उसकी सेवा कर दी। उसके साथ मारे प्रान्त के सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्य मस्ती जी को दाड़ी फाड़ने की बात को सेवा करबे की बात नहीं कहना चाहिये। स्पीकर साहब, यहू बात आज की नही। यह बात 1982 से हो रही है जब भी ये मुख्य मन्त्री होते हैं, प्रान्त में दाड़ी रखना और सिर पर पगड़ी बांधना गुनाह हो जाता है। (शोर)

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र सिह जी, आप कृपया बैठिए। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही बात कह सकता हूं कि उस सरदार की दाड़ी फाड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस सरदार की दाड़ी नहीं फाड़ो गइ। ये बेमतलब और बेसलैस बातें हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सरदार जी, मैं गए से पूछता हूं कि क्या वह सरदार आपके पास आया था? क्या आपने उसको देखा था? (शोर)

श्री जसविन्द्र सिंहः मैं खुद वहां पर गया था। (शोर)

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री लीला कृष्ण चौधरी): स्पीकर साहब, मैं इस बात को थोड़ा क्लीयर कत देता हूं क्योंकि वह मेरा हल्का है। जब उस सरदार को चौधरी साहब के भतीजे वहां पर लाए तो उसने पंचायत के सामने माफी मांगी। जब इस बारे में पोलिटिकल पार्टीज को पता लगा तो इन्होंने उसे कहा कि तुम यह कह दो कि तुम्हारी दाड़ी फाड़ी है, हम तुम्हें हीरो बना देगे। इस तरह से उसको हीरो बनाया गया। वहां पर धरने दिए गए औरे वहां हरियाणा के बड़े बड़े नेता पहुंचे। जिस किसी को भी चौधरी भजन लाल के नाम का या इनके परिवार के नाम का पता होता है, वह यही सोचते हैं कि उनको खा जाएं हमारे माननीय सदस्य श्री जिन्दल साहब वहां परे गए थे और इन्होंने अपनी स्पीच दी। इन्होंने चौधरी भजन लाल जी को कमीना कहा और मुझे जलील कहा। (शोर)स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है कि उस सरदार की दाड़ी फाड़ा गई। इस बात में कतई सच्चाई नही है। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उस सरदार की दाड़ी फाड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात इन्होने हिसार के संवाददाता के बारे में कही और एक मन्त्री के बारे में कही कि मंत्री के लड़के ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कालेज में आपस में इलैक्शन था। यह हम मानते हैं कि इलैक्शन के दौरान कैडीडेट्स में, आपस में थोड़ी बहुत बोलचाल

हो सकती है, यह आप सभी जानते हैं। इलैक्शन आप भी लड़ते हैं, इलैक्शन हम भी लड़ते हैं। उनकी आपस में कोई थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई होगी। बाद में उनका राजोनामा भी हो गया। (शोर)अगर आपके राज मे, कोई एम० एल० ए० ऐसा करता है तो क्या आप उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे लेकिन हमने तो मंत्री कें बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमने इस मामले में उनकी कोई रियायत नहीं की। बाकायदा उसके खिलाफ केस दर्ज किया और केस दर्ज होने के बाद उनका आपस में राजीनामा हो गया।

अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग कल्याण राधेय मंत्री (श्री जोगिन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, उस लड़की की यह दरखास्त थी कि उसने कौंसिल के मैम्बर्ज को धमकाया है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जिस किसी आदमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही हुई है। एक बात इन्होंने यह कही कि एक जुडीशियल अधिकारी की पिटाई हो गई। अध्यक्ष महोदय, वह अधिकारी किसी मकान में रहता था। मकान मालिक ने उन्हें मकान छोड़ने के लिये कहा होगा और उन्होंने मकान नहीं छोड़ा होगा, इसलिये उनकी और मकान मालिक की आपस मे कोई कहा सुनी हो गई। हमने बाकायदा उसका केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद उनका आपस में राजीनामा हो गया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रैस के बारे मैं एक बात कही। अध्यक्ष महोदय, अगर चण्डीगढ़ में कोई वारदात हो जाए तो क्या उड़के लिये हरियाणा सरकार जिम्मेदार

है? इस घटना के बारे ‘में मैंने पैपर में पड़ा है। इन्होंने– इस बात को भी तूल देने की कोशिश की है। ये ऐसे आदमी हैं कि यदि इनका राज हो तो पता नहीं ये क्या कर दे। ये अपना जमाना भूल गए, जब सिरसा के अन्दर पत्रकारों के साथ ज्यादती की गई थी। किस तरह से ये पत्रकारों को परेशान करते थे, उसको सारा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है। (विष्य)मेहम में पत्रकारों के साथ आप लोगों ने जो कुछ किया, वह सब को पता है। हिसार वाले पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ, उसका हमें खेद है। वे लोग मुझ से मिले। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाद में दोनों की तसल्ली हो गई और उनका राजीनामा हो गया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कही गई है कि जो दर्शन सिंह विजिलैन्स के डी० एस० पी० थे, जिन्होंने उस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, उसको प्रोटैक्शन दी। इस बारे में मेरा कहना यह है कि मेरे हल्के का कोई आदमी हो और भजन लाल की प्रोटैक्शन हो, और भजन लाल चीफ मिनिस्टर हों, तो क्या उसको कोई पकड़ सकता है ? वह इसलिये पकड़ा गया क्योंकि हमने कह रखा है कि कोई भी कितना ही वड़ा आदमी करों न हो, यदि कोई बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। इन्ही आदेशों के तहत उस अधिकारी को पकड़ा गया था। यदि मेरा प्रेटैक्शन होता तो उसको पकड़ा हो नहीं जाता।

प्रो० सम्पत सिंहः अब दर्शन सिह डी० एस० पी० विजिलैन्स को वहा से बदल दियां गया, क्योंकि, उसने इनके कहे के अनुसार काम नही किया। (शोर)

चौधरी भजन लालः मैं कहना चाहता हूं कि उस दर्शन सिंह को रेलवे मे, हिसार डिवीजन में लगाया गया है जो कि विजिलैन्स से अच्छी जगह है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः जिस दर्शन सिंह डी० एस० पी० ने उस अधिकारी को पकड़ा था, उसके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नही की हम जाननी चाहते है कि क्या उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की?

चौधरी भजन लालः बाकायदा हमने केस दर्ज किया हे। (विध्न)

प्रो० सम्पत सिंहः मैं पूछना चाहता हूं कि कग विभागीय कार्यवाही की है? **चौधरी भजन लालः** डिपार्टमेंटल कार्यवाही की है। बाकायदा उसको सस्पैंड कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ए० सी० चौधरीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, रामायण की एक चौपाई है –

जाकी रही भावना जैसी

प्रभू मूर्त तिस देखी तैसी।

इनको हर चीज में वही चीज नजर आती है जो ये अपने समय में करते रहे हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर सर, इन्होंने मेरे बेटे चन्द्र मोहन का जिक्र किया। (विध्न एवं ओर)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पिछली सरकार के समय में एक एम० एल० ए० ने एस० पी० से चार लाख रुपये की रिश्वत ली और उसने कबूल भी किया कि उसने रिश्वत ली है। उस समय के मुख्य मन्त्री ने उनसे पूछा तो वे कहने लगे कि 4 लाख में से 3 लाख रुपये तो आपका बेटा ने गया है, एक लाख बचा है वह आप ले लीजिए। यह सारी बात अखबार में छपी थी। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनके कारनामे तो पूछिये ही मत। अध्यक्ष महोदय, मेरे बेटे के बारे में इन्होने जिक्र किया। सभी सियासी लोंगो के बेटे हैं, और वे राजनीति में भी दखल रखते हैं। मेरा बेटा चन्द्रमोहन सिर्फ मेरा बेटा ही नही बल्कि वह यूथ कांग्रेस कमेटी का जनरल सक्रेटरी भी है। यूथ कांग्रेस का जनरल सक्रेटरी होने के नाते, अगर वह किसी के काम के लिये कहता है तो इसमें कोई गलत बात नही है? स्पीकर साहब, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब मैं बाहर विदेश जा रहा था तो मैंने अपने हल्के के लोगों से बात करते हुए कहा था, जो बात सच है मैं वही कर रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं बै। मैंने

अपने हल्के के लोगों से कहा था कि मैं 15 दिन के लिये विदेश जा रहा हू, इसलिये मैं चण्डीगढ़ में नही मिलूंगा। सर्दी का मौसम है और फिर किराया भाड़ा भी खर्च होगा, इसलिये चण्डीगढ आने की तकलीफ न करें, यदि कोई काम हो तो चन्द्र मोहन से घर पर ही मिल लेनी। (विघ्न) मेरे हल्के के लौंगों के लिए यूथ कांग्रेस का प्रदेश जनरल सक्रेटरी होने के नाते, वह अगर कोई काम कहता है तो इसमें कोई बुरी बात नही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सक्रेटरी होने के नाते वह कह सकता है। चौधरी देवी लाल के राज में उनके बेटे और पोते किस कद्र राज चला रहे थे, यह सब को पता है। (विष्य)

श्री अध्यक्ष: इस सिलसिले में मैं भी एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। कौल गांव में दलीप सिंह सरपंच इलैक्ट हुआ था। वहां की पंचायत चौधरी देवी नाल के पास आई और कहा कि उसको चार्ज दिलवा दिया जाए। मेरी जगह पर पहले जो एम० एल० ए० थे, उन्होने चौटाला को कुछ कहा। डी० एस० पी० औंर एस० पी० की मीटिंग थी, उनको बुला कर उन्होंने कहा कि इसको चार्ज दिलवा कर मुझे कम्पलायंस रिपोर्ट भेजे, लेकिन जब तक वह राज रहा, तब तक उसको वहां का चार्ज नही मिला। और उसके बाद जब हमारी पार्टी का राज आयी, तब हमने पुलिस की हैल्प से डी० सी० साहब से आर्डर करा के चार्ज दिलवाया था, और उस समय पंखे, टैलीविजन और सोफा सैट पंचायत घर से गायब थे और एक मरी हुई बिल्ली एक मरा हुआ सांप चार्ज में मिलों।

(बिघ्न)यह तो रिकार्ड की बात है (विघ्न) आप चीफ मिनिस्टर और उसके लड़के की बात सुन लें। उस वक्त लड़का चीफ मिनिस्टर नही था। (विघ्न) हम किसी भी पार्टी से हों लकिन कांग्रेस से बन कर आए हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अभी मैं डी० एस० पी० दर्शन सिंह के बारे में जरा करक्शन करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि वह रेलवे में लगा है लेकिन उसको रेलवे में नहीं डी० एस० पी० लोहारु लगाया गया है। (विघ्न) दूसरे मैं इनको बी० डी० ओ० के बोरे में बताना चाहूंगा। उसको गिरफ्तार किया गया और वह 5 दिन जेल में रहा। 5 दिन बाद उसकी जमानत हूई है और बाकायदा उसको सस्पैडं कर दिया गया है। जब वह मेरे गांव का था, तब भी पकड़ा गया था क्योंकि प्रशासन का सवाल है। हमने प्रशासन को हिदायत की हुई है कि किसी भी बेईमान आदमी को बख्शने का कोई सवाल ही नही है। एम० पी० संजय भाटिया को बाकायदा रंगे हाथों पकड़ा है 1 कोई एस० पी० क्या जल्दी पकड़ा? जा सकता है लेकिन बाकायदा हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। और उससे पैसा बरामद किया है। किसी को माफ करने का कोई सवाल ही नही है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है वह जो सुप्रिन्टैडेन्ट आफ पुलिस है वह तो पकड़ा गया। वी० एन० गौड़ कोच हैं वे कहते है कि पैसे मैने दिए है।

हम यह पूछ रहे है कि उस आदमी के खिलाफ क्या किया है, और यही हमारा ऐलीगेशन है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जब कोई पैसे लेने वाला होता है तो हमें वहां पर अपने आदमी भेज कर पकडवाना पड़ती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप किसी को भी जात–बिरादरी की बात नही कहनी चाहिये।

श्री राम पाल सिंह कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी रुंलिग चाहता हूं कि जब मुख्यमन्त्री जी डिबेट पर जवाब दे रहे हैं तो क्या इस तरह से सवाल जवाब हो सकते हैं? यह क्वैश्चन अवर तो नहीं है। डिबेट के जवाब देते वक्त यह सब नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे दामाद के बारे में भी कह दिया। इनका राज चार साल रहीं परन्तु ये भानु इन्डस्ट्री में बोल–मात्र भी कमी नहीं निकाल सके और ये 78 लाख रुपए कहते हैं। एक दिन तो मैंने पढ़ा कि इन्होंने 78 करोड़ रुपए कह दिया। अब मैं ओम प्रकाश के बारे में क्यों कहूं, उसे लंगडा कवंर चौटाला कहूं ओर क्या कुछ कहूं, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, अगर हम इनको काना कह दें तो क्या यह ठीक लगेगा?

चौधरी भजन लालः अगर मैं काना हूं तो आप बेशक कहें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः तो आप चश्मा उतार कर दिखाएं।

चौधरी भजन लालः अब बोलिए चश्मा उतार दिया है। आप जिस भी आख से कहेगे, मैं उस आख से आपका मुकाबला करने को तैयार हूं। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, ये बार बार बीच में खड़े हो जाते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो पाली की तरह बात करते हैं। इनको कुछ तो शर्म करनी चाहिए गैलरी में बैठे लोग देखते हैं, प्रैस गैलरी वाले देखते हैं। ये थोड़ी बहुत तो हाउस की मर्यादा रखें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, फिर क्या हो गया अगर वे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने जो 'कुछ किय है, वह सब तो हम कहेगे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे किसी के बारे में भी ऐसी बात न कहें जिससे हाउस का माहौल खराब हो।

चौधरी भजन लालः ठीक है ऐसा नहीं कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने 78 करोड रुपए की बात कही है। उनकी तो लाखों से बात नहीं बनती है क्योंकि उन्होने तो करोडों रुपये खाए हैं। वह सब मैं बताऊंगा कि सम्पत सिंह की और उनकी क्या पोजिशन है। यह सब मैं बाद में बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, फाईनैन्स कारपोरेशन और बैक का काम तो लोन देना है। अगर वे ज्यादा लोन देगे तो उनको ईनाम मिलता है। उनको शील्ड दी जाती है कि इस कारपोरशन ने बहुत अच्छा काम किया। ये कहते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैक से लोन ले रखा है, फलाना बैक से ले रखा है। अध्यक्ष महोदय, जब भी लोन दिया जीता है तो उसमें कमेटी बैठती है। हरियाणा फाईनैन्स कारपोरेशन की कमेटी में पंजाब एंड सिंध बैक का मैम्बर होता है और एक मैम्बर रिजर्व बैक का होता है। यह कमेटी लोन सेक्शन करती है। अध्यक्ष महोदय, बाकायदा पंजाब एंड सिंध बैक ने कह दिया कि यह प्रोजैक्ट बहुत अच्छा है, यह आदमी भी ईमानदार है, तभी उन्होने मेरे दामाद को लोन दिया।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस पर बैक का क्रिमीनल केस है।

चौधरी भजन लालः मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी क्रीमिनल केस नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यह केस 14–6–91 का है यह केस सैक्शन्ज 420, 406, 409 और 379 के तहत दर्ज है हमने इनका जो माल मार्टगेज किया हुआ था उस माल को ताले तोड़कर चोरी करके यह कम्पनी माल निकालकर ले गयी। स्पीकर सर, मैं चौलेन्ज करता हूं कि यह केस 14–6– 91 का है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए, यह बात ठीक नही है। ये बे–बुनियाद बातें हैं। पंजाब नेशनल बैक ने और उसके मैम्बर्ज ने बाकायदा रिकमैन्ड करके ही उनको लोन दिया है। लोन लेना और वापस देना कम्पनी का काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं आन ओथ कहता हूं कि हमने कभी भी आज तक यह नहीं कहा कि मेरे दामाद को किसी बात में रियायत कर दी जाये। मैंने अफसरों को भी इस बात के लिये कह रखा है और दामाद ने भी कभी किसी अफसर से यह नहीं कहा कि मैं भजन लाल का दामाद हूं। दो दो घंटे वह दफ्तरों में बैठा रहेगा, मगर किसी से यह नहीं कहेगा कि मैं भजन लाल का दामाद हूं। अभी उन्होंने पीछे लाईसैन्स के लिये ऐप्लाई किया था, लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि भजन लाल के दामाद ने फैक्ट्री का लाईसैन्स ले लिया है, तो उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया, और कह दिया कि मैं लाईसैन्स लेता ही नही हूं। मैं हरियाणा में कोई फैक्टरी ही नहीं लगाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम उद्योग लगाने के के लिये बाहर से लोग बुलाकर जाते है और दूसरी तरफ, अगर हरियाणा का कोई आदमी

उद्योग लगाने के लिये कहता है तो ये कह देते हैं कि भजन लाल का दामाद है। क्या किसी का दामाद चोरी करेगा, डकैती करेगा, बेईमानी करेगा? इसी तन से एक इन्होंने नाथुपर की जमीन का भी जिक्र कर दिया। इनको पता होना चाहिये कि वह पंचायत की जमीन है। पंचायत को यह अधिकार है कि वह अपनी जमीन को चाहे बेचे यां पट्टे पर दे। पंचायत जब किसी प्रस्ताव को पास करके, गांव के हित में जमीन बेचना चाहे तो वह जमीन बेच सकती है। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि पंचायत जब अपनी जमीन बेचती है तो पहले वह बाकायदा ऐडवप्टाईज करवाती है और फिर ओपन आक्शन करके ही बेचती है और ओपन आक्शन में कोई भी व्यक्ति जमीन ले सकता है, इसलिये इसमें सरकार क्या कर सकती है? या तो यह होता कि सरकार ने खुद यह जमीन ले ली होती। इसके अलावा, कोई व्यक्ति अगर पर्सनल काम के लिये भी यह जमीन लेता तो भी बुरी बात होती। लेकिन कायदे कानून के मुताबिक, अगर पंचायत अपनी जमीन को बेचना चाहती है तो वैह बेच सकती' है। अध्यक्ष महोदय, इन्होने कहा कि कोर्ट से स्टे आने के बाद उस जमीन की नीलामी रुक गयी, तो यह बात तो यह सब कहते, जब स्टे आने के बाद सरकार यह कहती कि जमीन की नीलामी कर दो जबकि यह भी बुरी बात थी। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की भैस दूध न दे तो वह कहता है कि भजन लाल की वजह से दूध नहीं देती है, यदि घर में मिया बीबी का झगड़ा हो जाये, तो कह देते हैं कि भजन लाल मेरी बीबी को बहका ले

गया। इनको तो भजन लाल ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने वह लैन्ड ली है क्या सरकार उनको कालोनाईजेशन लाईसैन्स देने जा रही हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कायदे कानून के मुताबिक जो भी कार्य– वाही पूरी करेगा, हम उसको लाईसैन्स देंगे। (शोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, क्या आपके कहने पर सरकार पाबंदों लगा सकती है? कायदे कानून के मुताबिक जैसा सरकार चाहे वह कर सकती है। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री के साले ने कोई दरखास्त नही दी है। उस राज सिंह को मैं जानता हूं वह दिल्ली का रहने वाला है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, उसकी कम्पनी है और उसी ने जमीन ली है।

चौधरों भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उसने जमीन नही ली है। इजको तो फोबिया हो रहा एं। इसी तरह से इन्होंने कहा कि बीड़ हिसार में मेरे बेटे कुलदीप ने तीन किल्ले जमीन मोल ले ली है। ये कहते हैं कि वह बी०जे०पी० का था जिससे जमीन ली

है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नही कि मेरे बेटे ने तीन किल्ले जमीन लो है। यदि सम्पत सिंह या आप, अपनी जमीन को बेचना चाहें और आपके नाम उस जमीन की गिरदावरी भी हो, आप उसके मालिक भी हों, तो आप उस जमीन को जरूर बेच सकते हैं। वह जमीन मेरे खेत के साथ लगती हुई थी। वह कहने लगा कि यह जमीन आपके खेत के साथ लगती है, इसलिये इसे आप ले लो तो वह उसने मोल ले ली इसमें क्या पाप कर दिया? मुझे तो यह पता भी नहीं था कि वह जमीन मेरे खेत के साथ लगती हुई थी।

प्रो० सम्पत सिंह: अब क्या स्टेज हैं ?

चौधरी भजन लाल: क्या पाप कर दिया। उस जमीन पर कोई स्टे नहीं है, जमीन हमारे पास है।

प्रो० सम्पत सिंह स्पीकर सर, इस पुजैशन के अगैन्सट कोर्ट से स्टे हुआ था। इस जमीन पर इनका कब्जा नही है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी कोर्ट में चला जाए व इस बारे में पता कर ने। अब इन्होंने बात छेड़ी ही है तो मैं आपको बताना चाहत। हू कि दो अदालतों से, जब वह आदमी केस हार गया हो उसने किसी एक आदमी से फर्जी मुखत्यारनामा ले लिया। वह जमीन जिस आदमी की थी, वह कलकत्ता में रहता है, उसे जब इस बारे में पता चला तो वह हिसार आया और उसने कोर्ट में जाकर कहा कि मेरे नाम से

किसी ने मुखत्यारनामा ले रखा है, मैं उसको कैंसिल करता हूं और उस आदमी ने मुखत्यारनामे को कैंसिल करने के बाद वह जमीन मेरे बेटे को बेच दो। वो 3 किले जमीन, यही कोई 50–60 या 70 हजार की रही होगी। मुझे तो रेट का भी ज्यादा पता नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है जिस जमीन की बात मुख्य मत्री जी कर रहे हैं उस जमीन की एक दिन में 3–3 बार कोर्ट में बल्दियत बदली गई। हाई कोर्ट ने उस जमीन पर अमी स्टे दिया हुआ है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम बिलास शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि वे मेहरबानी करके किसी दिन हिसार जाएं और कोर्ट में जाकर इस बारे में पूछें, फिर उनको असलियत का पता चल जाएगा। अगर कोई यह कह दे कि तीन एकड़ जमीन हमने गलत ले ली है तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। कोई घटिया काम हम नही करते है। स्पीकर सर, आप जानते कुंए कि जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री तो एक बार ही होगी। (शोर एवं व्यवधान)स्पीकर सर, वह जमीन ज्यादा से ज्यादा एक लाख की होगी, डेढ़ लाख की होगी या दो लाख की होगी। मैं उसका उससे डबल जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। (शोर)अध्यक्ष महोदय, अमी इन्होंने एक और इल्जाम लगाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं आपके माध्यम से मूख्य मंत्री जी को बताना चाहती हू कि जो जमीन पंचायत की होती है, उसे पंचायत भी नही बेच सकती है। सब लोग यही कहते हैं कि जमीन शेर सिंह बिस्ला की है। आप मुख्य मंत्री है, आपको तो वह जमीन नहीं लेनी चाहिए थी।

चौधरी भजन लालः बहिन जी, वह जमीन पंचायत की नहीं है, वह तो प्राइवेट आदमी की जमीन है, उसकी गिरदावरी भी उसके नाम थी। मालिकाना उसके नाम है। वह उसका मालिक है, वह जमीन बेचे या रखे? मेरे खेत के साथ लगती हुई वह जमीन है' इसलिये मुझे पता है कि वह उसकी जमीन है। अगर गलत ली हो तो में कहता हूं कि राम बिलास शर्मा जी कह देंगे कि गलत ली है, तो मैं फ्री छोड़ दूंगा। ऐसे नही कि आप कहें कि मैं छोड़ दूं और मैं छोड़ दूंगा। यूं ही कैसे छोड दूगा (व्यवधान व शोर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात यह भी कह दी कि पैट्रोल पम्पों पर तेल बिकता है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी स्टेट के अन्दर पैट्रोल पम्प हैं बाकायदा हर तीन महीने में उनके सैम्पल भरते हैं। अगर कोई मिलावट करता है हो उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही करते हैं। एक बात इन्होंने यह कह दी कि फतेहाबाद में मेरे भाई के लड़के ने कोई जमीन ले ली। अध्यक्ष महोदय, कोई सरकारी जमीन अलाट कर दी हो, तो बहुत बुरी बात है। सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया हो तो बहुत पूरी बात है। (व्यवधान व शोर)बहिन जी मेहरबानी करके आप बीच में न बोलें। कोई आदमी

अपनी जमीन बेचे या कोई ले ले, क्या इस पर भी कोई पाबन्दी है? क्या उनको हरियाणा में रहने का हक नहीं? एक आपने कह दिया कि झज्जर में 12 एकड़ आई० टी० आई० की जमीन थी, एक यह कह दिया कि लाडवा का किला 68,000 रुपये में ले लिया। हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है। अगर आयेगी तो हम उस पर बाकायदा कार्यवाही करेगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, जो बातें इन्होंने की हैं, उनमें नौकरियों और तबादलों की भी बात की है। फिर कह दिया कि बिशनोई बी–1 में कुछ ज्यादा आ गये। अध्यक्ष महोदय, हमने बी–1 के लिये बाकायदा उस जिले की भी डियूटी नहीं रखी। उस जिले के एस० पी० के अलावा दूसरे जिले का एस० पी० भी यह टैस्ट लेता है। दूसरी बात यह है कि बिशनोई अगर ज्यादा हैं तो वह हिसार जिले में और सिरसा जिले में है। इन दोनों जिलों के अलावा बाकी सारे हरियाणा में ज्यादा बिशनोई नही है। अगर कोई बिशनोई सिपाही था और आपके राज में उसके साथ कोई ज्यादती हो गयी होगी और अब अगर उसको इन्साफ मिल गया होगा तो क्या बुरी बात हो गयी?

श्री कर्ण सिह दलालः कुल 50 आदमी बी–1 में जो सिलैक्ट हुए हैं, उनमें से 12 बिशनोई है। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके में ज्यादा आबादी बिशनोइयों की है। (व्यवधान व शोर)क्या उनको जीने का हक नहीं है। एक बात इन्होंने और कह दी।

उन्होंने चीफ सैक्रेटरी का नाम ले दिया और सेठी के बारे में भी कह दिया। इनको तो चीफ सैक्रेटरी के नाम का फोबिया हो गया है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि 'इतना शानदार अफसर हो, इतने शानदार काम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करती हो, चाहे वह पुलिस की बात हो या कोई दूसरा काम हो, लेकिन इनको तकलीफ होती है। कोई' भी आदमी जब कायदे कानून के मुताबिक काम करेगा तो हम उसको कैसे रोक सकते हे? (विघ्न)

श्री ए० सी० चौधरी: इनके वक्त भी प्रिंसिपल सैक्रेटरी यही थे। देवी लाल के साथ भी यही थे। विदेश में भी ये इनको दौरे पर ले गये थे। हनके बगैर भी इनका चारा नहीं था। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह: वे तो एक अच्छे अफसर हैं, हुमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयान: हम कब यह कहते हैं कि वह अच्छे आदमी नहीं ई? वह बढ़िया अफसर हैं। हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। वह तो कर्ण सिंह दलाल ने कहा है।

चौधरी भजन लाल: अच्छे अफसर को अच्छा कहना तो ठीक बात है। इन्होंने सेठी का नाम भीलिया है। 1989 में आपके वक्त में ही उनको खान दी गयी थी। मैं आपको रिकार्ड देखकर बताता हूं। मेरे पास सारा रिकार्ड है: (व्यवधान)1989 में आपका राज था या नहीं था। यह तो आप मानते हो कि आपका राज था। (व्यवधान)अप्रैल, 1989 में आनंगलपुर, पाली, बड़खल, मोहताबाद,

मेवला महाराजपुर, आदि क्षेत्रों में पत्थर की खानें प्रदान की गई। सर्वश्री ओम प्रकाश सेठी, प्रदीप सेठी, रामचन्द्र तथा राम किशन जिनके पास आनंगलपुर, पाली, मोहताबाद तथा बड़खल क्षेत्रों की सिलिका खदान रेत की माइनिंग लीजें थीं, ने भारत सरकार में अपीलें दायर करके हरियाणा मिनरल्ज लिमिटिड द्वारा दी गयी पत्थर की खानों की लीजों को चुनौती दी। भारत सरकार ने अपने फैसले दिनांक 28—6— 1990 द्वारा एक टनेल एक लीज के सिद्धान्त को निर्धारित करते हुए आदेश दिये कि पत्थर निकालने के हक भी मिलिका खदान रेत के लीजियो को दिये जायें। भारत सरकार ने यह आपके वक्त में किया शै।

प्रो० सम्पत सिंहः यह लीजें तो आपके वक्त की दी हुई थी।

चौधरी भजन लालः कंसिल होने के बाद तो आपने दी थी। हमारा इससे क्यों ताल्लुक है। मैं तो रिकार्ड की बात कह रहा हूं।

प्रो० सम्पत सिंहः आपके टाईम में दोबारा दी थी। पहले कैन्सिल हो गई थी। भारत सरकार ने कैन्सिल होने के बाद दोबारा दे दी होंगी।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जब कर्ण सिंह बोल रहे थे तो एक बात उन्होंने कही कि मैम्बर्ज को पैसा देने की बात हाउस में बतानी चाहिए। स्पीकर साहब, जब काउंटिंग हो रही थी

उस समय चौधरी वीरेन्द्र सिंह, रामजीलाल, ओम प्रकाश जिन्दल, कर्ण सिंह दलाल और ए० सी० चौधरी मौजूद थे। मैंने पूछा कर्ण सिंह कितना पैसा खर्च करा दिया? मैंने बीस–बीस लाख की बात सुनी है। इन्होंने कहा कि सब को तो नहीं दिया, कुछ को दिया है। इन्होंने सब के सामने कहा था। कर्ण सिंह हाउस में हैं, ये बता दें कि इस तरह की बात इन्होंने कही थी या नहीं वे बाल बच्चों वाले आदमी है, ये झूठ नहीं बोलेगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से इन लोगों ने मैम्बर्ज को करप्ट करने की कोशिश की थी और दोष मेरे०पर लगाते है कि मैंने पैसा खर्च किया... (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश जिन्दलः स्पीकर साहब, मुझे किसी मैम्बर को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे चार मैम्बर टूटे थे, मुख्य मन्त्री जी बता दे कि उन चार मैम्बर्ज को कितना पैसा दिया था?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मै औन ओथ कह सकता हू कि वोट किसनें दी, उनके नाम तो मैं नही बताऊंगा लेकिन एक पैसा भी दिया हो तो नेम जैसी बात मेरे लिए है.... (शोर एवं व्यवधान)मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य भी नेम करके कहें कि उन्होने एक पैसा भी नही दिया? अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी ने आलोचना करते हुए कहा कि मैं गुस्से में बोत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गुस्से की कोई बात नही है। मैंने गुस्से से बात करने की कभी कोशिश नहीं की!

स्पीकर साहब, पुलिस में भर्ती की बात कही गई कि भजन लाल के घर पुलिस की भर्ती होती है। स्पीकर साहब, बहुत आदमी घर पर आते हैं उनका कोई काम होता है। लड़के ने किसी लड़के को कह दिया होगा कि इसका नाप ले ले, और नाप लेने के बाद उस आदमी को कह दिया होगा कि तेरा कद छोटा है या छाती कम है। मेरे घर पर पुलिस की भर्ती होने का कोई मतलव ही नही है। स्पीकर साहब, जब मैं हिसार जाता हू तो जितने आदमी इनके जलसे में आते होगे, उतने आदमी मुझ से मिलने के लिए रैस्ट हाउस मे आते है। इनको अपने समय की बातें याद आ रही है कि किस तरह से इन्हेंने पुलिस की भर्ती में पैसा लिया। इस बात को सारा प्रदेश जानता है और सारे देश को इस बात का पता है। चौधरी देवी लाल ने करप्शन के मामले मैं इनका अस्तीफा लिया था, इसकॉ सब को पता पै। उसके बाद ओम प्रकाश ने आकर कह दिया कि उसमें आधा पैसा तो मेरा था। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मेरे स्मर कभी भी कोई पैसा लेने के इलजाम का सवाल ही नही है। हो उस समय के मुख्य मन्त्री जी की तरफ से यी आया कि मैंने कोई फैवेरेटिज्म किया है। स्पीकर साहब, मैंने उनके पास जाते ही कहा कि अगर कोई फेवरेटिज्म हुआ है, तो यह लो मेरा इस्तीफा। स्पीकर साहब, मैंने दो बार इस तरह से इस्तीफा दिया ताकि अपना रिकार्ड क्लीन रख सकू। मैंने असैम्बली

तक से इस्तीफा दियां। आज आपकी सरकार को बने डेढ़ साल हो गया है, अगर हम दोषी हैँ तो आप हमें सज दिलाएं। (शोर)

तकनीकी शिक्षा राज्य मन्त्री (प्रो० छतर पाल सिंह): स्पीकर साहब, मेरी कास्टीच्यूएंसी के खरड़ गांव के एक लडके ने. तीस हजार रुपए इनके वक्त मैं रिक्रूटमैंट के लिए दिए। वह पैसे इनके डिस्ट्रिक्ट प्रैजीडैट दलीप सिंह को दिए जो इनके खास आदमी हैं। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः आप उसके खिलाफ कार्यवाही करे। उसके खिलाफ केस रजिस्टर करवा कर उसे अरैस्ट क्यों नही करते?

प्रो० छत्तर पाल सिंहः स्पीकर साहब, उसमें जो सब से ज्यादा ज्यादती की बात हुई, वह यह कि इनके राज में किसी से पैसे लेकर उसका काम करने की बात तो समझ में आती थी, लेकिन वह लड़का भरती भी नहीं करवाया और न ही उसके आज तक पैसे वापिस किए हैं। (शोर)आज यदि अपोजीशन के लीडर थोड़ी बहुत गैरत रखते हैं उस मामले में, तो उसके पैसे वापिस करवा दें क्योंकि वहू गरीब परिवार का है। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी को पूरा याद नहीं। इनका इस्तीफा सिर्फ भरती की बिनाह पर नहीं हुआ था, बल्कि जो गुड़गांव वाले कलोनाइजर से पैसा लिया था, वह भी शामिल था। (हंसी)

श्री अध्यक्षः मुख्य मन्त्री जी आप कृपया एक बात और बताएं कि इनके टाइम में क्या कोई अंगुली कटे हुए भी भर्ती हुए थे, अगर हुए थे तो कितने हुए थे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनके राज में जिनकी अंगुली कटी हुई थी और हाथ कटे हुए थे, वह भी इन्होने भरती किए। मैं आपको बताता हूं, मैं कहना तो नही चाहता था, चूंकि इन्होंने कह दिया है, इसलिए मैं आपके सामने एक गांव की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी वे मुझे लिख कर देकर गए हैं। यह मांडोठी गांव की कहानी है। वे लिखते है कि यहां यह बात लिखन–। और बताना जरूरी है कि श्रीमती कृष्णा व उसका चाचा छोटू, पुत्र उदे, गांव माडोठी, सम्पत सिंह और ओम प्रकाश के लिए पैसा वसूल करते थे और उस पैसे को आगे सम्पत सिंह आदि को देते थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृष्णा की दो बेटियां हैं, जो मैट्रिक में पढ़ती थी। उनके बारे में जो लिखा शै, वह सारा पढ़ना ठीक नहीं है क्योंकि यहां हमारी बहिनें बैठी हैं। उनके साथ इनके दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। (हंसी)फिर आगे क्या लिखते हैं कि राम निवास, पुत्र तारा चन्द, पुत्र निहाला जाटपाना पातेशिया, मुहल्ला बेधान गांव मांडोठी से 24 हजार रुपए लिए गए। इसके अतिरिक्त, तारा चन्द से एक लाख रुपए उसके रिश्तेदारों को भर्ती के लिए लिया गया। यह रुपया दया नन्द पहलवान मांडोठी से ब्याज पर लिया था। यानी ब्याज पर लाकर उन्होंने इनको पैसा दिया। (विघ्न) यह उन्होंने लिख कर दिया है

और हम इसकी जांच करवाएंगे। मैं सदन के सामने वही बात बता रहा हूं जो उन्होंने लिख कर दिया है। मांगे, पुत्र मीजी राम, मांडोठी से 25 हजार रुपए, राजबीर, पुत्र बीर चन्द से 20 हजार रुपए, राजपुर, पुत्र राम फल से 18 हजार रुपए, जगदीश, पुत्र भीमा से पांच हजार रुपए और इसके अलावा, राम सिंह, पुत चन्दगी से 40 हजार रुपए। (शोर)यह उन्होंने लिख कर दिया है। (शोर)आप सुनने की हिम्मत करिए। किसी के बारे में यह कहना कि 6 लाख रुपए ले लिए इनके बेटे ने, ऐसी बात कहने से पहले आपको ....। (शोर)आप सुनने की हिम्मत करिए, हम आपको सही जवाब देंगे। अध्यक्ष महाइय, इन्होने लिख कर दिया कि जनरल मुकद्दमा दर्ज किया जाए और उसकी तफतीश एक अच्छे पुलिस औफिसर को दी आए और जो भर्ती किए हुए, लोग हैं, उनको यकीन दिलाया जाए कि उन्हें नौकरी सें नही निकाला जाएगा। तो यह रिश्वत और बलात्कार का बहुत बडा स्कैण्डल आपके सामने आएगा।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने जो लिस्ट पढ़ी है, यह तो कोई भी बना सकता है। (शोर)

चौधरी भजन लालः आप बैठने की कृपा करें और हमारी बातें सुनने की कृपा करें। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है, जौ सही बात होगी वह कहेंगे। (लोर)

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्षः आप इकट्ठे खड़े न हों। आप एक—एक करके बोल लें। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः आपके पास लिख कर शिकायत आई है, आप इसकी जाँच करवा लें। (शोर)

चौधरी भजन लालः आप सुनने की हिम्मत करे। आपके काम के कीड़े झड जाएंगे। मैं सारी बातें रिकार्ड की बता रहा हू। (शोर)

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी आप तीनों इकट्ठे खड़े न हों। आप एक एक करके बोल लें। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः आप हमें इस तरह से नहों डरा सकते। हम ऐसे कागजों से नहीं डरते। हमने इस तरह के कागज बहुत देखे है। (शोर)

चौधरी भजन लालः हम किसी को डराते नहीं हैं। अकर मैं आपको डराती तो कभी का आपके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवा कर आपको अरैस्ट करवा देता। मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, हम आप जैसें काम नही करते। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः आपके पास लिख कर शिकायत आई है और उसकी आपने हाउस में भी चर्चा की है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसकी इन्कवायरी करा लें। (शोर),

प्रो० सम्पत सिंहः आपने हाउस में चची की है। जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करंने की हिम्मत रखो। (शोर)

चौधरी भजन लालः हम डरते नही है, हम पूरी हिम्मत रखेगे। हिम्मत रखते हैं इसीलिए तो मैंने हाउस में कहा है। आपने जो जो काम किए हैं, उनके बारे में मेरे पास बहुत मसाला बै। इनको अपने जमाने की याद आती है। ये लोगों का ध्यान डाइंवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते है। कभी जमीन के कब्जे की, कभी फलां की, कभी ढिकड़े की। कभी किसी एम० एल० ए० पर इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी मिनिस्टर पर इत्जाम लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड की बात बताता टू, उसको सुन कर आप हैरान हो जाएंगे। सन् 1973 में अदालत ने एक फैसला किया, उस फैसले की भक्त को कापी मेरे पास है। आप पढ़ लेना। अदालत ने फैसला किया कि यह जमीन पंचायत को जाएगी, कानून बन गया। इन्होंने क्या किया? इन्हेंने यह किया कि उस पंचायत की 370 एकड जमीन का इन्तकाल चार लोगों के नाम बदलवा दिया। इन्होंने 370 एकड़ पंचायत की जमीन चार आदमियों के नाम करवा ली। अध्यक्ष महोदय पहले वह जमीन चार आदमियों के नाम करवा करके अपने आदमियों कें नाम करवा ली। जब उस बारे में शिकायत आई, जांच की गई तो सही पाया गया कि जमीन का

इन्तकाल किसी के नाम बदलवाया गया है। क्या यह बात ठीक है कि अपने आप ही जमीन का इन्तकाल ट्रांस्फर कर दें? अध्यक्ष महोदय, जैसे चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की जमीन हो और तहसीलदार तथा पटवारी उस जमीन को मेरे नाम ट्रांस्फर कर दें तो उस जमीन का मालिक वीरेन्द्र सिंह नहीं रहा, भजन लाल हो गया। क्या इससे ज्यादा कोई ओर अन्याय हो सकता है? हमने बाकायदा उस पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है और उस जमीन का कम्मा बाकायदा लिया है। यह गुड़गांव की 370 एकड़ जमीन थी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डिजनीलैण्ड के नाम पर भी काफी गडबड करने की कोशिश की थी। इसमें बडा भारी घपला हुआ था। लोगों सें 1520 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से जमीन लेकर सरकार को 5 से 7 लाख पर–एकड़ के हिसाब से देना चाहते थे। हमने आते ही इनकी इस स्कीम को खत्म किया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय को 2 जून को एक प्रतिवेदन, अवतार सिंह की तरफ से दिया गया। उसने कहा कि देवी लाल–ओमप्रकाश चौटाला सरकार ने, ग्राम समता पट्टी, जिला सिरसा में महंत नारायण दास ट्रस्ट की जमीन हड़प करने के सकैण्डल की जांच कराई जाये। महंत नारायण दास ट्रस्ट की यह जमीन सरकारी हस्पताल सिरसा के साथ लगती थी। यह जमीन शहर के बीच में है। महंत जी गरीब लोगों की सेवा के लिए और समाज की भलाई के लिए काम करते थे। इन लोगों ने धक्के देकर महंत जी से उस जमीन को खाली करवा लिया और उसे वहां से भगा दिया। इस जमीन का रेट 10 लाख रुपये पर–एकड़

से कम नहीं होजा, क्योकि यह शहर के अन्दर की जमीन है। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा, चौधरी देनी लाल के सपुत्र प्रताप सिंह, एक्स एम० एल० ए० ने चौधरी सम्पत सिंह के खिलाफ हिसार के एस० पी० को लिख कर दिया है जिस में सम्पत सिंह को आरम्भ में एक आर्डनरी परिवार से बताया गया है। जो उसने लिख कर दिया है, वह मैं पढ़ कर सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रह।। इनके पास पहले केवल दो एकड़ जमीन थी। इनको आजकल हिसार में सम्पत सिंह की जगह सम्पत्ति सिंह कहते है। इन्होंने इलैक्शन लड़ा और मंत्री बने। मंत्री बनने के पश्चात करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी इकट्ठी कर ली। इनके बच्चे मेव स्कूल, अजमेर में पढ़ते हैं और बड़ी शानदार जिन्दगी बसर कर रहे हैं। सम्पत सिंह के पास इतनी अधिक प्रोपर्टी है जो इनकी इंकम से बहुत ज्यादा है। इनका एक दो मजिंला मकान सैक्टर–15 में है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये है। दूसरा मकान डिफैंस कालोनी हिसार में है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। 40 लाख रुपये की जमीन फतेहाबाद रतिया रोड पर है, जिसकी कीमत आजकल अढाई करोड़ रुपये के पास होगी। इनका एक दाल प्लांट सीवानी में है, जो मनोहर लाल तथा इनके भाईयों की पार्टनरशिप में है। एक रोलिंग मिल माइर्ज में है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये है। एक आयल मिल है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। 80 एकड़ जमीन टोहाना में है जो रमेश बैनिवाल के नाम से खरीदी हुई है। 4 एकड़ जमीन भट्टू कलां में ली है। मुरनाल सिनेमा फतेहादाबाद में ये शेयरहोल्डर हैं। धर्मशाला की जमीन

भट्टूकलां में बिना कीमत दिए वह ली है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये है। भट्टू मण्डी में हमकी धर्मपत्नी के नाम पर किशन ट्रेडिंग कम्पनी चालू की है। चोपटा में कुलदीप बैनिवांल के नाम पर 30 एकड़ जमीन ली है। अध्यक्ष महोदय, जो ये बातें बताई हैं, ये मैं अपनी तरफ से नही कह रहा, बल्कि ये दस्तखत हैं प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह, एक्स एम० एल० ए०, चौटाला।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो प्रोपर्टी अभी इन्होंने मेरे नाम गिनाई है, इनमें हिसार वाली कोठी को छोड़ कर अगर मेरे नाम कोई और प्रोपर्टी है तो उसका ये कब्जा मुझे दिलवा दें और आधा हिस्सा ये ले ले। मैं इनको आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कल भी जिक्र किया था। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः जिन्दल, भानू इण्डस्ट्रीज भी हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः ऐसा है कि मेरे पास चौधरी देवी लाल और उनके परिवार के बारे में पूरी लम्बी चौड़ी लिस्ट है, अगर उसको बताने लग तो टाईम बहुत लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने राज में उन्होंने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की जायदाद बनाई है, जिसकी लम्बी चौड़ी लिस्ट है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सुप्रीमकोर्ट के केस का जिक्र किया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः यदि हाऊस की सहमति हो तो इस बिषय पर बहस का टाईम आधा घण्टा और बड़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः इस विषय पर बहस का टाईम आधा घण्टा और बढ़ाया जाता **चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कारनाममें किये है उमकी बड़ी लम्बी चौड़ी फरिश्त है, अगर बिग होता तो पूरी डिटेल के साथ मैं इवको बताता, लेकिन जो बातें आज मैं कह रहा हूं, गनसे इनको तकलीफ हो रही है। इन्होंने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं, उनकी वजह से मुझे कहना पड़ रहा है, वरना मैं कहता नही। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्हेंने जिक्र किया सुप्रीमकोर्ट का। इन्होंने कहा कि भजन लाल के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 1987 में मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाया था, उस समय चौधरी देवी लाल मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने ही मेरे खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा था। जिस दिन इन्होंने आदेश दिया, उसी दिन सारी कार्यवाही पूरी हो गई। उसी दिन एस० पी० को आदेश दिया और उसी दिन थाने में केस दर्ज हो गया। केस दर्ज करवाने वाले का नाम था धर्मपाल, जो मेरी घरवाली के मुकाबले में चुनाल लड़ा था। हाईकोर्ट ने हमारी एफ० आई० आर० क्वैश कर दी, फिर यह लोग

सुप्रीमकोर्ट में गए। (विज)स्पीकर सर, इससे पहले भी मेरे खिलाफ श्री राजीव गांधी के टाईम में आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों की जांच के लिए जसवन्त सिंह कमीशन बिठाया गया था। जसवन्त सिंह कमीशन ने सारी इन्क्वायरी करके यह फैसला दिया था कि इसमें चौधरी भजन लाल का कोई फाल्ट, कहीं नहीं है और कोई दोष इसमें भजन लाल का नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं लेकिन इन्होंने कितने पाप किए हैं, उनकी लम्बी चौड़ी लिस्ट है। इस आदमी ने तो राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री और सुप्रीमकोर्ट के जज के खिलाफ भी कहा था। इसकी कोई सीमा ही नहीं। केस दर्ज किया था, जब केस दर्ज होता है तो फिर किसी क्लास–1 आफिसर को उसको देखना चाहिए जो इसको देख सकता है। इनके वक्त में एक डी० एस० पी० की डयूटी लगाई गई, गवर्नरी राज में। उस डी० एस० पी० ने सारी जांच की और अपनी रिपोर्ट भेजी। उसने सारी जांच कर ली है और उसमें कोई गलत बात नहीं पाई गई। अध्यक्ष महोदय, 35 साल से मैं पोलिटिक्स में हूं और मुझ पर आरोप भी लगते रहे हैं लेकिन हर बार जांच में कुछ नहीं पाया गया। अध्यक्ष महोदय, इन्कवायरी हो कर रिपोर्ट चली गई। चौधरी वीरेन्द्र सिंह फौजदारी के अच्छे वकील हैं, चौधरी अमर सिंह भी अच्छे वकील हैं, इन्हें प्रोसीजर का पता है और हमारी तरफ भी वकील बैठे हैं। (विज)उन्होंने इन्कवायरी के आधार पर एफ० आई० आर० को खत्म करने के लिए कह दिया क्योंकि इस केस में कुछ नहीं है और इलाका मैजिस्ट्रेट को केस भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, इलाका

मैजिस्ट्रेट को चाहिए था कि जो ऐडीशनल सैशन जज होता है, जिसके पास टाडा और करप्शन के केसिज लगते हैं। उसको भेजता। ना एंड आर्डर के केसिज, जैसे 302 का कोई केस हो जाए तो वह पहले इलाका मैजिस्ट्रेट को जाएगा मोर फिर इलाका मैजिस्ट्रेट स्पेशल बज को मार्क कर सकता है। परन्तु इलाका मैजिस्ट्रेट ने खुद यह कह दिया कि इसमें कुछ नहीं हे। मोहर लगा दी और कह दिया कि मैं इसको खत्म करता हूं।, अध्यक्ष महोदय, डी० आई० जी० खान ने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया कि मुझे भजन लाल ने इसलिए सस्पैंड कर दिया क्योंकि मैंने इस केस को दर्ज किया था। अष्यक्ष महोवड़, चौधरी बंसी लाल जी मौर इनकी पार्टी के तोय कला देंगें कि खान कैसा आदमी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विरुद्ध इन 18 एम० एल० एज० के दस्तखत हैं। एस० एम० पी० 16,754 आफ 1091 की है। सुप्रीम कोर्ट में, अब ने और इन्होंने जो अपील की थी, वह खारिज कर दी गई है। (शोर एबे व्यवधान)अध्यक्ष महोदय जिस मैजिस्ट्रेट को इन्होने इत्तलाह किया था, उसके पास पाकर नही थी, तो मैजिस्ट्रेट को चाहिए था कि वह केस आगे स्पैशल जज को रैफर कर देखा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इन्होंने शोर मचाया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरे पासे बाकायदा कोर्ट की मोहर लगे हुए कागज हैं। सर, जो आदमी जिस प्रकार का होता है, उसकी दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं और वह वैसी ही बास करता है। कितने ही दुःख की बात है कि कोर्ट के मामले को भी वे तोड़ुमोड़ कर पेश करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं इस किस्म की

बेबुमियादी बात करके हे न तो हाऊस को गुमराह कर सकते है और न ही जनता को गुमराह सर सकते हैं। सारे प्रदेश की जनता इनके कारनामों को जानती है। इनका कैसा किरदार रहा है, वह भी सब जानते हैं और आज की सरकार को भी जानते हैं। हमने हर तरह लै इस प्रदेश की रक्षा करने की कोशिश की। इस। प्रदेश के लोगों को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की। आज हर तरह से अमन और शान्ति इस प्रदेश में है। आज पंजाब में आग लगी हुई है लेकिन हरियाणा में अमन और शान्ति है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दो के साथ मैं आपसे और मदम से प्रार्थना कस्बा कि इन्होंने जो अविश्वास का– प्रस्ताव रखा है, इसको कंडम किया जाए और मैं आप सब महानुभावों से कहता हूं कि जो जो बातें आपने कहीं हैं, उन दर भी हम कार्यवाही करेंगे। धान्यवाद।

Mr. Speaker : Now, I will put the motion to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers headed by Ch. Bhajan Lal.

The motion was lost.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

Report of the Commission of Inquiry beaded by Mr. Justice H.S. Rai

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a

notice motion under Rule 84 from (i) Sarvshri Ram Bilas Sharma and Verender Singh and (ii) Sarvshri Sampat Singh, Satbir Singh Kadian, Dhir Pal Singh and Balwant Singh M.L.As. for the discussion of the Report of the Commission or Inquiry headed by Mr. Justice H.S. Rai.

Now, Shri Ram Bilas Sharma may move his motion.

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि टाईम बहुत हो गधा है, इसलिए इस रिपोर्ट को अब डिसकस न करके, अगले सैशन में डिसकस कर त्रिया जाए तो अच्छा है।

श्री अमर सिंह धानकः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है और अब समय भी काफी हो गया है, इसलिए इस रिपोर्ट पर अगले सैशन में डिसकशन करवा लेना, तब तक आनरेबल मैम्बर्ज भी इस रिपोर्ट की स्टडी कर लेगे। अब समय काफी हो गया है।

श्री अध्यक्षः क्या कंसर्न्ड मिनिस्टर ने आज जवाब देना है?

संसदीय कार्य मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): नही सर। अगले बजट सैशन में इस पर डिसकशन कर लेगे।

श्री अध्यक्षः फिर तो यह नोटिस लैप्स हो गया है। अगले सैशन में डिसकस करने के लिए आपको फ्रैश नोटिस देना पड़ेगा।

(i) 24th Annual Report for 1990-91 of Haryana State Warehousing Corporation;

(ii) 15th Annual Report of Land Reclamation Corporation for the year 1988-89;

(iii) Reports of Haryana Agricultural University for the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90; and

(iv) The Annual Financial Statement of the Haryana State-Electricity Board for the year 1992-93 and revised Estimates for the year 1991-92.

Mr. Speaker : Hon'ble Members. I have received motions under Rule 84 fromSmt. Chandrawati to discuss the following Reports—

(a) 24th Annual Report for 1990-91 of Haryana State Warehousing Corporation;

(b) Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation for the year 1988-89;

(c) Annual Reports of the Haryana Agricultural University for the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90 ; and

(d) Annual Financial Statement for the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93 and revised Estimates for the year 1991-92.

Now, Smt. Chandrawati will move her motions.

(As Smt. Chandrawati was not present in the House the motions were not moved)

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned sine-die.

***8.28 P.M.**

(The House then *adjourned sine-die.)